राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] ग्यारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का चौथा दिवस [संख्या : 4

शुक्रवार;

24 सितम्बर, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री अमीन खान।

पश्चिमी राजस्थान में विभागीय अधिकारियों की निजी अवैध बस-संचालन

48. श्री अमीन खान (शिव) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में राष्ट्रीयकृत सड़कों पर निजी बसों का अवैध संचालन हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसको गम्भीरता से ले रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि पश्चिमी राजस्थान से यातायात विभाग के अधिकारी अपनी बसें अवैध रूप से चला रहे हैं? यदि हां; तो सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

यातायात मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया) : (1) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के लिए विभाग सतत् प्रयत्नशील है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने प्रश्न के भाग 1 के अन्दर कहा है कि अवैध बसों को रोकने के लिए विभाग सतत् और गम्भीरता से विचार कर रही है। यह जवाब गोलमाल है। क्या गम्भीरता है? अवैध वाहनों को रोकने के लिए राष्ट्रीयकृत मार्गों पर आज तक आपने क्या-क्या कार्यवाही की? कौन-कौनसे अवैध वाहन आपरेटर्स मनमानी से चलाते हैं, उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की और उनसे जुर्माने के रूप में आपने कितनी

(श्री अमीन खान)

वसूली की, क्या दण्डित किया और कौन-कौनसी आपने उनके खिलाफ कार्यवाही की? कौन कौनसे पुलिस और यातायात विभाग के अधिकारी सतर्कता बरत रहे हैं, एक तो आप यह जवाब दें।

दूसरे में आपने बताया है, जो नहीं। अध्यक्ष महोदय, वही अधिकारी उस क्षेत्र में लगे हुए हैं जिनके खुद के अवैध बसों को चलाने का धन्धा है और वे अपनी बसें चलाकर रोडवेज को बिलकुल तबाही के कगार पर पहुंचाने वाले आपके रोडवेज के अधिकारी हैं, क्या नहीं है ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार हमने अवैध वाहनों को रोकने के लिए कम्पोजिट चैकिंग के माध्यम से यदा-कदा गम्भीरता से कदम उठाए हैं (व्यवधान) नियमित रूप से भी चल रहा है, कम्पोजिट चैकिंग के लिए यदा-कदा चलता रहता है। जिस तरीके से हमने 10-4-98 से 15-4-98 तक 5454 चालान बनाए थे जिनमें 2423 वाहन जब्त किए और 50,93,000 रुपए की आय हुई और रोडवेज को केवल मात्र 10 से 12 लाख रुपए की आय हुई।

इसी तरीके से 25-5-98 से 31-5-98 तक 2188 चालान बनाये, 650 जब्त किए और 20,01,000 रुपए की राशि हमको प्राप्त हुई, रोडवेज को प्रतिदिन 10 से 12 लाख रुपए का फायदा हुआ। इसी प्रकार से 17-12-98 से 26-12-98 तक हमने एक अभियान चलाया जिसमें 7821 वाहनों के चालान बनाए जिनमें 2605 वाहन जब्त किए और 124.94 लाख रुपए की हमने प्रशमन राशि वसूल की। फरवरी में 2–2–99 से 12-2-99 तक हमने एक अभियान चलाया जिसमें 6269 वाहनों के चालान बनाए और 1980 वाहन जब्त किए, जिससे हमको 1,69,20,000 रुपए की प्रशमन राशि प्राप्त हुई। 29-5-99 से 8-6-99 तक हमने एक अभियान चलाया जिसमें 6842 वाहनों के चालान बनाए और 1952 जब्त किए और 176.60 लाख रुपए प्रशमन राशि के तौर पर हमने प्राप्त किए।

इसी प्रकार से 1998–99 में नोर्मल और दूसरी सभी कम्पोजिट चैकिंग के माध्यम से वाहन चैक किए, 80,597, चालान बनाए, कुल 26,524, सीज किए 9,246, इसके माध्यम से 4,31,59,000 रुपए हमको प्राप्त हुए। 1999–2000 के अंदर हमने जून तक 31,553 वाहन चैक किए, जिसमें 9,455 चालान बनाए, 2,736 सीज किए और इसके माध्यम से हमको 2,00,28,000 रुपए प्राप्त किए।

अध्यक्ष महोदय, इससे पता चलता है कि हम बहुत गम्भीरता से इस पर विचार कर रहे हैं, यही बात मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं। इसी प्रकार से हमने करोड़ों रुपए की प्रशमन राशि वसूल की है जिससे अवैध वाहन संचालित न हो। इसके साथ-साथ हमने राज्य सरकार के माध्यम से एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है जिसमें रोडवेज के चेयरमैन, अध्यक्ष

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

होंगे। और उसके साथ कोरानी जी, मुख्य प्रबन्धक, रोको और अभी आर. एस. ई. डी. में हैं, वे सदस्य होंगे, गुरुदेवसिंह यातायात सचिव, सदस्य होंगे और विशिष्ट शासन सचिव, गृह, सदस्य होंगे और प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सदस्य सचिव होंगे।

इसके माध्यम से जो भी क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन हो रहे हैं, उन सब के बारे में सोचकर, विभाग ने संगठनों से, समितियों से और कर्मचारी-मजदूर संघों से विचार-विमर्श करने के पश्चात समस्या से निपटने के लिए व्यावहारिक हल सुझाने के लिए, उपाय बतायेंगे, उसके मुताबिक कार्य करने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। इसी प्रकार से...(व्यवधान) माननीय सदस्य, सुनिए।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सप्लीमेंट्री के भाग दो का जवाब इन्होंने नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुनें पहले। (व्यवधान) आपने तो कुछ भी नहीं किया, हमने जो कुछ किया है, उसको आपको बता रहा हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं शिव से पधारे माननीय सदस्य से कि हमने इसके अलावा जिला स्तर पर भी यातायात सलाहकार समिति का गठन किया है ताकि जिला लेवल पर जो भी समस्या हो, चाहे क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन की हो; चाहे अन्य हो; वह भी हमने गठित कर दी ताकि जिला लेवल पर भी, आप अपने लेवल पर सारे के सारे क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन को रोक सकते हैं और कोई अपने सुझाव हो तो वह भी दे सकते हैं ताकि अच्छी तरह से व्यवस्था लागू हो सके। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, भाग दो में यातायात विभाग के अधिकारी अपने अवैध वाहन चलाते हैं, उसके बारे में आपने जवाब नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में, पूर्व के मंत्री के विरुद्ध जो एलीगेशन आपने हाउस में, पक्ष और विपक्ष के माध्यम से लगाए थे, वह ज्यादा से ज्यादा अवैध वाहन अलवर की साइड के जनप्रतिनिधियों के और अन्य सदस्यों के ज्यादा लगे हुए थे, उनको हम देखेंगे, अब की बार किसी तरह के क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन न हो; उसके साथ-साथ ... (व्यवधान)

श्री निर्मय लाल (रूपवास) : हम माननीय मंत्रीजी से कहना चाहते हैं कि अवैध बसें बंद होंगी तो कब होंगी, यह बताएं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : 9 महीने हो गए, आपने क्या किया ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : मंत्रियों के भी हो सकते हैं सदस्यों के भी हो सकते हैं कई अधिकारियों के भी हो सकते हैं, जिनके भी अवैध वाहन होंगे, उनको हम सबको देखेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : 9 महीने हो गए आपने क्या किया ?

श्री निर्भय लाल : अध्यक्ष महोदय; मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी के हों, चाहे किसी भी अधिकारी के हों, उनको कब बंद करवाएंगे, यह बताएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : 9 महीने में आप क्या कर रहे थे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। श्री वृद्धिचन्द जैन। इस प्रकार का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, 57 पर है, उन्होंने मुझसे अनुमति मांगी थी, मैंने कहा कि आप सप्लीमेंट्री पूछेंगे, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि सन् 1997-98 के बाद से अब तक इन अवैध वाहनों के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध संचालन और काण्ट्रेक्ट कैरिज में राष्ट्रीय परमिट के दुरुपयोग में वृद्धि होने से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम घाटे में चल रहा है और आपने जो जवाब प्रस्तुत किया है 57 में, उसमें यह बताया है कि 33 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है।

इसलिए यह अवैध वाहन चल रहे हैं वे राष्ट्रीयकृत मार्ग के पैरेलल नेशनल परमिट वाले चला रहे हैं। वे बराबर सवारियां ले रहे हैं, बराबर बस स्टेण्ड से वे सवारियां लेते हैं। उनको आप सिर्फ दो हजार रुपया जुर्माना एक बार, दो बार या तीन बार लगाकर, लगातार यह करते रहते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं करते हैं, सख्त एक्शन नहीं लेते हैं। हमने कोशिश करके जोधपुर से बाड़मेर का अवैध संचालन रोका।

जयपुर से लेकर जोधपुर तक अवैध संचालन हो रहा है, जोधपुर से जयपुर हो रहा है, उदयपुर हो रहा है, उनकी ट्रेवलिंग एजेंसियां लगी हुई हैं, अवैध ट्रेवलिंग एजेंसियां लगी हुई हैं वे टिकटें देती हैं और आप इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? रोडवेज बराबर घाटे में चल रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार बहुत ठोस कदम उठाकर चल रही है, क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन को रोकने के लिए। यह बात अलग है कि क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन शत-प्रतिशत बंद नहीं हो सकता, यह सभी को विदित है।

लेकिन हमारा प्रयास हमेशा यह रहा है जिस तरीके से मैंने पूर्व में जवाब दिया है पूर्णतया निष्ठा से काम करने का रहा

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

है सरकार का और सरकार हमेशा यह चाहती है क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन को हर तरीके से रोका जाए जिसमें हमारे जन-प्रतिनिधि और सभी का हक बनता है कि वे अपना सहयोग दें। हमने कोशिश की है। केवल मात्र क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन के कारण से रोडवेज घाटे में नहीं जा रहा है, बल्कि पे-कमीशन के हमने पैसे दिए हैं, उसके अन्दर...(व्यवधान) वर्ष 1996-97 में..

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : प्रवैध वाहन।

श्री छोगाराम बाकोलिया : प्रवैध वाहन को मैं बता दूंगा, आप तो बेफिक्र रहो। 5.99 करोड़ पे-कमीशन के लिए देना पड़ा और 1997-98 में 23.60 करोड़ रुपये का हमें पेमेंट करना पड़ा और इस वर्ष 36 करोड़ का भार पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं जो 2 या 5 करोड़ का फायदे में रहने वाला था उस पर 36 करोड़ का पे-कमीशन जाते-जाते भारतीय जनता पार्टी ने बोझ डाल दिया है, वह बोझ तो हमको सहन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम राजस्थान रोडवेज को फायदे में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जिसके अन्दर चाहे क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन हो, हमारे पास में जो भी कुछ ये बताए हैं एक तो कश्मीरी बस अड्डे के अन्दर रोडवेज नहीं जाने के कारण घाटे का कारण बना है और बड़ी रेल लाइन का जाल बिछने के कारण यात्री भार कम हुआ है, उसके कारण से भी है, पेट्रोलियम पदार्थों का भाव बढ़ा है, कल-पुर्जों का भार पड़ा है, जो कि रोडवेज के घाटे के अन्दर जाने के कारण हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, ये क्या कह रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, ये कारण हैं, इन कारणों की वजह से रोडवेज घाटे में जा रही है। इसके कई कारण हैं, केवलमात्र Clandestine operation is not only the reason but there are so many other reasons. Thereby, the Roadways is put into the loss.

श्री निर्मल लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इन प्राइवेट वाहनों को कब रोक देंगे, यह बताइए। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जिस तरीके से 1990-91 के अन्दर हमको घाटा 1010 लाख का हुआ था,...

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी आपके समक्ष इस तरह का जवाब दे रहे हैं क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन का मैटर उठाया शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने। मैं केवल तीन प्रश्न पूछना

(श्री जगमाल सिंह यादव)

चाहता हूं । क्या यह सही है आर.एस. आर.टी.सी. का घाटा सितम्बर के अंत तक केवल क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन की वजह से बढ़कर 27 करोड़ इस साल का हो जाएगा ?

क्या यह भी सही है कि अगले माह आर.एस.आर.टी.सी. अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएगी ? क्या यह भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जिससे आर. एस.आर.टी.सी. को प्राइवेट ट्रांसपोर्टर मान लिया और इसका फैसला इतने दिन हो गए, उसके बाद चैकिंग करने की कोई कम्पोजिट व्यवस्था या पुलिस की मदद से आपने क्लेन्डेस्टाइन रोकने की कोशिश की है ?

यह कहना कि रेल लाइन बिछ गई, यह तो तब भी थी मंत्री महोदय जब 1991 में मेरे पास था और चुकारा करने के बाद 14 करोड़ नेट प्रोफिट में मैं लेकर आया था। आपकी इच्छाशक्ति चाहिए, वह इच्छाशक्ति आपकी नहीं है, इनकी तो थी ही नहीं।

लेकिन क्या यह सही है कि आप इस कार्पोरेशन को बन्द करना चाह रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि आपके राजनैतिक हस्तक्षेप से जो भी बोर्ड का काम है उसमें आप दखलंदाजी ज्यादा कर रहे हैं उससे भी आर. एस. आर. टी. सी. का जो मैनेजमेंट है वह अपंग हो गया है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान ।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यातायात मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपने करोड़ों रुपये के जुर्माने की आय बताई, यह आय निश्चित करती है, यह इस बात का द्योतक है, संकेत है कि अवैध वाहनों के संचालित होने से रोकने के लिए आप लोगों की कोई ऐसी पुख्ता व्यवस्था नहीं होने से ये अवैध वाहन सड़कों पर चलते हैं और फिर आप जुर्माना करते हैं। लेकिन उसको रोकने के लिए आपने क्या-क्या व्यवस्था की ?

दूसरा, आपने प्राइवेट आपरेटर्स को बस चलाने के लिए अनुज्ञा-पत्र दे रखे हैं एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु के, जैसे जयपुर से उदयपुर है, उदयपुर से अहमदाबाद है, लेकिन ये बीच-बीच के हर स्टेण्ड की सवारियों को लेते हैं और उतारते हैं। क्या इसके रोकथाम की भी आपने कोई व्यवस्था की है ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया है राज्य स्तर पर यातायात समितियां बनायी हैं और उनका यह फंक्शन रहेगा... (व्यवधान) आप सुनिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव : रिजल्ट क्या रहा है, 9 महीने में क्या किया है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : कहां है मेम्बर ? अभी बताए हैं, यों ही गलत बात कर रहे हो।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपको पावर्स डेलीगेट करने पड़ेंगे, घाटा तो बढ़कर 37 करोड़ इसी साल में हो गया। आपके रिजल्ट क्या हैं ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : हम रिजल्ट के लिए पूरे प्रयासशील हैं, करोड़ों रुपये की आय की है, प्रशमन राशि लगायी है जो फिगर्स अभी आपको बताए हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : फिर वह 37 करोड़ घाटे में क्यों था ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं हम प्रयत्नशील भी हैं, हम जागरूक हैं; कल ही हमने एक आदेश जारी करके....

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, 37 करोड़ सितम्बर तक घाटे में क्यों गया है अगर आपने बढ़िया व्यवस्था की है ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं आपको कह रहा हूं 36 करोड़ हमको पे-कमीशन के कारण से देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा एक साल के अन्दर। यह जवाब तो आप सुन ही नहीं रहे हैं और उसका कंक्लूजन अपने आप निकालकर कह रहे हैं क्यों गया। आपके टाइम में क्या आपने कोई 36 करोड़ दिये थे ?

श्री देवीसिंह भाटी : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि प्राइवेट वाहन बन्द हो गये ?

श्री जगमाल सिंह यादव : कब दिये थे ? पांचवा वेतन आयोग कब लागू हुआ?

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं तो इसी साल की कह रहा हूं, इसी साल 37 करोड़ घाटे में जा रहा है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : इसी साल पे-कमीशन के कारण रेकरिंग व्यय 36 करोड़ आएगा, जो मैंने अभी आपको कहा था। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : इसका मतलब यह हुआ कि आपने हाथ ऊपर कर दिए और निगम को बन्द करना चाह रहे हैं। यानी कोई अल्टरनेट आपके पास नहीं है। आर. एस. आर. टी. सी. को बन्द करना चाह रहे हैं क्या आप ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) मंत्री महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोल रहा हूं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा. क्या यह सही है कि आपकी विचारधारा की इंटक यूनियन ने आपकी छत्रछाया में चल रहे अवैध वाहन संचालन के विरुद्ध आपको नोटिस दिया, हड़ताल की और प्रदर्शन किया ? अगर सही है तो उनके ज्ञापन में जो आरोप लगाये गये थे उनके बारे में आपने क्या-क्या चेष्टा की ?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्या यह भी सही है राजस्थान की ट्रांसपोर्ट यूनियन ने आप स्वयं से लेकर आपके नीचे आर. टी. ओ. तक कौन-कौनसे काम के क्या-क्या रेट हैं इनके बारे में भ्रष्टाचार के रूप में एक प्रतिवेदन दिया था, जिसके ऊपर प्रदर्शन भी किया था ?

क्या यह भी सही है कि यहां जयपुर से विज्ञापन जारी करके कांट्रेक्ट कैरिएज के वीडियो वाहन सरेआम चलते हैं आपकी निगाह के नीचे चलते हैं ? आपने जो आंकड़े दिए उसमें आपने पूरे वाहनों के दे दिये । यह सवाल अवैध बस संचालन का है, यह सवाल सारे वाहनों का नहीं है । अवैध बस संचालन से कितना जुर्माना वसूल किया था यह भी बताएं ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध वाहनों को रोकने का अभियान चलाने की बात जो मंत्री महोदय ने की है इसमें जितने इन्होंने चालान बताए उसमें जुर्माना करके छोड़ दिया और उससे जो आय हुई वह सिर्फ डिपार्टमेंट की आय हुई । रोडवेज की आय तब होगी जब अवैध बसें चल रही हैं उनको पकड़कर बन्द कर दें । वह इन्होंने किया नहीं । बसें भी पकड़ीं तो जुर्माना करके छोड़ दिया । अपनी तो इन्होंने आय बढ़ा ली, लेकिन जिस मकसद से जो हम यहां कह रहे हैं रोडवेज की आय बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया और ये सरासर गलत उत्तर दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा ।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं यह जो घाटा है, जो अवैध वाहन हैं वास्तव में अवैध वाहन तो वे हैं जिनको पिछली सरकार गलत परमिट देकर चली गयी अपने रिश्तेदारों को कांट्रेक्ट देकर चली गई, अपने मिलने वालों को परमिट देकर चली गई । क्या आप उनको बन्द कर रहे हैं या बन्द किए तो अब तक कितने वाहन बन्द किए?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है, आपने जितने भी आंकड़े पेश किये हैं, गांव में और इनमें किये हैं । आपने कितनों की जोपें बंद की हैं जो छोटे रूटों पर चलाते हैं ? जितने भी नेशनल हाइवे पर लंबे-लंबे रूटों पर बसें चलती हैं जो बी.जे.पी. वालों की चलती हैं उन्हीं के द्वारा सारे परमिट दिये गये थे, उनको बंद कर रहे हैं, तो कितने बन्द किये और कितने कर रहे हैं ?

तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि अवैध वाहनों के आधार पर जो जुर्माना वसूल हुआ है उसके अन्दर घोटाला हुआ है । 50 प्रतिशत अवैध वाहनों से किराया वसूल किया जाता है, 50 प्रतिशत को रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है । क्या इसकी कोई व्यवस्था की गई है ? आपने इसमें अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को धंधा खुलवा दिया और जो लोग गांवों में बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं उनको जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये आप ने प्रश्न पूछ लिया है। श्री हरचन्द सिंह सिद्धू ।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने जो जुर्माना अवैध वाहनों से वसूल किया उसमें छोटे वाहन, जीपें जो दिन में चलती हैं वो कितनी हैं, और रात्रि में अवैध वाहन पूरे राजस्थान में पैरेलल एक व्यवस्था चली हुई है पूंजीपतियों द्वारा, यह सारे के सारे स्क्वेड संचालित होते हैं, उनसे आपने कितना जुर्माना वसूल किया, मेहरबानी करके बताने की कृपा करें।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय,..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले उनका रिप्लाई आने दीजिये।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह रात को ही नहीं दिन में भी चलती हैं और एक जीप वाले से 11500 रुपये लिये जाते हैं यह अन्याय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह क्या कह रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी : कांट्रेक्ट कैरिएज के लिये जो परमिट दिये जाते हैं, उसमें शर्त आरोपित रहती है, राष्ट्रीयकृत राज–मार्ग पर नहीं चलेंगे। तो उसकी पालना कितनी करते हैं, यह बताएं।

श्री अध्यक्ष : केसाराम जी आप बैठिये, आपको अनुमति नहीं दी।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कई सदस्यों ने अपनी चिंता जाहिर की है, सरकार इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करके एक्शन ले रही है। जिस तरीके से मैंने आपको पूर्व में बताया था, सभी तरीके से करोड़ों रुपये की प्रशमन राशि चार्ज करते हुये जहां तक रोडवेज को प्रोफिट की बात है, मैंने आपसे निवेदन किया कि जितने क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन में जो कम्पोजिट चैकिंग हुई, उसमें 10 से 12 लाख का प्रोफिट हुआ है। और उसके मुताबिक अब तक जो फिगर्स मिले हैं उनका सारा वर्णन पूर्व में मैंने अपने रिप्लाई में दिया है।

यह नहीं कह सकते कि रोडवेज को कोई प्रोफिट नहीं हुआ है। जिस तरीके से मैंने कहा कि हाई पावर कमेटी का गठन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया जिसके अध्यक्ष चेयरमैन, राजस्थान रोडवेज के होंगे और उसके साथ तीन माननीय सदस्य होंगे। अगर वो क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन से बहुत ही चिंतित होते तो अब तक, एक महीने के अंदर मीटिंग होकर के उसके ऊपर विचार करके हमें अपने सुझाव देते। राज्य सरकार को नहीं करते तो कोई बात नहीं लेकिन फिर भी हमारा निरन्तर प्रयास रहा है।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य कौन है, यह बताने का कष्ट करें। आपने सदस्य बना लिया हमें क्या मालूम ? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अवैध वाहनों का... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : उन लोगों को सदस्य बना लिया होगा जो ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते ही नहीं। हमें क्या मालूम किसको बनाया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री श्रवण कुमार : अगर आपने ट्रांसपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया तो.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में व्यवधान मत डालिये, माननीय जगमाल सिंहजी, व्यवधान मत डालिये।

श्री श्रवण कुमार : आपके टाइम में जो भ्रष्टाचार हुए हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने आरोप लगाया है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अगर आपने राजस्थान के ट्रांसपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया तो राजस्थान के ट्रांसपोर्टर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने आरोप लगाया है। (व्यवधान) आपके रेट बंधे हुए हैं, आपकी छत्रछाया में अवैध वाहन राजस्थान में चल रहे हैं, आप किस मुंह से जबाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मीटिंग आज तक नहीं बुलाई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट में इतना भ्रष्टाचार हो गया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कोटा के नवरंग ट्रेवल्स के इतने वाहन चलते हैं आज तक आपने हाथ लगाया हो तो बताइये, (व्यवधान) एक भी वाहन पकड़ा हो तो बताइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री रामस्वरूप : बी.जे.पी. वालों के समय में जितने भी वाहन चले, उसमें से कितने बंद किये आपने, माननीय मंत्री जी कितने बंद कर दिये यह बताइये। (व्यवधान) इन्होंने जो अवैध वाहन चलवाये थे वो कितने बंद करवाये आपने, इनके काल में कितने अवैध वाहन चले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाद में, बाद में।

श्री हेमन्त कुमार : मदन दिलावर जी, नवरंग ट्रेवल्स तो आपके राज में भी चल रही थी, उस समय इन्होंने बंद क्यों नहीं की, कहां सोये हुये थे, आज नवरंग ट्रेवल्स को बन्द करवाने की बात कर रहे हैं इनकी भी शह थी उसमें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने बंद क्यों नहीं करवाई, जबाब दो इस बात का मदन दिलावर जी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा, बैठिये आप। मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जरा आप शिव से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का अवलोकन करें। माननीय मंत्रीजी ने जो इधर-उधर की काफी बात कह दी, मैं आपके माध्यम से इनसे दो स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

पहला सवाल तो यह था कि क्या बाड़मेर के रोड पर यातायात विभाग के अधिकारियों की बसों का अवैध रूप से संचालन हो रहा है? आपने अधिकारियों के नाम बताये नहीं हैं किन अधिकारियों की बसें पकड़ीं। जो वाहन पकड़े उनमें यातायात विभाग के अधिकारी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने उत्तर दिया है उन्होंने कहा जी नहीं, नहीं चल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आय हुई 5000 वाहन पकड़े उसमें 50,000 रुपये की आय हुई है। क्या दस रुपये वाहन लिया? यह तो आपने बता दिया, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अवैध वाहनों के संचालन से राजस्थान पथ परिवहन निगम को कितना नुकसान हुआ है यह आप बतायें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात जो प्रश्न लिखा है उसी के तहत पूछ रहा हूं। शायद मंत्री महोदय आपने इस पहले प्रश्न को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा। इन्होंने लिखा सड़कों पर निजी बसों का अवैध वाहन। बसों का पूछा है सारी की सारी जीपों का नहीं पूछा। इन्होंने, केवल बसों का पूछा था और आपको अपना उत्तर बसों तक ही सीमित रखना चाहिये था।

क्या आप और हम इस बात को नहीं जानते हैं कि अवैध वाहन चलते हैं? क्या हम कोई ऐसा कानून बनाने की मंशा रखते हैं कि जिस कानून से इसको रोका जा सके? हम छोटी-छोटी बातों के लिये कानून लाते हैं इतना हमको घाटा देने वाली बात को कैसे हम कानून के फरमे में डालकर के जितने भी वीडियो कोचेज चलते हैं, इनको या तो पैसे लेकर चलाइये या इनको रोकिये ताकि हमारी आमदनी बढ़े। क्या सरकार कोई कानून लाने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया।

श्री जगमाल सिंह यादव : राजस्थान में 30 हजार कर्मचारी निगम में काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी का सवाल है। इसलिये मैं आपसे अपील करता हूं कि समय निर्धारित करके चाहे तो आधे घंटे की चर्चा रख लें या कोई...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा अब नहीं होगी।

श्री जगमाल सिंह यादव : निगम अगले माह बंद हो जायेगा, वेतन चुकारा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में राजस्थान के 30 हजार कर्मचारी घर बैठ जायेंगे। यह कोई छोटा मसला अवैध चालन का नहीं है। मुख्यमंत्री जी, क्या आपने आर. एस. आर. टी.सी. को धर्मशाला समझ रखा है?

(श्री जगमाल सिंह यादव)

आपका शिक्षा विभाग भी पास काट देता है।

श्री अध्यक्ष : जगमाल सिंह जी, माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : आर.एस.आर.टी.सी. से केवल अवैध वाहन का नहीं बल्कि निगम को धर्मशाला समझ रखा है। चाहे जो विभाग अपना पास दे दे और निगम ढोता रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जगमाल सिंह जी आप चार-पांच बार खड़े हो गये, व्यवस्था रखिये। आप यह क्या भाषण दे रहे हैं। The Chair is on the legs.

श्री जगमाल सिंह यादव : 100 करोड़ रुपये की लाइबिलिटी आपके होम डिपार्टमेंट और शिक्षा मंत्रालय पर होती है निगम पर नहीं, ट्रांसपोर्ट में इसने कभी मांगा ? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन को रोकने के लिये हमने कल ही आदेश जारी करके जो भी प्राइवेट ट्रेवलिंग एजेंसी हैं, उनके ऊपर सख्ती से कार्यवाही करके, बिना लाइसेंस के हैं उनको जब्त किया जायेगा ताकि कोई भी ट्रेवलिंग एजेंसी, बिना लाइसेंस के हैं तो उसको सहन नहीं किया जाये। कल ही हमने आदेश...(व्यवधान) कार्यालय आदेश निकाला उसी प्रकार से...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौनसे नियम में लाइसेंस मिलता है ? लाइसेंस मिल ही नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : सुनिये। सुनिये तो सही। आप मेरा जवाब नहीं सुन रहे हैं। क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन को रोकने के लिये कल ही हमने जिला कलक्टर को आदेश दिया है कि जहां-जहां पर बस स्टैण्ड के पास में कोई स्टैण्ड है, प्राइवेट बस का हो या जीपों का, वो एक किलोमीटर दूर हटाकर रखें ताकि बसों के आगे से सवारियां नहीं ले जाए। क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन को रोकने का और अच्छा एक्शन नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : 10-15 आफिस लगे हुये हैं। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : हमने यह सबसे ज्यादा अहम एक्शन लिया है जिसके कारण से राजस्थान रोडवेज की बसों को पूरे के पूरे पैसेन्जर मिलेंगे। और बसों के आगे जो जीपें चल रही थीं या प्राइवेट बसें चल रही थीं, उनके ऊपर रोक लगेगी। और उसी तरह से ट्रेवलिंग एजेंसी के माध्यम से बुक होकर के पैसेन्जर लेकर उसको भरने की कार्यवाही कर रहे हैं। उस पर रोक लगायेंगे, इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कार्यवाही के अन्दर अधिकारी कमजोर पाये गये या उसके अन्दर एक्शन बराबर नहीं लेगा तो

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे ताकि क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन को रोका जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवंत सिंह।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो जिलों में इन्होंने सलाहकार समिति बनायी है उसके मापदण्ड क्या हैं? सिरोही जिले में इन्होंने कमला पंजबानी को सदस्य लिया है उस पर कितना ज्यादा विरोध हुआ फिर भी उसको लिया जो इस रोडवेज के बारे में ए बी सी डी भी नहीं जानती। इसलिए लिया कि मंत्री साहब के पर्सनल; घरेलू टर्म्स हैं।

दूसरा, मेरी बस नदबई से जयपुर चलती थी। नदबई से दिल्ली भी बस चलती थी, मैं मंत्री महोदय को चार बार लिख कर दे चुका हूं और 50 हजार रुपये लेकर के उस बस को बन्द कर दिया गया और प्राइवेट बस चलायी गयी। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल निराधार कह रहे हैं। मेरा तो कोई परिचय ही नहीं है। वह एक कार्यकर्ता के रूप में अगर उसको मैम्बर बनाया जाता है तो आपको क्या एतराज है?

श्री देवीसिंह भाटी : यह पंजबानी कौन हैं, हमें भी तो बताइये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह तो माननीय सदस्य जो बात बता रहे हैं उनको पूछो कि कौन है। यह एक कार्यकर्ता है। हमें जवाब देने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर आप सिद्ध कर दो तो मैं हाउस से रिजाइन करके जा सकता हूं। माननीय सदस्य, अगर आप सिद्ध कर दें कि कोई नाजायज काम और किसी तरीके से इसमें हो तो। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय मंत्री महोदय, चार बार पेपरों में निकली उसके बाद भी नहीं बदला गया। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खारची विधान सभा क्षेत्र में रोडवेज घाटे में चल रही है और हमारे यहां पर एक भी रोडवेज की बस आज दिन तक नहीं चल रही है। याचिका लगा दी, सब कुछ कर दिया मगर चलाते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये। एक प्रश्न के ऊपर आधा घण्टा ले लिया।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कल मोहम्मद माहिर आजाद कह रहे थे कि हमारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मुख्य मंत्री जी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और लम्बे अर्से से

(श्री अशोक गहलोत)

अवैध वाहनों के संचालन को लेकर हाउस के अन्दर भी और बाहर भी शिकायतें होती रही हैं। यह समस्या खाली राजस्थान की ही नहीं है बल्कि हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह पर यह बहुत बड़ी समस्या एक चुनौती के रूप में सामने आयी है।

जब दिल्ली में नोर्थ जोन काउन्सिल की मीटिंग हुई थी तभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बंसीलाल जी का कहना था कि उनके स्टेट में करीब 5 हजार बसें अवैध रूप से चल रही थीं। यह बहुत ही गम्भीर सवाल है और इसमें माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की उसमें मैं अपनी भावनाएं जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि सरकार ने भी संकल्प लिया है कि इस प्रकार की समस्या का समाधान हो।

खाली यह कहने से ही कि हम उनको बन्द कर देंगे या बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है बल्कि कैसे इस समस्या का समाधान हो सके, बसें आ चुकी हैं, बसें आपके रूट पर चल रही हैं, उनको पाइंट-टू-पाइंट जो लाइसेंस दिये जाते हैं उनका वे उल्लंघन करते हैं और वे अवैध बसों के रूप में संचालित हो रही हैं।

सरकार ने एक कमेटी बनायी है, मैं चाहूंगा कि कमेटी की रिपोर्ट को जल्दी मंगाकर के कोई तरीका निकालेंगे कि अगर ये रेगुलराइज हो सकती हैं तो रेगुलराइज करेंगे, उनकी फीस होगी तो फीस तय करेंगे पर किसी ढंग से रोडवेज को घाटा नहीं हो और सरकार को इन्कम हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी यातायात मंत्री बनता है तो आरोप लगते हैं विभाग के ऊपर। यह विभाग भी ऐसा है इसलिए चिन्ता होना स्वाभाविक है। आज आम पब्लिक में यह धारणा रहती है कि इस डिपार्टमेंट के बारे में कि इसमें बहुत बड़ा करप्शन है। सरकार का प्रयत्न रहेगा कि ऐसे करप्शन समाप्त हो, कम हो। क्योंकि यह पब्लिक डीलिंग का महकमा है। करप्शन है और यह आपके वक्त में भी था, आज भी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह तो स्वीकार रहे हैं कि करप्शन है? (व्यवधान) आप तो पारदर्शी हो, आप तो ठीक करो। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : यह करप्शन का शंकर बीज आपके यहां से आया है।

श्री अशोक गहलोत : पिछली सरकार के वक्त में भी यह आरोप लगते रहे हैं। जो मंत्री मण्डल के सम्मानित सदस्य थे उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि बसें उनकी खुद की चलती हैं या उनके रिश्तेदारों की चलती हैं। तो यह कोई नयी बात नहीं है, आरोप लगे हैं। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि अब इस समस्या का समाधान करने में हम सब मिलकर कैसे सहयोग करें, इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए।

यह आरोप जो लगते हैं, उसमें मैंने

(श्री अशोक गहलोत)

आपको कहा कि इस डिपार्टमेंट में वास्तव में डिस्ट्रिक्ट लेबल पर, सम्भागीय स्तर पर, राज्य स्तर पर आरोप लगते हैं। इसके ऊपर हम नजर रखे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको खतम कर सकें। यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो आरोप लगे हैं उनकी जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गोवर्द्धन कल्ला।

जिला जैसलमेर में लाइम स्टोन के उपयोगार्थ सीमेंट उद्योग की स्थापना

49. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला जैसलमेर में सोनू लाइम स्टोन राजकीय उपक्रम लाभ की स्थिति में है? यदि हां, तो गत दो वर्षों का लाभ–हानि विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दोनों उपक्रमों में स्टील मिलों को लाइम स्टोन भेजने के बाद शेष पाउडर तथा छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं? क्या सरकार के पास उसके उपयोग के लिए कोई योजना है?

(3) क्या यह खनिज सीमेंट उत्पादन का कच्चा माल है? क्या उक्त जिलों के निजी क्षेत्र में कोई उद्यमी सीमेंट प्लांट नहीं लगाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ही सीमेंट प्लांट लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दोरा) : (1) जैसलमेर में सोनू लाइम स्टोन परियोजना में दो राजकीय उपक्रम कार्य कर रहे हैं, जिनमें राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लाभ में एवं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि. घाटे में चल रहा है। इन उपक्रमों का गत वर्षों का लाभ-हानि विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। दोनों उपक्रमों में स्टील मिलों को लाइम स्टोन भेजने के बाद शेष पाउडर तथा छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। सरकार के पास उसके उपयोग की कोई योजना नहीं है तथापि निजी क्षेत्र में प्रस्तावित सीमेंट संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाना सम्भावित है।

(3) यह खनिज सीमेंट उत्पादन का कच्चा माल है। जैसलमेर जिले में 6 सीमेंट प्लांट लगाने हेतु निजी उद्यमियों ने खनन पट्टे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जिनके लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो गया है एवं राज्य सरकार द्वारा लेटर आफ इन्टेन्शन भी जारी किये जा चुके हैं। सरकार स्वयं इस क्षेत्र में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु विचार नहीं रखती है। राज्य की खनिज नीति, 1994 के अनुसार खनिज लाइम स्टोन के पट्टे उन्हीं उद्यमियों को आवंटित किये

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

जाने का प्रावधान है जो स्वयं सीमेंट संयंत्र स्थापित करें।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो पहले क्वेश्चन का उत्तर मिला है कि दो उपक्रम काम करते हैं आर.एस.एम.डी.सी. और आर.एस.एम.एम। आर.एस.एम.डी.सी. का लाभ 1997-98 में 1·59 लाख रुपये और 1998-99 में 196 लाख रुपये रहा है। आर एस एम एम हानि में है और 1997-98 में 172 लाख रुपये और 1998–99 में 103 लाख रुपये की हानि है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक राजकीय उपक्रम लाभ में जा रहा था तो दूसरा उपक्रम खड़ा करके उसको इतनी बड़ी हानि में पहुंचाने की क्या नीति थी ?

दूसरा प्रश्न है कि लाभ-हानि के समय जो स्टाक बचा रहता है तो स्टील मिल्स में तीन इंच की कितनी जाती है। उसके बाद में सारा खनिज, वहां स्टाक पड़ा है और अब बहुत बड़ा स्टाक बन चुका है। क्या लाभ-हानि में उस स्टाक को लिया गया है ?

दूसरे खण्ड में मुझे उत्तर दिया है कि यहां जो छोटा माल पड़ा है उसका निजी क्षेत्र में सीमेंट संयंत्रों में उपयोग किया जाना सम्भावित है और सीमेंट प्लांट के बारे में 6 निजी कम्पनियों को इन्होंने लेटर आफ इन्टेन्शन भी दिया है। तो वह कब जारी किया है, उसकी तिथि बतायें ?

दूसरा इसमें मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि कुछ वर्ष पूर्व पब्लिक सैक्टर में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया, जिंक स्मेल्टर और दोनों उपक्रम मिलाकर के 700 करोड़ की योजना बनायी थी जिसमें वहां पर रेल लाइन पहुंचाना तथा सीमेंट उत्पादन का कारखाना लगाने की योजना थी ? 6 कम्पनियों ने लाइसेंस मांगा है और आज तक कोई भी कम्पनी फील्ड में नहीं आयी है।

क्या यह सही नहीं है कि हम पब्लिक सैक्टर में कोई कम्पनी स्थापित कर रहे हैं ? उसी सैक्टर में हमारा आई.जी.एन.पी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लाखों टन सीमेंट वहां उपभोग करते हैं, लाते हैं। उसके बाद में भी नहर आने के बाद लाखों टन सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सैंकड़ों गांव वहां बसने वाले हैं। इसलिए क्या उस सैक्टर में, कोई पब्लिक सैक्टर में सीमेंट प्लांट लगाने की सरकार की योजना है ? ये मेरे तीन प्रश्न हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में सही है कि कारपोरेशन आज तो बने नहीं हैं, हमारे दोनों कारपोरेशन की स्थापना बहुत पहले से ही है और दोनों ही कारपोरेशन मिनरल बेस कारपोरेशन हैं और खनिज आधारित जो हमारा उत्पादन है उसमें वे काम करते हैं।

पहले आर.एम.एम.डी.सी. वहां काम करती थी लेकिन चूंकि किसी भी उपक्रम को काम देना सरकार का दायित्व है और उपक्रम भी इसी उद्देश्य से बनाये

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

गये हैं कि उनको काम मिले। बहुत से मिनरल ऐसे हैं जो सरकारी क्षेत्र में जिनके लिए कार्य करने की एक लिमिटेशंस हैं। सोनू लाइम स्टोन के लिए आर.एस.एम.डी.सी. पहले से ही काम कर रही है। जिसका मैंने लाभ–हानि का चार्ट दे दिया है, अब तक दो सालों में 3,56,40,000 तो इसका फायदा है और 1997-98 व 98-99 में 2,75,00,000 के करीब आर.एस एम.एम. का घाटा है।

जो फायदा है आर.एस.एम.एम. का, वह तो ठीक है, लेकिन मशीनरी पर ज्यादा खर्च करने की वजह से, मैकेनाइज्ड सिस्टम अडाप्ट करने की वजह से इसमें करीब 25 करोड़ रुपये का जो खर्चा है, और जब हम डेप्रिशिएशन का उसमें समावेश करते हैं तो उससे घाटा आता है। हमारी कोशिश है कि कारपोरेशन फायदे में चले। आर.एस.एम.डी.सी. का मैकेनाइज सिस्टम करीबन एक करोड़ का है इसलिए उनका प्रोफिट ज्यादा है। हिन्दुस्तान भर में पूरा लाइम-स्टोन सोनू और गोटन, हमारे राजस्थान का है और बाहर दुबई क्षेत्र है।

चूंकि टाटा स्टील प्लांट और स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया दोनों हमसे परचेज करती हैं और हमारा लाइम स्टोन उनको महंगा पड़ता है। जो 1998 तक रेलवे में हमें रियायत दी थी, वह रियायत उन्होंने वापस ले लिये।

आज 303 रुपये पर हमारा एफ.ओ. आर. चार्जेज से फ्रेट लगकर, किराया लगकर ज्यादा हो जाता है तो उन कम्पनियों को चाहे टाटा हो चाहे स्टील अथोरिटी हो, उनको करीब-करीब 450 रुपये प्रति टन महंगा पड़ता है इसलिए वह ज्यादातर दुबई से माल मंगाते हैं जबकि टाटा स्टील प्लांट का मंथली कंजम्पशन है एस.एम.एस. स्टील ग्रेड लाइम स्टोन का; वह करीबन 90,000 मैट्रिक टन है जबकि हमारे से वह 10,000 मैट्रिक टन ले रहा है। तो स्वाभाविक है हमने करीबन-करीबन दोनों कारपोरेशन को 10-10 लाख मिलियन टन, दोनों कारपोरेशन को करीब 20 लाख मिलियन टन खरीद कर बेचा है।

अब जहां तक, मशीनरी का सवाल है, मशीनरी पर डेप्रिशिएशन लगायेंगे तो घाटा आएगा और डेप्रिशिएशन नहीं लगायेंगे, तो फायदा में चल रहा है, इनका पहला तो जवाब यह है। दूसरा, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि टुकड़े पड़े हुए हैं। मैं मानता हूं, टुकड़े पड़े हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 एम.एम. से लेकर 80 एम.एम. तक स्टील कम्पनियां हमसे यह पत्थर खरीदती है, उसकी साइज है 30 टू 80 एम.एम.उसकी जो साइज है, 30 एम.एम. से नीचे के जो टुकड़े हैं, वह टुकड़े वेस्ट जाते हैं, कम्पनियां नहीं लेती है। न टाटा लेती है न स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लेती है और उसको हम इकट्ठा करते हैं। डम्प करके खड्डों में इकट्ठा करते हैं ताकि वह वेस्ट नहीं पड़ा रहे।

हमने भी सोचा है कि इसका यूटिला-

(श्री देवीसिंह भाटी)

को क्या समस्याएं आ रही हैं, यह सरकार का दायित्व है कि निजी उद्यमियों को सहयोग करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। यह जवाब नहीं हुआ कि मैं क्या करूं। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बाजार में स्लम्प है, वह क्या करे। बाजार में सीमेंट इण्डस्ट्रीज के अन्दर ग्लट है। यह बात सही है। आज उनको लैटर आफ इन्टेन्ट जारी कर दिया ....(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये प्लीज It is a joint responsibility of the government since the matter relates to the Industry Department also. इसलिए आपने उनको लैटर आफ इन्टेन्ट जारी कर दिया।

भारत सरकार से क्लियरेंस हो गई। सीमेंट इण्डस्ट्रीज के अन्दर ग्लट है। सबको मालूम है कि बिलो प्राइस, बहुत सी फैक्ट्रीज सरवाइव करने के लिए बिलो प्राइस सीमेंट बेच रही है। बहुत सी बंद हो गईं। मिनी सीमेंट प्लांट तो 90 प्रतिशत तक बंद हो गये लेकिन इन दिनों में थोड़ा सा बाजार का उठाव हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, सीमेंट इण्डस्ट्रीज में थोड़ा उठाव है इस वक्त और इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि बाजार में यह उठाव है, अगर यह बढ़ा तो जिनको लैटर आफ इन्टेंट दिया, जो अच्छी कंपनीज है, जिनको लैटर आफ इंटेन्ट जारी किया है, मुझे उम्मीद है कि अगर बाजार में थोड़ा सा उठाव हुआ मार्केट का तो निश्चित रूप से वह मुनाफा होगा, तब ही ये आयेंगे। उनको कितनी ही सुविधा दी जाए।

देखिये, आज सरकार के पास लोज इनको हम दे देंगे, फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन के पास वह जाता है, वह बाजार में इतना ग्लट है, आपको लोन सेंक्शन में प्रोब्लम आती हैं। तो कोई एक प्रोब्लम नहीं है।

मंत्रीजी ने जो कहा अध्यक्ष महोदय, अब नहीं आ रहे हैं तो हम उनको पालकी में तो बिठाकर लायेंगे नहीं कि हुजूर आप आइये, चलाइये। लेकिन जैसा जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप मेरी बात सुनिये। आपने बिजली विभाग में बिजली के जो एग्रीमेंट किये थे, वह आ गई क्या कम्पनी ? आप पूरी बात सुनो। आपने बिजली के लिए बाहरी कम्पनियों से एग्रीमेंट किये थे, वह कम्पनी आ गई क्या ? नहीं आई कम्पनी।

श्री देवीसिंह भाटी : आई.जी.एन.पी. जैसे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट है, उनमें इन चीजों का उपयोग होगा, वह लगायेंगे, निश्चित रूप से लगायेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप डरा किसको रहे हो ? अध्यक्ष महोदय....

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपको कह रहा हूं, आपके राज में हुआ है। 10 साल में क्या हुआ, आपको कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप डरा किसको रहे हो। मेरा व्यवस्था का सवाल है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम प्रतिपक्ष के लोग हैं। यह सर्वोच्च सदन है। यह सवाल राजस्थान की जनता के हितों से जुड़ा हुआ है।

श्री सी.पी. जोशी : प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमेंट्री का क्या हुआ ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रत्येक मंत्री जिस तरह से उत्तर दे रहा है। एक नहीं, करीब करीब सारे मंत्री इस तरह से बात करते हैं कि.... जवाब दे दें। जवाब नहीं दो, वैसे ही बात बता दो लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : यह उसका अधिकार है, भाई। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस राज को आए आठ महीने हुए। 1997 में दिया, 1998 पूरा निकाला, उस वक्त कोई कार्यवाही नहीं की। बिजली के दुनिया भर के एग्रीमेंट किये, एक नहीं आया। अब क्या हुआ। अब यह कहें कि हम उनको मजबूर कर सकते हैं तो यह कर तो नहीं सकते ना। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार किसी की रहे। राज्य हित में किसको क्या करना है, ये देखिये। किसका राज रहा, किसका शासन रहा, इसमें मत जाइये। इसका राज्य हित किसमें है, यह देखना है। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि आई.जी.एस.पी. जैसे गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट हैं, आप एश्योर कीजिये निजी उद्यमियों को, आपके आई.जी.एन.पी. प्रोजेक्ट है, दूसरे सरकारी प्रोजेक्ट है, उसमें हम आपका सीमेंट उपयोग में लेंगे, निश्चित रूप से इन्होंने अच्छा सुझाव दिया है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं नहीं, आप मेरा निवेदन सुनें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपके पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने 10 इन्टेंट जारी किये थे बिजली के, एक आदमी नहीं आया, रोज बिजली देते थे यहां। (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, चूंकि, आर.एस.एम.डी. सी. और आर.एस.एम.एम. दोनों एक ही मिनरल का काम करती है, मिनरल बेस्ड कारपोरेशन है। क्या सरकार का यह विचार है कि दोनों को ही अमलगमेट कर दिया जाये ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सही फरमा रहे हैं, मेरी मंशा है कि दोनों कार्पोरेशन में अनहैल्दी कम्पीटीशन नहीं हो। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से चर्चा कर चुका हूं और

(श्री सी. पी. जोशी)

2. रा.सी.मा.वि., खवारानीजी — हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास
3. रा.सी.मा.वि.,आंधी — अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, हिन्दी
4. रा.सी.मा.वि.,चांदड़िया — भूगोल, विशेष हिन्दी, अर्थशास्त्र

(2) जी हां। रिक्त पदों की पूर्ति, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी द्वारा जब भी चयन किया जायेगा, भर्ती की जायेगी। लेकिन यह मार्च, 96 से पद रिक्त चल रहे हैं, क्या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइज कर दिया है इन पदों को और कर दिया है तो कब-कब किया और अब तक क्यों नहीं इनकी पूर्ति हुई।

दूसरा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी को कब दिये, इन्होंने विज्ञप्ति जारी की और कब तक इनकी पूर्ति हो जायेगी।

दूसरा प्रश्न मेरा निवेदन है खवारानाजी के लिए; खवारानीजी में मात्र पांच पद हैं, स्कूल लेक्चरर के पांच पद हैं और पांचों रिक्त चल रहे हैं। सितम्बर, 98 में यह स्कूल रेज हुआ था, केवल मात्र सीनियर माध्यमिक विद्यालय बनाने के अलावा, केवल आर्डर देने के अलावा उस विद्यालय को एक भी लेक्चरर नहीं दिया गया और एक वर्ष पूरा निकल गया।

मैं आपके माध्यम से शिक्षा विभाग के मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि केवल मात्र ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल को रेज करने के लिए आर्डर देने के अलावा उस ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों को क्या देना चाहते हैं; वह छात्र क्या करेंगे, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, यह खिलवाड़ क्यों किया गया है, केवल इस स्कूल को रेज करके ही।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किये हैं, वह वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि राजस्थान में कुल 13216 व्याख्याताओं के पद हैं उनमें से 2239 पद रिक्त हैं। यह बात सही है कि अलग-अलग स्कूलों को जब हम क्रमोन्नत करते हैं तो विषय के अध्यापक जो उपलब्ध कराने चाहिए उनके कराने की प्रक्रिया में दो-तीन बिंदु हैं जिनके कारण अध्यापक वहां उपलब्ध नहीं हो सकते। नम्बर एक।

बहुत से अध्यापक प्रमोशन का एवेन्यू अवेल करने के बाद भी उसको फोर–गो कर लेते हैं। तो एक प्रक्रिया में डिले हो जाता है और उतने अध्यापक जो जाने चाहिए, वह नहीं जा पाते हैं।

दूसरा हमने यह व्यवस्था कर रखी है कि यदि वहां टीचर; सेकण्ड ग्रेड

(श्री सी.पी. जोशी)

टीचर सब्जेक्ट का उपलब्ध है, तो वह टीचर भी वहां पढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए, विभाग ने पैसा देकर व्यवस्था कर रखी है लेकिन कुछ स्कूलों में सब्जेक्ट के टीचर, सेकण्ड ग्रेड के उपलब्ध नहीं होते हैं इसलिए यह भी व्यवस्था नहीं हो पाती है।

इस सब को मीट-ग्राउट करने के लिए विभाग ने आपातकालीन भर्ती करने के लिए आर.पी.एस.सी. को लिखने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले महीने भर; दो महीने में हम इस कार्यवाही को तीव्र गति से करके जहां-जहां भी अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं, राज्य सरकार की यह मंशा है कि स्कूल के क्रमोन्नत होने के साथ-साथ ही व्याख्याताओं के पदों को भर दिया जाय जिससे ग्रामीण इलाकों में विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान नहीं हो। इस बारे में हम चिंतित हैं और शीघ्र ही कार्यवाही करके इसको पूरा करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्षजी, 96 से 99 तक आर.पी.एस.सी. में पद नहीं दिये गये और स्कूल के जो खाली पद चल रहे थे उनके लिए कोई विचार नहीं किया गया और बार-बार लिखने के बावजूद भी शिक्षा विभाग ने ध्यान नहीं दिया। वह छात्र तीन वर्ष से बराबर वंचित हैं उस विषय के अध्यापन से।

दूसरा सीनियर माध्यमिक विद्यालय; खयारानीजी के लिए विशेष तौर से जो निवेदन कर रहा हूं, केवल मात्र शिक्षा विभाग ने स्कूल रेज करने का आर्डर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, यहां तक कि वहां पर प्रधानाचार्य भी नहीं है।

प्रधानाचार्य भी एक बार आर्डर करके वहां पर ट्रांसफर कर दिया और वह गया नहीं, डेपुट रहता है जयपुर में। उस सैकण्डरी स्कूल का स्तर केवल मात्र कागजों में बढ़ाने के अलावा उस विद्यालय को क्या देना चाहते हैं और एक भी आदमी, एक भी लेक्चरर वहां पर नहीं पहुंचा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, केवल मात्र भुलावे में डालने के लिए यह सीनियर माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया और उसमें अब बहुत असंतोष मच रहा है, सारे गांव के लोग परेशान हैं, क्षेत्र के लोग परेशान हैं, कृपया इस विद्यालय पर क्या व्यवस्था देना चाहते हैं, बतायें।

श्री सी.पी.जोशी : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य की भावनाओं से अवगत होकर मैं इन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार शीघ्र ही इस विद्यालय में अध्यापक उपलब्ध करवाने की कार्यवाही करेगी।

श्री जगत सिंह दायमा : इसी में नहीं, सारे राजस्थान में। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी, हमारे यहां भी खाली पड़े हुए हैं सारे के सारे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप(टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की नांगल पालड़ी व अन्य जो सीनियर स्कूलें हैं उनमें पांच-पांच पद खाली पड़े हैं हमारे यहां। (व्यवधान) सीनियर स्कूल में पांच पद खाली पड़े हैं हमारे नांगल पालड़ी के अन्दर। (व्यवधान) आज तक अध्यापक नहीं पहुंचे हैं वहां पर।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : इससे कुछ नहीं होगा। हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी स्कूलों में....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरा विनम्र निवेदन है कि खाली जगह को आप सभी जगह भरवायें। हमारे यहां भी खाली पड़े हैं पांच पद, ज्यादातर स्कूलों में खाली पड़े हैं ....

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सारे राजस्थान की समस्या है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह बी.जे.पी. वालों ने स्कूल तो खोल दिये थे, उन्होंने कोई अध्यापक नहीं दिये थे।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि चाहे सीनियर सैकण्डरी स्कूल हो, चाहे सैकण्डरी स्कूल हो, अध्यापक नहीं है .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हां तो यह मसला पूरे राजस्थान का है....(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का मसला है यह....

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम का भी ख्याल रखो आप। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में भी खाली पड़े हैं पद।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की समस्या है....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्षजी, स्कूल खुल रहे हैं लेकिन वहां पर अध्यापकों की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्षजी, आपसे भी निवेदन है कि बच्चों के भविष्य को देखने के लिए सरकार को निर्देश देवें कि अध्यापकों की व्यवस्था ठीक करें। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : राजस्थान में सैकड़ों स्कूलों में जगह खाली पड़ी है....

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार इस बात से चिंतित है, व्याख्याताओं के पद जैसा मैंने बताया, केवलमात्र 2239 पद खाली है.. (व्यवधान) मिडल स्कूल के भी, यह बात दिसम्बर में बाद में कहेंगे...(व्यवधान) आप बता रहे हैं न, या तो सुन लो या बोल लो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(12.00 बजे)

श्री रामस्वरूप : आप इसमें क्या रोब जमा रहे हैं, यह सब आपके टाइम में खुली स्कूलें थीं, एक भी मास्टर, टीचर नहीं लगाया....(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी :...(व्यवधान) ये हर रोज यों ही डिस्टर्ब करते हैं।

श्री रामस्वरूप :....(व्यवधान)... आप रौब जमा रहे हो। हमारे ऊपर कौन होते हो रौब जमाने वाले... (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या समझते हो अपने-आप को। हर रोज ही बोलते हैं।

श्री रामस्वरूप : ....(व्यवधान).... लड़ने को तैयार हो जाते हो। मंत्री जवाब देते हैं जवाब नहीं सुनते हैं आप लोग। शर्म आने की बात है। (व्यवधान) आपके ही कर्मों को हम भोग रहे हैं यहां पर। आपके ही कर्म हैं सारे ये। बैठ जाइये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, ये पिछले वर्षों से खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तो सब्जेक्ट तोड़ दिये व्याख्याताओं के अभाव में। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : हर दो मिनट में खड़े हो जाते हैं यह कोई तरीका थोड़े ही होता है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : प्रताड़ना दीजिये माननीय अध्यक्ष जी इनको। कंट्रोल कीजिये हर बार डिस्टर्ब करते हैं ये।

श्री सांवर लाल : इस तरह से बोलने लग जाते हैं माननीय सदस्य। इनको पाबंद करिये आप...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बीच में बात मत कीजिये मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री सांवर लाल : इनको शपथ दिलवा कर बैठा दो......(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपकी जमानत जब्त कराके आये हैं, आपकी जमानत।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : जमानत जब्त तो आपकी होगी। जोशी जी साहब यह कोई तरीका नहीं है हर बात पर खड़े होते हैं ये।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार एक तो इमरजेंसी रिक्रूटमेंट करने की कार्यवाही कर रही है और नम्बर-2 जितने एस.डी.आई. पंचायती राज में विषय विशेषज्ञ लगे हुए हैं, उन सबको ट्रांसफर करके अपनी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में भेजा जा रहा है जिससे उनकी उपलब्धता हो सके।

लगभग 475 एस.डी.आई. जो बने हुए हैं पंचायती राज में, जिनका काम है सीनियर टीचर का काम करना। राजस्थान सरकार पंचायत राज के 475 जो सीनियर एस.डी.आई. हैं उनको अपना विषय पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग को भेज रही है और

(श्री सी. पी. जोशी)

इमरजेंसी रिक्रूटमेंट पूरा करके इनकी उपलब्धता का काम करेंगी।

श्री मदन दिलावर : चार सौ से क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त। क्वेश्चन आवर इज ओवर।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विद्याधर नगर के राजकीय आवासों में सफेदी एवं सफाई व्यवस्था

85. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गांधी नगर क्षेत्र के सरकारी आवासों में कर्मचारियों के लिए क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गांधीनगर क्षेत्र के आवासों में आलमारी, टांड एवं स्टोर रूम बने हुए हैं, जो विद्याधर नगर के सहयोग अपार्टमेंट में नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुविधा विद्याधर नगर क्षेत्र के आवासों में निवास कर रहे कर्मियों को दिये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं; तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि विद्याधर नगर क्षेत्र के आवासों में सफेदी एवं सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) गांधी नगर क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों को एफ, चतुर्थ श्रेणी, जी टाइप, पंचम श्रेणी, षष्ठ श्रेणी एवं एच टाइप के आवास आवंटित किये जाते हैं जिनमें सामान्यतया एक बैडरूम, एक ड्राइंग रूम, बरामदा/डाइनिंग स्टोर, आलमारी, किचन, शौचालय एवं स्नानघर, दो पंखे आदि की सुविधा दी जा रही है। एच टाइप में मात्र एक कमरा, रसोई एवं शौचालय स्नानघर हैं।

(2) जी हां, विद्याधर नगर के आवासों में यह सुविधा नहीं है। उक्त आवास राजस्थान सहकारी आवासन संघ द्वारा उनके निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निर्मित किये गये हैं वर्तमान में राज्य में आर्थिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए बजट उपलब्ध होने की स्थिति में ही इन सुविधाओं को देने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

(3) विद्याधर नगर में आवासों की सफेदी निर्धारित नार्म्स के अनुसार क्रय के तीन वर्ष पूर्ण होने पर इस वर्ष करवानी निर्धारित है जिस हेतु राजस्थान सहकारी आवासन संघ को निर्देश दे दिये गये हैं एवं कार्यवाही जारी है। सफाई की पर्याप्त

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

व्यवस्था है तथा राजस्थान सहकारी आवासन संघ को समय-समय पर निर्देशित किया गया है ।

जिला श्री गंगानगर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण

86. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1995 से 7 सितम्बर, 1999 तक जिला श्री गंगानगर में कुल कितने शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किया गया ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त स्वीकृत ऋणों में से कितने बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र से ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् भी शिक्षित बेरोजगारों को बैंकों से ऋण नहीं मिला है ?

(4) क्या वर्ष 1994–95 के कई ऐसे प्रकरण लम्बित हैं, जिनको अभी तक भी बैंक से ऋण नहीं मिला है ? जिला उद्योग केन्द्र से ऋण पारित होने के बाद भी बैंकों से ऋण नहीं मिले इसके क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1995 से 7 सितम्बर, 1999 तक जिला श्री गंगानगर में शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऋण स्वीकृत किया गया :–

वर्ष	ऋण उपलब्ध कराने की संख्या
1995-96	321
1996-97	334
1997-98	457
1998-99	472
1999-2000(7-9-99तक)	101

(2) वर्ष	ऋण उपलब्ध कराने की संख्या
1995-96	255
1996-97	243
1997–98	342
1998-99	294
1999-2000(7-9-99 तक)	4

(3) जी हां, यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र से ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् भी कुछ युवाओं को बैंकों से ऋण नहीं मिलता है ।

(उद्योग मंत्री)

(4) वर्ष 1994-95 में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत में ऐसा कोई प्रकरण लंबित नहीं है, जिन्हें बैंकों द्वारा ऋण वितरित नहीं किया गया हो। यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र से चयन होने के पश्चात् भी कुछ युवाओं को ऋण नहीं मिल पाता है। जिसके प्रमुख कारण युवा द्वारा अन्य रोजगार में लग जाने के कारण इच्छुक नहीं होना; बैंक को आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करना; परियोजना का आर्थिक एवं वित्तीय रूप से संभव न होना; आवेदक का किसी अन्य योजना में लाभांवित होना एवं आवेदक को कार्य हेतु स्थान उपलब्ध न होना इत्यादि हैं।

जिला नागौर के प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

87. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जिला नागौर में इस वर्ष और गत वर्ष में कितने-कितने लोगों को लाभांवित किया गया ? वर्ष व पंचायत समितिवार :

1. गत वर्ष के चयनित व्यक्तियों की संख्या जो लाभान्वित नहीं हुए।

2. चालू वर्ष में चयनित व्यक्तियों की संख्या।

3. चयनित व्यक्तियों में से लाभांवितों की संख्या।

4. शेष रहे व्यक्तियों की संख्या जिस में कौन से वर्ष के चयनित हैं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1998-99 में 387 युवाओं को एवं वर्ष 1999-2000 में 1 युवा को लाभांवित किया गया। वर्ष एवं पंचायत समितिवार सूचना निम्न तालिका में प्रस्तुत है :–

(उद्योग मंत्री)

पं. समिति का नाम	गत वर्ष के चयनित व्यक्तियों की संख्या को लाभांवित नहीं हुए (वर्ष 1998-99)	चालू वर्ष में चयनित व्यक्तियों की संख्या (वर्ष 1999-2000)	चयनित व्यक्तियों में से लाभांवितों की संख्या (1998-99)	(1999-2000)	शेष रहे व्यक्तियों की संख्या जिसमें कौनसे वर्ष में चयनित हैं (1998-99)	(1999-2000)
	1	2	3		4	
नागौर	66	70	86	—	66	70
मूण्डवा	37	13	32	—	37	13
मेड़ता	55	33	36	—	55	33
डेगाना	15	11	25	—	15	11
रियां	17	—	06	—	17	—
जायल	21	—	35	—	21	—
डीडवाना	54	24	41	—	54	24
लाडनूं	28	18	17	—	28	18
कुचामन	63	15	19	—	63	15
मकराना	37	25	65	01	37	24
परबतसर	12	24	25	—	12	24
योग	405	233	387	01	405	232

वर्ष 1998-99 में चयनित स्वीकृत व्यक्तियों को दिनांक 30-11-99 तक लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।

आर. ए. सी. जयपुर में भर्ती कांस्टेबलों की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन

88. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) एवं श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आर. ए. सी. विभाग जयपुर की 5वीं बटालियन में जनवरी, 1997 में भर्ती किये गये कुछ कांस्टेबलों को उनकी शैक्षणिक योग्यता सत्यापन से पूर्व ही पदस्थापित कर दिया ? यदि हां, तो किस-किस को तथा क्यों ? भर्ती पूर्व सत्यापन कराने सम्बन्धी सरकार से उक्त विभाग को जारी आदेश/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जनवरी, 1997 में ही उक्त बटालियन में पदस्थापित उक्त में से किसी कांस्टेबल की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन विभाग को शिकायतें प्राप्त होने पर दो या दो से अधिक बार कराया गया ? यदि हां, तो किस–किस कांस्टेबल का ? उक्त कांस्टेबल के सम्बन्ध में विभाग को प्राप्त शिकायत की प्रति; उसके संलग्नकों सहित व विभाग द्वारा सम्बन्धित विद्यालय को भेजे गये प्रथम; द्वितीय व तृतीय पत्र व उनके उत्तर में विद्यालय व जिला पुलिस अलवर से प्राप्त पत्रों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त में से किसी एक कांस्टेबल की विभागीय स्तर पर भी जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांचकर्ता द्वारा विभाग को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट व उसकी पुष्टि/प्रमाण में संलग्न किये गये कागजात की प्रतियों सहित जांचकर्ता द्वारा उक्त सम्बन्ध में उठाये गये यात्रा भत्ते के बिल की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विभाग को भविष्य में कांस्टेबल्स में पदस्थापन से पूर्व ही सत्यापन कराने के आदेश प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। वर्ष 1996-97 में चयनित बोर्ड द्वारा 5वीं बटालियन आर. ए. सी. हेतु जिन अभ्यार्थियों को कानि. के पद हेतु चयनित घोषित किया गया था, उनमें से केवल एक अभ्यार्थी श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री बन्नूराम निवासी ग्राम खेडली, जिला सवाई माधोपुर को उसके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र, जो जिला शिक्षा अधिकारी, करोली द्वारा प्रमाणित था, के आधार पर शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन से पूर्व नियुक्ति दी गई है। नियुक्ति से पूर्व शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों के सत्यापन कराये जाने सम्बन्धी पुलिस मुख्यालय के जारी परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां, यह सही है। जनवरी,

(गृह मंत्री)

1997 में 5वीं बटालियन आर. ए. सी. में कानि. के पद पर दी गई नियुक्ति में से श्री बीरसिंह कानि. नं. 779 के विरुद्ध फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने के सम्बन्ध में परिवाद प्राप्त होने पर परिवादी की जांच, पुलिस अधीक्षक, अलवर से एवं प्राथमिक जांच कमाण्डेन्ट, 5वीं बटालियन, आर. ए. सी. के माध्यम से कराई गई है। परिवाद एवं पुलिस अधीक्षक, अलवर से कराई गई जांच रिपोर्ट तथा प्रश्न में वांछित पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-'ब' में संलग्न है।

(3) जी हां; यह सही है कि श्री बीरसिंह कानि. नं. 779 द्वारा शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने के सम्बन्ध में प्राथमिक जांच सहायक कमाण्डेन्ट प्रथम, 5वीं बटालियन, आर. ए. सी. द्वारा की गई है। जांच रिपोर्ट एवं सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां परिशिष्ट-'स' में संलग्न हैं।

(4) जी नहीं। कानि. के पद पर नियुक्ति देने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आदेश पहले से ही प्रसारित किये हुये हैं, जो परिशिष्ट 'द' में संलग्न है।

(पत्रों की प्रतियां/परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जैसलमेर में कृषि महाविद्यालय

89. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के भू-गर्भ में सिंचाई हेतु पानी मिलने से लोढी चांधन क्षेत्र कृषि प्रधान बन गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में 10 लाख हैक्टेयर से अधिक जमीन पर कृषि कार्य होना शुरू हुआ है?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य करने हेतु कृषि की शिक्षा देना आवश्यक है?

(4) क्या सरकार इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर नगर में कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर के लोढी चांधन क्षेत्र में 350 नलकूप लगाये गये हैं। इन नलकूपों से 19 गांवों के 5700 हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है।

(2) यह सही नहीं है कि जैसलमेर जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 10 लाख हैक्टर से अधिक जमीन पर

(कृषि मंत्री)

कार्य होना शुरू हुआ है। जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का रकबा (सी. सी.ए.) 6.52 लाख हैक्टर है जिसके विरुद्ध 4.86 लाख हैक्टर सिंचाई हेतु परियोजना द्वारा खोल दिया गया है।

(3) जी हां, वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य करने हेतु कृषि संबंधी तकनीकी जानकारी देना आवश्यक है।

(4) जी नहीं, वर्तमान में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर इस आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है।

पटवार मण्डल बर व काणूजा (पाली) में माइनिंग भूखण्ड आवंटन

90. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले के माइनिंग उपखण्ड सोजत के पटवार मण्डल बर व काणूजा की भेरू का नाका डांग के किस किस क्षेत्र में कितने-कितने वर्ग मीटर की माइनिंग लीज किन-किन अनुज्ञाधारियों को किस-किस वर्ष में आवंटित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कौन-कौन सा खण्ड कितने-कितने वर्गमीटर का अब तक लीज पर नहीं दिया गया है? खसरा नम्बर व वर्गमीटर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आवंटित की गई खनन पट्टों की सूची एनेक्जर 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा खनन पट्टा आवंटन हेतु पृथक से नक्शे नहीं बनाये गये हैं लेकिन वर्तमान में कुल 20 आवेदन पत्र खनिज लाईम स्टोन के प्राप्त हुए हैं, जो विचाराधीन हैं। इनकी सूची एनेक्जर 'ब' पर संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

जिला बाड़मेर में खनिज भण्डार का सर्वे

91. श्री अमीन खान (शिव): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में कोयला/तेल/गैस के भण्डार मिलने की संभावना है?

(2) क्या सरकार जिला बाड़मेर के ग्राम खलीफे की बावड़ी, खड़ीन-शहदादकापार, सहामीरकापार, बनरोड़-भासाड़ी में उक्त खनिज सम्पदाओं की खोज कराने का विचार रखती है?

(3) उक्त जिले के गुड़ामालानी में तेल कितने एरिया में मिलने की संभावना है?

उत्तर

(1) जी हां.

(2) जी नहीं।

(3) एरिया में तेल का पता लगाने के लिये अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं।

खनिज अभियन्ता जयपुर के कर्मियों के विरुद्ध शिकायतें

92. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता, कार्यालय, जयपुर में कार्यालय सहायक तथा सर्वेयर के विरुद्ध विभागीय उच्चाधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध कब-कब तथा उन पर कब क्या कार्यवाही की गई ? शिकायतों व जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों कर्मचारी (सहायक एवं सर्वेयर) अपनी नियुक्ति समय से अब तक जयपुर जिले में ही पदस्थापित हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि कार्यालय सहायक ने अपने पुत्रों के नाम से ग्राम कालख, तहसील फुलेरा, जयपुर व ग्राम बावड़ी, तहसील आमेर, जयपुर में खानें आवंटित करवाली हैं ? यदि हां, तो क्या यह आवंटन सेवा शर्तों व नियमानुसार सही है ? यदि नहीं, तो सरकार इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। श्री संजय शर्मा, सर्वेयर एवं श्री घनश्याम मीणा, कार्यालय सहायक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की सूची परिशिष्ट-एक संलग्न है। इस बाबत अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर द्वारा की गई जांच के अनुसार श्री संजय शर्मा, सर्वेयर के विरुद्ध निम्न शिकायतों को छोड़कर अन्य में उल्लेखित आरोप सही नहीं होने से किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है:—

1. शिकायतकर्त्ता सुश्री पूजा खण्डेलवाल द्वारा श्री संजय शर्मा, सर्वेयर के विरुद्ध 1,000/-रु. की राशि मांगने का आरोप लगाया गया है, जिस पर जांच कार्य लम्बित है। जांच कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उसके निष्कर्ष के अनुसार आगे कार्यवाही की जावेगी।

2. शिकायतकर्त्ता श्री राम निरंजन सिंह ने उक्त सर्वेयर के विरुद्ध आरोप लगाया है कि वे प्रति माह अवैध खननकर्त्ताओं से माहवारी राशि लेकर गैर कानूनी तरीके से खनिजों का उत्पादन एवं निर्गम करवा रहे हैं। इस बाबत खनि अभियन्ता (सतर्कता) जयपुर से जांच कराये जाने पर

(राज्य मंत्री, खनिज)

शिकायत में अंकित किये गये स्थानों जो श्री संजय शर्मा, सर्वेयर के क्षेत्र में आते हैं, में अवैध खनन होना पाया गया। अतः सर्वेयर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त के अलावा श्री कृष्ण कुमार शर्मा, जयपुर द्वारा श्री घनश्याम मीणा कार्यालय सहायक के विरुद्ध दिनांक 14-10-97 को की गई शिकायत पर अतिरिक्त निदेशक; खान, जयपुर द्वारा जांच की जा रही है; जांच में प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त शिकायतों पर अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर द्वारा की गई टिप्पणी एवं जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त दोनों कर्मचारियों में से एक श्री घनश्याम मीणा कार्यालय सहायता अपनी नियुक्ति समय से अब तक जयपुर जिले में ही पदस्थापित हैं, परन्तु श्री संजय शर्मा सर्वेयर अपनी नियुक्ति समय के बाद दिनांक 6-5-99 से 6-7-99 तक जयपुर जिले में पदस्थापित नहीं रहे, इस अवधि को छोड़कर श्री शर्मा निरन्तर जयपुर जिले में पदस्थापित हैं।

(3) जी, हां। श्री घनश्याम मीणा के दो पुत्रों के नाम एक–एक खनन पट्टा आवंटित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1. खनन पट्टा संख्या 58/91 क्षेत्र 100 मीटर × 100 मीटर खनिज चेजा पत्थर के लिए दिनांक 27-3-92 से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है।

2. एक अन्य खनन पट्टा 32/96 क्षेत्र 100 मीटर × 100 मीटर खनिज चेजा पत्थर के लिए दिनांक 27-5-98 स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त दोनों खनन पट्टे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के अनुसार आवंटित किये गये हैं। राज्य कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्य के नाम कोई खनन पट्टा आवंटित कराया जाता है तो राज. सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के अन्तर्गत उस राज्य कर्मचारी को अपने विभाग को सूचित करना आवश्यक होता है। इन मामलों में श्री घनश्याम मीणा के दोनों पुत्रों का उन पर आश्रित नहीं होने से सेवा शर्तों का उल्लंघन नहीं होकर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती।

(शिकायत/जांच रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम चन्द्रपुरा खुर्द (जयपुर) में नियम विरुद्ध खनन

93. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या खान विभाग सेम स्लोप में नीचे ढलान पर किसी अन्य को खान

(श्री फतेह सिंह)

स्वीकृत करता है ? इसके क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) ग्राम चन्द्रपुरा खुर्द, तहसील दूदू, जिला जयपुर में विभाग को आवंटन हेतु कितने आवेदन-पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उस पर कब क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या ग्राम चन्द्रपुरा खुर्द, तहसील दूदू, जिला जयपुर में गलत ढंग से सेम स्लोप पर आवंटन करने अथवा अन्य किसी प्रकार की शिकायतें उच्चाधिकारियों को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर कब क्या कार्यवाही की गई ?

(4) ग्राम बैनाड़ा, भोजपुरा व घाटा तहसील बस्सी, जयपुर में गत एक वर्ष में अवैध खनन की कितनी शिकायतें कब प्राप्त हुई तथा उन पर कब क्या कार्यवाही की गई ? क्या इस समय उपरोक्त क्षेत्र में अवैध खनन बिलकुल बन्द है ? यदि नहीं, तो अवैध खनन बंद करवाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) क्या ग्राम भोजपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में पूर्व में अवैध खनन-कर्ताओं के विरुद्ध विभाग ने कार्यवाही कर कुड़की आदेश निकाले हैं ? यदि हां, तो क्या वसूली प्राप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । विभागीय परिपाटी अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से एक खान के डाउन-हिल स्लोप पर दूसरा क्षेत्र आवंटित नहीं किया जाता है ।

(2) ग्राम चन्द्रपुरा खुर्द तह. दूदू जिला-जयपुर में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'क' में अंकित है ।

(3) जी हां । प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट--'ख' में अंकित है ।

(4) ग्राम बैनाड़ा, भोजपुरा व घाटा तहसील बस्सी, जिला जयपुर में गत एक वर्ष में प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'ग' व 'घ' पर अंकित है । उपरोक्त क्षेत्रों में अवैध खनन कार्य बंद कराया गया है परन्तु समय-समय पर अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होने पर विभागीय स्तर पर व प्रशासन/पुलिस के सहयोग से सघन चैकिंग की कार्यवाही की जाती रही है ।

(5) जी हां । विभाग द्वारा अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध निकाले गये कुर्की आदेश एवं वसूली प्राप्त नहीं होने पर इस हेतु किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट 'ङ' में अंकित है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

व पानी की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है ? क्या सरकार उक्त व्यवस्थाओं में सुधार करने का विचार रखती है?

(2) वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक उक्त चिकित्सालय में कितनी दवाइयां व अन्य सामग्री वितरित की गई हैं और उनमें से कितनी दवाइयां व अन्य सामग्री स्टाक में शेष हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला श्री गंगानगर चिकित्सालय में सफाई, बिजली व पानी की व्यवस्था सन्तोषजनक है। यदि सुधार संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो राज्य सरकार निश्चित रूप से उन पर विचार करेगी।

(2) वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक चिकित्सालय में वितरित की गई दवाइयां व अन्य सामग्री एवं स्टाक में शेष रही औषधियों का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जिला नागौर के चिकित्सालय में बिना वाहन के कार्यरत वाहन चालक

97. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कौन-कौनसे वाहन कहां-कहां पर हैं तथा उनको कौन–कौनसे ड्राईवर कब-कब से चला रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जहां पर गाड़ियां हैं ही नहीं फिर भी ड्राईवर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब-कब से व क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि लाडनूं में सरकारी अस्पताल में न तो कोई गाड़ी है और ना कभी थी फिर भी ड्राईवर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन, कब-कब से और क्यों तथा इनको वेतन देने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध वाहन एवं उनको चलाने वाले वाहन चालकों की सूचना मय अवधि के संलग्न है।

(2) जी हां, वाहन उपलब्ध नहीं होते हुए भी सृजित पदों पर पदस्थापित वाहन चालकों की सूचना संलग्न है। यह गंभीर प्रकृति की अनियमित कार्यवाही है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं, राजकीय चिकित्सालय लाडनूं में पी.पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत एक

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

वाहन मेटाडोर है; वाहन पर एक चालक श्री किशनलाल दिनांक 10/98 से तथा श्री दिनेश प्रकाश दिनांक 4/99 से बिना वाहन के पदस्थापित हैं। बिना वाहन के पदस्थापित वाहन चालक को पदस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

तहसील सरदार शहर के ग्रामों की सड़कों का पेच वर्क

98. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर-कालू, सरदारशहर-बीकानेर, सरदारशहर-आसपालसर, सरदारशहर-रतनगढ़, सरदारशहर–तारानगर, सरदारशहर से चूरू वाया फूलासर सड़कें टूटी हुई हैं ? यदि हां, तो कब से और अब उक्त सड़कों का पेच वर्क कब तक करा दिया जायेगा ?

(2) उक्त सड़कों के पेच वर्क के लिये सरदारशहर खण्ड में कितनी राशि कब आवंटित की गई ?

(3) सरकार द्वारा उक्त सड़कों में से कौन-कौनसी सड़कों के पेच वर्क का कार्य कब शुरू कराने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रश्न में वर्णित सड़कों पर वर्ष 1998-96 में उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों के कारण समुचित मात्रा में साधारण मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जा सका था लेकिन इस वर्ष 1999-2000 में उपलब्ध बजट आवंटन के अनुसार प्रस्तावित मरम्मत कार्यों का विवरण सड़कवार निम्न प्रकार है :-

1. सरदारशहर-कालू :-यह सड़क 37 किमी.लम्बी डामर सड़क है। साधारण मरम्मत हेतु सामग्री का संग्रह किया जा चुका है अथवा पेच रिपेयर का कार्य इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा करवा दिया जायेगा।

2. सरदारशहर-बीकानेर सड़क :- यह सड़क राज्य उच्च मार्ग 6 का भाग है। इस सड़क पर 18 किमी. लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य किया जा चुका है एवं शेष लम्बाई पर साधारण मरम्मत का कार्य प्रगति पर है एवं इस वित्तीय वर्ष तक पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है।

3. सरदारशहर-आसपालसर :- यह सरदारशहर–हरियासर-नोहर सड़क का भाग है जिसकी लम्बाई 9 किमी. है। इस सड़क भाग पर साधारण मरम्मत का कार्य वर्ष 1999-2000 में अगस्त, 99 तक करवाया जा चुका है।

4. सरदारशहर-रतनगढ़ :- यह राज्य उच्च मार्ग नं. 7 का 24 किमी. लम्बा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क भाग है। इस सड़क पर वर्ष 1998-99 में 8 किमी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य गैर-योजना मद में पूर्ण करवाया जा चुका है। शेष सड़क लम्बाई में इस वित्तीय वर्ष 1999–2000 में अगस्त, 99 तक साधारण मरम्मत का कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है।

5. सरदारशहर-तारानगर:- यह राज्य उच्च मार्ग 6 का 28 किमी. लम्बा भाग है। इस सड़क पर 1999-2000 योजना मद में 7 किमी. 14 लाख रुपये सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्य स्वीकृत हैं और कार्य प्रगति पर है। शेष सड़क लंबाई में साधारण मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

6. सरदारशहर-चूरू वाया पूलासर :– विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में इस सड़क की 20 किमी. लम्बाई है। इस सड़क पर वर्ष 1999-2000 में योजना मद में 10 किमी. लम्बाई में लागत रुपये राशि 15 लाख का स्वीकृत किया जा चुका है एवं कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार इस सड़क पर 2 किमी. लंबाई में नवीनीकरण का कार्य लागत राशि रुपया 1.00 लाख का स्वीकृत किया जा चुका है एवं कार्य आदेश दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 8 किमी. लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य करवाया जा चुका है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग सरदार शहर खण्ड में उक्त सड़कों की साधारण मरम्मत हेतु 19.51 लाख रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में आवंटित की गई है। सड़कवार आवंटन की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) सरदारशहर खण्ड को उक्त सड़कों पर शेष रहे साधारण मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवा दिया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

केकड़ी उपखण्ड के मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति

99. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री हीरालाल सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड केकड़ी में कार्यरत था? यदि हां, तो कब से कब तक किस-किस पद पर? क्या उक्त कर्मी की सेवाकाल में मृत्यु हो गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या सरकार उसके आश्रित को विभाग में नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त मृत कर्मी के आश्रित ने नौकरी हेतु आवेदन-पत्र दिया है? यदि हां, तो कब किस पद हेतु?

(श्री सांवर लाल)

(4) अब उक्त कर्मी के आश्रित को नौकरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री हीरालाल पुत्र श्री घीसालाल, सा.नि.वि. जिला उपखण्ड-प्रथम, केकड़ी में दिनांक 11-12-58 से 5-3-98 तक बेलदार के पद पर कार्यरत थे। इनकी मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 5-3-98 को हुई थी।

(2) जी हां। विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद रिक्त होने पर मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 के तहत नियुक्ति का लाभ दिया जावेगा।

(3) जी हां। मृतक कर्मचारी के आश्रित ने दिनांक 23-3-98 को वाहन चालक पद हेतु नौकरी के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। वाहन चालक का पद नियमित संवर्ग में नहीं होने के कारण मृतक के आश्रित को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया था। आश्रित ने दिनांक 23-12-98 को पुनः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

(4) मृतक के आश्रित द्वारा पूर्व में वाहन चालक हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया। पुनः बाद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया। मृतक कर्मचारी नियमित कार्य प्रभारित कर्मचारी था। कार्य प्रभारित कर्मचारी/कार्य प्रभारित नियमित कर्मचारी के पद किसी प्रकार से भी रिक्त होने पर नियमानुसार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अतः कार्य प्रभारित कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी नियमित स्वीकृत पद पर ही दिये जाने का प्रावधान है। अतः मृतक आश्रित द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर आवेदन-पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने व विभाग में नियमित संवर्ग में रिक्त स्थान उपलब्ध ना होने के कारण नौकरी देने में विलम्ब हुआ है।

राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय जाट बहरोड़ का रिकार्ड गायब प्रकरण

100. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जनवरी, 1999 से अगस्त, 1999 तक जिला शिक्षा अधिकारी, द्वितीय, अलवर को स्वयंपाठी छात्रों के शुल्क गबन करने व रिकार्ड गायब करने संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय जाट बहरोड़ (अलवर) में सत्र 1993-94 में कक्षा आठ के लिये कितने स्वयंपाठी छात्र-छात्राओं ने शुल्क जमा करवाया ? उक्त विद्यालय की रसीद बुक

(श्री आत्माराम मेघवाल)

नं. 292 के क्रमांक 580 से 600 तक की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालय से ही सत्र 1993-94 में कक्षा अष्टम स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण कर इसी विद्यालय में सत्र 1994-95 में जिन जिन स्वयंपाठी छात्र-छात्राओं ने नवीं कक्षा में प्रवेश लिया, की सूची सहित उनके कक्षा आठ के परीक्षा परिणाम प्रपत्रक (अंकतालिकाओं) की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विद्यालय द्वारा सत्र 1993-94 में संयोजक जिला समान परीक्षा योजना, अलवर को वार्षिक परीक्षा प्रश्न–पत्रों हेतु कक्षा 8 के कितने, किन-किन परीक्षार्थियों का शुल्क जमा करवाया गया ? उक्त कक्षा के प्रश्न-पत्रों हेतु भेजे गये मांग-पत्र की प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त विद्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी गयी सत्र 1993-94 की कक्षा आठ की परीक्षा परिणाम प्रपत्रक (रिजल्ट सीट) की प्रति तथा उक्त विद्यालय द्वारा कक्षा आठ के ही परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा हेतु तैयार की गई बैठक व्यवस्था की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त विद्यालय में सत्र 1993-94 में कक्षा आठ के विषयवार परिक्षकों द्वारा तैयार की वार्षिक परीक्षा की अंक सूचियों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त मामले में कौन जिम्मेदार है तथा छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये उक्त रिकार्ड गायब होने/करने के बारे में सरकार अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1999 से अगस्त, 1999 के मध्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अलवर को मात्र एक शिकायत प्राप्त हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिकायतकर्त्ता के दिनांक 15-9-99 के शपथ पत्र के आधार पर अति. जिला शिक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(2) वर्ष 1993–94 में जाट बहरोड़ (अलवर) में उ. मा. वि. संचालित नहीं था अपितु मा. वि. संचालित था जिसमें कक्षा–8 के 9 स्वयंपाठी छात्रों के द्वारा शुल्क जमा करवाया गया। रसीद बुक सं. 292 के क्रमांक 580 से 600 की प्रति परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उक्त विद्यालय से 1993–94 में स्वयंपाठी के रूप में कक्षा-8 वीं उत्तीर्ण की उन में से 1994-95 में रा.सी.मा.वि. जाट बहरोड़ की कक्षा–9 वीं में मात्र एक छात्र अविनाश/शिव कुमार ने प्रवेश लिया। अंकतालिका परिशिष्ट 'ख' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) उक्त विद्यालय ने सत्र 1993-94

(पंचायती राज मंत्री)

में जिला समान परीक्षा योजना, अलवर को कक्षा 6 से 8 तक 135 छात्रों (नियमित) 3/-की दर से 405/-रु. तथा कक्षा-9 स्वयंपाठी छात्रों के 5/- रु. प्रति छात्र की दर से 45/-रुपये, कुल 450/- रु. रसीद संख्या 1506 दि. 27-4-94 जो कि रोकड़ पुस्तिका के पृष्ठ सं. 54 पर दर्ज जमा करवायें। विद्यालय द्वारा प्रश्न पत्रों हेतु प्रस्तुत मांग पत्र परिशिष्ट 'ग' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) उक्त विद्यालय के सत्र 1993-94 के परीक्षा परिणाम की रिजल्टशीट की प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित नहीं की गई है। स्थानीय परीक्षा की बैठक व्यवस्था का अभिलेख परीक्षा अवधि तक ही रखा जाता है।

(6) विषय परिक्षकों द्वारा प्रस्तुत अंक सूचियां एक निश्चित अवधि तक ही रखी जाती है। विद्यालय की 1993-94 की अंक सूचियां भी एक निश्चित अवधि तक ही रेकार्ड में रखी गई थी।

(7) प्रकरण के संबंध में जांच अधिकारी; अति. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वितीय को नियुक्त किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करदी जावेगी।

(अंक तालिका/रसीदों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

शिक्षा विभाग में लिपिकीय पद पर पदस्थापन की समय सीमा

101. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में ऐसे कई लिपिक हैं जो लगातार 5 वर्षों से भी अधिक समय से संस्थापन लिपिक के पद पर कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों पर लगातार अधिक समय तक रहने से उक्त पदों का अधिकांश व्यक्ति दुरुपयोग करने लग जाते हैं ? क्या इस कारण से शिक्षा विभाग की प्रतिष्ठा गिरी है ?

(3) क्या सरकार उक्त संस्थापन लिपिकों को उक्त पद पर अधिक से अधिक तीन वर्षों के पदस्थापन करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, विभाग के समक्ष दुरुपयोग के कोई प्रकरण ध्यान में नहीं आया है। संस्थापन की सीट पर अधिक समय से कार्य करने के कारण विभाग की प्रतिष्ठा पर गिरावट नहीं आई है।

(3) जी नहीं।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा (सीकर) की शिकायतों पर कार्यवाही

102. श्री अमराराम (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा (सीकर) के संबंध में ग्रामवासियों ने अनियमितताओं की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी सीकर को की थी ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकला ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार ने जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां । प्राप्त शिकायतों की जांच की जाकर जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई, परन्तु आरोप प्रमाण के अभाव में अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने के कारण, रिपोर्ट जांच अधिकारी को लौटा दी गई तथा पुनः पूर्ण व स्पष्ट निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत करने हेतु जांच अधिकारी को लिखा गया है ।

(2) जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमों के तहत आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

103. श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) वर्ष 1999-2000 में जिला चूरू में कहां-कहां कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले/क्रमोन्नत किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों में 8वीं व 10वीं की कक्षाओं में छात्रों की संख्या/गांवों की आबादी कितनी-कितनी थी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) के उच्च प्राथमिक विद्यालय कान्धरान लसेड़ी-बेजवा, खैरूबड़ी, गागड़वास, गोढया-बड़ी, लम्बोरबड़ी के स्कूलों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो इस क्षेत्र के कितने विद्यालय क्रमोन्नत किए गए और नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन्हें अब क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में जिला चूरू में जिन विद्यालयों को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया

(शिक्षा मंत्री)

है, की सूची परिशिष्ट-'क' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों में 8 वीं व 10 वीं की कक्षाओं में छात्रों की संख्या/गांवों की जनसंख्या का विवरण परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) के उच्च प्राथमिक विद्यालय कान्धरान-लसेड़ी-बेजवा-खेरूवड़ी, गागड़वास, गोढयावड़ी, लम्बोरबड़ी के विद्यालयों को अन्य विद्यालयों के प्रस्तावों के साथ गुणाव-गुण के आधार पर क्रमोन्नत किए जाने पर विचार किया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला बाड़मेर के क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त पद

104. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1990 से 1999 तक जिला बाड़मेर में कितनी माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बदला गया ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में किन-किन विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में वर्ष 1990 से 1999 तक माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों का पंचायत समितिवार संख्यात्मक विवरण इस प्रकार से है :-

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या
1.	बाड़मेर	03
2.	सिवाना	05
3.	बालोतरा	05
4.	समदड़ी	01
5.	शिव	01
6.	सिणधरी	02
7.	चौहटन	01
8.	बायतू	01

(2) राज्य में विषयवार रिक्त वरिष्ठ अध्यापकों के पदों का विवरण इस प्रकार से है :-

(शिक्षा मंत्री)

विषय का नाम	रिक्त पदों की संख्या
अंग्रेजी	154
गणित	122
विज्ञान	156
संस्कृत	58
उर्दू	05
गुजराती	01
पंजाबी	01
सामान्य	857
योग	1354

जी हां। वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों की नियुक्ति पर से प्रतिबन्ध हटाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय रिवाली (बहरोड) में गबन प्रकरण

105. श्री आत्माराम मेघवाल(देसूरी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के विभिन्न विद्यालयों में स्वयंपाठी के रूप में कक्षा आठ की परीक्षाएं देने वाले छात्र/छात्राओं का परीक्षा शुल्क राज्य कोष में जमा नहीं करने की कई शिकायतें गत एक वर्ष में जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों की ? सूची सदन को मेज पर रखें।

(2) जिला अलवर के राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय रिवाली (बहरोड) में वर्ष 1994-95 के सत्र में कक्षा आठ (अष्टम्) स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण कर अन्य विद्यालयों से आये कितने छात्रों ने नवीं कक्षा में प्रवेश प्राप्त किया ? उनको कक्षा आठ के परीक्षा परिणाम प्रपत्रक(अंक तालिकाओं) की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त छात्रों की इन अंक तालिकाओं को सम्बन्धित विद्यालयों के रिकार्ड में दर्ज कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) प्रश्न क्रम 1 से 3 के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, एक शिकायती पत्र श्री वीरसिंह पुत्र श्री दाताराम द्वारा दि.5-7-99 को रा.उ.मा.वि.जाट बहरोड़, अलवर के संबंध में प्राप्त हुआ।

(2) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिवाली(बहरोड) में वर्ष 1994-95 के सत्र में कक्षा 8 स्वयंपाठी के रूप में केवल

(पंचायती राज मंत्री)

रा.मा. विद्यालय जाट (बहरोड़) से उत्तीर्ण करके 6 छात्रों ने 9वीं में प्रवेश लिया। अंक तालिकाओं की प्रति परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जांच अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) उपरोक्तानुसार।

(प्रति/विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय जाट बहरोड के स्वयंपाठी छात्रों के रेकार्ड में हेराफेरी

106. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सीनियर/माध्यमिक विद्यालय जाट बहरोड जिला अलवर में वर्ष 1993-94 की वार्षिक परीक्षा में लगभग 18 स्वयंपाठी छात्र–छात्रायें कक्षा आठ की परीक्षा में सम्मिलित हुये थे? यदि हां, तो कौन-कौन? सूची, उन द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत हल्फनामों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वयंपाठी छात्रों में से आर.ए.सी. विभाग 5 वीं बटालियन जयपुर में कांस्टेबल के पद पर 1997 में पदस्थापित/भर्ती हुये छात्र की शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु विभाग से उक्त विद्यालय को वर्ष 1996 से अब तक समय-समय पर तीन–चार पत्र प्राप्त हुये व विद्यालय द्वारा उनका उत्तर भी आर.ए.सी. जयपुर को भेजा गया? यदि हां, तो उक्त प्राप्त व भेजे गये पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त वर्ष 1993–94 में कक्षा आठ में सम्मिलित समस्त छात्र-छात्राओं के मूल हल्फनामें ही विद्यालय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं तथा इनके परीक्षाफल की प्रविष्टि भी रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है? यदि हां, तो इसमें कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है?

(4) क्या उक्त रिकार्ड को गायब करने, परीक्षा परिणाम को संबंधित रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं करने तथा इन द्वारा जमा शुल्कों को राज्य कोष में जमा न कराने आदि षड्यन्त्र-पूर्वक कार्यवाही कर छात्र-छात्राओं के भविष्य को अन्धकारमय बनाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? यदि हां, तो कब? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक दर्ज करा दी जायेगी? उक्त प्रकरण में देरी के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

क्र.सं.	नाम पद	बाड़मेर रिक्त पद	जैसलमेर रिक्त पद
1.	पशु चिकित्सा अधिकारी	19	11
2.	पशु चिकित्सा सहायक	9	8
3.	पशुधन सहायक	52	33
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	18	12
5.	सफाईकर्ता	13	12

पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिनांक 7-8-99 को परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होते ही पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति करना संभव होगा। अन्य पदों की पूर्ति हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.10 (3) कार्मिक/क.2/75-I दिनांक 22-3-99 एवं 30-3-99 के अनुरूप आवश्यक स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

चाधन (जैसलमेर) में वेटरनरी महाविद्यालय की स्थापना

109. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर का चाधन पशुपालन फार्म कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिला व पश्चिमी राजस्थान पशु बाहुल्य क्षेत्र है ?

(3) क्या यह सही है कि चाधन क्षेत्र फार्म में महाविद्यालय स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

(4) क्या सरकार चाधन में वेटरनरी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(कृषि मंत्री)

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वर्तमान में इसकी पूर्ति कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से हो रही है।

तहसील बहरोड़ (अलवर) के पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान सुविधा

110. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील बहरोड़ (अलवर) में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं ? ग्राम व नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था किस–किस चिकि–त्सालय में है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किस-किस पशु के लिए कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था है ? गायों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए किस-किस चिकित्सालय में व्यवस्था है और किस-किस नस्ल के इन्जेक्शन उपलब्ध हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील बहरोड़ (अलवर) में 10 पशु चिकित्सालय हैं जिनके गांवों के नाम निम्न प्रकार हैं :–

(1) बहरोड़
(2) नीमराना
(3) मांढण
(4) शाहजहांपुर
(5) जखराना
(6) बड़ौद
(7) महाराजावास
(8) गण्डाला
(9) गूंती
(10) माजरीकलां (प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन)

ग्राम माजरीकलां में खोले गये पशु चिकित्सालय का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कार्यशील नहीं है।

(2) उपरोक्त सभी पशु चिकित्सा-लयों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उप-लब्ध है।

(3) गायों व भैंसों के लिए कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था है। उपरोक्त सभी पशु चिकित्सालयों में गायों के गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। गायों के गर्भाधान के लिए जर्सी व होलस्टीन तथा भैंस के लिए मुर्रा नस्ल का सीमन उपलब्ध है।

स्वर्ण जयन्ती पाठशाला गुसाई की बणी (सीकर) की जांच रिपोर्ट

111. श्री अमराराम (धोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत खींवासर, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला गुसाई की बणी आज तक चालू नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(2) उक्त ग्राम सभा के प्रस्ताव को बदलने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या उक्त पाठशाला के सम्बन्ध में कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट, जिला परिषद् के आदेश एवं विभाग के निदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार के निदेशों के बावजूद आज तक पाठशाला चालू नहीं करने के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) गुसाई की बणी में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला स्वीकृत करने हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं होती है।

(2) जांच रिपोर्ट के अनुसार गुसाई की बणी पाठशाला खोलने हेतु निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं करती है।

(3) जी हां। शिक्षा प्रसार अधिकारी द्वारा जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट जिला परिषद के आदेश एवं विभाग के निर्देश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) गुसाई की बणी में पाठशाला स्वीकृत करने हेतु निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं होने के कारण पाठशाला प्रारम्भ नहीं हुई।

(आदेशों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

ग्राम पंचायत बेवड़ व गोढ़्या बड़ी खेरूबडी (चूरू) द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

112. श्री रामसिंह कस्वां(सादुलपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की करेंगे :-

(1) वर्ष 1995 से अगस्त, 1999 तक पंचायत समिति, राजगढ़ जिला चूरू की ग्राम पंचायत बेवड़ व गोढ़्या बड़ी खेरूबड़ी में किन-किन योजनाओं में कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृतियां कब-कब जारी की गई व विभिन्न कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई और उपयोगिता पत्र जारी किये गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों की गुणवत्ता की जांच किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई व जांच में क्या-क्या अनियमितताएं

(श्री रामसिंह कस्वां)

पाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायतों में उक्त अवधि में कितना अनुदान दिया गया व अनुदान राशि किन मदों में व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त कार्यों की गुणवत्ता की जांच समय-समय पर अधिकारियों द्वारा की गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची/विवरण की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला बाड़मेर के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद

113. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990 से 1999 तक जिला बाड़मेर में कितनी प्राथमिक शालायें खोली गई और उनमें से कितनी प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत किया गया ? वर्षवार एवं तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की प्राथमिक शालाओं में कई पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने और उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से 1999 तक जिला बाड़मेर में 652 प्राथमिक शालाएं खोली गयी। इन प्राथमिक शालाओं में से 8 प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत किया गया। वर्षवार एवं तहसीलवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-'क')

(2) बाड़मेर जिले की पंचायत समितियों में 510 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। इनमें से 353 पदों पर चयनित अध्यापकों को पंचायत समितियों को आवंटन किया जा चुका है। सत्यापन की कार्यवाही के कारण पदस्थापन किया जाना शेष है।

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही सतत् प्रक्रिया है जो निरन्तर की जा रही है।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति की समितियों की स्थाई बैठकों में विकास अधिकारी की उपस्थिति

114. श्री सांवर लाल (मिनाय) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री सांवर लाल)

(1) क्या पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन बने नियम 1996 के अनुसार पंचायत समिति/स्थायी समिति प्रशासन की बैठक में विकास अधिकारी यदि पंचायत समिति में है तो असामान्य कारण के अतिरिक्त उक्त बैठकों में उपस्थित रहना चाहिये ? यदि हां, तो अजमेर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों/स्थायी समितियों की गत 3 माह में हुई बैठकों में किस-किस में विकास अधिकारी उपस्थित हुए तथा किस–किस में नहीं ?

(2) उक्त दिन पंचायत समिति मुख्यालय पर कौन-कौन विकास अधिकारी मौजूद थे और किस कारण बैठक में भाग नहीं लिया ? क्या उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? कौन-कौनसी पंचायत समिति की स्थायी समिति प्रशासन ने स्थानान्तरण निरस्त करने का निर्णय किया ? क्या उक्त निर्णय की पालना हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । जिले की पंचायत समितियों/स्थाई समितियों की गत तीन माह में हुई निम्न बैठकों में विकास अधिकारी उपस्थित हुए:–

क.सं.	नाम पंचायत समिति	साधारण सभा की बैठक दिनांक	स्थाई समिति की बैठक दिनांक
1.	सिलोरा	6-8-99	18-6-99
		—	4-8-99
2.	पीसांगन	17-6–99	17-6-99
		2-6-99	2-8-99
3.	भिनाय	—	6-7-99
		—	26-7-99
4.	श्रीनगर	24-6-99	—
5.	जवाजा	24-6-99	—
		17-6-99	9–8–99
6.	केकड़ी	—	13–7–99
7.	मसूदा	28-6-99	—
		31-7-99	—
8.	अराई	—	—

(पंचायती राज मंत्री)

(2) बैठकों के दिन सभी विकास अधिकारी; पंचायत समिति, मुख्यालय पर उपस्थित रहे थे केवल विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भिनाय दिनांक 13-8-99 को हुई बैठक में उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 13-8-99 को आयोजित पंचायत समिति, की बैठक में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भिनाय द्वारा भाग नहीं लिया गया। क्योंकि उन्हें दिनांक 15-8-99 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं का संचालन करने हेतु जिला स्तर पर आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु जाना पड़ा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 81 के बिन्दु संख्या-2 के तहत वरिष्ठतम प्रसार अधिकारी को बैठक आयोजित करने के निर्देश जारी किये गये थे।

पंचायत समिति; केकड़ी की स्थाई वित्त प्रशासन समिति में स्थानान्तरण निरस्त करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की पालना की जा चुकी है।

ग्राम सेवकों की चयन प्रक्रिया में जिला स्थापना समिति की भूमिका

115. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष राज्य में ग्राम सेवकों की सीधी भर्ती के लिये जिलेवार प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे? यदि हां; तो कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा फार्मों के साथ जमा कराई गई राशि कितनी प्राप्त हुई है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त राशि जिला परिषद् की आय मानी गई या जिला स्थापना समिति की, उक्त राशि को खर्च करने के सम्बन्ध में क्या कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्राम सेवकों के चयन के लिये लिखित परीक्षाएं आयोजित की गई हैं यदि हां, तो किसके द्वारा और इसमें जिला स्थापना समिति की क्या भूमिका रही तथा नियमानुसार क्या भूमिका रहनी चाहिए थी?

(4) क्या उक्त लिखित परीक्षा पर खर्चा भी हुआ? यदि हां; तो कितना, किसके द्वारा किसी की स्वीकृति से/स्वीकृति के लिये सक्षम अधिकारी कौन है?

उत्तर

(1) जी हां। परीक्षा हेतु जिलेवार प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्र एवम् प्रार्थना-पत्रों के साथ जमा कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) प्रार्थना-पत्रों के साथ प्राप्त राशि जिला परिषद् की निजी आय होती है।

जी हां; नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(यातायात मंत्री)

स्तर	उड़नदस्तों का नाम
1. जिला स्तर पर कर संग्रह केन्द्रों के पास वाहनों की जांच हेतु ।	एस.एफ.एस. (विशेष उड़नदस्ते)
2. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के स्तर पर ।	आर.एफ.एस. (प्रादेशिक उड़नदस्ते)
3. जिला परिवहन अधिकारी के स्तर पर ।	डी.एफ.एस. (जिला उड़नदस्ते)
4. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के स्तर पर ।	पी.एफ.एस. (पोल्यूशन उड़नदस्ते)
5. मुख्यालय स्तर पर ।	टी.एफ.एस. (मुख्यालय स्तर पर)

(2) वर्ष 1998-99 में विभिन्न उड़नदस्तों द्वारा निम्न प्रकार राशि अर्जित की गई है:–

प्रकार	वसूल किया गया राजस्व (रु. लाखों में)	कारण
1	2	3
1. एस.एफ.ऐस.	1456.14	राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम व नियम 1951 के अन्तर्गत टैक्स बकाया होने पर।
2. आर.एफ एस.	1152.16	
3. डी.एफ.एस.	3771.20	

(यातायात मंत्री)

1	2	3
4. पी. एफ. एस.	407.70	एवं मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 तथा राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के उल्लंघन पर प्रशमन राशि
5. टी. एफ. एस.	108.65	
	6895.85	

(3) जी हां । लक्ष्यों का निर्धारण परिवहन विभाग मुख्यालय द्वारा किया जाता है । वर्ष 1995 में उड़नदस्तों के गठन से अब तक उड़नदस्तों के लक्ष्यों का विवरण निम्न अनुसार है :–

प्रतिवर्ष लक्ष्य प्रति उड़नदस्ता

(लाख रुपये में)

वर्ष	एसएफएस	टीएफएस	आरएफएस	डीएफएस	पीएफएस
1995-96	50.00	50.00	50.00	25.00	20.00
1996-97	50.00	50.00	50.00	25.00	20.00
1997-98	55.00	55.00	55.00	45.00	20·00
1998-99	55.00	55.00	55.00	45.00	20.00
1999-2000 (मार्च, 99)	88.00	88.00	88.00	60.00	36.00

नोट :-वर्ष 1998–99 के लक्ष्य माह दिसम्बर, 98 से 20 प्रतिशत आनुपातिक रूप से बढ़ाये गये ।

(4) परिवर्तित लक्ष्य के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है लेकिन लक्ष्य कम करने के लिए परिवहन निरीक्षकों ने ज्ञापन दिये हैं ।

(5) जी नहीं ।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से बौंली क्षेत्र में विद्युत के तार लटके पड़े होने तथा लाइनों के ढीले होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री रामप्रताप, सदस्य की ओर से गांधीनगर, जयपुर स्थित समाज कल्याण विभाग के शिशु गृह में 10 बच्चों की अकाल मौत की घटना के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री मंवरू खां
(2) श्री रमेश खींची
(3) श्री रामस्वरूप मीणा
(4) श्री नन्दलाल बंशीवाल
(5) श्री राजेन्द्र राठौड़
(6) श्री ज्ञानचन्द पारख
(7) श्री रामगोपाल बैरवा
(8) श्री बाबूलाल सिंगारिया
(9) श्री हेमन्त कुमार
(10) श्री रमेश चन्द पंड्या
(11) श्री मदन लाल वर्मा
(12) श्री मोहन लाल मोदी

इन 12 सदस्यों को 295 के अन्तर्गत पढ़ने की अनुमति होगी। डा. किरोड़ी लाल।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, शासन पैरों पर है और अधिकारी दीर्घा से अधिकारी जा रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, 295 हमारा भी है।

श्री अध्यक्ष : 12 से ज्यादा नहीं आ सकते। 12 आ गये हैं। उसी आर्डर में लिया है हमने जो पहले आया वह पहले ले लिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कल आएगा हमारा ?

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, 295 का मेरा भी है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, 5 दिन के लिए सदन चल रहा है उसमें 295 की अनुमति तो दीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : 295 तो पढ़ने दो अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि 50 तो ले नहीं सकते हैं। श्री मंवरू खां।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, 295 का मैंने भी एक मोशन दिया था उसकी व्यवस्था हुई नहीं।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था यह है।

श्री जगमाल सिंह यादव : पढ़ने का इसमें नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ..(व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, आज नहीं तो कल आ जाएगा क्या ?

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

विधान सभा क्षेत्र, फतेहपुर में चारा डिपो खोलना

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की ओर दिलाना चाहूंगा कि फतेहपुर तहसील में 3 वर्ष से लगातार अकाल पड़ रहा है। गांव एवं शहरों में चारे की गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। कहीं भी चारा नहीं मिल रहा है। पशुधन चारे के अभाव में मर रहे हैं। तत्काल चारे के डिपो खोलने की व्यवस्था करावें, ताकि किसानों के धन को बचाया जा सके साथ ही पानी की समस्या फतेहपुर शहर में गम्भीर बनी हुई है। इस समस्या के लिए पिछले सत्र में मामला उठाया गया

(12.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

था। शहर में पीने के पानी के लिए लोगों को एक-एक लीटर के लिए तरसना पड़ रहा है। बार-बार सभी संबंधित अधिकारियों को कहा जा चुका है परंतु समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अन्त में पी.एच.ई.डी. मंत्री से कहना चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र करावें। अधिकारियों को कहने पर यह जवाब आता है कि चन्दनमलजी बजट नहीं दे रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है समाज कल्याण विभाग के शिशु पालना गृह में 9-9 बच्चे मर गये हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ..(व्यवधान).... 19 दिन में 9 बच्चे मर जाएं..(व्यवधान)... उपाध्यक्ष महोदय, हमने तीन बार दिया है यह किस तरह की व्यवस्था है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ..(व्यवधान)... उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ..(व्यवधान).... यह बहुत गम्भीर मामला है..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप को अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी। सरकार के पास जानकारी के लिए भेज दिया है। उसके बाद समाप्त हो गई बात।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : वह जानकारी कब आएगी उपाध्यक्ष महोदय, सदन की बैठक तो कल आखिरी है ?

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष जी की व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन इतना गम्भीर विषय होते हुए..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीर है इसलिए तो सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा है। एक्सेप्ट किया है न। गम्भीर नहीं होता तो रिजेक्ट कर देते। सरकार के पास भेजा है जानकारी के लिए। जानकारी आएगी तब जवाब दे देंगे। ऐसा कौन सा प्रश्न है जो हाउस में गंभीर नहीं हो। गम्भीर हो तभी आता है यहां। उसका नियम है, तरीका है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, इतने गम्भीर विषय पर सरकार को अपनी तरफ से वक्तव्य देना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण विषय है। आज नहीं पहले दिन से दे रहे हैं लेकिन पहले दिन से स्थगन प्रस्ताव आपने लिया नहीं। पहले दिन से कई-कई माननीय सदस्य बराबर दे रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि इतनी बड़ी घटना हो गई अपनी तरफ से चलाकर के वक्तव्य देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी मांगी है न तो..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कौन सी नयी जानकारी लेनी है इसमें सारा जो कुछ होना था हो गया वह तो सारी जानकारी सरकार के पास पहले से ही है ऐसे विषय पर..(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : 6-7 दिन हो गये उपाध्यक्ष महोदय; 6 दिन में जानकारी नहीं आई।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई नयी व्यवस्था नहीं है हमेशा व्यवस्था दी जाती रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसे विषय पर स्वयं चला करके अपना वक्तव्य देना चाहिए इसमें किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें अब कौनसी नयी बात होने वाली है। जो घटना होनी थी वह हो चुकी है इसमें आज कम से कम 8 दिन हो गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी जो व्यवस्था अध्यक्ष महोदय दे गये उसको तो रिवोक नहीं करूंगा। जानकारी चाहे कल देख लेंगे। श्री रमेशचन्द खींची। आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, शिशु गृह में 40% बच्चों की मृत्यु हो गई आपके माध्यम से मैं समाज कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री रमेश खींची।

विधान सभा क्षेत्र कठूमर के गांवों में, पशुओं में गर्भपात की बीमारी

श्री रमेश खींची (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कठूमर में पिछले दो माह से ढोकरी, सोक,

(श्री रमेश खींची)

रोनीजाथान आदि गांवों में भैंस एवं गायों में समय से पूर्व ही गर्भपात हो जाता है। जिससे पशुपालकों में भय व्याप्त है। तथा पशुपालक धन्धाहीन हो रहे हैं। अतः माननीय पशुपालन मंत्री से निवेदन है कि उक्त विभाग के अधिकारियों से जांच कराकर रोग की रोकथाम के लिए शीघ्र प्रयास कराके पशुपालकों को राहत दिलावें।

श्री हीरासिंह चौहान : ...(व्यवधान).. छोटे-छोटे बच्चे और एक साथ 6-7 की मृत्यु..(व्यवधान).... क्या यह गम्भीर घटना नहीं है क्या ? इसके लिए कौन लापरवाह है ? और सरकार स्टेटमेंट नहीं दे रही है। आज असेम्बली 21 तारीख से चल रही है आज 24 तारीख हो गई लगातार स्थगन प्रस्ताव दिये जा रहे हैं सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। स्टेटमेंट के लिए कम से कम तारीख तो तय कर दीजिये। 21 तारीख का दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दी जा चुकी है व्यवस्था तो मैं रिवोक कर नहीं सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महो-दय, यह बच्चों की मौत का मामला है कोई मामूली बात नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विचार करके आपका जवाब दे देंगे। कंसीडर करके जवाब दे देंगे आपको।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय; प्रतिपक्ष के सदस्य आज तय करके आये हैं कि सदन को नहीं चलने देना है।

एक माननीय सदस्य :.... (व्यवधान)... हां केवल आप मान लीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां कंसीडर कर लेंगे न तो। अध्यक्ष जी से कंसीडर करके आपको तसल्ली करके जवाब दे देंगे।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महो-दय, अकाल की स्थिति पर आज चर्चा है....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय काहे का जवाब दे रहे हैं ?

श्री परसादी लाल : जो माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहे मुद्दे उठाना चाहे सरकार उन मुद्दों का जवाब दे देगी।

श्री मदन दिलावर : ....(व्यवधान).... यह समाज कल्याण का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर पूछ कर कर देंगे। कल कर देंगे। बात कर लेंगे। जवाब दिलवा देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष यह तय करके आया है कि सदन को नहीं चलने दिया जाय। जिस दिन से सदन की शुरुआत हुई है आये दिन ये सदन में इस तरह का कार्यकलाप करते हैं, यह शोभनीय नहीं है। और आज सबसे ज्यादा आश्चर्य यह जानकर हुआ कि आप

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आंग्ल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। (व्यवधान) You want suspension only.

एक माननीय सदस्य : दस बच्चे मर गये और मंत्री जी हंस रहे हैं, यह शोभनीय है ?

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय को ये इतना छोटा मान रहे हैं। (व्यवधान)

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । इस स्थगन प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष महोदय अभी व्यवस्था दे चुके हैं। सरकार से जानकारी प्राप्त करने को कहा गया है। उसके बाद भी आप यह चाह रहे हैं कि सरकार जवाब दे, सरकार से विचार करके जवाब देने की स्थिति में होंगे तो अभी आपको सूचित कर देंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, कल सत्र का अंतिम दिन है और कम से कम कल इसका जवाब आ जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह तो दिया, यही तो कहा है, आपने क्या सुना।

श्री भंवरलाल शर्मा : स्टेटमेंट दिला दें, कब दिलवायेंगे इसका समय तय कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय से बात कर के करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय से पूछ लें।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लेंगे, तसल्ली रखो आप, हाउस थोड़े ही जा रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अभी अध्यक्ष महोदय से बात कर के हम तय कर लेंगे, जवाब देने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया, यही कहा है कि अध्यक्ष महोदय से विचार करके करेंगे, उनके बगैर कैसे करेंगे। श्री रामस्वरूप मीणा।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बिजली की समस्या

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

करौली जिले के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में किसानों की जान बिजली है। राजस्थान में अगर कहीं बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता किसानों को है तो वह टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र और सबसे ज्यादा रेवेन्यू यह सरकार को देता है।

यहां पर 5 हार्सपावर से लेकर 50

(श्री रामस्वरूप)

हार्सपावर तक की मोटरें किसानों ने लगा रखी है। इस क्षेत्र में ट्यूबवेलों द्वारा सिंचाई होती है। ट्यूबवेल 300 फीट से लेकर 600 फीट से पानी किसानों को खींचना पड़ रहा है। इंजन पानी उठा नहीं सकते मात्र बिजली द्वारा सिंचाई हो सकती है। सरकार ने मात्र 5 एम.वी. का ट्रांसफार्मर टोडाभीम में लगा रखा है जो अपर्याप्त है।

132. के.वी. का ट्रांसफार्मर स्वीकृत कर रखा है। जमीन आपने पाड़ला स्थान पर स्वीकृत करा ली, एक्वायर करा दी सरकार ने निःशुल्क विद्युत विभाग को दे दी जो चारागाह भूमि थी। भूमि एक्वायर करने के बावजूद एक वर्ष हो गया। आज तक 132 के. वी. का नहीं लगा जब तक इसको नहीं लगाया जायेगा, तब तक इस क्षेत्र के किसानों की बिजली की समस्या हल नहीं हो सकती।

इसके साथ ही आज लाइनें इतनी लम्बी हैं कि प्रतिदिन फाल्ट होते रहते हैं। एक बार फाल्ट हो जाता है तो 2 दिन में जाकर लाइन ठीक होती है। इसी प्रकार सरकार ने छोटी लाइन करने की दृष्टि से 33 एम.वी. के ट्रांसफार्मर टोडाभीम के लिये स्वीकृत किये हैं लेकिन आज तक उनको सरकार ने नहीं लगवाया।

भारतीय जनता पार्टी के समय में मैंने इस विद्युत समस्या के लिये धरने दिये और अपनी टांग तुड़वाई; 40 दिन तक चारपाई पर पड़ा रहा; तब स्वीकृति मिली पर कार्यवाही नहीं हुई और वह +++ सरकार चली गई।

अब मेरी सरकार आई है मुझे भरोसा है मेरे ऊपर जो अत्याचार भाजपा सरकार द्वारा किये गये हैं वो अब नहीं होंगे। आप बार-बार मुझसे कहते रहे हैं कि समस्या हल हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी आपकी कापी मेरे पास भी है।

श्री रामस्वरूप : इसके साथ ही कनिष्ठ अभियन्ताओं को भी बदल दिया जो अच्छा कार्य कर रहे थे; किसान के बेटे थे। अब बनिया का बेटा लगा दिया जो किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

मेहरबानी कर आप 132 के.वी. का ट्रांसफार्मर एवं 33 के.वी. के ट्रांसफार्मर लगाकर समस्या का समाधान करें।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, टोडाभीम में 132 के.वी. का जी.एस.एस. तकनीकी रूप से स्वीकृत है। (व्यवधान) वहां जी.एस.एस. बनाने की अहम आवश्यकता है। ज्यों ही वित्तीय संसाधन जुट जायेंगे वहां पर 132 के.वी. के जी.एस.एस. के निर्माण का काम शुरू

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. चन्द्रभान)

हो जायेगा और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं आप निश्चित रहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको कहना चाहूंगा कि टोडारायसिंह से पहले टोडाभीम में 132 के.वी. का जी.एस.एस. बनायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़।

चूरू क्षेत्र की सहकारी उपभोक्ता इकाइयों में गबन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चूरू सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड में पिछले कुछ एक वर्षों से गबन एवं दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा वर्तमान में भी यह प्रक्रिया जारी है जिसके कारण चूरू क्षेत्र की सहकारी उपभोक्ता इकाइयां बन्द होने के कगार पर हैं।

इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई जिसके चलते वर्ष 1998-99 एवं चालू वित्तीय वर्ष में 35 से 40 लाख रुपये का और गबन हो चुका है।

वर्ष 1998-99 में भण्डार संस्था की राजगढ़ शाखा में लगभग 6.22 लाख रुपये की रोकड़ पोता राशि का गबन हुआ तथा 22 लाख रुपये की व्यक्तिगत अमानतें भण्डार रसीदों के जरिये गबन किया गया। इस प्रकार निरंतर गबन किये जाने से कर्मचारियों के वेतन भुगतान का संकट उत्पन्न हो गया है।

इससे पूर्व सरदार शहर शाखा की जांच सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा कराने पर 13 लाख रुपयों के गबन का मामला पकड़ा गया जिसमें प्रशासन की लापरवाही रही है और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिये प्रशासन द्वारा निर्दोष कर्मचारियों को निलंबित किया गया। इसी प्रकार तारानगर एवं सुजानगढ़ की शाखाओं में भी लाखों रुपयों का गबन किया गया और सरकार द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं किये जाने पर निरंतर गबन किया जा रहा है।

अतः मैं विशेष उल्लेख के जरिये माननीय सहकारिता मंत्री का ध्यान इस लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली एवं रोहट तहसील के बांधों की मरम्मत एवं पानी का वितरण

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पाली एवं रोहट तहसील बांधों का पानी सिंचाई हेतु काश्तकारों को उपलब्ध करवाया जाये।

सरदार समंद बांध का पानी 17 फीट आया है। इस बांध का पानी करीब दो माह बाद खारा पड़ना चालू हो जाता है एवं आदमियों एवं पशुओं को पीने योग्य नहीं रहता। पिछले 5 वर्ष में इस बांध का पानी पीने से कई पशु अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गये। इस बांध क्षेत्र के तालाबों में अभी पर्याप्त पानी है और यदि सरदार समंद बांध का पानी अन्य तालाबों में डाला जायेगा तो इन तालाबों में पूर्व में पड़ा पानी खराब हो जायेगा।

अतः इस बांध का पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाया जाये। खारड़ा बांध का पानी भी करीब दो तीन माह बाद खराब होना शुरू हो जाता है। पिछले वर्ष भी जलदाय विभाग ने इस बांध के पानी को पीने हेतु आरक्षित करवाया था परंतु थोड़े समय बाद ही ये पानी बदबूदार हो गया एवं इसमें सारी मछलियां भी मर गयीं।

इस बांध का पानी जिन तालाबों का पानी पीने योग्य नहीं रहा एवं इस बांध का पानी इतना बदबूदार हो गया कि आस-पास के निवासियों का जीना दूभर हो गया और आखिर प्रशासन द्वारा इस बांध का पानी खड्डों एवं नालों में डलवा कर बांध से पानी खाली कराया गया।

अतः इस बार पानी खराब होने से पूर्व ही सिंचाई के लिए उपलब्ध करा दिया जावे ताकि काश्तकारों को राहत मिल सके।

हेमावास बांध में अभी करीब उन्नतीस सौ एम.सी.एफ.टी. पानी प्रतिदिन दिया जा रहा है। इस बांध का तला शुष्क होने की वजह से इसमें पानी का सीपेज बहुत होता है। यदि सिंचाई हेतु पानी नहीं दिया गया तो भी इस बांध का पानी व्यर्थ जाकर माह मार्च-अप्रेल तक समाप्त हो जायेगा।

अतः सिंचाई हेतु पानी किसानों को उपलब्ध कराया जावे ताकि व्यर्थ जाने वाले पानी का उपयोग सिंचाई में हो सके।

माननीय मंत्री जी, पिछले वर्ष भी सिंचाई नहीं होने से फसल व चारा नहीं हुआ जिसके कारण किसानों एवं पशुओं के भूखे मरने की नौबत आ गयी है। ऐसी स्थिति में किसान ग्रामवासी व पशु पलायन की स्थिति में आ गये हैं।

अतः पानी को व्यर्थ ना होने दें एवं सरदार समंद खारड़ा एवं हेमावास बांध का पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

पीपल्दा तहसील क्षेत्र में विद्युत समस्या

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत तहसील पीपल्दा के सम्पूर्ण क्षेत्र में हो रही विद्युत अनियमितता से जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा इटावा व सम्पूर्ण जिले में विद्युत की आपूर्ति लाखेरी 132 के. वी. सब ग्रेड स्टेशन से होने व बीच में चम्बल नदी होने के कारण लाइन में बार बार ट्रिपिंग फाल्ट आते हैं व एरिया के हिसाब से पूरी लाइट नहीं मिलने से सम्पूर्ण क्षेत्र में विद्युत की हमेशा परेशानी होती है।

जिस प्रकार से सरकार ने 8 घंटे बिजली देने की जो घोषणा की है, उसके विपरीत मेरे विधान सभा क्षेत्र में गत 10-15 दिनों से विद्युत की विशेष परेशानी है जिसमें चलते हमें 3-4 घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है। दिनांक 20-9-99 सायं से 22-9-99 सायं तक एक मिनट भी बिजली नहीं मिलने से जनता परेशान रही, वहीं पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं हुआ जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः आप विद्युत की अनियमितता व सप्लाई के अभाव में हो रही जनता की परेशानी को मध्य नजर रखते हुए शीघ्र विद्युत की नियमित सप्लाई करवाने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से आपका ध्यान सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, अधिकारियों की लापरवाही का आलम तो यह है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 3-12-92 को हरिश्चन्द्र बनाम सिंचाई विभाग में 3 महीने में भुगतान के आदेश के उपरान्त भी लगभग 7 वर्ष पश्चात् अभी तक भी भुगतान कर्मचारी को नहीं किया गया है, जबकि न्यायाधिकरण के यह स्पष्ट निर्देश थे कि 3 माह में यदि सिंचाई विभाग कर्मचारी को भुगतान नहीं करता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी सिंचाई विभाग कर्मचारी को देगा।

न्यायाधिकरण के स्पष्ट आदेश के बावजूद भुगतान नहीं करने पर ब्याज का अनावश्यक भार जो राजकोष पर अधिकारियों की लापरवाही के कारण पड़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह ब्याज दोषी अधिकारियों से वसूल किया जाय तथा इस प्रकरण में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों ने टी.ए. डी.ए. की राशि का भुगतान प्राप्त

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

किया इसकी भी जांच करवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार।

विधान सभा क्षेत्र दीगोद में राजस्थान रोडवेज की बसों की अव्यवस्था

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय यातायात मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, कोटा आगार अधिकारी को निवेदन करने पर भी मेरे विधान सभा क्षेत्र दीगोद में राजस्थान रोडवेज द्वारा संचालित बसों की व्यवस्था बहुत ही बिगड़ी हुई है; समय पर बसों का संचालन नहीं होता।

कोटा से मंडावरा, बूढ़ादित कोटा से दरा कनवास, सांगोद, कोटा से देवली सांगोद मार्गों पर आवश्यकता से बहुत ही कम बसों का संचालन होता है जिससे रोडवेज को आर्थिक हानि तो उठानी पड़ती है, साथ ही अवैध वाहनों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है जिस से आम जनता को यातायात में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

कोटा से बारां मार्ग पर अधिकांश बसें द्रुतगामी चलती हैं तथा साधारण बसें भी मुख्य मार्ग के पंचायत मुख्यालय पर नहीं रुकती जैसे पोलाई, मोरा मुख्य गांवों में नहीं रुकने से आस पास के ग्रामीणों को भारी कठिनाई होती है।

अतः यातायात मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कोटा आगार से सम्बन्धित अधिकारियों को उचित आदेश देकर स्थानीय जनता को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेश चन्द्र पंड्या।

बांसवाड़ा क्षेत्र में अकाल की स्थिति

श्री रमेश चन्द्र पंड्या (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत बांसवाड़ा क्षेत्र में अकाल की गम्भीरता के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मैं 295 के अन्तर्गत अपना पक्ष इस पत्र के माध्यम से रखना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले पर अकाल की भयावह छाया मंडराने लगी है। पूर्णतया कृषि पर निर्भर जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले में अकाल की विभीषिका ने दस्तक दे दी है। समूचे जिले में 1981 के बाद यह पहला मौका है जब असिंचित क्षेत्रों के साथ ही कमाण्ड क्षेत्र भी भीषण अकाल की चपेट में है। कुशलगढ़, आनन्दपुरी, बागीदोरा के आस पास क्षेत्र की पंचायतों के अलावा पीपलखूंट पंचायत समितियों से एक लाख से अधिक लोग रोजगार के लिए पड़ोसी राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं।

(श्री रमेश चन्द्र पंड्या)

जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के बाद जिले भर में गिरदावरी कराने का जो कार्य प्रारम्भ किया गया उसके बारे में प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्ट में इस बार बांसवाड़ा में लगभग 60 फीसदी खरीफ फसलों का खराबा बताया गया है। जिला प्रशासन ने दस दिन पूर्व राज्य सरकार को इस बारे में प्रेषित रिपोर्ट में बरसात नहीं होने से काफी मात्रा में खरीफ की फसल चौपट होने के साथ ही गर्मियों में अनाज की भारी कमी की सम्भावना, पशुओं के लिए चारे, पानी के संकट के हालात उत्पन्न होने से अवगत करा दिया है।

बीच–बीच में कहीं कम तो कहीं ज्यादा वर्षा जिले में होती है। इस वर्ष से जिले भर में खरीफ की फसल के रूप में मक्का, चावल, उड़द, सोयाबीन, कपास आदि फसलों के इस बार रिकार्ड उत्पादन के आसार थे लेकिन वर्षा की कमी से उस पर पानी फिर गया।

जिले में असिंचित क्षेत्र अकाल के हालात को नियति के रूप में झेलता चला आ रहा है। इस बार सिंचित क्षेत्र में भी दुर्भिक्ष की दस्तक सुनकर काश्तकारों की रूह कांपने लगी है। पिछले दस दिनों से जोर ही गिरदावरी जिसमें सिंचित असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में फसलों के खराबे की रिपोर्ट की जा रही है, प्रारम्भिक सूचनाओं के अनुसार 60 फीसदी तक फसलें खराब हो जाने की जानकारी मिली है। आंकड़ों के अनुसार इस बार बांसवाड़ा में 606, घाटोल में 580, गढ़ी में 674, बागीदौरा में 574 और कुशलगढ़ तहसील में 562 मिलीमीटर वर्षा हुई है।

इस अंचल में किसानों के साथ ही आम जन की भी काया पलट करने वाली नई परियोजना की नहरों में मुख्य माही बांध स्थल से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है लेकिन इस बार माही बांध के खाली पड़े होने से सिंचित क्षेत्र के काश्तकारों की भी रातों की नींद और दिन का चैन नदारद है।

1981 के बाद यह पहला मौका है जब कमांड क्षेत्र में भी दुर्भिक्ष की भयावह स्थिति बन रही है और बांध नहीं भरने से रबी की फसल के लिए पानी न मिल पाने की समस्या हरेक को हैरान किये हुए है। 281.50 मीटर भराव क्षमता वाले माही बांध में 19 सितम्बर तक केवल 268 मीटर पानी भरा है और सिंचाई विशेषज्ञों व काश्तकारों के अनुसार रबी की फसल के लिए सिंचित क्षेत्र में सिंचाई को न्यूनतम 275 मीटर बांध का भरना आवश्यक है।

खरीफ की फसल चौपट होने के साथ ही नॉन कमाण्ड क्षेत्र से लोगों का पलायन सरकार और प्रशासन की ओर से अकाल की मार से बचाव बाबत किये जाने वाले प्रयासों और दी जाने वाली किसी भी प्रकार की मदद की बाट जोहे बगैर भारी संख्या में प्रारंभ हो गया है।

(श्री रमेश चन्द्र पंड्या)

प्रभावित लोग अहमदाबाद, बड़ोदा, सूरत, मुम्बई, इन्दौर, भोपाल आदि शहरों में रोजगार के लिए पलायन करने लगे हैं। कुशलगढ़, पीपलखूंट, आनन्दपुरी और दानपुर विधान सभा क्षेत्र के पहाड़ी हिस्से को मिलाकर अब तक एक लाख लोगों के पलायन कर जाने की जानकारी है।

कई काश्तकार तो मुंह से आया निवाला छिन लिये जाने के कारण अब सूखी पड़ी फसलों को चारे के रूप में खेत से कटाकर घर तक लाने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे हैं जबकि कई काश्तकार प्रकृति की किसी अन्य प्रकार की मार से बचने के लिए सूखी फसलों को पशुओं के आहार के प्रबन्ध की दृष्टि से काटकर चारे की व्यवस्था में जुटे हैं।

आंकड़ों के मुताबिक जिले में 16,500 हैक्टेयर में मक्का, 46,500 हैक्टेयर में धान, 35,500 में उड़द, 10,500 हैक्टेयर में सोयाबीन तथा इतने ही हैक्टेयर में चावल की बुवाई की गयी है लेकिन पर्याप्त वर्षा के अभाव में आज सब कुछ चौपट हो चुका है।

सरकार से निवेदन है कि अविलम्ब बांसवाड़ा जिले को अकालग्रस्त घोषित किया जाय एवं अकाल राहत कार्य शुरू किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन लाल वर्मा।

विधान सभा क्षेत्र डग की स्कूलों में अध्यापकों की कमी

श्री मदन लाल वर्मा (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कर निवेदन है कि डग विधान सभा की पंचायत समिति डग व झालरापाटन पंचायत समिति की ग्यारह ग्राम पंचायतों में 120 शिक्षकों के पद लगभग 2 वर्षों से रिक्त हैं। जिससे ग्रामीण विद्यालय बंद पड़े रहते हैं और छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है।

इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की हालत बहुत दयनीय है। सिर्फ 1-1 अध्यापक के सहारे उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। इसी तरह सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में भी काफी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं।

ऐसी स्थिति में मेरी विधान सभा के शिक्षा के स्तर का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। पूरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 200 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पूरे विधान सभा क्षेत्र के छात्रों व अभिभावकों में चिन्ता व रोष व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में शिक्षकों के विभिन्न विद्यालयों में रिक्त पदों को तुरंत प्रभाव से भरने की व्यवस्था फरमावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल जी मोदी।

नीमकाथाना तहसील में अकाल की स्थिति, पेयजल समस्या

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकानाथा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि नीमकाथाना, जिला सीकर में भयकर अकाल है। पिछले वर्ष भी नीमकाथाना तहसील के समस्त गांव अकाल ग्रस्त थे। वर्षा के अभाव में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है। पेयजल समस्या का निराकरण करने के लिये निम्नलिखित पेयजल योजना को स्वीकृति जारी की जावे:--

1. रामपुरा बेगा का नांगल, राजस्व रिकार्ड में 2 अलग-अलग रेवेन्यू विलेज हैं लेकिन वास्तविक रूप से एक है, टंकी योजना।

2. चोपया में ट्यूब वेल बन चुका है, टंकी निर्माण योजना।

3. राजपुरा टंकी योजना।

4. कावरडा पाइप लाइन डालकर रायपुर पाटन के सप्लाई सोर्स से पेयजल सप्लाई योजना।

5. पुरानावास की 11 ढाणियां, जिनमें खारा पानी है, पेयजल सप्लाई योजना।

6. झिराना में पाइप लाइन बाढ़ से नष्ट हो गई, यहां नई पाइप लाइन डलवाना।

उपरोक्त समस्त योजनाओं को एस.ई. द्वारा एडीशनल चीफ इंजीनियर को भेजा जा चुका है। लेकिन अभी तक इन योजनाओं को स्वीकृति नहीं हुई है। अतः भयकर अकाल की स्थिति को देखते हुए तुरन्त स्वीकृति कराई जाए ताकि नागरिकों को पेयजल सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में बारां रोड पर चम्बल फर्टिलाइजर का गिड़पान में एक खाद कारखाना है। उस खाद कारखाने में 27 अगस्त को, एक लाइन का टेस्टिंग जो कम्पनी कर रही थी वहां काम करने वालो..

श्री उपाध्यक्ष : आप बड़ा एब्नार्मल बोल रहे हैं। इतना जोर से बोलते हैं, आज क्या बात हो गई ?

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

चम्बल फर्टिलाइजर (कोटा) के खाद कारखाने में विस्फोट से श्रमिकों की मृत्यु

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में बारां रोड पर गिड़पान गांव के पास चम्बल फर्टिलाइजर का एक खाद कारखाना है। उस खाद

(श्री मदन दिलावर)

कारखाने में सैकिण्ड स्टेज का काम चल रहा है। उसमें पाइप लाइन का टेस्टिंग का काम चल रहा था जिसमें ऐसी विस्फोटक गैसें थीं जिनके पास यदि थोड़ा भी ज्वलनशील पदार्थ लाया जाए तो वहां पर बड़ा विस्फोट होने की सम्भावना रहती है।

लेकिन उस खाद कारखाने के अधिकारियों को यह पता नहीं कि यहां किस प्रकार के दक्ष कर्मचारियों से काम लिया जाए। वहां ऐसे अकुशल श्रमिकों से काम लिया जा रहा था कि टेस्टिंग के समय जो उस पर इंसुलेशन चढ़ा रहे थे तो इंसुलेशन चढ़ाते हुए कर्मचारियों को, जो विस्फोट हुआ और वहां पास में बर्तन जल रहा था, जिसको जलना नहीं चाहिए था; अधिकारियों को सुरक्षा के पूरे इंतजाम रखने चाहिए थे, उस समय पाइप लाइन फटने से 2 श्रमिक मौके पर मर गये और तीन श्रमिक, जो बहुत गम्भीर रूप से घायल थे, उनको कोटा अस्पताल में बहुत देरी के बाद भर्ती कराया गया।

वहां जो फैक्ट्री है और फैक्ट्री में जो कंपनी काम कर रही है, न तो उस फैक्ट्री के अधिकारियों ने उनके इलाज के बारे में गम्भीरता दिखाई और न ही उस कंपनी के अधिकारियों ने उनके इलाज के बारे में गम्भीरता दिखाई। और तो और, उनके जो कर्मचारी थे, जो स्वर्गवासी हो गये; मर गये उनको उनके घरों तक पहुंचाना चाहिए था लेकिन उनको घरों तक भी नहीं पहुंचाया गया। वहां कोटा में ही उनको जला दिया गया, गिड़ंपान में जो खाद का कारखाना है वहां पर उनको जला दिया गया। उनके परिवारजनों के वहां पहुंचने का भी इंतजार उन्होंने नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक ही निवेदन है कि इतने गम्भीर हादसे जब निरंतर जब उस खाद कारखाने में हो रहे हैं, इसके एक सप्ताह पहले भी इस प्रकार की घटना हुई और उस घटना के बावजूद भी सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। न तो, जो मृतक लोग हैं उनके परिवार के लोगों को नौकरी देने की बात तय की गयी है, न ही उनको किसी प्रकार का मुआवजा या सांत्वना राशि देने की बात अभी तक तय की गई है।

पता नहीं, क्यों यह सरकार निरंतर रूप से, जो श्रमिकों के प्रति इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं उनके प्रति क्यों उदासीन है। यह बात समझ में नहीं आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, ये बद्री प्रसाद श्रीनाथ, ये तो एक मिनट भी चूं–चपर भी नहीं कर पाये, शत–प्रतिशत जलने के बाद वहां जलकर के ऐसे हो गये कि उनको अस्पताल में केवल पोस्ट–मार्टम के लिये ही ले जाना पड़ा। नहीं तो, वहां जलकर के कोयले की तरह राख हो गये।

परन्तु न तो वहां का प्रशासन संवेदनशील, न ही यहां सरकार में बैठे हुए लोग संवेदनशील, न ही वहां के श्रम विभाग से जुड़े हुए लोग संवेदनशील। इतने निष्ठुर हो गये प्रशासन के लोग और इस सरकार के लोग कि वहां इस प्रकार से जो निरंतर रूप से श्रमिक मर रहे हैं, झुलस रहे हैं,

(श्री मदन दिलावर)

फिर भी उस खाद कारखाने में जो अधिकारी काम कर रहे हैं और खाद कारखाने के मालिक हैं, उनको निरन्तर रूप से प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है; यह समझ में नहीं आ रहा है। यह सरकार इस प्रकार से श्रमिकों के साथ निरन्तर रूप से जो घटनाएं हो रही हैं, उसके प्रति उदासीन है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर जवाब दे, वक्तव्य दे कि निरन्तर रूप से इस प्रकार की घटनाएं होने के बावजूद भी अचेत अवस्था में सरकार कैसे है। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को आप पाबंद करें कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगायें और इस प्रकार उद्योगपतियों से मिलकर के श्रमिकों पर इस प्रकार का अत्याचार नहीं होने दे। यह आपके माध्यम से मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट इस मामले में मुझे भी कुछ कहना था। (व्यवधान) एक मिनट दें, इतनी देर में तो मेरी बात ही खत्म हो जाती। (व्यवधान)

नोहर विधान सभा क्षेत्र में बस और जीप की दुर्घटना

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र नोहर के अंदर एक बस और जीप दुर्घटना के बारे में आपको मैं कुछ तथ्य बताना चाहती हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरा यह कहना है कि.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर कल ले आना पर्ची, बोल लेना। कल पर्ची दे देना। (व्यवधान) आपको बोलने देंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कोई अधिकारी जांच के लिये नहीं पहुंचा है, कृपा करके वहां कोई अधिकारी तो पहुंचाए, जांच तो करें।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : 19 तारीख को नोहर से एक जीप भादरा की तरफ जा रही थी और हिसार से एक बस आ रही थी। जिसके अन्दर, उस जीप के अन्दर 13 आदमी थे, जो कि मौके पर 8 आदमी मर गये और बाकी 5 हैं उनको हास्पिटल के अन्दर लाया गया। वहां से, जो ज्यादा सीरियस थे उन 3 को हिसार भेज दिया गया, एक को गंगानगर भेज दिया गया और एक वहां स्पोट के ऊपर हास्पिटल में मर गया।

उसके बावजूद बी.जे.पी. वाले लोगों ने, जो कि वहां के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने, जो डाक्टर काम कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर पत्थर फेंके, उनको मारने की कोशिश की। उसके बाद भी वे लोग इलाज करते रहे और 9 बजे तक सब पोस्ट-मार्टम करके वहां के अधिकारियों ने डाक्टरों से मिलकर लाशें प्रियजनों को दे दीं।

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

इसके दूसरे दिन क्या हुआ कि 20 तारीख को इन लोगों ने लोगों को भ्रांति में डाल कर वहां लोगों को इकट्ठा किया कि मरने वालों को श्रद्धांजलि देनी है । तो यह जो वहां गये, स्कूल के अन्दर, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उनको धमकाया कि हम जान से मार देंगे, नहीं तो इन बच्चों की छुट्टी जबरदस्ती कराएंगे ।

उन्होंने नहीं की तो उनको मारने लग गये । वे ही तीन—चार आदमी जो कि बी. जे.पी. के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने वहां जाकर के प्रिंसिपल की पिटाई की । प्रिंसिपल ने बड़ी मुश्किल से जो दूसरे मास्टर थे उन लोगों को इकट्ठा होकर एक कमरे के अंदर बन्द कर दिया और आगे से उन को लकड़ी लगा दी जिससे कि यह दरवाजा टूट नहीं जाए ।

वहां आज भी, जितने भी टीचर्स हैं, वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, स्कूल के अंदर, और वहां उन लोगों को डाक्टर्स इन डाक्टर्स की जहां पिटाई हुई, डाक्टर दो दिन धरने पर रहे । यहां से डाइरेक्टर साहब गये और डाइरेक्टर साहब ने उनको समझाकर वहां से उनको जो आंदोलन पर बैठे थे, उनको उठाया और काम पर लगाया। वह लोग यहां पर गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि डाक्टर दारू पीये हुए थे । कोई डाक्टर दारू पीये हुए नहीं थे इन्होंने जनता के हास्पिटल को क्षतिग्रस्त किया है ।

श्री निहाल चन्द (रायसिंह नगर): जिस डाक्टर ने पोस्टमार्टम किया; वह डाक्टर दारू पिया हुआ था । (व्यवधान) उस डाक्टर का मेडिकल हुआ है; उपाध्यक्ष महोदय, कलक्टर मौके पर गये और उस डाक्टर का..(व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य : इन्होंने डाक्टरों के क्वार्टरों को तोड़ा और एक मेहरा डाक्टर, उसके चार साल का बच्चा है, उसको पत्थर मारने के लिए गये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री निहाल चन्द : कलक्टर मौके पर गया है, उसका मेडिकल हुआ है । दारू पीया हुआ था । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : तो वहां पर पुलिस आ गयी । पुलिस के पांच आदमी वहां घायल हुए । (व्यवधान)

श्री निहाल चन्द : वहां मेडिकल हुआ है । उसमें दारू पीया हुआ था ।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : और उन घायलों में एक आदमी का सिर फूट गया, और उसका आज भी हास्पिटल के अन्दर इलाज चल रहा है और चार और कर्मचारी, सिपाही, के चोटें लगी हैं । उन्होंने फिर एफ.आई.आर. दर्ज करवायी है ।

आज भी उस स्कूल के जितने भी

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

टीचर्स हैं, वे अध्यापक आज भी हड़ताल पर उस स्कूल के अन्दर बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि जब तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करोगे तब तक हम लोग यह हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। और इनसे यह कोई पूछने वाला हो कि मरने वालों की लाशों पर पत्थर फेंक कर यह राजनीति करना चाहते हैं।

इन्होंने क्या मरने वाले, जो मेरे नोहर के पांच-छह गांवों के लोग हैं, जिनका मैं नाम लेकर बताना चाहती हूं, मौके पर हम लोगों ने कलक्टर साहब को कहकर दस–दस हजार रुपये दिलवाये। पांच–पांच हजार रुपये घायलों को दिलवाये। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक पैसा भी कभी भी नहीं दिया। हम लोगों ने यह प्रथा डाली जो कि कलक्टर साहब से कहकर मौके पर इन लोगों को पैसे दिलवाये और आज यह जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं।

ईमानदारी से मैं पूछना चाहती हूं कि मरने वालों के यहां, क्या एक-एक के घर गये थे? वहां पर बैठकर यह आन्दोलन करना चाहते हैं, वहां अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, गुण्डागर्दी करना चाहते हैं, वे वही लोग हैं जिन्हें मैं चुनाव लड़ा रही थी, शंकर पन्नू के चुनावों में गयी हुई थी, पीपलाना के अन्दर मेरी भी खुद की गाड़ी के शीशे तोड़े, वे ही लोग हैं जो यह प्रदर्शन करना चाहते हैं।

यह चाहते हैं कि यह कांग्रेस की सरकार है, उसको बदनाम किया जाए। अव्यवस्था फैलायी जाए जो इनकी बंदी बंधी हुई थी, जिन पदाधिकारियों के पेट में जलन हो रही है कि यह अच्छी सरकार चल रही है, अच्छी व्यवस्था है। (व्यवधान) अच्छे कर्मचारी हैं, जो टाइम पर आये और गये और मैं आपको उन गांवों के नाम.... (व्यवधान)

श्री निहाल चन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत कह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अपने.... (व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य : इन से यह पूछे कि मरने वालों के यहां एक के घर भी गये? यह बैठने तक के लिए नहीं गये, उनसे पूछा तक नहीं फिर यह बोलते हैं। यह बोलते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री निहाल चन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, नियम से बात करो। (व्यवधान)

श्री निहाल चन्द : उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल गलत कह रहे हैं, जो यह बोल रहे हैं, वे 70–70 साल के लोग थे वे श्री बाई.एस.पी. आपका सपूत बेटा है, वह 70-70 साल के लोगों को आधी रात में पकड़ कर लाया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये। आर्डर प्लीज।

श्री निहाल चन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत बोल रहे हैं और जिस डाक्टर की बात है, उस डाक्टर का मेडिकल हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह कोई डिबेट नहीं हो रही है, वे अपनी बात कह रही हैं।

श्री निहाल चन्द : उसने दारू पी हुई थी। (व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य : मैं बताती हूं। मृतकों के एक के भी घर गये हो तो आप नाम बता दो। आप बोल रहे हो न, एक का भी नाम बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, मेरे इधर कहकर बोलिये।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : मैं आपको नाम बताना चाहती हूं कि शंकरलाल जो कि बंशीराम जाट है, लाखासर का, मेरे नोहर का वह ड्राइवर था, मैं यह सही कहती हूं कि वह ड्राइवर दारू पीता था, उसमें कोई शंका की बात नहीं है और बलराम 35, वह लालचन्द जाट जो मालिया गांव, मेरे नोहर का था, मैं खुद गयी हूं और भंवरलाल 27, ख्यालीराम गुसाई 14 बिरावी का था, मैं खुद उसके घर जाकर आयी हूं।

नवाब ठाकुरराम बाल्मिकी, गोरखाना का जो नोहर डिस्ट्रिक्ट का था, मैं खुद जाकर आयी हूं। गोपीराम, सौदागर मेघवाल, टोपरिया नोहर जो मैं जाकर आयी हूं और दस हजार रुपये हमने दिलवाये। रविन्द्र ठोला, श्याम सुन्दर, वार्ड नम्बर-8, नोहर जो कि जिसका एक भाई मौके पर मर गया, उसको हमने दिलवायें और उसका एक घायल है, वह हिसार के अन्दर है और भैया बत्तीस दिलावर, बाजीगर रामसर नोहर, उसके यहां पर जाकर आयी।

मैं बलवीर, कुलवीर पुत्र श्री जगतराम वर्मा, जो छत्तीस खोरिया खेड़ा कोटी का है और इनके आदरा का रहने वाला है, पार्वती वाइफ आफ कुलवेरी, जो कि हिसार की है, विनोद और कुलवीर जो हिसार का है और घायलों की सूची, रामस्वरूप शर्मा, 25, बीरबल राम, गांधी बाड़ी, गंगानगर को रैफर किया, सुरेन्द्र पुत्र श्री राम उधारी जाट, 15 आजाद नगर हिसार जो कि उसको वहां रैफर किया, सुरेश पुत्र श्री करण....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वे मरीज हिसार के कौनसे अस्पताल में भर्ती हैं ?

श्रीमती सुचित्रा आर्य : जो हिसार के अन्दर है, रैफर किया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिसार के कौनसे अस्पताल में भर्ती हुए हैं ? (व्यवधान)

श्री निहाल चन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत है ।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : इस तरीके से डाक्टरों की मारपीट की ओर मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से.... (व्यवधान)

श्री निहाल चन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस डाक्टर का मेडिकल हुआ था और उस डाक्टर की शिकायत भी इनके कांग्रेस के महामंत्री ने की है, तत्कालीन कांग्रेस के महामंत्री ने । (व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य : मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहती हूं कि ऐसे जो दोषी लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें । जिससे कि आगे इस तरह के कर्म नहीं हो सकें और वहां के हालात सही ढंग के हो सकें और हमारे जो बच्चे हैं ....(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस डाक्टर का मेडिकल हुआ है और उस डाक्टर ने ....(व्यवधान).... कांग्रेस के महामंत्री ने इनको लेटर लिखा था, सरकार को ....(व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य : वे आज बिना पढ़ाई के बैठे हुए हैं और हमारे अध्यापक आज भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज यह यहां पर गुमराह कर रहे हैं सदन को कि यहां यह हुआ, वह दारू पिया हुआ था, वह दारू पीने वाला आदमी, इनके वे डाक्टर लगाये हुए हैं । हमने हमारे राज में एक भी डाक्टर का ट्रांसफर नहीं किया । यह हैल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए । (व्यवधान)

श्री निहाल चन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस डाक्टर का मेडिकल हुआ है, वह रिपोर्ट मंगाकर आप देख लीजिए । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : यह इस तरह के कारनामें करते हैं । मेरा आपके माध्यम से निवेदन है होम मिनिस्टर साहब से, मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको किसी की सिफारिश नहीं चले, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं, जयहिन्द ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में नोखा तहसील में 33 के.वी. का गजूसर, कोलासर में सब स्टेशन लगा है । (व्यवधान) उसमें पिछले 15 दिनों से विद्युत सप्लाई नहीं हो रही है । 15 दिनों से ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कहां से आ गया ? माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : 15 दिनों से विद्युत सप्लाई नहीं हो रही है । दो गांवों में । नोखा तहसील में 33 के.वी. का सब

(श्री देवीसिंह भाटी)

स्टेशन लगा है, वहां कीतासर में .... (व्यवधान).... 15 दिनों से विद्युत की सप्लाई नहीं हो रही है । कुओं में सप्लाई नहीं हो रही है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : व्यवस्था चौपट हो रही है और वहां आन्दोलन हो रहा है, खम्भों के तार काट-काटकर ले जा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पर्ची है इस पर ?

श्री देवीसिंह भाटी : इस पर आप कृपया ध्यान दें और उसकी व्यवस्था करिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिए । आपकी इस पर पर्ची है, आप बोलोगे, बीच में ही कहां से आ गये आप ? आपको अवसर दे रहे हैं, बोलने का । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा...(व्यवधान)... मैं आपका सहयोग करूंगा । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं मांगू जब सहयोग करो न आप । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, यह लम्बा-चौड़ा मामला नहीं है । होम मिनिस्टर साहब और सी.एम. साहब को परेशान नहीं करें । वहां एस.डी.एम. और वहां के डाक्टर मेहरा, जिसका नुकसान हुआ है, दो आदमी खड़े होकर कह दें कि यह लोग गुनहगार थे, आप मर्जी आये जो उसे सजा दें । आप क्यों लम्बा-चौड़ा कर सी.एम. साहब को और होम मिनिस्टर साहब को परेशान करना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

श्री रामप्रताप : क्यों उनको परेशान कर रहे हैं । (व्यवधान) ऐसे तथ्य हमारे सामने आते हैं, मैं उसमें सहयोग करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए । धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए । श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

श्री रामप्रताप : एस.डी.एम. और वहां का डाक्टर मेहरा जिसके यहां क्षति हुई है, पत्थरों की वजह से, वे दो आदमी कह दें कि गुनहगार है तो मर्जी आये जो सजा दे दीजिए । (व्यवधान)

राजस्थान के बड़े शहरों में अतिक्रमण

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि लोक सभा चुनावों के दरम्यान सरकार की नाक के नीचे और सरकार की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शहू से जयपुर सहित सभी बड़े शहरों में बड़ी तेजी से प्रतिक्रमण हुआ और इस प्रतिक्रमण को तोड़ने के लिए, प्रतिक्रमण को हटाने के लिए हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी ने बैठक बुलाकर बड़े लम्बे-चौड़े बयान जारी किये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, और पूछना चाहता हूं स्वायत्त शासन मंत्रीजी, कौनसे मापदण्ड हैं, आप एक पत्रावली पर अनुमोदन करते हैं कि दशहरा कोठी स्थित जो प्रतिक्रमण हुआ है वह अतिक्रमण अवैध है, यह तो मैंने एक बानगी दी है परन्तु स्वायत्त शासन मंत्री जी, आज सारा शहर डरा हुआ है, आपकी उस लाल पर्ची से।

जो सुबह आपके यहां से जारी होती है और न जाने किस वक्त हरी पर्ची जारी हो जाती है और उस लाल-हरी पर्ची के चक्कर का राज क्या है, यह तो आप बताएंगे।

परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सुबह उस पत्रावली का अनुमोदन किया कि यह निर्माण अवैध है, इस निर्माण को तोड़ा जाए। दस्ता वहां पहुंच गया। दस्ते ने तोड़-फोड़ चालू कर दी। वहां के स्थानीय विधायक, कांग्रेस के विधायक, सब लोग आकर गुहार करते हैं कि यह अवैध निर्माण नहीं, इसको एक बार रोको।

इसमें कोई न कोई रास्ता निकालो और मंत्रीजी आप चार बजे तक कठोर बने रहते हैं और चार बजे एक छोटे कागज पर लिखकर आप आदेश जारी करते हैं कि इस प्रतिक्रमण को जो हटाया जा रहा है, दस्ता तुरन्त वापस आ जाए। प्रतिक्रमण को तोड़–फोड़ करने वाला दस्ता सारी कार्यवाही रोक दे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक जगह नहीं हो रहा है, यह पूरे राजस्थान में हो रहा है। सुबह पत्रावली पर अनुमोदन कुछ करते हैं और दोपहर चार बजे बाद मंत्रीजी, क्या परिवर्तन हो गया था, क्या वह प्रतिक्रमण वैध हो गया था ?

मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी, मैं बड़े नम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं आपकी स्वच्छ छवि है परन्तु यह सवालिया निशान जो खड़े हो रहे हैं, यह जयपुर में ही नहीं, यह बहुत बड़े गिरोह के लोग आपको षड्यन्त्रपूर्वक बदनाम कर रहे हैं।

मुख्य मंत्रीजी इस बदनामी के अंदर इसके पीछे क्या राजनीतिक चालें हैं, इसका आकलन तो आप स्वयं कर लें। परन्तु मैं जो तथ्य रख रहा हूं, यह पीड़ा एक की नहीं, यह पीड़ा अनेक लोगों की है। आप गरीब की झोपड़ी तोड़ रहे हैं। किसी गरीब आदमी ने छोटा-मोटा कोई निर्माण कर लिया, वह तोड़ रहे हैं।

परन्तु आपकी नाक के नीचे जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में एक-दो नहीं, बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हो रही हैं। बड़े धन्ना सेठ प्रतिक्रमण कर रहे हैं। बड़े-बड़े लोग जमीन अलाट करा रहे हैं, दूसरी किसी संस्था के नाम से निर्माण काम दूसरे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो रहे हैं। यह सारी चीजें मुख्य मंत्रीजी आपकी पारदर्शी सरकार से....(व्यवधान) यह महेश जी आपके बस की बात नहीं है। बैठिये। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (स.उप मुख्य सचेतक) : यह मैं सोच रहा हूं आपके शासन काल की बातें बता रहे हैं सारी। जो आपके टाइम में हो रहा था, उनका वर्णन कर रहे हो आप। उनके खिलाफ सी.बी. आई. इंक्वायरी पेंडिंग पड़ी हैं अभी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : यह सही कह रहे हैं। जो कुछ कह रहे हैं, वह सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : आप वह बातें बता रहे हो....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं....

मोहम्मद माहिर आजाद : मुख्य मंत्री जी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी सक्षम हैं जवाब देने में। आपको इस लायक समझेंगे जब दे देना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : महेश जी, आप मुख्य मंत्रीजी को अक्षम मानते हो क्या? आप मुख्य मंत्री जी को अक्षम मानते हो क्या? उनको जवाब देने दो।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : राजेन्द्र राठौड़ जी को आपने इतना कमजोर समझा क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके सदस्य बोल रहे हैं, आप चुप तो रहो।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : आप गरीबों के नाम पर जो बड़े-बड़े काम्पलेक्स बन रहे हैं, उनको आप प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, सही बात यह है। आप क्या बात करते हैं, क्या गरीबों की दुहाई देते हैं? (व्यवधान)आपके मुंह से गरीब शब्द अच्छा नहीं लगता। आपने बड़ी-बड़ी दो मंजिली, गगनचुम्बी इमारतों को पटकना सीखा है। आप आज गरीब की दुहाई देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : आप लगे हाथ यह बता दें राजेन्द्र जी कि आपके शासन काल में जयपुर की कितनी बिल्डिंगें बनीं.... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : तोड़ो-तोड़ो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ....आपने संरक्षण दिया है।

श्री रामस्वरूप : हमने तो बिल्डिंग क्या आपको भी तोड़ दिया। (व्यवधान) आपको भी तोड़ दिया हमने तो। बिल्डिंग क्या आपको भी तोड़ दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जोशी जी। (व्यवधान) रामस्वरूप जी (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अब याद आ रहा है आपको जमाना। सही बात बोलियेगा। (व्यवधान) आपको फाइनेंस कैसे मिलेगा। (व्यवधान) आपको पैसा मिलना बन्द हो गया। आपको चन्दा मिलना बन्द हो गया क्योंकि आपने उनका प्रोटक्शन नहीं किया। आप यह चाहते हैं.... (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : आपकी मोहन लाल जी गुप्ता से दुश्मनी है .... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :.... (व्यवधान) आपकी ठेकेदारी है....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अभी चुनाव का रिजल्ट आ जाए तो पता लग जाएगा कितनी बिल्डिंगें टूटती हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, विराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : तो आप गरीब की बात करते ही नहीं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हर बात में यह कहकर कि आपके शासन काल में क्या हुआ था, आपके राज में क्या हुआ था मुख्य मंत्री जी, आप इस बात से नहीं बच सकते।

श्री राजेन्द्र पारीक : अब तो शासन काल का मामला नहीं, आप लोगों को चन्दा नहीं दिया। इसलिए आप सारे जुल्म थोप रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे दो मिनट में मेरी बात कहने दीजिये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह कहकर कि पूर्ववर्ती शासन काल में कोई व्यवस्था ठीक नहीं थी, आज की पारदर्शी, संवेदनशील सरकार, आज जो हो रहा है, इस बात से नहीं बच सकती। अभी बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा इसकी आड़ में, मैं भवन निर्माताओं, धन्ना सेठों को बचाना चाहता हूं। मैं तो उन्हें पकड़वाना चाहता हूं। सवाल इस बात का है कि आपने फैसला किया....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप इसलिए पकड़वाना चाहते हैं कि उन्होंने आपको चन्दा नहीं दिया। इसलिए पकड़वाना चाह रहे हैं। बता दिया उन्होंने सबने आकर हम लोगों को। पहले आपके पार्टनर थे तब तक तो आप उनकी पैरवी करते रहे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको दे दिया न ?

श्री राजेन्द्र पारीक : और अब आपके और उनकी साझेदारी में जरा-सा खलल पड़ गया तब आप उनकी शिकायत ठोक रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। यह परम्पराओं के विपरीत बात है। आपके बराबर के पार्टनर थे, भागीदार थे। आपस में भागीदारी में इस तरह का झगड़ा चलता रहता है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बड़े-बड़े बिल्डरों से आपका वास्ता है। जयपुर के सारे

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

बिल्डर्स से आपका वास्ता है। आप क्या बात करेंगे गरीब को ? माफिया बिल्डरों से आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से वास्ता है। एक से एक, बड़े से बड़ा बिल्डर..(व्यवधान) आपने गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन करवा दिये और अब प्रोटेक्शन दिलवाना चाहते हैं। गरीब की झोपड़ी के पीछे प्रोटेक्शन चाहते हैं आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह विकृत मनुवादी....(व्यवधान)

श्री महेश जोशी : राजेन्द्र राठौड़ जी, आपकी शांति धारीवालजी से जो दोस्ती है, उस दोस्ती की आड़ में आप भंवरलाल जी के खिलाफ आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यह देख लें। और भंवरलालजी चुपचाप सुन रहे हैं। आप भी कुछ बोलिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : मोहन लाल जी गुप्ता से भी कोई अदावत है। आप उनकी आड़ में कौनसी दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं। यह हमारे समझ में नहीं आ रही है बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई मतलब नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। समाप्त कर लें। आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई सदन की गरिमा और शालीनता की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हेमन्त कुमार : राजेन्द्र जी, फिर आम को बैठकर पता नहीं क्या बात की आपस में..(व्यवधान).

श्री उपाध्यक्ष : आप भी अपनी बात कहकर खतम करो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सवाल इस बात का है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं को यह कहते हैं कि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं। आप मंत्री महोदय.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक :...(व्यवधान)यहां क्या उद्धरण करने की जरूरत पड़ी ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या तरीका हुआ ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री उपाध्यक्ष : आप तो रुको। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बार-बार खड़े हो

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

जाते हैं। इनको आप बैठाते नहीं हो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम बिल्डर्स का प्रोटेक्शन नहीं चाहेंगे गरीब की झोपड़ी का नाम लेकर। एक गरीब की झोपड़ी की बात कहकर एक बिल्डर्स को जो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, वह नहीं होगा।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि किस अधिकार से स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा अगर कोई निर्माण तोड़ा जा रहा है, बचाया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, कौनसे अधिकार के तहत आप आदेश जारी कर रहे हैं? रोज कर रहे हैं आप। सुबह कहते हैं तोड़ो, और शाम को कहते हैं रोको। यह मिली-भगत चलेगी नहीं।

मैं कहना चाहता हूं कि सारे सवाल जो खड़े किये हुए हैं, उन पर आप गंभीरता से विचार करें।(व्यवधान) आपके पाक-दामन पर कोई दाग न लग जाए, यही आगाह करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : गणपति प्लाजा को तोड़ते हुए आपके हाथ नहीं रुके। उस गरीब को जबरदस्ती आपने परेशान करने की नीयत से तोड़ा। तब कहां गये थे यह आपके सारे कानून कायदे? गरीब कहां गया था? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हरी पर्ची और लाल पर्ची....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी बता रहे हैं न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, तो मंत्रीजी बोलिये न। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा :...(व्यवधान) विधायकों को तो रोकिये। यह +++ विधायक बीच-बीच में बोलते हैं।(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ....(व्यवधान) जनता ने आपको दण्ड दिया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुख्य मंत्रीजी कहते हैं बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जिनका लोगों ने सफाया कर दिया और यही मुख्य मंत्रीजी हैं जो राजस्थान के चमकते सूर्य हैं। अशोक महान हैं। अशोक नहीं, अशोक महान हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ..और आज आपको जलन लग रही है। आ रही है 6 तारीख, आपका सफाया हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कितनी +++ करो, मंत्री नहीं बनाये जाओगे। (व्यवधान) मंत्री नहीं बनाये जाओगे, कितनी भी +++ करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण के बाबत जो विरोधी पक्ष ने चिन्ता जताई है, मैं आपकी चिन्ता को हूबहू मानता हूं। यह अकेली आपकी ही चिन्ता नहीं, पूरे शहर कि, बल्कि पूरे राज्य के उन लोगों की चिन्ता है, जो कानून-सम्मत करना चाहते हैं, जो नियम और कायदे के अनुसार अपना भवन निर्माण करना चाहते हैं।

राठौड़ साहब, आप यह बताओ कि अगर शहर में अतिक्रमण हो रहे हों.... (व्यवधान) मुझे बोल लेने दो आप। अगर शहर में अतिक्रमण हो रहे हों तो क्या सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रहे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बताइये न आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे बोल लेने दो। आपने तीन बातें मेरे मुतलिक कहीं। पहली बात तो मैं आपसे बड़ी शालीनता से निवेदन करना चाहता हूं मजाक मत करवाओ, जब आप कभी मेरे लिये बोलते हो तो लोग यह समझते हैं कि मिलीभगत है। सब यही कहते हैं।

इसलिए क्यों बोलते हो आप मेरे खिलाफ ख्वाहमख्वाह में। मैं पिछले पांच साल में आपके खिलाफ कभी बोला ही नहीं। एक बात यह थी। आपने पहली बात कही कि अतिक्रमणों को तोड़ने में और अतिक्रमणों को तोड़े जाने से रुकावट में मैं शामिल हूं।

मैं आपको मेरी तरफ से चेलेन्ज करता हूं अगर आप एक पर्ची हरी या लाल या किसी कागज पर यह लिखा हुआ बता दो या किसी पत्रावली पर लिखा हुआ बता दो कि अतिक्रमण तोड़ने वाला दस्ता वापस आ जाए।

जैसा आपने कहा था, सही वह बता रहा हूं जो आपने कहा था अतिक्रमण को हटाने वाला दस्ता तुरंत वापस आ जावे, तोड़-फोड़ बन्द कर दे। अगर आप अभी बता दो तो अभी इस्तीफा दूंगा यहां। अभी इस्तीफा दूंगा। (व्यवधान)

(13.00 बजे)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखिये, फिर चार बजे कौनसे कागज पर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंहजी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे कम्प्लीट कर लेने दो ।

आपने कहा था कि छोटी-सी पर्ची पर लिखा । छोटी–सी पर्ची को छोड़ कर आप इतनी बड़ी फाइल बता दो । एक इतना-सा कागज बता दो चाहे इतनी मोटी फाइल बता दो, अगर पिछले 9 महीने में हमने एक आर्डर इस तरह का दिया हो कि फलां आदमी का अतिक्रमण तोड़ने जाने वाला दस्ता वापस आ जाय, तो मैं इस्तीफा देने के लिए पुनः पेशकश करता हूं ।

श्री रामस्वरूप : नहीं तो आप इस्तीफा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने यह भी कहा कि मैंने पत्रावली पर अवैध लिखा कि यह निर्माण अवैध है, ऐसी पत्रावली भी अगर आप यहां पर रख दो तो भी मैं इस्तीफा दूंगा । (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : बड़ी दयनीय स्थिति है । राजेन्द्र जी, इससे बड़ी दयनीय स्थिति हो नहीं सकती । बड़े कांफिडेंस से बात कहते हैं अपन; और जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं । आप अपने आप कांच में देखो, खाली आरोप लगाने से कुछ नहीं होता ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बीच में कौन हैं ?

श्री सी. पी. जोशी : काहे का, बीच में कौन होता है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है ?

श्री सी. पी. जोशी : हरेक पर आरोप लगा देते हो, यह क्या लगा रखा है ? (व्यवधान) काहे का मतलब है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह पंचायती राज है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर । (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : ठेका ले रखा है क्या आपने ? ईमानदारी का ठेका ले रखा है क्या आपने ? हरेक पर आरोप लगा देते हैं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है ? यह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं न । क्या मतलब है आप का ? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : किसी पर भी आरोप लगा देते हो । (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (स.उप मुख्य सचेतक) : राजेन्द्रजी, अगर आज आने से

(श्री महेश जोशी)

पहले दैनिक समाचार पत्र देखते तो उसमें फोटो छपा हुआ है कि अतिक्रमण तोड़ने के लिए जो दस्ता गया उसको रोकने का प्रयास कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद कर रहा है। श्याम खण्डेलवाल का फोटो छपा है आज के अखबार में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह रहा अखबार। (व्यवधान) और चार बजे अचानक तोड़ फोड़ रुकती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी सरकार परिवर्तन के बाद पुरानी बस्ती में माननीय पूर्व मंत्रीजी, जिन्होंने अतिक्रमण.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। चर्चा समाप्त हुई।

श्री राजेन्द्र पारीक : उस दिन उस अतिक्रमण दस्ते को हटाने जा रहे थे तब आपने उसको रुकवाया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं चर्चा समाप्त कर दूंगा।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगायें तो कुछ नहीं..(व्यवधान) और दूसरा जवाब नहीं दे, यह थोड़ी हो सकता है। क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष : तो वो जवाब दे रहे हैं न। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं न।

श्री सी. पी. जोशी : आरोप लगायें तो सुनें। (व्यवधान) जोर-जोर से बोल कर, पांच-पांच आदमी आरोप लगा लें और खुद सुनने की स्थिति में नहीं हों।

श्री उपाध्यक्ष : वो रिप्लाई दे रहे हैं न।

श्री सी. पी. जोशी : यह बात लोकतंत्र में जानी चाहिए। इस तरह के आरोप लगा कर लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जोशीजी, आप पंचायती क्यों कर रहे हो ?

श्री सी. पी. जोशी : पांच-पांच आदमी खड़े हो कर आरोप लगाते हैं, यह क्या बात हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : वो जवाब दे रहे हैं न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह हमेशा हल्ला गुल्ला मचाते हैं। एक दिन पूरा एक घंटा इनको दीजिये कि खाली हल्ला-गुल्ला कर के और सदन में यह अपना वातावरण बनायेंगे ताकि आये दिन का काम तो कम से कम शांतिपूर्वक चले।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जिस अतिक्रमण को तोड़े जाने पर विपक्षी सदस्य उत्तेजित हैं उस अतिक्रमण बाबत मैं दो-चार लाइन बोलना चाहता हूं।

यह अतिक्रमण एक सेठ रामगोपाल सर्राफ का है। इस रामगोपाल सर्राफ को 12 नोटिसेज इश्यू किये गये निर्माण कार्य रोकने के। यह कांग्रेस सरकार ने नहीं किये भंवरलाल जी शर्मा की सरकार ने किये और आप कहें तो उनकी एक-एक की तारीखें बता सकता हूं। जिस अतिक्रमण को कल तोड़ा गया वह नम्बर एक-एग्रीकल्चर लैंड पर है, कामर्शियल हेतु उसने कन्वर्जन जमा नहीं करवाया, नक्शे उसने पास नहीं करवाये; जीरो सैट-बैक में बन रहा है, बाईलाज को तोड़-मरोड़ कर बनाया जा रहा है, निर्माण कार्य अभी भी चालू है तो क्या सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं कह रहा हूं कि अतिक्रमण तोड़ा, बहुत अच्छा किया। सारा अवैध था, पर आपने अचानक रोक क्यों दिया? मेरा तो सवाल यह है, आप टिल्ट मत करो इसको। आपने रोक क्यों दिया?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : काम पूरा किया है फिर रोका है। अगर मैंने रोका है तो मैं फिर चेतावनी देता हूं और फिर चैलेंज करता हूं कि आप सबूत पेश कर दो, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।

श्री रामस्वरूप : दो इस्तीफा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, चार बजे आपने निर्देश दिये थे और तोड़-फोड़ रुकी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह हरी पर्ची, काली पर्ची दिखाओ यहां।

एक माननीय सदस्य : अब आप समय मांगना सदन से। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं। बीकानेर में नोखा तहसील में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिजनस बिजनस के तरीके से चल रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : पहले उसका फैसला तो होने दीजिये, यह तो नेस्तनाबूद हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निहाल चन्द।

रायसिंह नगर पंचायत समिति के गांव की आबादी के बीच से नहर के खाले निकालना

श्री निहाल चन्द (रायसिंह नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दो मिनट बोलने का मौका दिया है। गंगानगर के लोगों का प्यार और स्नेह मुझे मिला है, शायद आखरी बार मैं विधान सभा में बोल रहा हूं। आपने मुझे जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(श्री निहाल चन्द)

उपाध्यक्ष महोदय, रायसिंह नगर पंचायत समिति के ग्राम के-67 आर. डी., गांव है उसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने नहर के खाले निकालने के लिए 20 तारीख को एक आदेश कर के 21 तारीख को प्रशासन को साथ लेकर उस गांव की आबादी के बीचों बीच खाला निकाल दिया।

मेरा निवेदन है कि क्या सिंचाई विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार ने कोई ऐसा निर्देश दिया है कि गांव की आबादी के बीच में से किसी प्रकार का कोई खाला निकाला जाय ? बगैर विकास अधिकारी के, बगैर पंचायती राज अधिनियम को, भारतीय संविधान के अधिनियम 1954 के प्रावधानों के तहत, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के अधिनियम के तहत, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति के पास ऐसा अधिकार है कि गांव की आबादी के बीच में से कोई खाला नहीं निकाल सके।

उन्होंने स्टे भी जारी किया था। लेकिन गांव का सरपंच और कुछ असामाजिक तत्वों ने आपस में मिल कर के गांव की आबादी के बीच में से रातों-रात खाला निकाल दिया। अब उस नहर के खाले का पानी पुनः पुल में से हो कर के गुजरेगा। पुल के ऊपर से भी खाला निकाला है। उपाध्यक्ष महोदय, नहर के पुल के ऊपर से, जहां से बसें गुजरती थीं, फकीरवाली हैड के पुल के ऊपर से वह पानी गुजरेगा। उस हैड के पुल के ऊपर एक खाला और तैयार किया है।

मैं आप से निवेदन करूंगा कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी यहां बैठे हैं, सिंचाई मंत्रीजी, कोई ऐसा आश्वासन दिया है क्या, कोई ऐसा निर्देश दिया है ? इस खाले को रोकने के लिए वहां के किसान 21 तारीख से भूख-हड़ताल, आमरण अनशन पर बैठे हैं। 10 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं जिनमें से दो लोगों की हालत बहुत ही गम्भीर बनी हुई है। 7 लोगों ने 22 तारीख को कलक्टर, गंगानगर को आत्मदाह का नोटिस दिया है कि गांव की आबादी के बीच में से अगर खाला निकाला गया, नहर का उसमें पानी छोड़कर गांव की आबादी के बीच में खाला तैयार किया गया तो हम आत्मदाह कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन अब भी मौन है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा और मैं आप से विशेष आग्रह करूंगा कि सरकार को यह आदेश फरमाएं कि जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को यह निर्देश दें कि गांव के किसानों के बीच में बैठ कर के इस समस्या का समाधान हो।

इसके लिए मैं सिंचाई मंत्रीजी से वक्तव्य चाहूंगा कि क्या आपने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ऐसा निर्देश दिया है जो गांव की आबादी में से खाले निकालने का कोई अधिकार दें ? ऐसा अधिकार दिया है ? ऐसा मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से वक्तव्य चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कल पर्ची दे देना, आपको बोलने दूंगा ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं यहां उपस्थित नहीं रहूंगा ।

नोखा (बीकानेर) तहसील के गांवों में अपर्याप्त विद्युत सप्लाई

श्री उपाध्यक्ष : फरवरी में दे देना, फरवरी में वापस सत्र होगा ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : एक मिनट, मैं अपनी बात कह देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मसला है ।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में नोखा तहसील में पांच गांवों में विद्युत आपूर्ति में बहुत ज्यादा कमी आ रही थी । वहां कृषि कुएं लगे हुए थे । गजरूपदेसर में 33 के.वी. का सब-स्टेशन स्थापित किया है । इसके बाद में 11 तारीख को गजरूपदेसर के लोगों ने सोवा और किरतासर के बीच में पूरे एक पोल के कंडक्टर सारे तोड़ कर ले गये । उसका मुकदमा दर्ज हुआ । आपस में तनाव पैदा हुआ । पुलिस और आर.ए.सी. की व्यवस्था हुई, पुनः उसमें विद्युत प्रवाह चालू किया गया । आर. ए. सी और पुलिस के जाने के बाद गजरूपदेसर वालों ने फिर वह विद्युत आपूर्ति बंद कर दी, फिर वह तार काट दिये गये ।

इस प्रकार दो बार तो फाल्ट लाकर कंडक्टर्स ही गायब कर दिये गये । वहां आपस में इतना ज्यादा तनाव है, 11 तारीख से सोवा और किरतासर के कृषि कुओं को विद्युत प्रवाह जारी नहीं हो रहा है, वहां सारी फसलें बरबाद हो रही हैं ।

आज बीकानेर के अंदर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन है । गांव वाले आपस में कभी भी झगड़ सकते हैं । वहां कोई भी मर सकता है । यह एक बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है, इस पर तुरंत गौर नहीं किया गया तो यह विकराल रूप धारण कर लेगा । इसमें सिर्फ एक गांव का सवाल नहीं है, यह सारा वातावरण बन रहा है जो यह पूरा ही शासन के विरुद्ध जायेगा और किसानों के विरुद्ध जायेगा ।

एक गांव में इस प्रकार से यह वारदात हुई है । जगह-जगह लोग कानून हाथ में लेकर विद्युत प्रवाह रोक लेंगे और लोगों में आपस में झगड़ा होगा ।

मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इस गंभीर मसले को ध्यान में रखकर इस पर तुरंत कार्यवाही करे क्योंकि इसके अंदर एक आरोप भी वहां गांव वालों ने जिला प्रशासन के सामने लगवाया । उसकी उन्होंने जांच भी करवायी कि विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों ने गजरूपदेसर गांव के जो कृषि कुओं के मालिक थे उन्होंने 80 हजार रुपये चंदा इकट्ठा करके दे दिया है इसलिए अब इन गांवों को पुनः आपूर्ति जारी नहीं की जायेगी और पुनः

(श्री देवीसिंह भाटी)

पूरा विद्युत प्रवाह नहीं मिलेगा। जबकि पूर्व में यह तय था कि सोवा और किरतासर पूर्व में जो योजना बनायी थी उसमें यह शामिल थी। यह आन रिकार्ड है।

यह सर्वे किया गया और स्वीकृति हुई और कनेक्शन कर दिया गया लेकिन आज के दिन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और निश्चित तौर पर कार्यवाही करे और सोवा और किरतासर के लोगों का विद्युत प्रवाह तुरंत चालू किया जाय। धन्यवाद।

श्री ज्ञानचन्द पारख : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने भी दिया है। वह गरीब जनता से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कह दिया न।

श्री ज्ञानचन्द पारख : उपाध्यक्ष महोदय, यह गरीब जनता से जुड़ा हुआ मामला है। चिकित्सा विभाग ने गरीब लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्ड दिये, कहीं भी, एक भी जगह दवाई नहीं मिल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात कह दी न इन्होंने।

श्री ज्ञानचन्द पारख : यह चयनित परिवार के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है। राजस्थान की लाखों गरीब जनता का यह मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : गंभीर है जब ही तो यह बोले हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : जो मरीज भर्ती हैं और जिन को अधिकार पत्र दिया गया है कि निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेंगे, मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, आपने उनको कार्ड दे दिये लेकिन चिकित्सा सुविधा एक को भी उपलब्ध नहीं करायी।

मैं मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि आपकी जो सरकार है पारदर्शी है, गरीबों की सरकार है, उन गरीबों के साथ मजाक नहीं करें और उनको कोई न कोई राहत जल्दी देने के लिए कोई व्यवस्था करें।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : 15 अगस्त के दिन चयनित परिवारों को सरकार द्वारा...(व्यवधान) गारंटी दी है लेकिन अभी तक उनके बारे में सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घण्टे की चर्चा।

श्री ज्ञानचन्द पारख : यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार सुनना नहीं चाहती, (व्यवधान) गरीब की प्राब्लम सुनना नहीं चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घण्टे की चर्चा।

श्री हीरासिंह चौहान : वहां जो है प्राइमरी हैल्थ सेंटर के अन्दर उनके स्वास्थ्य के सम्बन्धी दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बात है।

श्री ज्ञानचन्द पारख : अब वो कार्ड दिये हुए हैं उस कार्ड को लेकर घूम रहे हैं। डाक्टरों को कहते हैं वह डाक्टर मना कर देते हैं दवाइयां नहीं हैं हमारे पास।

आधे घण्टे की चर्चा

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त राशि में कटौती, राज्य की वित्तीय स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य विधान सभा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त राशि में कटौती विषयक् तारांकित प्रश्न संख्या 19(168 वित्त) के उत्तर से जो दिनांक 22 सितम्बर, 1999 को दिया गया था, उत्पन्न मुद्दों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आधे घण्टे की चर्चा है, 1 बज कर 10 मिनट हो गये हैं। उसमें माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया भी बोलेंगे, माननीय मंत्री जी भी उत्तर देंगे उसके बाद कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछने की भी इच्छा जाहिर की है। कृपया समय का ध्यान रखें। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा है, वह राजस्थान के लिए बहुत अहम् मुद्दा है और राजस्थान का सारा भविष्य जो कुछ भी आगे बढ़ने वाला है, वह इस बात पर निर्भर करेगा। मैं समझता हूं कि नयी सरकार ने आते ही पहले दिन से इस बात को कहना शुरू कर दिया कि हम दिवालिया हैं, और पहले दिन से कहा कि हम 23 हजार करोड़ रुपये के कर्जे में हैं।

पिछली बार भी जब बजट सत्र हुआ था तब भी मैंने यह कहा था कि पहले तो इस फिगर को सही करें कि रिजर्व बैंक कहता है कि बीस हजार करोड़ का है, और आपके फिगर कहते हैं कि तेईस हजार करोड़ का है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें ताकि कम से कम यह तीन हजार करोड़ रुपये का मामला है, वह तो स्पष्ट हो जाए।

फिर यह शुरूआत जो आपने की है अपने इस बजट भाषण से, अब राजस्थान क्यों फंसा। इसका मुख्य कारण अगर आप अपने बजट भाषण में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि चालू वर्ष में 974 करोड़ 49 लाख रुपये के घाटे में गत वर्ष 227 करोड़ 34 लाख रुपये के घाटे को जोड़ने पर वर्ष के अन्त में 1201 करोड़ 83 लाख रुपये का समग्र घाटा होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में इस अन्तरिम घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु फिलहाल राज्य सरकार द्वारा कोई उपाय प्रस्तावित नहीं किये जा रहे हैं।

आपने 1201 करोड़ रुपया तो हवा में वैसे ही छोड़ दिया कि इसका भविष्य क्या होगा, यह आएगा कि नहीं आएगा। और आपने कह दिया कि हम केन्द्र सरकार से कोशिश करेंगे कि हमको तीन महीने में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसकी कोई उपलब्धि हो जाएगी। तो आपने शुरूआत ही एक गलत तरीके से प्रारंभ की जो आज दिन तक कभी किसी बजट में नहीं हुआ होगा।

इतने अनुभवी वित्त मंत्री ने जिस प्रकार से अपने बजट भाषण को प्रारम्भ किया, यहीं से गलती प्रारम्भ हो गयी। और यही नहीं, आपने इस बात को बार-बार कहा, हमने कर्जे में डुबो दिया, हमने कर्जे में डुबो दिया।

मैं आपके सामने कुछ फिगर रखना चाहता हूं जो आपके शायद अनुभव में आये होंगे। राजस्थान का यह जो राजस्व घाटा है यह घाटा कोई आज शुरू नहीं हुआ, 1956 से लेकर 1977 तक आप राज में रहे।

21 वर्ष में मुझे एक भी वर्ष ऐसा बता दो जिसमें आपने राजस्व घाटा अपने बजट में नहीं दिखाया। एक दो साल नहीं कह रहा हूं, 21 वर्ष तक आपने बजट रखा।

एक भी वर्ष ऐसा बता दीजिए जिसमें राजस्व घाटा नहीं रहा केवल अगर कोई समय रहा तो वह रहा 1977 से 1980 का और फिर 1980 से लेकर 1984 का ऐसा समय रहा जिसमें राजस्व आय वह राजस्व व्यय से अधिक थी। अर्थात् किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं था और उसके बाद फिर 1984-85 से लेकर यह घाटे का क्रम राजस्व घाटे में जो क्रम है। 1984-85 में 75 करोड़, 1985-86 में 5 करोड़, 1986-87 में 61 करोड़, 1987-88 में 356 करोड़ और 1988-89 में 218 करोड़। यह क्रम चलता रहा। इसके बाद 1990-91 में 168, 48.109 और उसके बाद 1993-94 में 300 करोड़। यह सारा का सारा राजस्व घाटे का एक बजट बनाने का हमारा स्वभाव बन गया उसके कारण से राजस्थान इस संकट में फंसा। और इसकी शुरूआत आपने जिस ढंग से की, लेकिन यह भी मैं मानता हूं, अगर प्रदेश के विकास के लिए आप इसे करें, कोई एतराज की बात नहीं है।

लेकिन थोड़ा आंकड़ों की तुलना करके देखें कि जब आपका 1987-88 में 256 करोड़ रुपये का घाटा जब था तब यह राजस्व घाटा योजना व्यय का 16.3 प्रतिशत था और हमारे 1988–89 में पिछले साल जो आपका था बजट उसमें 9 प्रतिशत या 218 करोड़ रुपये का घाटा था।

यह राजस्व घाटा राजस्व आय का जो प्रतिशत था आपको आंकड़े सुनकर आश्चर्य होगा कि हमने कभी इस बात का विचार नहीं किया कि हम यह जो पेश कर रहे हैं यह क्या पेश कर रहे हैं, 54 प्रतिशत है राजस्व घाटा राजस्व आय का।

उसके बाद जो दूसरे साल 1988-89 में 31 करोड़ हम लोगों ने जो घाटा पेश किया उसके आप कम्परेटिवली आंकड़े देखो, हमने डुबोया कि आपने डुबोया। आपको अपने आप समझ में आएगा कि वास्तव में इसका दोषी कौन है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भा.ज.पा. शासन में 1996-97 में 865 करोड़ रुपये का घाटा था, फिगर में 865 है, लेकिन अपना राजस्व घाटा योजना व्यय का मात्र 11 प्रतिशत था और राजस्व घाटा राजस्व आय का जो प्रतिशत था, वह 24 प्रतिशत था।

इसी तरह से 1997-98 में 495 करोड़ का जो घाटा था लेकिन जो योजना व्यय था वह मात्र पांच प्रतिशत घाटा था और राजस्व घाटा राजस्व आय का 14 प्रतिशत था।

मतलब आपने कभी इन आंकड़ों की तुलना नहीं की कि आखिर बजट का आकार बढ़ा है उसकी तुलना में निश्चित रूप से बढ़ेगा लेकिन प्रतिशत के हिसाब से इस पर आपने कभी विचार नहीं किया।

यह क्या कर्जा लेना हमने शुरू किया पहली बार हिन्दुस्तान में हम ही लोगों ने किया होगा ना कर्जदार बनाने का काम, बाकी तो सारा का सारा हिन्दुस्तान में आपने राज चलाया तो आपने तो कुछ कर्जा लिया ही नहीं। इतने सालों तक रहने के बाद कभी आपने अपने आंकड़ों को देखने की कोशिश की कि हम लोगों ने कितना कर्जा लिया है।

मैं केवल आपको बताता हूं कि जब 1980-81 में सारा कर्जा जो था उस समय 79 करोड़ का था वह 1989-90 में आकर के 437 करोड़ हुआ। केवल दस साल के पीरियड में आपने 440 प्रतिशत कर्जे में बढ़ोतरी की। 440 प्रतिशत प्रति वर्ष का मतलब क्या हुआ, 44 प्रतिशत के रूप से आपने बढ़ाया है। हमने 1991 से 1999 तक 9 साल में कर्जा लिया वह हमने लिया 498 से 2217 करोड़। जो प्रतिशत के हिसाब से 345 प्रतिशत है और अगर इसको प्रतिशत के हिसाब से निकालें 38 प्रतिशत है।

मतलब आपका कर्जे का प्रतिशत ज्यादा। आपका कर्जा दस साल से आपने जिस प्रकार से बढ़ाया है वह आपका ज्यादा और उसके बाद भी अगर आप इस बात को, मैं इस बात को नहीं समझता हूं हिन्दुस्तान में कोई ऐसा राज्य है क्या जो बिना कर्जे के अपना विकास करता है, अपना काम करता है। उसकी तुलना आप करते हो तो केन्द्र में आपकी सरकार रही।

1980-81 में कर्जा था केन्द्र सरकार के ऊपर 59,749 करोड़ का ऋण था और 1989-90 में दो लाख अड़सठ हजार करोड़ रुपये का कर्जा केन्द्र सरकार पर था। क्या इस कर्जे के कारण से आप दिवालिया अपने आप को घोषित करोगे? दिवालिया घोषित करके कभी किसी राज्य का किसी प्रकार से विकास हो सकेगा और यही नहीं एक तरह से आपने धोखा देकर के कोशिश की है।

यह सन्डे आब्जर्वर, इसे अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि आपने 900 करोड़ रुपया जो नैट बोरोइंग किया उसको आपने रेवेन्यू रिसीट में दिखाया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह आज दिन तक कभी किसी ने किया नहीं होगा।

ऐसा कोई कलाकार वित्त मंत्री पैदा नहीं हुआ होगा जो इस प्रकार से आंकड़ों की हेराफेरी करके सारे सदन को गुमराह करे। इन बातों को अगर आपने देखा हो और इसके कारण से आपकी मजबूरी पैदा हो गयी और उस मजबूरी से आप लोगों ने यह मन बनाया हो कि हमको केन्द्र सरकार से जाकर रिक्वेस्ट करनी चाहिए। केन्द्र सरकार हमको सहायता देगी।

मुझे बहुत अफसोस है यह कहते हुए कि इतना अनुभवी वित्त मंत्री होते हुए भी यह सदन चल रहा था, 16 अप्रेल को मैंने सदन को इस बात की जानकारी भी दी और बिना जानकारी के आपने अपने वित्त सचिव को भेज दिया कि जाकर केन्द्र से समझौता कर आओ। और वह जो केन्द्र से समझौता करके आये हैं, उसने राजस्थान को हमेशा हमेशा के लिए गारत में डाल दिया।

अगर आपने इस समझौते के अनुसार काम करने की कोशिश की तो राजस्थान कभी उठ ही नहीं सकेगा और राजस्थान की गरीब जनता इस पैसे का पेमेंट कभी मरे ही नहीं कर सकती उसको बेच देना भले ही।

अगर आप कुछ करना ही चाहो तो मैं समझता हूं इस समझौते के अनुसार आपने जो अनुबन्ध किया और उस अनुबन्ध पर ज्वाइंट सेक्रेटरी केन्द्र ने और आपके वित्त सचिव दोनों ने दस्तखत किये, और इस दस्तखत को आपने 4 तारीख को अपनी केबीनेट में एप्रूव किया, और 12 मई के दिन आपने आदेश जारी कर दिये इनके अनुसार, कि इनकी पालना शुरू हो जाए। यह आपके आदेश हैं।

मतलब आपने उसको स्वीकार किया। और उसके तहत क्या है कि हम पांच वर्ष में प्रति वर्ष 680 करोड़ रुपया जनता से अतिरिक्त कर कमायेंगे। 680 करोड़ रुपया।

इसका मतलब यह हुआ कि 34 सौ करोड़ रुपया राजस्थान की जनता से आज टैक्स का वसूल करेंगे। यह एग्रीमेंट में आप लिख करके आये हैं। यह कोई मेरे द्वारा दिया हुआ नहीं है। आपके द्वारा दिया हुआ जो है वह है।

यही नहीं आपने कहा कि बिजली की दरों को हम बढ़ायेंगे, कितना बढ़ायेंगे एक साल में 3 सौ 70 करोड़ रुपये हम बिजली पर अतिरिक्त भार लगा कर इस गरीब जनता के कपड़े खोलने का काम करेंगे। इसको कहीं आपने कैलकुलेट किया कि यह 5 साल में 1850 करोड़ रुपये हो जायेंगे। क्या राजस्थान का किसान इतना लखपति है कि वह उसे दे सकेगा। उसकी देने की क्षमता है?

यही नहीं, आपने आगे और कहा है कि हम प्रति वर्ष जितने राज्य कर्मचारी हैं, इनके पदों को कम करेंगे, प्रति वर्ष 3

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्या आज दिन तक कभी कोई भी सेवा-निवृत्त हुआ उसका पेमेंट एक तारीख में हुआ अप्रैल में, या 31 तारीख में हुआ आपने उसका 31 तारीख में दिखाने की कोशिश की। मतलब आपने आंकड़ों के मायाजाल में फंसा करके अपने पैर स्वयं काटे हैं किसी दूसरे ने नहीं काटे। उसके कारण से वातावरण ऐसा बन गया अब कुछ हो ही नहीं सकता। जिससे पूछें कि पैसा ही नहीं, जिससे पूछें विकास का काम यह भी संभव नहीं है।

मतलब यह सारा ऐसा तो नहीं है कि हम सब लोग जिस दिन गये थे उस दिन सारा खजाना जेबों में भरकर ले गये थे। और जेब में भर कर ले गये थे तो आप तो सरकार चलाते हो, हमको फांसी पर लटका दो। अगर कोई पैसा घर ले गये हों और बेईमानी की हो तो आपके पास सरकार है। बहुमत है, भारी बहुमत है। आप चाहो तो उनको चौराहे पर खड़े करके फांसी लगा सकते हो फिर घबराने की क्या बात है।

हमने राजस्थान के विकास के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की सातवीं पंचवर्षीय योजना थी केवल 3 हजार करोड़ की तब कर्जा कितना साढ़े 6 हजार करोड़। दुगुना से भी ज्यादा। हमने नवीं पंचवर्षीय योजना 27 हजार 6 सौ करोड़ की बनाई और हमारा कर्जा आप 23 कहते हो और रिजर्व बैंक 20 हजार करोड़ कहता है यह कितना प्रतिशत है यह 70 के लगभग बैठता है। यानि आपका कर्जा लगभग 225 प्रतिशत बढ़ा हुआ और हमारा कर्जा छोटा लेकिन कर्जा–कर्जा कह करके आप राजस्थान का भला नहीं कर रहे हो।

आज आप बता दें कि जब से सरकार आपके पास है आपने सरकार ली, आपने कितना कर्जा ले लिया। मैं आपको बताता हूं। आप लगभग 7 हजार करोड़ रुपया कर्जा ले चुके हैं। और इस 7 हजार करोड़ रुपया में गांव में चले जाइये। अब गांव का आदमी कहता है कि विकास बंद हो गया यह बंद हो गया क्यों। सरकार के पास पैसा नहीं।

मतलब आपने सारा माहौल जो बना था राजस्थान का विकास की दौड़ में आगे बढ़ाने के लिए केवल हमको गाली देने के कारण आपका मन खुश होता था कि हमको गाली ठोको। लेकिन हमको गाली ठोकने से आप स्वयं +++ स्वयं अपने आपको, आपने और राजस्थान को बिलकुल रसातल में डाल दिया इसका कोई उपाय निकालिये।

आप केन्द्र सरकार को गाली देकर के अपने +++ से नहीं बच सकते हैं। केन्द्र सरकार के पास हम मांगते नहीं हैं, मांगते हैं। जितना भी देते हैं एडवांस, आपने सारे बच्चों को कहा

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हम 58 साल की उम्र करेंगे। आपने 58 साल की उम्र कर दी और रिटायरमेंट करके आपने 12 सौ करोड़ रुपये का वजन अपने माथे बिना बात के ओढ़ लिया। और उसके बाद भी उस नौजवान को नौकरी दे देते ना तब भी समझ में आता कि 12 सौ करोड़ का दीवाला इसलिए ओढ़ा कि आप उस नौजवान को नौकरी देना चाहते हो। लेकिन एक बच्चे को भी नौकरी नहीं देकर के राजस्थान जो ठीक ठाक चल रहा था, उस के कारण से 12 सौ करोड़ रुपया आपने अपने एक वायदे को पूरा करने की हठधर्मी के पीछे राजस्थान को आपने विकास की दृष्टि से सबसे पीछे छोड़ दिया।

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं इस समस्या से निकलने के लिए आप निश्चित रूप से, यह केवल इधर पत्थर फैंकने या उधर पत्थर फैंकने से काम नहीं चलेगा। यह कोई पार्टी का विषय नहीं है। यह विषय है राजस्थान के भविष्य का और राजस्थान के विकास का और राजस्थान का विकास करने के लिए यदि हमें कर्जा लेकर के भी करना पड़ेगा तो हमें करना पड़ेगा। जो काम चल रहा है उसको हम रोक नहीं सकते। जो चीज हमने कर ली, राज्य कर्मचारियों को आपने 9–18–27 का दिया उसके बाद 5वां वेतन आयोग। क्या ना कर सकते हो ? समझौता आपने किया।

आपने कहा कि केन्द्र सरकार जो भी वेतन आयोग के द्वारा फैसला होगा उसको राज्य सरकार मानेगी। इस पर तो आपके ही दस्तखत है। चन्दन मलजी, मैं यह समझता था कि आप इतने अनुभवी वित्त मंत्री हैं, लेकिन यहां तो यह लगता है कि यह सब लोग आपको फेल करना चाहते हैं। आप हठधर्मी के आधार पर जो बात कहते हैं ना उसके आधार पर इनको लगती नहीं है या फिर आपका और मुख्य मंत्रीजी का कोई मेलमिलाप नहीं है। बाकी इस संकट के समय में जो भी है, जैसा है इस संकट में से निकलने का प्रयास हम करेंगे तो निश्चित रूप से होगा।

मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इस विकट समस्या में पत्थर फैंकने से काम नहीं चलेगा। इसका रास्ता निकालने से काम चलेगा कि हम किस रास्ते से निकलें। इस आर्थिक संकट से बचाकर राजस्थान के विकास को आगे बढ़ा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी।

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य के वक्तव्य को सुना।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर प्लीज।

श्री चन्दन मल बैद : मुझे बड़ी खुशी है कि वह फाइनेन्स जैसे शुष्क विषय में दखल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी शुभ-कामना उनके साथ है और मैं चाहता हूं कि वह सफल हो। लेकिन जो आंकड़े आप इधर-उधर से घुमा करके पेश करना चाहते

(श्री चन्दन मल बैद)

लुक ही कर देंगे, जब मुझे तो इसका इंतजाम करने की सुध ही नहीं थी।

इस वास्ते मैंने उसका इंतजाम नहीं किया और उसके बाद एन.डी.सी. की सब कमेटी बैठी। एन.डी.सी. की सब कमेटी में हमारे मुख्य मंत्रीजी भी थे। उन्होंने यह तय किया कि तीन आदमियों की एक कमेटी बनायी जाएगी प्लानिंग सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में। उसमें एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, भारत सरकार और फाइनेंस सेक्रेटरी कन्सर्न्ड स्टेट के यह आदमी दूसरे अफसरों के साथ बैठेंगे और 8 हफ्ते के अन्दर यह तय करेंगे कि जो चीजें हमको जिस स्टेट्स के लिये करनी हैं, जिनकी आर्थिक, वित्तीय स्थिति खराब है, उसका यह फैसला करेंगे। यह 20 मार्च की हुई है मीटिंग।

20 मार्च को यह फैसला हुआ और यह भी तय किया गया कि अर्जेन्ट तौर पर अंतरिम सहायता जिन स्टेट्स की स्थिति खराब है, उसको दी जाएगी। उसी अंतरिम सहायता के तहत हमको एक हजार दस करोड़ रुपये मिले। इसमें यह लिखा हुआ है, उस अंतरिम सहायता के कल जो कागजात लहरा रहे थे। उस लहराने वाले कागज में यह लिखा है। कल अंग्रेजी में मैंने पढ़ा तो आप लोगों ने कहा कि यह अंग्रेजी का मतलब क्या है। उसका मतलब बताता हूं। लहरा रहे कागज में क्या लिखा उन्होंने।

यद्यपि इस अंतरिम सहायता राशि और सुधारों पर यहां चर्चा की गयी है। फिर भी चालू वित्तीय वर्ष में नकदी की कमी से यथेष्ट रूप से निपटने के लिये इस सहायता राशि का पुनर्भुगतान मध्यावधि में करने की व्यवस्था की दृष्टि से सहायता राशि और सुधारों का पुनर्भुगतान करने के लिये और विचार-विमर्श किया जाएगा। जो रिफार्म्स हमसे मांगे गये थे, कहे गये थे, उनका भी पुनरावलोकन किया जाएगा और हमको जो सहायता राशि दी गयी थी उसको मध्यम अवधि में कन्वर्ट करने का विचार किया जाएगा। 8 हफ्तों में किया जाएगा।

मध्यावधि का मतलब है 5 से 7 साल। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं क्योंकि, आपके फाइनेंस के एक्सपर्ट बोलने वाले हैं। तो समझना चाहिये आपको और शुरू कर देना चाहिये। मध्यावधि का मतलब है 5 से 7 साल। तो अब मुझे यह बताइये आप कि जब 8 हफ्ता में यह फैसला होना था और 8 हफ्ते खतम होते हैं 15 मई को, और हमसे यह कहा गया था कि 15 मई से ही यह काम आप करेंगे। इसके बारे में फिर बात करूंगा मैं। 15 मई से यह काम शुरू करेंगे और हम यह समझ रहे थे कि 15 मई तक यह फैसला हो जाएगा कि यह हमारा मध्यावधि ऋण में चला जाएगा, नम्बर एक।

नम्बर दो, जो हमसे सुधार करने की बातें कही गयी हैं उनका टाइम टेबल भी चेंज कर दिया जाएगा। हमने कोई गलती नहीं की। और यदि कोई गलती की है, यह गलती अगर मेरी है तो यशवंत सिन्हा

(श्री चन्दन मल बैद)

को भी है। अटल बिहारी वाजपेयी को भी है जिन्होंने सारे मुख्य मंत्रियों के बीच में यह बातें कही हैं। इसका रिकार्ड है।

आप रिकार्ड देख सकते हैं। मैं रिकार्ड आपको दिखा सकता हूं। सब कमेटी की रिपोर्ट का रिकार्ड मेरे पास है। एन.डी.सी की रिपोर्ट का रिकार्ड मेरे पास है। इसमें साफ लिखी हुई है यह बातें जो मैं कह रहा हूं। यह तो रिकार्ड की बातें हैं। उसमें तो कोई छिपी हुई बातें नहीं हैं।

इसके बाद तो मेरा रास्ता साफ था। मैं समझता था कि यह हो जायेगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, 15 मई के पहले ही एक मई को हमारा पैसा काट लिया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भैरोंसिंह जी पहुंच गये थे।

श्री चन्दन मल बैद : ठहरिये, मेरी बात सुनिये। मैं यह नहीं कहता। मैं कुछ नहीं कहता। नहीं, आप मत कहिये। मैं कुछ नहीं कहता हूं इस बात पर। हम यह समझते थे कि 8 सप्ताह में कोई न कोई फैसला होगा। 8 सप्ताह में फैसला तो हुआ नहीं, वह कमेटी जो बनने वाली थी वह 15 सप्ताह के बाद बनी 5 जुलाई को। उसकी बैठक आज तक नहीं हुई। अब यह भी मेरा कसूर है।

वह कमेटी नहीं बनना मेरा कसूर क्योंकि कमेटी मैं बनाने वाला था ना और कमेटी की मीटिंग नहीं हुई यह भी मेरा कसूर। अब कसूर तो सारा मेरा ही है क्योंकि सजा तो मैं ही भुगत रहा हूं, दूसरा थोड़े ही भुगत रहा है कोई। तो यह स्थिति हुई।

अब आप एम.ओ.यू. की शर्तों के विषय में कह रहे हैं माननीय सदस्य, एम.ओ.यू. की वही शर्तें हैं जो या तो आपकी सरकार ने मंजूर की थी या नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग ने मंजूर की हैं जिसकी सदारत अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं, या 25 मार्च को मैंने अपने बजट भाषण में की थी। उसके अलावा कोई शर्त हमने नहीं मानी। सुन लीजिये आप।

आप नाराज क्यों हो रहे हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं, आप बात मेरी सुन लीजिये। आपकी बात को मैंने शांति से सुना है। बीच में खड़ा भी नहीं हुआ, बोला भी नहीं। आपने कई कटाक्ष मेरे ऊपर किये लेकिन मैं तो नहीं बोला, आपकी सारी बातें मैंने शांति से सुनी। आप सुन लीजिये मेरी बात भी। अब यह सुधार क्या-क्या हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पढ़कर ही सुना दें।

श्री चन्दन मल बैद : हां, जरूर सुनाऊंगा। नहरी क्षेत्र में विकसित भूमि का शीघ्र आवंटन करना, इससे लगभग 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का अनुमान लगाया गया। यह तो मैंने बजट भाषण में कह दिया था।

कृषि भूमि को रूपांतरित करके अकृषि

(श्री चन्दन मल बैद)

कार्यों में उपयोग में लाने के लिए नियमों का सरलीकरण करना; इस प्रक्रिया को जल्दी पूरी करना और इससे 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय की संभावना व्यक्त की गयी। यह भी मैंने बजट भाषण में कह दिया था। सिचाई दरों में वृद्धि करना, इससे 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का, यह भी मैंने 26 मार्च को ही कह दिया था।

ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार, एन.डी.सी. की 19 फरवरी की मीटिंग में जो सारे चीफ मिनिस्टर मौजूद थे उसमें जब ऊर्जा सुधार के लिये कमेटी बनायी गयी थी उस कमेटी को सर्वसम्मति से मंजूर किया गया था।

उसमें कहा था कि रेगुलेटरी कमीशन बनाया जायेगा। रेगुलेटरी कमीशन बना रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपने यह वादा कर दिया कि 370 करोड़ रुपये का आप टैरिफ बढ़ायेंगे।

मैं पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य आप मंत्रिमंडल के सदस्य थे, 1994 में आपने टैरिफ बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? 1995 में आपने टैरिफ बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? 1996 में आपने टैरिफ बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? 1997 में आपने टैरिफ बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? मेरी बात सुनिये आप। परेशान क्यों हो रहे हैं? आपने 1998 में नहीं बढ़ाया और हम भी नहीं बढ़ाते।

आपकी जगह होते तो हम भी 1998 में टैरिफ नहीं बढ़ाते क्योंकि विधान सभा के चुनाव भी थे और लोकसभा के चुनाव भी थे। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बढ़ाती। न बी.जे.पी. बढ़ाती न कांग्रेस बढ़ाती। सही बात है इसमें क्या बात है? राजनीतिक पार्टियां हैं राजनीतिक तरीके से बात करेंगी, इसमें क्या बात है?

छिपाने की क्या बात है? मैं आपके सामने क्यों छिपाऊं? आप और हम तो एक ही उद्देश्य से यहां आये हैं। आपको और हमको तो जनता ने एक ही उद्देश्य से यहां भेजा है फिर छिपाने की क्या बात है? मेरे सामने तो छिपाने की चीज ही नहीं है। मेरी जिन्दगी में छिपाने की कोई चीज नहीं है।

अब आपने 1994, 1995, 1996, 1997 सबमें विद्युत दरें बढ़ायी यह तो सतत् प्रक्रिया है। विद्युत दरें हमेशा बढ़ती रहती हैं। अगर उसका उत्पादन का खर्चा बढ़ेगा, कामर्शियल अंडरटेकिंग है, उत्पादन का खर्चा उसका बढ़ेगा तो खर्च करने वाले को उसके दाम भी देने पड़ेंगे।

यह दूसरी बात है कि उसको सब्सि–डाइज आप कर दें। किसी से ज्यादा पैसे ले लीजिये किसी से कम ले लीजिये। यह तो बिजली बोर्ड कर सकता है, बिजली मंत्री कर सकते हैं। सरकार कर सकती है, करती रही है, करेगी और आगे भी करेगी। इसमें क्या दिक्कत की बात है।

(श्री चन्दन मल बैद)

अगर हम रेट बढ़ायेंगे और हमको यह समझ में आये कि किसान को हमें सस्ते भाव में बिजली देनी है, पिछले दफे भी दी है। आपने भी दी है हम भी देंगे। इसमें परेशानी की क्या बात है।

अब आप कह रहे हैं कि शून्य आधारित बजट प्रणाली के अनुसार; शून्य आधारित बजट प्रणाली किसने शुरू की थी? माथुर जी ने शुरू की थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपको तो नहीं करनी चाहिये।

श्री चन्दन मल बैद : नहीं, क्यों नहीं करें। आपके माथुर जी करें वह तो ठीक है और चन्दन मल जी करें वह अनुभवहीन हैं.. (व्यवधान) आप दूसरा बोल रहे हैं.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आपके समझ के बाहर की बात है।

श्री चन्दन मल बैद : एक जनवरी, 1999 को देय महंगाई भत्ते की किस्त को बकाया राशि में जमा कराना, करा दिया। इसमें क्या बात हुई? कोई बुरी बात हुई क्या? अब आप साढ़े 600 करोड़ रुपये के टैक्स की बात कर रहे हैं।

माननीय सदस्य चीज को तोड़िये-मरोड़िये मत। साढ़े 600 करोड़ का टैक्स तो मैंने 26 मार्च को ही लगा दिया था। यह एम.ओ.यू. तो 16 अप्रेल को किया है। टैक्स तो मैंने 26 मार्च को ही लगा दिया था क्योंकि 3300 करोड़ रुपये का मुझे घाटा पूरा करना है।

साढ़े 600 करोड़ का टैक्स मैंने लगा दिया वह 5 साल में 3300 करोड़ रुपये हो जायेगा और टैक्स लगाने की मुझे जरूरत क्या है? आप मुझे बार-बार घुमाकर के कह रहे हैं कि 600 अब लगाये हैं, 600 अगले साल लगायेंगे; 700 अगले साल लगायेंगे, कोई जरूरत नहीं है।

उनके कहने का मतलब ही यह था कि 688 करोड़ रुपये का टैक्स बराबर 5 साल तक लगा रहना चाहिये जिससे 3300 करोड़ रुपये का जो रेवेन्यू डेफिसिट आपका है वह रेवेन्यू डेफिसिट पूरा हो जायेगा। मैंने तो उनसे एम. ओ. यू. करने से पहले ही लगा दिया। अब आगे मुझे लगाने की जरूरत क्या है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : व्यवसाय कर लगाया था।

श्री चन्दन मल बैद : वह साढ़े 700 करोड़ का लगाया था सो 100 करोड़ वापस लिया है तो साढ़े 600 करोड़ तो रह गया था। वह साढ़े 600 पहले साल जो हुए हैं आखिरी साल में जाकर साढ़े 700 करोड़ होगा।

मैं समझता हूं इस बात को। अब और है सरकारी वाहनों में मितव्ययता बरतना और विदेश यात्रा पर रोक लगाना। क्या बुरी बात की? लोक ऋण व राहत प्रति-भूतियों के लिए एक सीमाएं निर्धारित

(श्री चन्दन मल बैद)

करना रिजर्व बैंक का आर्डर है कि आप जो सरकारी ऋण लेते हैं और जो गारंटी देते हैं, उन पर आपको रोक लगानी पड़ेगी। उसकी सीमा उन्होंने तय कर दी।

क्योंकि आप कहते हैं ना हमारी तो साख बहुत अच्छी है हमको बहुत ऋण मिल रहा था। रिजर्व बैंक ने कहा इस साख को खतम करो। यह साख अच्छी नहीं है। कर्ज के जाल में हमको फांसा। आपने कर्ज के जाल में फांस दिया इस स्टेट को।

मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप कहेंगे राजनीति कर रहा है यह। मैं आंकड़ों से ही बोलूंगा। मैं बिना आंकड़ों के नहीं बोलता हूं और आंकड़े अगर मैं नहीं जानता हूं तो कोई नहीं जानता है।

इन आंकड़ों के नाम पर मैंने भैरोंसिंह जी शेखावत को बैठा दिया यहां पर। भैरोंसिंह जी शेखावत को मैंने जमीन पर बैठा दिया और उन्होंने कहा कि आगे से मैं आंकड़ों के बारे में आपसे बहस नहीं करूंगा। यह रिकार्ड में लिखा हुआ है।

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्री भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं ?

श्री चन्दन मल बैद : यह रिकार्ड में लिखा हुआ है। जब उन्होंने बजट पेश किया था.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें .. (व्यवधान) आपके समझ की बात ही नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : अलाभकारी राजकीय उपक्रमों को बंद करना। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्री जानते हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री चन्दन मल बैद : अलाभकारी राजकीय उपक्रमों को बंद करना। क्या बुरी बात हुई ? जनता का पैसा नान प्रोफेटिंग काम में लगाना यह अच्छी बात है क्या ? आप और हम 5 करोड़ जनता की भलाई के लिये आये हैं। 6 लाख कर्मचारियों की भलाई के लिये नहीं आये हैं।

अगर आप यह समझते हैं कि 6 लाख कर्मचारियों की भलाई के लिए हम आये हैं तो गलती करते हैं... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कर्मचारियों ने भी वोट दिये हैं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपके माननीय सदस्य बोले हैं। कोई सदस्य नहीं बोला है। आर्डर, आर्डर....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मजदूरों को हक दें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दन मल बैद : हमारा उद्देश्य उन 5 करोड़ जनता के हितों की रक्षा करना है जिन्होंने हमें चुनकर के यहां भेजा है और जिनके वोटों से आज आपको और हमको यह सीटें नसीब हुई हैं।

श्री मदन दिलावर : बेरोजगारों का क्या होगा... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज..(व्यवधान) माननीय दिलावर जी।

श्री चन्दन मल बैद : अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमारी कुल आमदनी कितनी है, 10165 करोड़, 26 लाख, एक मिनट में नहीं है, हमने नहीं घटा दिए, 10165करोड़ 26 लाख रुपए कुल आमदनी है। केन्द्र सरकार से हिस्सा राशि 2253 करोड़ 56 लाख, अनुदान 1662 करोड़ 2 लाख भारत सरकार से, कुल 3915 करोड़ 58 लाख, यह भारत सरकार से हमको मिलता है।

हमारा कर राजस्व है 4691 करोड़ 12 लाख रुपए, गैर कर राजस्व है 1558 करोड़ 56 लाख, कुल हमारी आमदनी हुई 10165 करोड़ 26 लाख, आपको भी इस से ज्यादा नहीं थी, कम ही थी। हमारा खर्चा फिफ्थ पे कमीशन को मंजूर करने के बाद....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : यह आप कब तक का बता रहे हैं ?

श्री चन्दन मल बैद : मैं बताऊंगा, मैं बता रहा हूं इस साल का, इस साल का बता रहा हूं मैं, पिछले साल का बजट नहीं बता रहा हूं; इस साल का बता रहा हूं। वेतन 4748.84 करोड़, मजदूरी 148 करोड़, 32 लाख, कुल हमारा वेतन और मजदूरी में जाता है 4897 करोड़, 16 लाख, पेंशन में जाता है 1534 करोड़, 28 लाख, ब्याज में जाता है, आपकी बड़ी साख थी, आपकी बड़ी साख थी लेकिन ब्याज तो मुझे चुकाना पड़ रहा है।

कर्जा मुझे चुकाना पड़ रहा है, साख तो आपकी थी, कर्जा आपने ले लिया, अब कर्जा आप तो चुकाएंगे नहीं, ब्याज भी आप नहीं चुकाएंगे लेकिन कर्जा और ब्याज तो हमें चुकाना पड़ रहा है। साख तो आपकी थी। (व्यवधान) आप आ जाओ कैसे ? जनता आपको नहीं लाना चाहती है तो मैं कैसे ले आऊंगा आपको ? उसके लिए तो आपको सवा चार साल इन्तजार करना पड़ेगा, आपको फिर भी जनता चाहेगी तो आएंगे, नहीं तो फिर कहां से आ जाएंगे ? ब्याज, 2682 करोड़ 83 लाख, यह ब्याज चुकाना पड़ रहा है।

हमारी टोटल इन्कम जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया से मिलती है और हमारा रेवेन्यू और नोन टैक्स रेवेन्यू, उसका लगभग 25 प्रतिशत हमको ब्याज चुकाना पड़ता है। आपकी साख की यह कीमत राजस्थान को चुकानी पड़ रही है। 526 करोड़ रुपए जो आपने ऋण लिया, उसकी किश्तें चुकानी पड़ रही है, यह अकाउंट

(श्री चन्दन मल बैद)

बिलकुल इस साल के बता रहा हूं, आपको इस विषय में कोई संदेह हो तो प्रिविलेज मोशन मूव कर देना आप।

कुल खर्चा है 9641 करोड़ 7 लाख, मतलब क्या हुआ ? आमदनी से 95 प्रतिशत आपके ये खर्चे हैं, 5 करोड़ जनता के लिए आपके पास केवल 5 प्रतिशत पैसा बचा हुआ है। माफ कीजिए, अभी आपने थोड़े देर पहले कहा था कि ऋण लेना कोई बुरी बात नहीं है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपए का ऋण लिया। लिया कि नहीं लिया ? नहीं लिया तो बताऊं फीगर आपको। 8 हजार करोड़ रुपये का आपने ऋण लिया और आपका राजस्व कितना बढ़ा? बिलकुल नहीं बढ़ा, पर कैपिटा इन्कम कितनी बढ़ी ? घटी।

आपने जो 12 हजार करोड़ रुपए का प्लान बनाया था, उसका फायदा किसको मिला ? आपके 12 हजार करोड़ रुपए से आठवीं पंचवर्षीय योजना का फायदा किसको मिला ? 8 हजार करोड़ रुपए का तो आपने ऋण ले लिया, आपका राजस्व बढ़ा नहीं और पर कैपिटा इन्कम जनता की घट गई, फिर फायदा किसको हुआ ? (व्यवधान) अब मुझे छेड़ रहे हैं, मुझे छेड़कर कुछ कहलवाना चाहते हैं। (व्यवधान) राजकोषीय घाटा इस बात को बताता है कि पर कैपिटा इन्कम कितनी है, राजकोषीय घाटा 1989-90 में 3.68 प्रतिशत था; हमारे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का; 1990-91 में 2 63 प्रतिशत था, 1998-99 में जब आप छोड़कर गए तो राजकोषीय घाटा 9.08 प्रतिशत हो गया।

इसका मतलब कर्जा लेते गए, लेते गए और पिछले साल जब आपने प्लान बनाया, चार हजार और कितने का प्लान बनाया, 1998-99 के लिए संसाधन कितने थे, आपके पास और उसके विरुद्ध 104 प्रतिशत कर्जा लेना पड़ा। जितना प्लान था उसका 104 प्रतिशत कर्जा लेना पड़ा। इन्कार कर दीजिए आप खड़े होकर आपमें यदि हिम्मत हो तो। आप प्लान बना रहे हैं और सारा का सारा प्लान कर्जे पर बनाएं, अगर यही इकानोमिक्स है, यही फाइनेंसेज है तो मैं कहता हूं कि ऐसा फाइनेंस मुझे नहीं करना है, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष :..(व्यवधान) आपको अवसर मिलेगा, आपको अवसर देंगे, आप बोलें, आप पूरा आधा घण्टा बोले हैं You will get an opportunity. Let him finish.

एक माननीय सदस्य : चैलेंज किया है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, चैलेंज किया है तो जवाब दे देना।

श्री राजेन्द्र राठोड़ (चूरू) : मेरे भी हस्ताक्षर हैं इस पर।

श्री उपाध्यक्ष : हां; तो आप बोलेंगे, इनका बोलना खतम होगा तब बोलेंगे।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : कोई जवाब देने वाले नजर नहीं आते, एक थे, जो गायब हो गए यहां से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी, आपने समाप्त कर दिया ?

श्री चन्दन मल बैद : समाप्त करने में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास बहुत मसाला है। आप कहेंगे तो मैं इस पर दो घण्टे बोल दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त तो कर दिया न ?

श्री चन्दन मल बैद : जब आप पूछ रहे हैं तो एक बात और मुझे निवेदन करनी है। आपने कहा है कि हमने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, लोगों को रोजगार नहीं दिया।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने 1998–99 का बजट पेश किया, आपने क्या, आपकी सरकार ने पेश किया तो 9834 पोस्टों को अबोलिश किया, हां, यह रिकार्ड पर है, 9834 पोस्टों को अबोलिश किया, हां, यह रिकार्ड है और दूसरा काम आपने यह किया कि रिटायरमेंट की जो एज थी वह 58 से 60 कर दी।

इसका मतलब जो लोग इन्तजार कर रहे थे, दो साल और इंतजार करें। एम्प्लायमेंट देने का तरीका हुआ आपका और हमने इस साल 8 महीनों में 25 हजार लोगों को एम्प्लायमेंट दिया है।

अब भारत सरकार की आप बड़ी तारीफ कर रहे थे, दसवें वित्त आयोग ने यह कहा कि अल्टरनेट स्कीम यह हो कि भारत सरकार के सारे राजस्व का 29 प्रतिशत स्टेट्स को दे दिया जाए, इसको राष्ट्रीय विकास परिषद् ने मंजूर कर लिया, जिस समय मंजूर किया, उस समय भी उसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसमें आज तक सुधार नहीं किया, संशोधन नहीं किया, उससे राजस्थान को कई सौ करोड़ रुपए का फायदा होता।

(14.00 बजे)

अब एक बात और कहूं मैं आपको। जितने वित्त आयोग बने हैं, सब ने इस बात की सिफारिश की है कि राज्यों का कर्जा और ब्याज, उसे रिशिड्यूल किया जाय। अक्सर कर्जा माफ कर देते हैं, कभी समाप्त भी कर देते हैं और रिशिड्यूल भी कर देते हैं, और ब्याज को तो माफ ही कर देते हैं। दसवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश नहीं की। यह भी एक कठिनाई का सवाल है।

इस वास्ते हम चाहते थे कि 29 प्रतिशत का जो नेशनल डवलपमेंट कौंसिल ने प्रस्ताव पास किया था उसे इम्प्लीमेंट कर देते, उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। लोन और गारंटी को उन्होंने लिमिट कर दिया। आपके समय में तो लिमिट नहीं थी, आज मैं अगर कोई लोन लेना चाहूं तो नहीं ले सकता। और यह खुद लोन तो हमें भारत सरकार से पूछ कर लेना ही पड़ता है, सरोगेट बोरोइंग भी करूं मैं, सरोगेट बोरोइंग का मतलब आप समझना चाहते

(श्री चन्दन मल बैद)

हैं तो समझा दूं मैं, अपने पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग से बोरोइंग कराकर के उस बोरोइंग को मैं ले लूं That is called surrogate borrowings. तो सरोगेट बोरोइंग भी मैं नहीं कर सकता- आज क्यों कि गारण्टी मुझे देनी पड़ती है।

जब मेरी गारण्टी पर और लोन लेने पर बंदिश लग गई और जहां आपने हमको कर्जे के डेट–ट्रेप में डाल दिया, तो हमारे सामने इसके सिवाय कोई सवाल नहीं है कि हमारा जो रेवेन्यू है उसका 95 प्रतिशत हम जब पेंशन, तनख्वाह, ब्याज और कर्जे में देंगे तो जनता के काम के लिए सिवाय इसके कि हम कर्जा और लें, और ब्याज दें, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। इस वास्ते मैं कहता हूं...(व्यवधान) मेरी सुनिये। इस वास्ते माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल कहा था, आधा घण्टे की चर्चा रख लो....

श्री शैलेन्द्र जोशी : +++ वह आपके लिए फिट है।

श्री चन्दन मल बैद : मैं यह कहता हूं कि आप सब लोगों के सुझाव लेने के लिए..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री चन्दन मल बैद : अगले सत्र में एक दिन पूरा इस बात पर हमको देना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। आप भी सुझाव दीजिये, हमारे साथी भी सुझाव देंगे, मैं आप सब लोगों के सुझावों को स्वीकार करूंगा, स्वागत करूंगा। धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिन सवालों को लेकर आधे घण्टे की चर्चा की बात की थी, उन पर चर्चा यहां नहीं करके, मुझे यह लगा कि गलती से वह कागज आप ले आये बजट वाला, जो पिछली बार बजट भाषण में आपने दिया था। उन्हीं आंकड़ों और उसी तैयारी के साथ आपने कह दिया। मुख्य मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 20–3–99 को एन.डी.सी. की बैठक में जब यह निर्णय हुआ था कि उन्हीं राज्यों को अन्तरिम सहायता मिलेगी..

श्री चन्दन मल बैद : 19-2 को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, 19-2 को नहीं, 20-3 की बात कर रहा हूं। 20 मार्च को जो एन.डी.सी. की बैठक हुई।

श्री चन्दन मल बैद : 20-3 को कोई एन.डी.सी. की बैठक हुई ही नहीं। 20-3-98 को कोई मीटिंग नहीं हुई।(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय; मैं आपकी अनुमति से वह कागज पढ़ रहा हूं जिस कागज पर एक तरफ हस्ताक्षर हैं भारत सरकार के संयुक्त सचिव जे.एन. चौबे के और दूसरे हैं आदर्श किशोरजी सक्सेना के।

श्री चन्दन मल बैद : तो यह एन.डी.सी. की बैठक थोड़े हुई; यह तो समझौता पत्र है।

श्री उपाध्यक्ष : यह एन.डी.सी. की मीटिंग नहीं हुई न तो। माननीय सदस्य; करेक्ट करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : These decisions were held....उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने का मौका तो दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने आप को करेक्ट कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, मैं करेक्ट कर लूंगा। अगर तारीख के बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं होगा तो मैं कर लूंगा करेक्ट। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक पैरा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं–

These decisions were held in the context of the decisions taken by the Committee of the National Development Council (NDC) in the meeting held on 30-3-99.... यह कागज आपका दस्तखत किया हुआ है। आप पढ़ लें। मैं समझता हूं कि आपके जितना अनुभव भी नहीं है, आपके जितना ज्ञान भी नहीं है, परंतु कई बार बुद्धि का अजीर्ण भी नहीं होना चाहिए।

मैं निवेदन कर रहा हूं, In that meeting the committee has decided that the medium term fiscal strategy would be drawn by each State for the dealing with the financial, stress it was feeling. अब यह सारा फैसला जिसका मैं निवेदन कर रहा था, 20.3 को, उपाध्यक्ष महोदय; यह तय हुआ था कि जो स्टेट्स जिनका राजस्व घाटा ज्यादा है उनको अंतरिम सहायता दी जाए। पर अंतरिम सहायता देंगे कैसे, उसके लिए शर्त रखी थी कि स्पेशल फिस्कल रिफोर्म्स मेजर जो निर्धारित होंगे उनको पूरा करिये।

अब कई चीजें तो माननीय मंत्रीजी ने कह दी परन्तु कई फैसले जिन पर हस्ताक्षर करके आये हैं उनको बड़े तरीके से छिपा लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिफोर्म्स क्या हैं। इन रिफोर्म्स के बारे में तो बाद में बताऊंगा, पर उपाध्यक्ष महोदय; 16-4-99 को एम.ओ.यू. इसमें दस्तखत करते हैं और 12-5-99 को आदेश जारी करते हैं एक महीने के विलम्ब से, क्योंकि उसी बीच में यह चर्चाएं आनी चालू हो जाती है कि चुनाव नजदीक हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब यह जो फैसले करके आये हैं, राजस्थान के किसान को, बेरोजगारों को, राजस्थान के हितों को जो गिरवी रखा है....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात सब कटारिया साहब कह चुके हैं, आप पाइंटेड क्वेश्चन कोई पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी से कि एम.ओ.यू. में जिन स्टेप्स को आपको लेना था, जब उन स्टेप्स पर आपको फैसला करने में विलम्ब होने लग गया तो क्या यह सही है कि जून के तीसरे सप्ताह में शायद 20 जून या 19 जून हो सकती है, भारत सरकार का एक अध्ययन दल यहां आया है; डाक्टर चौबे, प्रोफेसर तपत सेन और कविता राव के नेतृत्व में, और उसके सामने आप पुनः यह कहते हैं कि जो फैसले हम करके आये हैं उस फैसले को हम शीघ्र क्रियान्वित करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने बड़े जोर-शोर से पिछले एनुअल प्लान की बात कही। वित्त मंत्रीजी, आपने भी कमाल कम नहीं किया। आपकी पिछली बार योजना थी 5022.18 करोड़ और आपने ऋण ले लिया, अभी जो कटारिया जी बता रहे थे, वह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं; परंतु बजट के अन्दर जो आपने ऋण लिया है वह है 5388 करोड़ यानि 366 करोड़ रुपये एनुअल प्लान से ज्यादा। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के इतिहास में पहले आप वित्त मंत्री हैं जिन्होंने यह ऋण लिया। आप तो ऋण आधारित अर्थ व्यवस्था के विरोध में हैं न।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा मुझे कि मैं पाइंटेड सवाल करूं, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप यह करार करके आये या नहीं आये कि 5-5-99 तक आप 370 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कृषि, बिजली की दरों में बढ़ोतरी करेंगे। आप यह करार करके आये या नहीं आये कि आप संस्थागत व्यय में तीन प्रतिशत कमी करेंगे और उसके पहले चरण में आप 31-5-99 तक तो 12000 पद समाप्त करेंगे और 31-3-2000 तक आप21000 पद समाप्त करेंगे ? यह जो फैसले आप करके आये हैं....(व्यवधान) और मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री महेश जोशी (स.उप मुख्य सचेतक) : यह कोई पाइंटेड क्वेश्चन नहीं है, इनसब का जवाब आ चुका राजेन्द्र राठौड़ जी और इन सब का जवाब आ चुका कि एक मई को आपने.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर-आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ है, मेरे मित्र भी रहे हैं परंतु इनके न जाने क्या हो गया आजकल। देखो महेशजी, यह कर्मचंदिया जिस दिन चेतेगा उस दिन अपने आप आगे आ जाओगे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो आप पूछ रहे हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी के सामने इस तरह+++परफोरमेंस नहीं आती ।

श्री महेश जोशी : आप भी ऐसा ही करते होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जवाब उनका पहले आ चुका है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं पूछना चाहता हूं कि आपने यह भी कहा था कि आप चार माह के अन्दर यह सारे फिस्कल रिफोर्म्स जिनके लिए आप कह कर आये हैं, इन सारों को आप चार माह में पूरा करके आप इस काम को पूरा करेंगे । और आपको 1010 करोड़ रुपये मिले काहे के हैं ? आपने यह बड़े जोर-शोर से कह दिया मिड टर्म लोन भारत सरकार को देना चाहिए, उन्होंने वायदा किया है ।

इस पूरे कागज को अच्छी तरह पढ़ा है, इसके अन्दर तो अंतरिम राहत के अलावा कोई बात है नहीं । और मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी, जो वेज एण्ड मीन्स के लिए आपने 250 करोड़ लिये, उसकी कटौती के लिए आप रिशिड्यूल देकर आये थे । अब वह कह दो, अगर वह भी भारत सरकार ने काट लिये, वह गुनाह कर दिया । आपको 573 करोड़ रुपये जो सहायता राशि मिली थी उसका भी एक शिड्यूल था ।

अब यह पैसा जब कटने लग गया तब आपने यह कहना चालू कर दिया कि भारत सरकार ने पैसा काट लिया । अब आपको भारत सरकार ने यह कहा था कि आप बाजार से ऋण लेंगे । परंतु आपने जो +++ है वित्त मंत्रीजी, आर.बी.आई. से भी बड़ी अथारिटी आप हो गये, आर. बी.आई. ने कहा कि बीस हजार के लगभग कर्जा है, आपने तेईस हजार बता दिया । खैर, आप अनुभवी हैं । आपकी बात हम मान लेते हैं ।

परंतु आज राजस्थान सरकार की साख को बट्टा जो आपने लगाया है, आपने राजस्थान में रोजगार के साधन, राजस्थान में किसान को बिजली दर बढ़ाना, यह कई चीजें आपने, और तो और, आपने कह दिया कि महंगाई भत्ता नहीं देंगे, वह भी जमा करायेंगे । खैर, आपका फैसला है ।

परंतु बार–बार आपने बयान दे दिया कि दो महीने पश्चात् वेतन ही नहीं चुका पायेंगे । मतलब आपको ऋण देगा कौन । इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री चन्दन मल बैद : किसने कह दिया यह ।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका अखबार में बयान है।

श्री चन्दन मल बैद : कौन से अखबार में था, आपके अखबार में होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भास्कर के अन्दर। वित्त मंत्रीजी, अभी मेरे पास है नहीं। भास्कर के अन्दर आपने कहा था कि राजस्थान सरकार के सम्मुख आगामी दो माह में वेतन चुकाने का भी संकट आ जायेगा। एक तरफ अकाल....

श्री चन्दन मल बैद : आप अपना वेतन ले जाना, फिक्र मत करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वैसे ही आप मेरे दादा हैं इसलिए मुझे तो आप वैसे ही दे देंगे, मेरी और आपकी बात तो दूसरी है। तो मैं निवेदन करना चाहता था वित्त मंत्रीजी, आप इस राजस्थान को ले जाना कहां चाहते हैं और आज जो आप एम.ओ. यू. दस्तखत करके आये हैं, उनकी सारी शर्तें इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता के बीच में जायेगी न वित्त मंत्रीजी, तो मैं समझता हूं कि यह बैठे इधर जो ताली पीट रहे हैं, +++ और आकर कहेंगे कि आपने जो कुछ किया, हमारे तो 33 आ गए, कुछ आपकी कृपा से आ गये, पर आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। इतिहास इस बात के लिए माफ नहीं करेगा, जो फैसला आप करके आए हो।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं यह बिलकुल तथ्यहीन बात है भारत सरकार ने जिन शर्तों के आधार पर इनको सहायता दी थी उन्हीं शर्तों के आधार पर कटौती की है। बिना मतलब आज राजस्थान को फाइनेंसियल ट्रेप में डाल दिया, यह बिना मतलब अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इस तरह की तथ्यहीन बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लाल जी।

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनका जवाब दे दूं, नहीं भूल जाऊंगा। ये 3 परसेन्ट कटौती करने की बात कर रहे हैं, मैं पूछता हूं कि एक फरवरी, 1998 को फिफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट को आपने मंजूर किया। उसमें यह लिखा हुआ है कि तीन परसेन्ट आप एस्टेब्लिशमेंट को कम करेंगे और आपने उसको मंजूर किया। और आपने उस मंजूरी के आधार पर जब 1998–99 का बजट पेश किया उसके पहले 9800 पद अबोलिश किए। मेरे को क्यों दोष देते हो ?

आप कर्जा लो उसको मैं नहीं चुकाऊं क्या ? आप वादा करो उसको नहीं निभाऊं। आपने कर्जा लिया, उसको मैं चुका रहा हूं, उसके ब्याज को चुका रहा हूं, तो उसमें क्या बुरी बात है ? आपने जो वादा किया वह निभाना पड़ रहा है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब चन्दन मल जी, मैं यह मानूं कि आप जो करार करके आए हो 21 हजार पदों को समाप्त करने का, उसको पूरा करोगे, आप तो वादे के पक्के आदमी हो।

श्री चन्दन मल बैद : हमने कुछ किया या नहीं किया इसको छोड़िए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप वादा करके आये हो 31-3-99 तक 12 हजार पद समाप्त कर दिये और 21 हजार पद और सन् 2000 तक आप समाप्त करोगे। इसको इस सदन में स्वीकार कर रहे हैं आप ?

श्री चन्दन मल बैद : आपने कर्जा लिया है मुझे चुकाना पड़ेगा। आपने जो वादा किया है मुझे निभाना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भी वादा निभाओगे ना। आप पद समाप्त करोगे ना, उस एम.ओ.यू. को लागू करोगे ना आप ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सांवर मल जी।

श्री जगत सिंह दायमा : वादा किया इन्होंने और निभा ये रहे हैं तो फिर डिफरेंस क्या रहा, पब्लिक ने राज को चेंज क्यों किया ? राज को चेंज इसीलिए तो किया कि इन्होंने जो घोटाले किए, जो कार्य किए वो कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस राहत पहुंचाएगी।

आप कह रहे हैं वादा आपने किया, निभा हम रहे हैं। तो आपने चेंज क्या किया ? क्या परिवर्तन लाए आप ? राजस्थान की जनता पूछना चाहती है कि आखिर परिवर्तन क्या हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सांवर मल जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आधे घण्टे की चर्चा कभी की समाप्त हो गई। इनके यहां कोई सवाल, मुकाबला करने वाले होते तो भैरोंसिंह जी होते, वे तो हैं नहीं और ये इसके बारे में कुछ जानते नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : दो-तीन माननीय सदस्य क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने 1010 करोड़ रुपये भारत सरकार से अंतरिम सहायता के रूप में लिए। इस संबंध में एक प्रश्न था और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि यह बात सबके सामने स्पष्ट हो जाए, जनता के सामने भी स्पष्ट हो जाए इसलिए इसके ऊपर कुछ चर्चा होनी चाहिए और यह चर्चा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप चर्चा नहीं कर रहे हैं आप तो प्रश्न पूछ रहे हो। चर्चा नहीं कर रहे हो, आपको चर्चा अलाउड नहीं है। आप कोई प्रश्न पूछना चाहो तो पूछ लो।

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्रीजी, राजस्थान की जनता ने बड़े विश्वास के साथ आपको बहुमत दिया और अभी चर्चा के दौरान बात भी आई थी वित्त मंत्रीजी ने कहा कि मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं का मतलब यह और कोई....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य क्वेश्चन।

श्री सांवर लाल : मैं क्वेश्चन ही कर रहा हूं थोड़ी पृष्ठिभूमि कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई पृष्ठभूमि नहीं डाइरेक्ट क्वेश्चन।

श्री सांवर लाल : तो मुख्य मंत्रीजी, यह एक्सपेक्टेशन राजस्थान की जनता की है कि लोक कल्याणकारी सरकार के लिए वैद साहब वित्त मंत्रीजी तो करने वाले नहीं हैं जनता को बहुत बड़ी आशा है। 153 की संख्या में आप आए हो, राजस्थान सरकार में भैरोंसिंह जी के जमाने में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में काम हुए हैं।

अभी चुनाव में आपके विधायक भी गए, आपका जो बयान आता है खजाना खाली है राजस्थान की जनता मानने वाली नहीं है। आज सड़कें चाहिए, स्कूल चाहिए, होस्पिटल चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए और आप कहते हो बजट नहीं है, घाटा है, फलाना है, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : इसलिए मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे जानकारी चाहता हूं प्रजातांत्रिक व्यवस्था में घाटा भी होता है, कर्जा भी होता है, ओवरड्राफ्ट भी लेना पड़ता है, पर लोक कल्याणकारी सरकार जनसमस्याओं पर ध्यान देती है, तालाब भी बनाती है, एनीकट भी बनाती है, सड़क भी बनाती है, स्कूल भी बनाती है, धर्मशाला भी बनाती है, पानी की व्यवस्था भी करती है।

मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप भी माननीय वित्त मंत्रीजी की तरह केवल यह बहानेबाजी लेकर कि भारत सरकार ने दबाव डाला है यह समझौता करने के लिए, राजस्थान सरकार ने कहा है हम 1010 करोड़ रुपये वापस इस-इस तरीके से वसूल करके रिपेमेंट करेंगे। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान के नौजवानों के साथ न्याय करने की बात है, चाहे राजस्थान के किसानों के साथ न्याय करने की बात है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री सांवर लाल : ये सारी बातें माननीय वित्त मंत्रीजी और राजस्थान की सरकार ने कीं। मेरा तो आपसे पाइंटेड सवाल यही है कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री सांवर लाल : आप वित्त मंत्रीजी जवाब देंगे जनभावना के हिसाब से ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री अब्दुल अजीज, वक्फ राज्य मंत्री, विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल तो लम्बा भी होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंहजी राठौड़।

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत छोड़ दिए।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। (व्यवधान) मैंने आपको लिबरली अलाऊ किया, आप तो बहुत तेज भाषण दे रहे हो। (व्यवधान) आप बोलना ही नहीं चाहते हो।

श्री रामप्रताप : एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। (व्यवधान) बैठिए, मैं फिर अलाऊ करता हूं अगर आप डाइरेक्ट पाइंटेड क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन पूछ लीजिए। चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने फिफ्थ पे कमीशन की दुहाई बार-बार दी। मैं यह जानना चाहता हूं यह पे-कमीशन से समझौता 1986में कर्मचारियों के साथ आपने लिखित में किया था या नहीं किया था कि केन्द्र सरकार जैसे ही पे-कमीशन लागू करेगी हम भी उसी स्तर पर आपको देंगे? क्या यह 1986 में आपने समझौता किया था, इतना सा बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कोई बात हुई ना। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री चन्दन मल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, हमने तनख्वाह बराबर करने का समझौता किया था, तीन परसेन्ट, 6 परसेन्ट, एक परसेंट नौकरियां कम करने का वादा कभी नहीं किया था।

श्री रामप्रताप : पे-कमीशन की पूछ रहा हूं।

श्री चन्दन मल वैद : पे–कमीशन की रिपोर्ट में यह लिखा है जो आपने माना है। पूरी रिपोर्ट को अगर हम होते तो यह पूरी रिपोर्ट नहीं मानते। कहते कि वेतन बढ़ाएंगे; सर्विस कम नहीं करेंगे, लेकिन आपने यह माना कि वेतन भी बढ़ाएंगे और सर्विस भी तीन परसेंट कम करेंगे और उसकी अनुपालना में माथुर जी ने 9800 पद खतम किए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भी कर रहे हो ना अब।

श्री चन्दन मल वैद : जब आपने वादा कर लिया तो हम कहां जाए? आपने कर्जा ले लिया हम चुका रहे हैं।

श्री रामप्रताप : आपके घोषणा-पत्र में आपने क्या यह कहा था कि हम पद कम करेंगे? आपने घोषणा-पत्र में यह कहा था

(श्री रामप्रताप)

कि पानी-बिजली की भी रेट बढ़ाएंगे ? वोट लेने के लिए प्रापने क्या कहा था ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई भी सरकार प्राएगी, हमारे बाद में प्राप प्राए या प्रापके बाद में हम प्राए तो क्या प्रापके जो कुछ भी नियम थे, जो तनख्वाह देनी थी उसको हम काट सकते थे ? प्रापने जो कुछ भी तय कर दिया था क्या नयी सरकार उसको उलट सकती थी ? प्राप यह चीजें बार-बार कह रहे हैं कि हमको देना पड़ा क्या प्राप प्रपनी जेब से दे रहे हो ? जो सरकार ने निर्णय किया वह नीति के प्राधार पर निर्णय किया प्रौर नीति के प्राधार पर हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खेतसिंहजी।

श्री रामप्रताप : बार-बार कह रहे हैं कि केन्द्र ने यह किया वो किया। प्राप नहीं कर सकते तो किसी प्रौर को बना दो ना।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। प्राप बैठिए। बैठिए; बैठिए।

मोहम्मद माहिर प्राजाद : उपाध्यक्ष जी, जो पत्र ये रख रहे हैं उस संबंध में मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्राप उनको बोलने दें पहले।

मोहम्मद माहिर प्राजाद : मेरा निवेदन तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए, प्लीज। श्री खेतसिंहजी राठौड़।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

प्रधिसूचनाएं (वक्फ विभाग)

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के प्रनुसार वक्फ विभाग की तीन प्रधिसूचनाएं सदन की मेज पर रख रहा हूं-

1. प्रधिसूचना संख्या जी.एस.प्रार. 76 दिनांक 16 जनवरी, 1999 जिसके द्वारा राजस्थान वक्फ बोर्ड (सदस्यों के चुनाव) नियम, 1999 विरचित किये गये हैं,
2. प्रधिसूचना संख्या एफ 10(3) देव/96 दिनांक 21 मई, 1999 जिसके द्वारा प्रधिसूचना संख्या जी.एस.प्रार. 76 दिनांक 16 जनवरी, 1999 के संबंध में शुद्धि–पत्र जारी किया गया है; एवं
3. प्रधिसूचना संख्या एफ 10(3) देव/96 दिनांक 5 जून, 1999 जिसके द्वारा प्रधिसूचना संख्या एफ 10(3)देव/96 दिनांक 21 मई, 1999 के संबंध में शुद्धि–पत्र जारी किया गया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन । श्री हरजीराम बुरड़क ।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति, 1999-2000 के आठ प्रतिवेदन

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 1999-2000 समिति के आठ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं—

1. राजस्थान वित्त निगम(प्रंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91) से सम्बन्धित समिति का 11 वां प्रतिवेदन,

2. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (प्रंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1993-94) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1997-98 के 71वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक 12वां प्रतिवेदन,

3. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (प्रंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93) से संबंधित दसवीं विधान सभा की राजकीय उपक्रम समिति, 1997-98 के 56वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक 13 वां प्रतिवेदन,

4. राजस्थान लघु उद्योग निगम (प्रंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77) से संबंधित नवीं राजस्थान विधान सभा के 28वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक 14वां प्रतिवेदन;

5. राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 1994-95 के नवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक 15 वां प्रतिवेदन;

6. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (प्रंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93) से संबंधित दसवीं विधान सभा की राजकीय उपक्रम समिति, 1997-98 के 60वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक 16वां प्रतिवेदन;

7. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (प्रंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 1997-

(श्री हरजीराम बुरड़क)

98 के 58वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक 17वां प्रतिवेदन, एवं

8. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1980-81) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 1994-95 के 8 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक 18वां प्रतिवेदन । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या कहना है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधि मंत्रीजी ने जो कागज सदन के पटल पर रखा है वक्फ बोर्ड के चुनाव के संबंध में, इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

मोहम्मद माहिर आजाद : 1995 का जो पार्लियामेंट ने वक्फ एक्ट पारित किया है उस वक्फ एक्ट के तहत चुनाव होते हैं, पहले चुनाव नहीं होते थे, नोमीनेशन होता था । इस चुनाव में जो प्रोविजन रखे हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय विधि मंत्रीजी को बताना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : तो अभी क्या इश्यू है यह ? अभी क्या इश्यू है यह, अभी आप क्यों बहस कर रहे हैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट सुनिये तो सही ।

श्री उपाध्यक्ष : इश्यू यह आयेगा सामने तब बात करें ।

मोहम्मद माहिर आजाद : वक्फ मिनिस्टर वक्फ बोर्ड का मेम्बर नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : What is the issue?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह जो कागज सदन के पटल पर रखा है, जो चुनाव हुए हैं इसमें वक्फ मिनिस्टर खुद वक्फ बोर्ड का मेम्बर बना है ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी क्या इश्यू है यह ?

मोहम्मद माहिर आजाद : जो उस पार्लियामेंट द्वारा पारित प्रावधानों के बिलकुल विपरीत है । मेरा आपसे कहना यह है कि यह कागज आज न रखवा कर...

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये । श्री दिग्विजय सिंह ।

मोहम्मद माहिर आजाद : जिस दिन वक्फ मंत्री सदन में मौजूद हों, आप उस

(मोहम्मद माहिर आजाद)

रोज रखवायें। यह वक्फ बोर्ड का जो पार्लियामेंट ने वक्फ एक्ट पारित किया है उसका उल्लंघन है। कैसे वक्फ मिनिस्टर वक्फ बोर्ड का मेम्बर हो सकता है। क्या रेवेन्यू मिनिस्टर रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर हो सकता है, क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर स्पोर्ट्स कौंसिल का मेम्बर हो सकता है। इसी तरह वक्फ मिनिस्टर वक्फ बोर्ड का मेम्बर नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : वह इश्यू ही नहीं है अभी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज ही नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे उपाध्यक्षजी।

श्री उपाध्यक्ष : इश्यू ही नहीं है यह अभी। What is the issue ?

मोहम्मद माहिर आजाद : जब कागज आपने आज सदन के पटल पर रखवा दिये, वक्फ मिनिस्टर की एबसेंस में लॉ मिनिस्टर साहब ने रखे हैं, यह कागज बिलकुल गलत रखें हैं। यह कहीं भी सही नहीं है, यह उल्लंघन है कानून का और सब का।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : अधिसूचनाएं कोई भी मंत्री रख सकता है। मैं पार्लियामेंट अफेयर्स का मंत्री हूं और मैंने रख दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह नहीं कह रहा, लेकिन यह गलत सूचना सदन को दे रहे हैं। वक्फ मिनिस्टर वक्फ बोर्ड का मेम्बर नहीं हो सकता, आप जो चुनाव की सूचना दे रहे हैं वह गलत है।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 1999–2000 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री दिग्विजय सिंह (सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 1999-2000 समिति के प्रथम प्रतिवेदन का सदन में उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक, 1999 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई ।

श्री राजेन्द्र चौधरी ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, चिकित्सा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999 को पुर:स्थापित करता हूं । धन्यवाद । (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसमें चूरी, गुटका और जुड़वाइये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंहजी ।

रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अतिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999

श्री प्रद्युम्न सिंह (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अतिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य दायमाजी, आप अपना स्थान ग्रहण करिये ।

प्रश्न यह है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अतिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री प्रद्युम्न सिंहजी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय; मैं रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अतिक्रमण का निवारण) विधेयक; 1999 को पुर:स्थापित करता हूं ।

राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह शक्तावत; सहायत मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार किया जाय ।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह अकाल पर चर्चा है या अभाव पर क्योंकि अकाल डिक्लेयर होता है तो रिपरकैशन्स उसके दूसरे होते हैं । तो यह अभाव पर चर्चा होगी या अकाल पर होगी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता मंत्री) : मैं क्लियर कर देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्री थे तब काहे पर करते थे चर्चा ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनियार से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे प्रस्ताव के पहले ही कुछ क्लेरिफिकेशन मांगा है । यह सही है कि हम अब तक राज्य में अभाव की स्थिति घोषित करते आये हैं, अकाल की स्थिति की हमने घोषणा नहीं की है और अब भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह पेपर मेरे सामने आया है उसमें अकाल शब्द के बजाय इसको अभाव में पढ़ कर के ही आपके सामने पेश करूंगा । और वह भी 'संभावित' शब्द यूज करूंगा क्योंकि अभी तो हमारे पास गिरदावरी रिपोर्ट नहीं आई, और चीजें नहीं आई । तो सम्भावित अभाव की स्थिति पर विचार करने के लिए मैं प्रस्ताव कर रहा हूं । इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में संभावित अभाव की स्थिति पर विचार किया जाय ।

घोषणा

समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्य में अभाव की स्थिति पर वाद-विवाद के लिए लगभग चार घण्टे उपलब्ध हैं । उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है । मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा इस प्रकार करता हूं :–

इण्डियन नेशनल कांग्रेस	3घंटे 4 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	34 मिनट
जनता दल	5 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	4 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	2 मिनट
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी	2 मिनट
लोकतांत्रिक कांग्रेस समूह	9 मिनट ।

यह चार घण्टे का विभाजन है और इसके अनुसार, माननीय श्री वृद्धिचन्द जी ।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे क्षेत्र में तो बाढ़ है तो मुझे भी मौका मिलेगा ? भरतपुर में तो बारिश ज्यादा हुई, वहां अकाल और अभाव नहीं है, वहां तो बाढ़ है, जो पानी भर गया उसको निकालने की बात करनी है, खेत खराब हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : बोल लेना आप । वह भी नेचुरल केलेमिटी में सम्मिलित है ।

राज्य में अकाल की स्थिति पर अग्रेत्तर विचार

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में संभावित अभाव की स्थिति के बारे में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अभाव की

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

स्थिति पैदा हुई, उस समय में हमारे देश में प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव जी गांधी थे। हमारे यहां पर शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री थे और गुलाब सिंहजी शक्तावत, अभी जो सहायता मंत्री हैं, ये ही तब सहायता मंत्री थे। बहुत अच्छी मदद दी गई थी।

इस प्रकार की मदद दी गई कि कोई पशु नहीं मरा और इस प्रकार की मदद दी गई कि यह हमारी एक ऐतिहासिक घटना है कि वहां पर गन्ना भेजा गया और गन्ना भेजकर, कैटल कैम्प्स कायम करके पूरी तरह से व्यवस्था की गई। कोई भी पशु नहीं मरा और बहुत ज्यादा मदद दी गई।

इसलिए इस प्रकार की कठिन स्थिति पैदा हो जाती है, इस प्रकार की आपदा पैदा हो जाती है तो भरपूर मदद मिलनी चाहिए। केन्द्र सरकार ने भी एक फार्मूला बना दिया है, एक राज्य के लिए एक फार्मूला बना दिया है, और आपदा के लिए एक राशि निर्धारित कर दी गई है। हमें यह चाहिए कि राजस्थान के लिए जो राशि निर्धारित की गई है वह बहुत ही अपर्याप्त है क्योंकि यहां तो अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। चार वर्ष में दो वर्ष अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है।

इसलिए राष्ट्रीय आपदा के लिए जो भी राशि निर्धारित की गई है, वह बहुत ही अपर्याप्त है। और हमें उसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि यह जो राशि निर्धारित है, बहुत ही अपर्याप्त है और उस राशि को अपने को बढ़ाना चाहिए। और बढ़ाकर स्थिति यह होनी चाहिए कि एक साल में कम से कम 700 करोड़ रुपये का प्रोविजन इसमें रखा जाना चाहिए क्योंकि यहां तो राजस्थान का बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। एरिया इतना विस्तृत है, उसकी समस्याएं विस्तृत हैं।

इसलिए इस सम्बन्ध में हमें यह सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो राष्ट्रीय आपदा के बारे में राशि निर्धारित की गई है, वह अपर्याप्त है, वह ज्यादा से ज्यादा राशि निर्धारित की जानी चाहिए।

इसके साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि इन पशुओं को बचाने के साथ साथ पीने के पानी की समस्या भयंकर रूप धारण किये हुए है। पहले बहुत ही योजनाएं हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत हैं। उन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। बहुत से नलकूप हैं, उसमें पहले जो केपेसिटी थी, उसके डिस्चार्ज की केपेसिटी कम हो गई है।

अब कम से कम मैं समझता हूं बाड़मेर जिले में अनेक स्थानों पर ट्यूब वैल हैं, वहां कम से कम 50 ट्यूब वैल निर्माण करने की आवश्यकता है यानी पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। यह पहले से ही सोचना चाहिए ताकि हम सबसे पहले ट्यूब वैल का निर्माण करें ताकि वह योजनाएं सुचारू रूप से चले। सुचारू रूप से चलने

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

के लिए जो हमने 10 साल पहले हैल्पर्स रखे थे और उसके अन्दर व्यवस्था के लिए जितने भी पम्प ड्राइवर्स हमने रखे थे, उस में एक भी संख्या बढ़ाई नहीं गई। उसके कारण से योजनाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं।

इसलिए योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई कठिनाई नहीं हो। वहां छोटे सर्वेंट को नौकरी देने की, आज हमारी सरकार को आये हुए 8 महीने हो गये हैं परन्तु उन्होंने वहां एक भी आदमी नहीं लगाया है। योजना सुचारू रूप से नहीं चल रही है क्योंकि योजनाएं तो दुगुनी, तिगुनी और चार गुनी हो गई हैं और वहां पर वही सर्वेंट कार्य कर रहे हैं। तो नोर्म्स के अनुसार, मापदण्ड के अनुसार उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि वह गवर्नमेंट सर्वेंट सुचारू रूप से कार्य कर सके और योजनाएं सुचारू रूप से चल सकें।

विद्युत का भी संकट रहता है और विद्युत का संकट अगर होता है तो उसको प्रभावित करता है। जितनी भी योजनाएं हैं वह विद्युत से संबंधित हैं और विद्युत से संबंधित होने पर जहां पर भी विद्युत का संकट होता है तो पीने के पानी का भी संकट हो जाता है। और पीने के पानी की योजनाओं के लिए 20 घण्टे की आवश्यकता हो कि बराबर पानी मिले, तब जाकर के वह योजना सुचारू रूप से चलती है। टेल एण्ड के विलेजेज हैं, वहां पानी पहुंच सकता है परन्तु वहां पर इस प्रकार से पानी पहुंचता नहीं है, बहुत बड़ा भारी संकट पैदा हो जाता है।

इसलिए यह और भी आवश्यक है और इसकी बहुत जरूरत है कि योजनाएं सुचारू रूप से चलाई जायें। और योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन जिन गांवों में योजनाओं के द्वारा पानी नहीं पहुंचता है, या जिन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, या जिन ढाणियों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां टैंकरों के द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की जाये। ताकि टैंकरों के द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था करके, और उसके अभी से ही आदेश दे दिये हैं क्योंकि अभी संकट है, गर्मी का टाइम हो गया है; बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है और बहुत सी जगह पानी पहुंचता नहीं है। तो इसलिए पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

पहले तो ऐसी स्थिति पैदा थी कि 1987-88 में तो हमने, हमारी सरकार ने 25000 ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के टांके बना दिये थे। उन पीने के पानी के टांकों को बनाने की आवश्यकता है। वहां आज बहुत सुविधा हो रही है। आज पीने के पानी की टांकों से व्यवस्था हो जाती है तो बूंद-बूंद पानी का बचाव भी हो जाता है, साथ ही साथ उनकी बहुत बढ़िया व्यवस्था हो जाती है।

इसलिए पीने के पानी के टांकों के बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

साल भर में तालाबों को खुदवाने की बहुत जरूरत है क्योंकि उनमें पानी ज्यादा रहा नहीं तो तालाबों को खुदाने की जरूरत है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत से तालाब हैं जिस से लोगों को मजदूरी भी मिलेगी और साथ में तालाब भी खुदेंगे। सहायता के लिए मजदूरी के लिए सड़कों का निर्माण कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है तो सड़कों के निर्माण के लिए भी काम शुरू कर देना चाहिए। अकाल घोषित होते ही काम शुरू कर देना चाहिए, सड़कों के निर्माण में काफी लोगों को मजदूरी प्राप्त होगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मजदूरों की संख्या पहले भी निर्धारित की गई थी, वह निर्धारण बहुत कम था। अभी भी बहुत से कार्य, अकाल राहत के कार्य किये गये, उनमें से उनको पेमेंट नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, बहुत ज्यादा मजदूर लेकर उनके नाम से पेमेंट उनको नहीं हुआ है, तो उनको पेमेंट किया जाये।

अभी जो राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खुली हैं, उनका जिस प्रकार निर्माण हुआ है, इनके निर्माण के लिये ठेकेदारों के, बहुत सी ग्राम पंचायतों के पैसे बकाया हैं। उनको पैसे दे देने चाहिये ताकि उनको भी रिलीफ पहुंचे। और अभी जो कार्य किये जाएं, जो मजदूरी फिक्स की है, 44 रुपये तय किये गये हैं, उसको भी बढ़ाना चाहिये। यह बहुत ही कम है और इसमें हो नहीं सकता। अनाज बहुत मंहगा है। बाड़मेर में बाजरे का भाव साढ़े आठ रुपये है, बड़ी मुश्किल से यह खरीद सकते हैं, चारा बहुत मंहगा है। (व्यवधान) आपने करेक्ट किया बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त कीजिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आठ रुपये किलो अनाज है, अनाज बहुत मंहगा है। बाजरा भी यही भाव है, गेंहू भी यही भाव है, दोनों के भाव बराबर हैं। पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम से गेंहू, गरीबी की रेखा से जो नीचे हैं, उन चयनित लोगों को मिलता है। उसी भाव से किसानों को भी अनाज देने की आवश्यकता है। आपने उनको इस प्रकार अनाज दिया तो उन्हें भारी रिलीफ पहुंचेगा कि इस प्रकार अनाज, इतनी रिड्युस्ड रेट से दिया। पशु आहार की आवश्यकता है।

अब चारे के बारे में पहले जैसे आपने रेट्स मुकर्रर की थीं, बहुत मंहगी थी और चारे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। चारे के लिये तो कैटल कैम्पस ही स्थापित करने पड़ेंगे। अकाल की भयंकर स्थिति पैदा हुई तो कैटल कैम्प ही स्थापित करके उनको फ्री फोडर देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाकर पशु बचेंगे। पशुओं पर हमारी इकोनोमी निर्भर है।

इसलिये पशुओं को बचाना बहुत ही आवश्यक है। हमारे यहां का मनुष्य तो मजबूत है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब जाकर अपने को बचा लेगा, लेकिन पशुओं को बचाने की बहुत आवश्यकता है उसी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

पर हमारी इकोनोमी निर्भर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भीषणतम अकाल है। इसका मुकाबला करने के लिये हमें सजग होना है।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबको मिलकर इसमें कार्य करना है। सभी भेदभाव मिटाकर, सभी पार्टियों के भेदभाव मिटाकर इसका मानवीय दृष्टिकोण से संघर्ष करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैंने विचार प्रस्तुत किये।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्रीमती सुमित्रा सिंह, झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में सम्भावित अभाव पर चर्चा हो रही है। राजस्थान और अकाल इन दोनों का अन्यान्य संबंध है। हर पांच साल में तीन साल तो यहां अकाल पड़ ही जाता है और आठ साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस जर्जर वित्तीय व्यवस्था में राजस्थान को छोड़ा और अब अकाल की मार हो गई है तो कोढ़ के साथ खाज हो गई। अब मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस अभाव की संभावित स्थिति का किस प्रकार से मुकाबला किया जायेगा।

पिछली बार आपको मार्च तक जितना अकाल के संबंध में पैसा खर्च करना था, वो सब तो करीब-करीब खर्च हो गया। अगर मैं भूलती नहीं हूं तो केवल 21 करोड़ रुपये आपके पास हैं। अभाव से मुकाबले के लिये यह इस सदी का भीषणतम अकाल है। भीषणतम इसलिये कह रही हूं कि इस बार तो धरती बीज को भी लील गई है। लील गई है मतलब पता नहीं बीज भी कहां गया। जो बीज धरती में डाला था वो उग ही नहीं पाया कुछ इलाकों के अन्दर।

झुन्झुनूं के अन्दर भी ऐसी स्थिति है; कुछ जगह पर अनाज उगा ही नहीं क्योंकि पहले तो बारिश नहीं हुई। और बहुत पहले जो बारिश हुई थी उसमें कुछ लोगों ने जुताई की। जुताई के बाद इतनी तेज गर्मी पड़ी कि अनाज उग ही नहीं पाया।

सबसे बड़ी मुसीबत इस बात की है कि मनुष्य को तो आप मजदूरी देकर और अनाज का प्रबन्ध रखकर जिंदा रख सकते हैं, लेकिन इस पशुधन का क्या होगा? यह पशुधन इस देश का, प्रदेश का बेशकीमती धन है। 40 प्रतिशत ऊन तो केवल, पूरे हिन्दुस्तान की राजस्थान पैदा करता है। 40 प्रतिशत ऊन, इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के अंदर महत्व रखती है। पशुधन से और खेती से हमारी 50% आमदनी होती है। आज बारिश नहीं होने की वजह से हालत यह हो गई है कि कुओं का पानी सूख गया है।

सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की आयेगी, खेती की तो बात छोड़ दीजिये। मैं इस बात को जानती हूं कि पिछले साल से इस बार कुओं के अन्दर जलस्तर है,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

खेती के कुओं की बात कर रही हूं, एग्रीकल्चर वैल्स की बात कर रही हूं। उनमें 15 फीट पानी नीचे चला गया है। सब कुओं को बोर कराने की, बोरिंग की आवश्यकता है। यदि बोरिंग नहीं होगा तो खेती नहीं होगी।

सबसे बड़ी पानी की मुसीबत आयेगी। बांधों में, तालाबों में, जोहड़ों में, किसी में भी इस बार पानी नहीं आया, और जहां पानी नहीं आया है तो फिर पशुधन का कैसे इन्तजाम होगा। पीने के पानी के और गांव के जो जलस्रोत हैं पीने के पानी के कुएं हैं उनमें भी पानी सूख गया है।

एक तरफ तो मनुष्य को जिंदा रखने के लिये आपके जनस्वास्थ्य विभाग को जबरदस्त पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो तो आप अकाल राहत में करोगे नहीं। पर अकाल राहत के संभावित जो अभाव कह रहे हैं, मैं कहती हूं इस बार संभावित अभाव भी शब्द आपको दूर करना पड़ेगा, अकाल ही मानना पड़ेगा। क्योंकि प्रदेश में जिस तरह की हालत है उस हालत के अंदर न चारा है, न अनाज है। न पीने का पानी है, न पशुओं के लिये, पशुधन के लिये कोई व्यवस्था है। कहां से चारा लाओगे, कहां से आप अनाज की व्यवस्था करोगे, कितने लोगों को मजदूरी दोगे।

भारत सरकार की हालत यह है 426 करोड़ रुपया आपका काट लिया है आपके पास केवल 21 करोड़ रुपया बचा है कैसे क्या व्यवस्था होगी? हम बड़े चिंतित हैं।

इसलिये यह सदन भी बहुत चिंतित है इस मामले में। मैं अध्यक्ष महोदय, को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सदन के अन्दर सम्भावित अभाव की चर्चा करा करके और राजस्थान प्रदेश के निवासियों को भी एक तरीके से आश्वस्त किया कि सरकार चिंतित है, सदन चिंतित है क्योंकि यह सर्वोच्च फोरम है, हमारे जनतंत्र का।

यहां जो चिंता प्रकट की जाती है उससे लोगों को एक प्रकार से इस बात का अहसास होगा कि उनके इस समस्या के बारे में सदन भी उतना ही चिंतित है सरकार भी उतनी ही चिंतित है। लेकिन मंत्री महोदय, अकाल राहत मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप यह सब व्यवस्था किस प्रकार से करेंगे। हम इस बारे में बड़े चिंतित हैं, क्योंकि मैं आपसे जैसा कह रही हूं यह हमारे अभी परसों के अखबार में आया था कि हमारी जो इंडिजिनस, देशी बढ़िया नस्ल की गायें हैं चाहे वो कांकरेज हो, चाहे गीर हो, चाहे राठी हो, चाहे वो थारपारकर हो, बाकायदा भास्कर के अन्दर तस्वीर आई थी कोई पाल सके तो इन गायों को पाले। भास्कर के अंदर बाकायदा गायों के झुंड की फोटो दी गई है। इसमें गायों के झुंड की फोटो भी दी है और उसमें बताया है कि कोई पाल सके तो गाय ले जाये।

श्री रामस्वरूप : बी. जे. पी. वालों को कहें यह गाय ले जाएं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बीच में नहीं बोलें तो ज्यादा अच्छा है । मैं निवेदन कर रही थी आज यह हालत है तो एक महीने बाद क्या हालत होगी । जब आज ही जबकि उम्मीद थी लोगों को, कल बारिश भी हुई कुछ जगह, लेकिन बारिश के लिये तो अब क्या बरखा जब कृषि सुखाने । इस बरसात से अगली फसल पर भले ही फायदा हो जाए इस फसल पर कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा ।

क्योंकि मेरे पास सुबह ही टेलीफोन आया था कि बाजरा काट रहे थे । कोई थोड़ा बहुत हुआ था और उस काटे हुए बाजरे पर बारिश हो गई । वह जो काटा था वह भी गल जायेगा नीचे पड़ा-पड़ा । गल जायेगा और काला भी पड़ जायेगा, आधा उसमें से खराब भी हो जायेगा क्योंकि किसी मकान में तो डाल नहीं सकते, रखना तो पड़ता है इस नीली छतरी के नीचे । तो वह भी गल जायेगा ।

इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि एक तरफ तो यह 'कोई पाल सके तो गाय ले जाओ' मैं समझती हूं, यह जिसे कहना चाहिए कि हमारे ऐसे पशुधन की आज ही जब यह हालत हो गई है कि लोगों ने बांझड़ी गाय, बछड़ियों को, इन सबको घरों से निकाल दिया और गांव-गांव के अन्दर इस तरह के पहरेदार, हट्टे कट्टे आदमियों को पहरेदार लगा दिया कि बाहर गांव से कहीं से भी इस तरह के झुंड आ जायें तो उनको लाठियों से पीट-पीटकर बाहर निकाल दो, गांव में मत घुसने दो ।

आज हमारी हालत हो गई है कि किस प्रकार से हम अपने पशुधन को बचा सकते हैं । इसी अखबार के अन्दर मूंगफली की बरबाद हुई फसल के ऊपर किसान आंसुओं से रो रहा है, एक महिला रो रही है बैठी-बैठी क्योंकि जब बरसात नहीं हुई तो यह मूंगफली, जो कामर्शियल क्रोप है । जिस मूंगफली के भरोसे किसान अपने घर के अन्दर सब तरह की कमी पूर्ति करता है, एक तरह से उसको सम्पन्नता मिलती है, वह फसल सूख गई तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह फसल तो सूखी तो सूखी, एक तरफ, हमारे पशुधन की हालत यह है, जिसे कहना चाहिए, जिलों में करीब-करीब, कुछ जिलों में जैसा अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे यहां पर तो अतिवृष्टि है ।

अतिवृष्टि का फायदा तो है कि अतिवृष्टि के अन्दर चारा तो होता है तो कम से कम पशुओं को तो चरा सकते हो, पशुओं की समस्या तो नहीं रहती है । लेकिन जहां अनावृष्टि है और जहां धरती बीज को लील जाये, बीज को भी निगल जाये धरती, वहां पर किसान क्या करेगा ।

इसलिए माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, यह बहुत गम्भीर विषय है और राजस्थान में जैसा कि मैंने कहा, कोढ़ हो गई थी, 23000 करोड़ के कर्ज में तो आप फंसे हुए हो ही आप, और ओवर-ड्राफ्ट तो आप

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पर चल रहा है लेकिन सबसे ऊपर यह जो भयंकर मुसीबत है जो इन्द्र देवता ने डाल दी, इस मुसीबत का कैसे सामना कर पायेंगे। सबसे बड़ी चिन्ता का विषय आज के दिन यह है माननीय सभापति महोदय।

इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेते हुए यह निवेदन करते हुए करीब-करीब सब जगहों पर आज इस प्रकार की हालत है इसलिए जल्दी से जल्दी गश्त गिरदावरी होनी चाहिए और गश्त गिरदावरी होकर, आपने अपने घोषणा पत्र में इस बात के लिए कोसा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और इसमें यह कहा है आपने कि अकाल राहत खोलने में राजनैतिक भेदभाव भी बरता। और आपने यह भी चार्ज लगाया था कि आपने बहुत विलम्ब से और लापरवाही से अकाल राहत के काम प्रारम्भ किये, ऐसा आपने चार्ज लगाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और यह कहा था कि अकाल राहत कार्य खोलने में विलम्ब भी हुआ, लापरवाही भी बरती गई, अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

इसके साथ-साथ आपने अपने घोषणा पत्र में यह भी लिखा था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अकाल, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, अनावृष्टि, तूफान, इन सबके लिए आपदा कोष स्थापित करेंगे। 10 माह बीतने आये हैं, आपने क्योंकि आपदा कोष अभी तक नहीं बनाया गया है इसलिए केवल बात करने से काम नहीं चलेगा।

एक दूसरे को कोसने से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। जो काम इन्होंने किया, वही काम यदि आप भी करेंगे तो फिर इस जनता के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप अपने चुनाव घोषणा पत्र के मुताबिक आपदा कोष बनाइये और जिस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसते थे, लापरवाही बरतने के लिए, विलम्ब से काम करने के लिए, अकाल राहत के काम प्रारम्भ करने के लिए, वह विलम्ब आप मत करिये लापरवाही आप नहीं बरतें, राजनैतिक भेदभाव आप नहीं बरतें इसलिए जल्दी से जल्दी 15 दिनों के अन्दर-अन्दर आपको गश्त गिरदावरी कम्पलीट कराकर, और अभाव नहीं, क्योंकि अभाव में और अकाल में बहुत अन्तर है। आप जानते हैं इस बात को।

आज आप राहत देना चाहते हैं जनता को, वह राहत अकाल की जब आप घोषणा करेंगे तब तो दे पायेंगे लेकिन अभाव की घोषणा पर नहीं दे पाते इसलिए इस बार अभाव नहीं इस बार आप अकालग्रस्त घोषित करिये और तुरन्त से तुरन्त यह काम कराइये। जल्दी से जल्दी अकाल राहत के कार्य प्रारम्भ कराइये।

खास तौर से पीने के पानी के कुए हैं जहां पानी की प्रोब्लम है, पशुधन को बचाने के लिए चारा डिपो आपको खोलने

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पड़ेंगे, वहां भी आप व्यवस्था करिये ताकि वह पशुधन को भी बचा सके और लोगों को गर्मी के मौसम के अन्दर आप पीने का पानी उपलब्ध करा सके, इसके लिए आपकी यह कार्यवाही जल्दी से जल्दी होनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, आज इस अकाल या अभाव जैसा भी मंत्री महोदय ने प्रस्ताव किया है, इस पर चर्चा शुरू करते हुए मुझे मेरे इलाके के आदिवासी भाइयों की भावना याद आती है।

जब पिछले दशक में इस प्रदेश को बहुत गहरे अकाल का सामना करना पड़ा और हमारे महबूब नेता और देश के उस वक्त के प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव जी गांधी उन गरीब आदिवासियों की झोंपड़ियों में गये। उनके दुःख, उनकी तकलीफ को खुद ने महसूस करने की कोशिश की और खुले दिल के साथ इस प्रदेश की जनता को उस वक्त सहायता की मदद की। और आज कांग्रेस की हुकुमत बनने के बाद जब हम पिछले 9—10 महीनों के कार्यकाल की ओर दृष्टिपात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस की सरकार ने और प्रदेश की जनता को वैसा सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखता है।

हमारे प्रतिपक्ष के साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपनी पार्टियों के नेताओं को इस बात से अवगत करायें। राजस्थान की सरकार कांग्रेस की ही जनता नहीं है और इस विभीषिका के सामना करने में जो पिछले सालों से ज्यादा गहरी है, उनकी पार्टी और उनकी सरकार का पूरा सहयोग इस प्रदेश को मिले तो इस प्रदेश के और प्रदेश की जनता के हित में होगा।

सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जो माननीय अशोक जी गहलोत ने इस प्रदेश का शासन संभालने के बाद प्रदेश की जनता को एक संवेदनशील और जवाबदेह शासन देने का वादा किया है और पिछले 9—10 महीनों में चाहे दिल्ली से मदद मिली या नहीं मिली, चाहे प्रदेश की कैसी भी वित्तीय स्थिति रही हो, चाहे हमारे आर्थिक संसाधनों की स्थिति कैसी भी रही हो लेकिन पूरे प्रदेश में अकाल के मौके पर; इस विपदा की घड़ी में यह सरकार पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी दिखाई दी और हमने अपने जिलों में देखा कि जहां—जहां श्रमिक संख्या कहीं 120 मंजूर की गई तो वहां 80 श्रमिक हमको उपलब्ध हो पाये।

हमने 80 की मंजूर की तो वहां 60 श्रमिक उपलब्ध हो पाये। तो इस सरकार की ओर से इस बात की कोई कमी नहीं रही कि जनता के दुःख के मौके पर वह उनके बीच में खड़ी है। सभापति महोदय; संवेदनशील शासन देने का वक्तव्य दिया या यह मन की इच्छा प्रकट करना सोच रखने के पहले श्रेष्ठ बात है लेकिन यह संवेदन—

(श्री संयम लोढ़ा)

शील शासन देने की एजेंसी जो हमारी है, वह हमारा प्रशासन है।

पिछली बार जब बजट सत्र के दौरान प्रकाल पर चर्चा हो रही थी तब भी मैंने कुछ बातें इस सदन के सम्मुख निवेदन की थी कि संवेदनशील शासन देने में हमारी नौकरशाही एक बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ी हुई है। मैंने पिछले वक्त भी इस बात की ओर ध्यान प्राकृष्ट किया था कि प्रकाल के लिहाज से जो बजट प्रावंटित किया गया है, जो श्रमिक सीमा दी गई है उसका जिला स्तर पर किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और हमारे सामने किस तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।

पिछले सत्र के दौरान प्रकाल राहत मंत्री महोदय ने स्वयं ने अपने जवाब में, मेरा प्रश्न था, उसके जवाब में इस बात को रेखांकित किया था, इस बात को जाहिर किया था कि किस तरीके से भेदभाव किया गया था। और सभापति महोदय, पिछले महीने हमने देखा कि जिला प्रशासन की उपेक्षा का नतीजा सिरोही जिले में किस रूप में भुगतना पड़ा।

पिछले दो महीनों में पिण्डवाड़ा और आबू क्षेत्र के आदिवासी भाई लगातार जगह-जगह पर इकट्ठे होकर अपने समस्याओं की ओर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तीन बार सैकड़ों–हजारों की तादाद में वहां इकट्ठे होकर अपनी समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया, अपना ज्ञापन दिया है।

लेकिन सभापति महोदय, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और उसका नतीजा यह हुआ कि पिछले महीने की 27-28 तारीख को हजारों की तादाद में आदिवासियों ने इकट्ठा होकर एक समुदाय विशेष के मंदिर पर हमला किया। वहां हिंसा का वातावरण बना, अराजकता का वातावरण बना। उसका एक मात्र कारण यही है कि आदिवासियों की बुनियादी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और न दिया गया है। उनकी शैक्षणिक स्थिति, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसकी ओर सरकार कोई ध्यान नहीं देती और बाद में सारे अधिकारी बला टालने के लिए उसको कानून व्यवस्था की समस्या बनाकर खड़ा कर देते हैं।

(15.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 4-5 साल में कभी भी इस तरह की वारदात नहीं हुई सिर्फ पिछले साल को छोड़कर। क्योंकि लगातार बरसात होती रही है और आदिवासियों को खाने को मिलता रहा है। छोटी-मोटी उनकी जैसी भी फसल है वह होती रही है।

लेकिन इस बार जो यह बरसात की कमी हुई है तो लगातार आदिवासियों ने इस बात की कोशिश की कि राज्य सरकार उनके हितों की तरफ ध्यान दे। जिस दिन

(श्री संयम लोढ़ा)

यह वारदात हुई उस दिन सुबह प्रशासन को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि आदिवासी लोग इकट्ठा होने वाले हैं लेकिन, सभापति महोदय, दोपहर लाठी-चार्ज हो गया, पथराव हो गया, गोलियां चल गयीं और तब तक ढाई बजे तक सिरोही का जिला कलक्टर मौके पर नहीं पहुंचा।

मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है चाहे मैं कांग्रेस पार्टी का इस विधान सभा का सदस्य हूं लेकिन आपका संवेदनशील शासन का सपना आपके इन अयोग्य, अकर्मण्य अधिकारियों की वजह से चूर-चूर हो रहा है और जिन आदिवासियों के वोटों से, जिन पिछड़ी जाति के लोगों के वोटों से आप हुकूमत में आये हैं उनको उनकी वजह से गोलियां खानी पड़ी हैं।

सभापति महोदय, रोहिड़ा के अंदर खेत पर जाने वाले एक घांची समाज के नवयुवक को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा। बिलकुल निर्दोष आदमी था। आपने एक लाख रुपया उसको दे दिया। उससे उसकी जिन्दगी का तो बचाव नहीं हुआ पर 15-20 ऐसे आदिवासियों को आपकी गोली खानी पड़ी और सरकार की ओर से एक रुपये की सहायता उनको नहीं दी गयी।

मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री महोदय और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस समस्या को बहुत गम्भीरता से लें और वहां इस बात की कोशिश करें कि तुरंत अकाल राहत कार्य शुरू किये जा सकें और जो भेदभाव जिला कलक्टर ने अप्रेल के महीने से पहले तक उस इलाके के लोगों के साथ किया है वैसा भेदभाव इस बार नहीं होना चाहिए, यह आप पूरी तरह सुनिश्चित करें। 15 अप्रेल तक जो आपने मुझे क्वेश्चन में रिप्लाई दिया है, सिरोही जिले में जो श्रमिक सीमा निर्धारित थी मात्र 22 प्रतिशत लोगों को उस पिंडवाड़ा आबू विधान सभा क्षेत्र में काम दिया गया और 78 फीसदी दूसरी दो विधान सभा क्षेत्रों में दिया गया जबकि सबसे ज्यादा जरूरत अकाल राहत काम की उस क्षेत्र के लोगों को है।

सभापति महोदय, अभी जो वर्षा की स्थिति सिरोही जिले में है, उसमें जो औसत वर्षा सिरोही जिले में अब तक होती रही है वह 735 मिलीमीटर है और इस बार मात्र 35 फीसदी वर्षा हुई है। औसत की भी सिर्फ 35 फीसदी, 255 मिलीमीटर वर्षा सिरोही जिले में हुई है। खरीफ की बुवाई का जून, 99 से 15 सितम्बर, 99 तक का जो एक लाख 18 हैक्टर का टार्गेट था उसके विपरीत मात्र 92 हजार 788 हैक्टर बुवाई हुई है जो कि 78 फीसदी है और सरकार का अपना ही आकलन है कि वहां 80 फीसदी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसलिए आज इस बात की महती आवश्यकता है कि सरकार तुरन्त वहां अकाल राहत के काम शुरू करे।

(श्री संयम लोढ़ा)

जैसा कि मंत्री महोदय फरमा रहे हैं कि अभी गिरदावरी की कोई रिपोर्ट नहीं आयी लेकिन मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो खरीफ की गिरदावरी का पूर्वानुमान है वह जिला प्रशासन के पास पहुंच चुका है। चाहे उसी से आकलन करके जो सिरोही जिला इतना तकलीफग्रस्त है, इतना समस्याग्रस्त है उस जिले के अन्दर आप तुरंत कोई फैसला करें और वहां पर राहत कार्य शुरू करने का ऐलान करें।

सभापति महोदय, पानी की भी बहुत गम्भीर समस्या सिरोही जिले में खड़ी हुई है। शिवगंज और सिरोही, जो सिरोही जिले के दो प्रमुख कस्बे हैं, वहां दो दिन में एक बार पानी दिया जा रहा है और माउंट आबू जिसे राजस्थान की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है वहां तीन दिन में एक बार पानी दिया जा रहा है।

मैं यह नहीं कहूंगा कि पिछली बार जो पानी के संकट की स्थिति थी उसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जिले की समस्या को निपटाने में सहयोग मिले, अच्छा काम हो सके।

लेकिन, सभापति महोदय, पिछले 2–3 महीनों में जून के वक्त भी जितने हैण्ड पम्प सैंक्शन किये गये थे उनमें से 50 फीसदी हैण्ड पम्प आज तक नहीं खुद पाये हैं और जब हम इनके अधिकारियों से बात करते हैं तो वे एक ही बात का+++कि हमारे पास पाइप नहीं है, हमारे पास फलां चीज नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके की छोटी–छोटी बातों की वजह से जनता को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है इसलिए आप जिला स्तर पर इस बात की व्यवस्था करें कि आपके अधिकारी अपने स्तर पर उपाय करके इस समस्या का समाधान कर सकें, हैण्ड पम्प खुदवा सकें।

सभापति महोदय, सिरोही जिले के अन्दर ज्वार की फसल 77 फीसदी नष्ट हो चुकी है, बाजरे की फसल 84 फीसदी नष्ट हो चुकी है, मक्के की फसल 70 फीसदी नष्ट हो चुकी है, छोटे खाद्यान्न की फसल 82 फीसदी नष्ट हो चुकी है, चवले की फसल 74 फीसदी नष्ट हो चुकी है, उड़द की फसल 77 फीसदी नष्ट हो चुकी है, अन्य दालों की फसल 100 फीसदी नष्ट हो चुकी है, अरहर की फसल 100 फीसदी नष्ट हो चुकी है, तिल की फसल 92 फीसदी नष्ट हो चुकी है, मूंगफली की फसल 67 फीसदी नष्ट हो चुकी है, कपास की फसल 45 फीसदी नष्ट हो चुकी है और ग्वार की फसल 93 फीसदी नष्ट हो चुकी है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री संयम लोढ़ा)

यह वहां के किसानों के हालात हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सब से कम वर्षा सिरोही जिले में हुई है, जो औसत से 54 फीसदी कम है। सिरोही जिला आदिवासी बहुल जिला है, गरीब जिला है, पिछड़ा जिला है; इस जिले के हालात को देखते हुए आप बिना किसी तरह का विलम्ब किये तुरन्त वहां अकाल राहत कार्य शुरू करने का एलान करें और पेयजल का संकट जो सामने दिख रहा है उसको दूर करावें क्योंकि सिरोही जिले के सारे बांधों की हालत बहुत खराब है।

अलगोर बांध की जो क्षमता है वह 41.18 एम सी एफटी है और वहां 1.75 फीट पानी है। बाणता बांध की 13.14 एम सी एफटी कैपेसिटी है और वहां 3.60 फीट पानी है। महादेव नाला की कैपेसिटी 0.66 है और उसके अगेंस्ट में 0.10 पानी है। बनास बांध में 232.21 एम सी एफटी क्षमता है और वहां 6.40 फीट की स्थिति है। बण्डार नाले में 29.59 एम सी एफटी की कैपेसिटी है और उसके अगेंस्ट में सिर्फ 1.20 मीटर पानी है। टोहा में 85.38 एम.सी.एफटी कैपेसिटी है और उसके अगेंस्ट में सिर्फ 7.55 फीट पानी है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : लोढ़ा साहब, यह आंकड़े तो हमारे पास ज्यादा हैं। आप कोई और सुझाव हैं तो दें। सारे राजस्थान के अलग अलग तालाबों की भराव क्षमता क्या थी और कितना पानी है वह आंकड़े मौजूद हैं। उनके बनिस्पत आप आगे आने वाले अकाल में पशुधन को बचाने के लिए राहत कार्यों के लिए, पीने के पानी के संकट के लिए कोई सुझाव दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय; मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा था, वैसे तो सारी जानकारी मंत्री महोदय के पास है पर यह कागजों का सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि अक्टूबर में रिपोर्ट आयेगी तब हम अकाल के काम खोलेंगे भले ही वहां लोग मर रहे हों, पशु मर रहे हों। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि वाकई में हालत क्या है।

श्री सभापति : बोलिये आप तो।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय; मेरा कहीं भी यह इरादा नहीं है कि जो राज्य सरकार के पास जानकारी है वह दुबारा दोहरा कर सदन का समय नष्ट करूं। मेरा निवेदन इतना सा है कि सरकार ने अपने जो पैरामीटर्स बना रखे हैं, सिर्फ कागजों के आधार पर चलती है कि अक्टूबर में फलां रिपोर्ट आयेगी तब हम काम करेंगे।

लेकिन जब लोग-बाग मर जाएंगे उस के बाद आपकी रिपोर्ट का हम क्या करेंगे। आज वे आदिवासी लूट-पाट पर उतारू हैं। आदिवासी वहां पिंडवाड़ा में घुस गये तो पिंडवाड़ा के बाजार बन्द हो गये, रोहिड़ा में घुस गये तो रोहिड़ा के बाजार बन्द हो

(श्री संयम लोढ़ा)

गये। आपकी रिपोर्ट का हम क्या करें? हमें तो इस बात का एलान चाहिए कि आप कल से वहां पर अकाल राहत के काम शुरू करने वाले हैं और पानी की समस्या को सुधारने के लिए आप अपने टाप लेवल के आफिसर्स को वहां भेजेंगे ताकि वहां उस जिले की जो स्थिति है, उसके अनुरूप वह काम करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमीन खान। समय सीमा सात मिनट है।

श्री अमीन खान (शिव) : जब आप घण्टी बजाओगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय, अकाल इस प्रदेश के लिए कोई नयी बात नहीं है और मैं इस सदन में माननीय राहत मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि अकाल के तहत जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का जितना भी धन खर्च होता है उसमें इन्साफ बरतना बहुत जरूरी है। इसमें आपकी काबिलियत और आपकी ईमानदारी राजस्थान के गरीब, अकाल पीड़ित को काम आयेगी। अकाल की चर्चा पर और अकाल राहत के नाम पर राजस्थान में कई लोग राजनीति भी करते हैं। अकाल के नाम पर कई लोग भारी धन का आनन्द भी लेते हैं। जो जमाने में नहीं ले पाते हैं वे अकाल में पैसे हड़पते हैं।

सरकार पहला जाब्ता इस बात का करे कि जहां जरूरत है पीड़ित आदमी को वहां सहायता मिलनी चाहिए और जहां जरूरत नहीं है वहां, अकाल राहत की जरूरत नहीं है। कई जगह माननीय मंत्री जी, ये बड़ी-बड़ी फर्में बनी हुई हैं कई गोशालाएं बनी हुई हैं, कई ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं पर उनको गाय बचाने से और गरीबों के पशु बचाने से कोई ताल्लुक नहीं है और करोड़ों रुपयों की सरकार की तबाही है। इस ओर आपका जाब्ता होना सबसे पहले जरूरी है।

राजस्थान में हमारा जिला सबसे खराब हालत में है। बाड़मेर जिले में किसी किस्म की न तो कोई नहर है और न बाड़मेर जिले में कोई सिंचित एरिया है। बरसात का औसत जो है, वह भी हमेशा बाड़मेर में कम है और उस जिले की आबादी भी बहुत ज्यादा है।

आज लगभग इस जिले की 20 लाख आबादी है और इस 20 लाख आबादी में कोई एग्रीकल्चर का सिंचित एरिया नहीं है और सारी बारानी खेती है और बरसाती खेती पर आधारित है। इस समस्या से गरीब आदमी को बचाने के लिए पिछले अकाल में भी करीब पांच सौ करोड़ रुपये खर्च किये और सरकार ने गरीब आदमियों को बचाने की पूरी कोशिश की, लोगों को राहत दी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

परन्तु अपन ने पंचायतों के माध्यम से श्मशान की चारदीवारी, कब्रिस्तान की चारदीवारी और अन्य सार्वजनिक भवनों की चारदीवारी पर पंचायतों को जो पैसा

(श्री अमीन खान)

दिया वह एक–एक पंचायत में कम से कम 6 लाख, 8 लाख और 15-15 लाख रुपये तक सरकार के खर्च तो हो गये लेकिन इस काम में अकाल में जो पीड़ित इन्सान हैं, उसको राहत बहुत कम मिल पाती है।

डवलपमेंट का काम तो जरूर हुआ और वह हुआ परन्तु सरकार के पास जैसा आप बता रहे हैं वित्त मंत्री जी बता रहे हैं पैसों की कमी है तो पैसा ज्यादा गरीब आदमी के पल्ले पड़े और गरीब को दो किलो अनाज खरीदने का मौका मिले इसके लिए अच्छी ग्रेवल की सड़कें आपको ज्यादा से ज्यादा स्वीकृत करनी चाहिए। जहां ग्रेवल की सड़कें न हों, गांवों में पशुपालकों के लिए नाड़ी है, छोटा नाड़ा है अच्छे तालाब हैं इनकी खुदाई पर ज्यादा आप लोग जिला कलक्टरों को निर्देश दें, ताकि लोगों की जेब में पैसा जावे और उस पैसे से वे अनाज खरीद कर के अपना पेट भर सकें। यही मेरी मांग है इस पर आप ज्यादा ध्यान दें।

जहां तक पशु बचाने का सवाल है, हकीकत में मैं खुद पशुपालक हूं। जमाना बदल चुका है। तीन पशुओं की तो जहां बहुत–बड़ी कीमत थी जहां लोगों को कहीं-कहीं पशु मिलते थे और जहां गरीब आदमी को कर्जे से भी ये पशु नहीं मिलते थे उन पशुओं को अब लोगों ने बेकार करके छोड़ना शुरू कर दिया। उसमें एक आता है ऊंट, एक गाय और एक गधा। और ये बेकार इसलिए हो गये हैं कि आजकल के जमाने में लोगों ने मशीनरी के आधार पर खेती करना शुरू कर दिया है।

पुराने जमाने में खेती के अच्छे किसानों के पास साधन थे ऊंट के, बैल के और गरीब से गरीब कमजोर किसान के पास साधन था हल चलाने के लिए गधे का और दूसरा गधे पर पानी भर कर पीने का इसलिए गधा जानवर भी गरीब किसान के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी था।

अब यह रामसिंह जी के महकमे ने लोगों को इतना नजदीक पानी पहुंचाया कि न तो कोई गधे से उठा कर पानी पीता है, न कोई ऊंट से उठा कर पानी पीता है, न कोई बैल से लाकर पानी पीता है। ज्यादातर पानी जलदाय विभाग की योजनाओं से मिलता है तो इन पशुओं को बचाने के लिए गरीब आदमी जो हैं, आजकल पशु गरीब की मदद के लिए दो काम में ज्यादा आ रहे हैं।

एक तो भेड़ और दूसरा बकरी और इन भेड़-बकरियों को अकाल में बचाने के लिए अपने सरकारी मद से कोई सहायता न तो देते हैं और न इनको सहायता मिलती है। अकाल जब-जब पड़ता है जिस एरिया में अकाल हो वहां भेड़-बकरी जिस एरिया में और गरीब आदमी के पास जहां 50 बकरी और भेड़ हैं वे ट्रकों में भूख के बचाव के लिए अहमदाबाद भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, अमृतसर भेजते हैं।

हमारे एरिये की मैं बात कहता हूं कि उससे लोगों को 10-20 बोरी बाजरा या

(श्री अमीन खान)

जाता है और उस बाजरे से लोग पेट भरते हैं बाकी इन तीन किस्म के जानवरों से कोई 10 किलो भी बाजरा देने वाला नहीं है। यह एक पशुओं की स्थिति है।

हमारे जिले के पड़ोस में जैसलमेर जिला है। जैसलमेर जिले में 38 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और उसमें एक तूफानी बरसात अच्छी हुई थी और उस अच्छी बरसात से सेवण घास बढ़िया हुई। आज भी हमारे जिले का सारा लोड जैसलमेर पर है।

जैसलमेर में मवेशी को काफी राहत मिल सकती है, लेकिन जैसलमेर के लोग भी हाय-तौबा कर रहे हैं कि बाहर के लोग आकर के यहां इतनी ज्यादा तादाद में जमा हुए हैं, तो हमारे पशु मर जाएंगे। जैसलमेर जिले में घास का फिलहाल अच्छा इन्तजाम है। ज्यादा से ज्यादा, मेरी यह राय है कि सड़क ग्रेवल, नाड़ी, तालाब, इसको अकाल राहत शुरू करते वक्त प्राथमिकता देनी चाहिए।

दूसरी बात जो सरकारी वितरण व्यवस्था है अनाज की, उसका माकूल और सख्त इन्तजाम किया जाए। जैसा कि मेरे पूर्व हमारे बाड़मेर के विधायक श्री जैन साहब ने भी कहा था, गरीबी की रेखा से नीचे वालों को राशन कार्ड पर जो अनाज दिया जाता है अकाल में कम से कम सभी लोगों को उस एरिया के लोगों को उसी रेट से अनाज की व्यवस्था की जाए तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है इसकी भी कई मजबूरियां हैं। इनके पास जहां अकाल में लोगों को पानी पहुंचाने के लिए अकाल की मद से, हमारी सरकार से व अकाल राहत मंत्री से यह दरख्वास्त है कि जहां हैण्ड पम्प की गुंजाइश है वहां अगर इनके किसी प्लान में सैंक्शन नहीं हो पाते हैं तो अकाल की मद से हैण्ड पम्प की इमरजेंसी तौर पर स्वीकृतियां जारी करें और कई जगह परीक्षण के तौर पर नलकूप खुदाये जाएं और उन नलकूपों को एडवांस में रख करके भी जहां कोई नलकूप खराब होता है तो इमरजेंसी के तौर पर अकाल में, आम समय में पानी के काम आएगा।

ऐसे नलकूपों की अकाल पीड़ित जिलों में ज्यादा सहायता दी जाए। हमारे जिले में इस वक्त जलदाय विभाग की काफी स्कीमें फेलियर चल रही हैं और अभी गर्मी नहीं है और सर्दी आने वाली है। फेलियर का कारण मैंने बड़ी गहराई से सोचा तो विभाग की लापरवाही या गलती मुझे महसूस नहीं हुई। एक दूसरे के अकाल के एरिया की वजह से मेरा एरिया गडरा रोड सब तहसील का है, तहसील चौहटन, तहसील गुढ़ामालानी और तहसील रामसर इलाके के कम से कम डेढ़ लाख मवेशी हमारे इलाके में आकर घुस गये और उसके साथ कई आदमी आये।

तो जितना पानी डिजाइन इनकी स्कीमों में होता था, वह पानी बाहर के

(श्री अमीन खान)

लोगों को पीना पड़ा। दूसरा मई से, जून से लेकर अभी तक यह कारगिल का देश के ऊपर संकट आने के कारण से फौज वहां काफी तैनात है, और अभी तक फौज है। फौज को अनलिमिटेड पानी वाटर वर्क्स को हर पाइंट से सप्लाई करना पड़ रहा है और सप्लाई करना जरूरी है।

लेकिन वह सप्लाई करने से रेगुलर जो पानी की स्कीम थी और जिस स्कीम से 25 गांवों को पानी जाना था उस स्कीम में से 10 गांवों को पानी पिछले 3-4 महीनों से जा रहा है और 15 गांवों को पानी जाना बंद हो गया इसलिए हमारी यह विशेष गुजारिश है कि चाहे तो आप डिफेंस से अपना एक प्रस्ताव करें जहां फौज की एक्सरसाइज भी हमेशा सीमा पर होती है और संकट के हालात में भी फौज का इन्तजाम जरूरी है।

जहां-जहां सीमावर्ती गांव के पाइंट हैं उनका अलग नलकूप खुदवाया जाना चाहिये। इनके लिये, पानी का इंतजाम करने के लिये कम से कम पब्लिक के लिये जिन योजनाओं से, डिजाइन स्कीमों से लिया जाता है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिये ताकि लोगों में असंतोष पैदा न हो और इसका जरूरी जाप्ते से इंतजाम होना चाहिये।

अकाल राहत कार्यों में कई गांवों में वितरण की व्यवस्था, जिसके अंदर लोग अनाज टाइम पर ले नहीं जाते, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त इंतजाम होने चाहिये और पीने के पानी के लिये जल्दी से जल्दी सहायता मंत्री जी को सहायता देनी चाहिये। सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य, श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय में केवल बाड़मेर ही नहीं पूरे मारवाड़ में अकाल नहीं त्रिकाल हो रहा है। त्रिकाल की पूरी संभावना है। भगवान करे वर्षा हो जाये तो कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था तो हो जाये।

मेरा निवेदन यह है कि कृषि विभाग द्वारा जो सर्वे करवाया गया, और उस रिपोर्ट के अनुसार इस मारवाड़ के अंदर कम से कम 80 से 90 प्रतिशत फसल नष्ट हुई। बाड़मेर, जैसलमेर और शेरगढ़ में तो 90 प्रतिशत फसल बिलकुल नष्ट होने जा रही है और नष्ट हो भी चुकी। हमारे काश्तकारों ने अपने मवेशियों को एक गांव से दूसरे गांव में टोले के टोले छोड़ दिये हैं। सारी रात किसान टार्च लेकर खेत में जो थोड़ी बहुत घास है, कुछ बाजरे के डोके हैं उनकी रखवाली के लिये पूरी रात जागरण करता है।

लेकिन फिर भी गायें इतनी आ रही हैं, लोगों ने इतनी गायों को छोड़ दिया है, आज उन गायों की यह हालत है कि केवल हड्डियां रह गईं।

(श्री अमराराम चौधरी)

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसी जो संस्थाएं हैं, 1984 में आपने ऐसे कैम्प खोले थे उनमें आप कम से कम दस रुपये प्रति गाय दे दीजिए। ऐसी संस्थाओं को तैयार कीजिए और जिन लोगों के पास खाने के लिये अनाज नहीं है वो गायों को कैसे जीवित रखेंगे। उन गायों—बैलों को उन कैम्पों में रखें और बाद में अच्छा जमाना आने पर उनको वापस सुपुर्द कर दें, ऐसी संस्थाएं भी तैयार हैं। (व्यवधान) दस रुपये पर डे दें, कुछ वह संस्था भी कंट्रीब्यूशन करेगी। पहले 1984 में पांच रुपये दिये थे। कम से कम दस रुपये एक गाय के लिये दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिए; उधर मत उलझिए। समय सीमा है आज।

श्री अमराराम चौधरी : प्रतिदिन के लिये मैं निवेदन कर रहा हूं। इसके साथ पानी का बहुत भयंकर अभाव है। कई गांवों में कई दिनों से नल नहीं आ रहे हैं। मेरा एक गांव है कालोड़ी जिसमें पानी के नल में आज 15 दिनों से पानी नहीं है और वे 10 किलोमीटर दूर तालाब से पानी लेने गये तो उनको पानी भरने नहीं दिया। अपने लिये एक घड़ा पानी ऊंचा करके कोई नहीं ला सकता। वो ट्रैक्टर लेकर गये और उनके खिलाफ गांव वालों ने एट्रोसिटी का मुकदमा किया। पानी नहीं आने के कारण इस प्रकार के एट्रोसिटी के मुकदमे जगह-जगह हो रहे हैं। लोग यह सोचते हैं कि हमारा पानी खतम हो जायेगा।

जहां नल की व्यवस्था है वहां आपके जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दें, आपने दिये भी होंगे, लेकिन वहां पानी की व्यवस्था हो। पुराने जो भी नलकूप हैं, पुराने जो पड़े हुए हैं उनको भी काम में लें। आपकी एक लाइन थी कालोड़ी के लिये। बुरीबाड़ा में जनता ने कहा कि हमारा पानी चला जायेगा, हम यहां पर नलकूप नहीं खोदने देंगे।

मैं आपको जमीन दिलाता हूं जाकसा और धारणा के रास्ते पर जहां पर नलकूप में मीठा पानी निकलेगा और यदि वह नलकूप फेल हो जाये तो उसका खर्चा मैं देने के लिये तैयार हूं। एक हजार टी.डी. एस. पालर पानी है वहां और आप उन गांवों में पानी भेज सकते हैं जहां लोग पानी से महरूम रह रहे हैं। आपने वहां नलकूप नहीं खोदा तो कोई बात नहीं, वहां से 7 किलोमीटर दूर ट्यूबवैल के लिये हम आराम से जमीन दे रहे हैं। यहां तक कि मिठोड़ा के अंदर मैं अपनी जमीन देने के लिये तैयार हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : पांच साल तक आप मंत्री रहे, यह काम क्यों नहीं किया ?

श्री अमराराम चौधरी : सब हुए थे। आपको अभी की व्यवस्था के लिये कह रहा हूं। जो ट्यूब वैल हमने सैंक्शन कर दिये,

(श्री अमराराम चौधरी)

खोदे नहीं हैं, वही बात कर रहा हूं। हमने सेंक्शन किये वहां खुदे नहीं, लोगों ने एतराज किया कि हमारी काश्त नहीं होगी। मैं जमीन दिला रहा हूं, आपके ट्यूबवैल के लिये मैं जमीन दिला रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विवाद में उलझ जायेंगे, सात मिनट अभी आपके खतम हो जायेंगे।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सड़कों का काम आप करावें लेकिन सड़कों के काम में जो भी फैमिन की सड़क बने और यदि उनका सही नाप हो जाये तो एक भी सड़क सही नहीं निकलेगी। जो हाई-वे के स्पेसिफिक रूल्स बने हुए हैं उसके अनुसार जो ग्रेवल सड़क बनती है उसके लिये हर 10 मीटर में आपको नाप फिक्स करना पड़ेगा कि ग्रेवल कितना है, उसके साइड में एक पिट्स करना पड़ेगा तो दस मीटर में तीन पिट्स हो गये। 300 पिट्स एक किलोमीटर में आपको करने पड़ेंगे तब आपको पता लगेगा।

स्टेट वर्सेज रोहीवाल केस में इसी बेसिस पर उन्होंने रेंडम प्रणाली से ही कर दिया। हाई कोर्ट में उनकी अपीलें चल रही हैं। जितनी भी सड़कें बढ़ी हैं और जो आपके रूल्स बने हुए हैं और रूल्स में एक किलोमीटर में 300 पिट्स करना जरूरी है, उस हिसाब से नपवायेंगे तो सड़क में भ्रष्टाचार भी नहीं होगा और काम पूरा का पूरा होगा। यही मेरा आपसे निवेदन है।

तालाबों के बारे में निवेदन करूंगा कि पहले हमारे करीबन 27 तालाब सेंक्शन किये। उनकी वीडियोग्राफी करवायी गई। किसी तालाब की वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई और वित्तीय स्वीकृति नहीं देने के कारण वो तालाब आज तक नहीं खुदे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऐसा मालूम होता है कि आप हाथ के हाथ उनसे मंजूरी ले रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हाथों हाथ मंजूरी ले रहे हैं। आप आसन की तरफ नजर रखें।

श्री अमराराम चौधरी : जिन तालाबों की वीडियोग्राफी कराई थी और जिन तालाबों में पानी नहीं है उनकी आप खुदाई शुरू करावें।

इसके अलावा मैं बिजली मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा जो कि यहां पर नहीं है, कि हम अनाज भी पैदा करना चाहते हैं क्योंकि जहां सिंगल क्राप है वहां अनाज बिलकुल नहीं हुआ। जहां डबल क्राप एरिया है वहां जी.एस.एस. का आपने निर्माण करा दिया लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाये जिसके कारण लोगों के जितने वोल्टेज आने चाहिये थे, वह नहीं आ रहे हैं। पी.एच.ई.डी. के कनेक्शन भी उनसे हैं। जो जी.एस.एस. हैं उन पर जल्दी से जल्दी ट्रांसफार्मर लगाये जायं ताकि हम

(श्री अमराराम चौधरी)

हरा चारा भी पैदा कर सकें, आने वाली रबी की फसल पैदा कर सकें और लोगों को इससे राहत मिल सके।

बिजली मंत्री जी यहां नहीं है, क्या होता है कि जो सिसीयर होता है वही बिजली मंत्री है। वह चाहता है दो घंटे, दस घंटे, 20 घंटे जितना भी है, कुछ हमारा होना चाहिये। इस कारण से इतनी धांधली हो रही है कि अगर उनको कुछ कह भी दिया जावे तो अकाल के समय में जानवर पानी के लिये महरूम रह जायें। तो यह माकूल व्यवस्था होनी चाहिए। आपने जो आठ घण्टे बिजली देने का बराबर वादा किया, वह दें ताकि काश्तकार जहां वर्षा नहीं हुई है वहां अपना चारा पैदा कर सके।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : हां, एक मिनट। दूसरा, माननीय मंत्रीजी, आप सहकारी मंत्री भी हैं, अब यह वसूली जब स्थिति इतनी भयंकर है, बाड़मेर जिले में तो यह वसूली आप रोक दीजिये और काश्तकार के पास क्या रहा है, जो कुछ था वह तो उन्होंने अपने खेत में लगा दिया उसके बाद पैदा कुछ हुआ नहीं है, आप स्वयं जानते हैं, अब काश्तकारों की हालत कितनी खराब है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी वसूली कहां हो रही है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : रिकवरी के लिए अभी जो आपने....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वसूली अभी बंद है। अभी हो रही है क्या आपके यहां?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): कई कई जगह उनसे पैसे जमा कराने के लिए...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह आगे के लिए तो ठीक है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : तो आप रोक दीजिये, भविष्य में नहीं कि यह नहीं है। आपको याद होगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, नहीं, अगर अभी कोई हो रही है तो आप मेरे नोटिस में लायें, मैं बात करूंगा।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): मेरा यह कहना है कि आप ऐसे आदेश करें कि इससे काश्तकारों की वसूली नहीं की जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें। आप अपनी बात कहिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : तो मेरा निवेदन है कि इस भयंकर अकाल के अंदर सरकार पूरी मदद करे और खाली यह नहीं है कि आपने इतने काम सैंक्शन कर दिये लेकिन जब तक वित्तीय स्वीकृति आप नहीं देंगे तब तक कोई काम वहां का जिला कलक्टर चालू नहीं करेगा और उसके

(श्री अमराराम चौधरी)

कारण हम लोगों को आश्वासन देते देते थक जायेंगे। इसीलिए आप अभी भी माकूल प्रबंध करें, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मेरा पहला नम्बर दिया है पार्टी की तरफ से।

श्री देवीसिंह भाटी : और क्रम पर भी देखा जाय तो पहला नम्बर था।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मेरा नम्बर पहला दिया हुआ था।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल डांगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है, समय जो आपने नीयत किया उसमें हमने प्रायोरिटी से हमारे मैम्बर्स के नाम दिये, पहला नम्बर इनका था, दूसरा नम्बर इन का था।

श्री सभापति : मैंने आपके डिप्टी लीडर साहब को दिखा दिये हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : पार्टी ने क्रम बनाकर दिया है।

श्री सभापति : नहीं, नहीं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति महोदय, मेरा भी नम्बर था।

श्री सभापति : आपको भी टाइम देंगे। माननीय श्री डांगा।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी और सहायता मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पिछले 8 साल की जर्जर वित्तीय स्थिति जो आपको मिली और जो आपने इस अकाल की दयनीय स्थिति में जनता की मदद की उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सहायता मंत्री जी, पिछले अकाल में आपकी तरफ से भरसक प्रयत्न किये गये उसके बावजूद भी कुछ कमियां रहीं, जिला प्रशासन के स्तर पर भी कमियां रहीं जैसे हमारे नागौर जिले में आपके द्वारा जो श्रमिक संख्या निर्धारित की गयी थी उस संख्या से कम मजदूर लगे, यही प्रशासन ने बहुत बड़ी कमी रखी। आने वाले समय में इसके लिए विशेष नियंत्रण रखा जावे।

मैं, इस समय माननीय भंवरलाल जी, जो कि हमारे यहां अकाल राहत के प्रभारी मंत्री थे, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हर पंचायत समिति स्तर पर मीटिंग लेकर प्रत्येक कार्य की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान एक बात सामने आयी कि एक कार्य के लिए जिस तरह से 40 मजदूरों की सीलिंग की गयी और कुल उसका जोड़ लगाकर जितने कार्य पंचायत समिति को सुपुर्द किये, उनका 12 सौ आता है, तो जिला कलक्टर के द्वारा एक

(श्री मांगीलाल डांगा)

हजार की सीलिंग लगा दी गयी। और पंचायत समिति के विकास अधिकारियों ने जो कार्य करवाये, और व्यक्तिगत कार्य के अन्दर जो सीलिंग थी उसके आधार पर मजदूर लगाकर कराये और यह प्रश्न जब उस बैठक में आया तो पंचायत समिति की जो–जो कार्यवाही है, उसमें भी इसके बारे में विवरण अंकित है।

माननीय मंत्रीजी ने मौके पर आदेश दिया था जिसमें जिला कलक्टर स्वयं मौजूद थे और यह आदेश दिया था कि कार्य अधूरे नहीं रहने चाहिए और प्रभारी मंत्रीजी द्वारा निर्धारित सीलिंग में पूरे होने चाहिए, कार्य पूरे हो गये और लेखा-जोखा जब पेश किया तो जिला कलक्टर के द्वारा व्यक्तिगत कार्य के अन्दर जो स्वीकृति थी, उसकी अलग से स्वीकृति जारी नहीं करके आपके पास में मामला प्रस्तुत हुआ है।

मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक प्रश्न के उत्तर में नागौर जिले के जो श्रमिकों का अभी भुगतान करना है उनको नियमित करके भुगतान करने की घोषणा की। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

मान्यवर, बुजुर्ग लोग गांवों में कहते हैं कि यह जो वर्ष 56 है इसका नाम लेना ही गुनाह समझते हैं। वास्तव में सभापति महोदय, स्थिति यही है, एक बरसात जरूर हुई किसान के पास जो कुछ था, बीज बोया हल चलाने में, उसकी गुड़ाई में खर्चा किया और आज किसान बिलकुल खाली हाथ हो गया है और वह फसल चौपट हो गयी और सभी गांवों में यह हालत है कि हण्डरेड परसेंट अकाल है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता ही नहीं पूरा जिला अकाल की चपेट में है और आगे आने वाले समय में हमें इस तरह के कार्य हाथ में लेने चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजदूरी मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिले। इस तरह से, सड़क का निर्माण है, जो नाड़ियां पिछले 20–20 वर्ष से, तालाब जो पिछले 20-20 वर्ष से, एनीकट जो जर्जर हो रहे हैं, जिनके अन्दर पानी का भराव, वह निकल जाता है, उनकी मरम्मत करायी जाये। उन सब की खुदाई करायी जाये। इससे किसान और गांव के मजदूरों को राहत मिलेगी और जो जल स्तर हमारे कुओं का दिनों दिन नीचे जा रहा है, उस पर भी इससे रोक होगी और आने वाले समय में जल स्तर में वृद्धि के अन्दर भी सहयोग मिलेगा।

आज मैं मानता हूं कि यह अकाल की स्थिति, जो अभाव नहीं वास्तव में अकाल की स्थिति है, परन्तु आज आधुनिक युग और वैज्ञानिक युग है, आज यातायात के साधन हैं, दूरियां कम हो गयी हैं। इन बातों को देखते हुए जो बुजुर्ग जिस बात को याद कर रहे हैं वह तो हमें महसूस नहीं हो रहा, परन्तु वास्तविक जो स्थिति है।

मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस वर्ष को अकालग्रस्त घोषित किया जाय और अकालग्रस्त घोषित करके जो हमारा पशुधन है, पशुधन को बचाना

(श्री मांगीलाल डांगा)

बहुत ही जरूरी है। उसके लिए आप चारे के अनुदान की व्यवस्था, मुफ्त चारा, विशेषकर जो गौशालाएं हैं जिनमें आज गऊएं हैं उनके लिए अनुदान, और अकाल की भयंकर स्थिति में उनके लिए मुफ्त चारे की व्यवस्था की जाय।

सभापति महोदय, हमको अकाल के समय संसाधन भी खड़े करने चाहिए परन्तु उसके साथ-साथ हमें ऐसे कार्य हाथ में लेने चाहिए, उसमें भी पक्के कार्य जैसे, राजकीय भवन, विद्यालय, सहकारी संस्थाओं के गोदाम और जितने भी सांडघर हैं उनकी बाउण्डरी निर्माण, विद्यालय के खेल के मैदान की बाउण्डरी निर्माण, ताकि उनमें भी मजदूर ज्यादा से ज्यादा लग सकेंगे। और इसके साथ जैसे सिंचाई विभाग के साथ ही जो सिंचाई विभाग का बजट है उसको मेटिरियल कम्पोनेंट में काम लेकर एनीकट्स की मरम्मत करायी जाय, जो नहरें टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत करायी जाय और नये एनीकट बनाये जायं।

ग्रेवल सड़क का भी, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट है उसमें जो मेटिरियम कम्पोनेंट का पैसा लिया जाय और अकाल राहत के अन्दर ज्यादा से ज्यादा ग्रेवल सड़क बनायी जायं ताकि एक तो हमें राहत मिलेगी, और राहत के साथ-साथ ही वहां के जो मार्ग हैं जिन पर आज अतिक्रमण हो रहे हैं और गांव के लोग परेशान हैं, सड़क बनाने से हमेशा के लिए एक सम्पति बन जायेगी।

अकाल के इन निर्माण कार्यों के साथ में माननीय सभापति जी, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जलदाय मंत्री जी का भी कि आज दूसरा जो सबसे बड़ा संकट है, वह है पानी का। पेयजल का। मेरे क्षेत्र में मेड़ता जैसे शहर में, जिसमें कि आज 50 साल की आजादी के बाद भी फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है और माननीय सभापति जी, मैंने मुख्य मंत्री जी की मीटिंग में, माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी की मीटिंग में यह सारे मुद्दे इनके समक्ष रखे और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक गांव जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जड़ाऊकलां है, उन्होंने तो इस चुनाव का बहिष्कार इस बात से किया कि उनको पेयजल नहीं मिल रहा है जबकि इस योजना को मैं शुरू से इस गांव को पेयजल देने के लिए उठाता आया हूं।

पेयजल के मामले में कुछ हमारी योजनाएं तैयार हैं परन्तु वहां के जो कर्मचारी हैं वे न तो समय पर देख रहे हैं, या तो कहीं पर पानी बहुत तादाद में बह रहा है और कहीं एक गांव को पानी पहुंच नहीं रहा है। तो इसलिए इस पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। और अकाल राहत में विशेष तौर से जहां-जहां पानी नहीं है, उन क्षेत्रों में ट्यूबवैल खुदवाने के लिए, कुएं खुदवाने के लिए जहां कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां ट्यूबवैल खोदने से तो पानी नहीं मिलता है परन्तु कुए यदि काफी चौड़ाई में खुदाये जायं तो वहां पानी मिल जाता है।

इसलिए जलदाय विभाग की तरफ से कुएं खोदकर व्यवस्था करनी चाहिए। जहां

(श्री मांगीलाल डांगा)

हैण्डपम्पों के लिए आवश्यकता है। माननीय मंत्रीजी ने हैण्डपम्पों के लिये बजट आवंटन किया और उस टाइम आचार संहिता लागू हो जाने से वह हैण्डपम्प नहीं बन सके हैं। इसलिये उनको जल्दी बनवाया जाए।

जलदाय और पानी की आवश्यकता के साथ-साथ आवश्यक है कि बिजली की आपूर्ति भी पूर्ण रूप से हो। आज एक मुख्य मुद्दा है कि जब बिजली 8 घण्टे देते हैं, 8 घण्टे तो किसानों को मिली है। विद्युत मंत्रीजी यहां नहीं हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

परन्तु आज जो स्थिति बनती जा रही है उसको उसी के अनुरूप रखना आवश्यक है। इसलिये बिजली की आपूर्ति की जाए और अकाल में विशेष तौर से एक संशोधन लाने की आवश्यकता है कि जो किसान, आज दिनों-दिन पानी गहरा जाता जा रहा है, कुएं सूख रहे हैं, ट्यूबवैल कोलैप्स हो गये हैं, ट्यूबवैल के अन्दर पानी खतम हो गया तो किसान अपने कुएं से आधे किलोमीटर, दो किलोमीटर पर जाकर के एक बीघा, दो बीघा जमीन लेकर के ट्यूबवैल बनाता है वहां कुआं खोदता है और लम्बी-लम्बी 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर की लाइन डालकर के पानी लाता है।

उस समय वह अपना कनेक्शन, अपने मूल खेत में जहां पानी सूख गया है, वहां से उस कुएं पर ले जाना चाहता है जहां उसने नया कुआं खोदा है और पानी हो गया है, जहां नया ट्यूबवैल बनाया है और उसमें पानी है, इसलिये इसके लिये तुरन्त आदेश होने चाहिए कि किसान अपना शिफ्टिंग का कनेक्शन कराना चाहता है तो बिना किसी प्रकार के शुल्क के उसका कनेक्शन शिफ्ट होना चाहिए।

इससे इस अकाल राहत में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। किसान चारा पैदा करेगा, किसान खाने के लिये आने वाली फसल में अनाज पैदा कर सकेगा और आज ही जो हरे चारे की आवश्यकता है, जो चारे के लिये राहत मिलनी चाहिए उस राहत में सहायक होगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी ऋण की वसूली की बात आयी। अभी ऋण वसूली नहीं हो रही है। खरीफ में जो ऋण दिया है उस ऋण की वसूली अब होने का समय आ रहा है। हमारे यहां प्रावधान है कि सरकारी अधिनियम के तहत जब भी अकाल या अभावग्रस्त घोषित होता है तो उस ऋण को परिवर्तित कर दिया जाता है; उसका कन्वर्जन हो जाता है।

इसलिये आप सहकारी विभाग को ये निर्देश देने की कृपा करें कि इसके सम्बन्ध में भी शीघ्र कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। समय-सीमा का ध्यान रखें।

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय सभापति महोदय, आपने समय की पाबन्दी लगाई है इसलिये मैं पुनः सहकारिता मंत्री जी को यह निवेदन करते हुए कि आप ऋण को तो परिवर्तित करेंगे ही, पर

(श्री मांगीलाल बांगा)

प्रकाल राहत में जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के, ग्रोर जो प्रन्य सहकारी संस्थाएं गोदाम बनाना चाहती हैं, उसमें भी प्रापका जो मैटेरियल कम्पोनेंट का है, वह पैसा सहकारी संस्थाओं की तरफ से देने को तैयार हैं, उनको भी प्राप प्रकाल राहत में सम्मिलित करके उनको यह लाभ दिलायें, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जगतसिंह दायमा। प्रापकी पार्टी के 4 मिनट हैं।

श्री जगत सिंह दायमा (बामसूर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में, जब प्रकाल चरम सीमा पर है राजस्थान में, ऐसी स्थिति में विधान सभा बुलाकर के इन्होंने इस पर चर्चा की ग्रोर इसका कोई समाधान ढूंढने की बात चाही।

माननीय सभापति महोदय, यूं तो जब जोधपुर के कमिश्नर ने जब यह रिपोर्ट भेजी कि हमारे सम्भाग में बहुत ज्यादा हालत खराब होने जा रही है ग्रोर प्रकाल में न तो पानी मिलेगा, फसल सूख जाएगी। इस स्थिति की रिपोर्ट उन्होंने भेजी ग्रोर साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि क्योंकि इस इलाके में ऐसा भी सम्भव है कि जब फसल नहीं रहेगी, पीने का पानी नहीं रहेगा, जब धन ग्रोर ढोर हमारा है उसकी बहुत क्षति हो जाएगी, लोगों के पास खाने पीने की वस्तु नहीं रहेगी तो पेट भरने के सवाल के ऊपर कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। ऐसी रिपोर्ट कमिश्नर, जोधपुर से प्रायी।

मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि किस तरीके से प्रकाल बढ़ रहा है, प्रकाल का डर पहले से ही जो बना हुग्रा है, यह देखा जा सकता है उनकी रिपोर्ट में।

यह जोधपुर सम्भाग में ही नहीं बल्कि उदयपुर सम्भाग में भी यही हाल है। वहां पर भी प्रकाल ने पूरे तरीके से चारों तरफ प्रपना जमावड़ा जमा लिया है ग्रोर वहां पर भी स्थिति यही बनी हुई है कि प्रादिवासी इलाके में ऐसा हो सकता है कि जब पेट भरने का सवाल हो तो वहां चोरी, वारदातें, ये बढ़ जाएं ग्रोर लोग कानून व्यवस्था को प्रपने हाथों में नहीं ले लें। इस बात के ऊपर भी सरकार का ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, 20 जिलों में प्रकाल है ग्रोर 25 हजार गांव इससे प्रभावित हैं। इसलिये राजस्थान में एक तरीके से 2-4, 5-7 जिले छोड़कर के सभी जगह प्रकाल है। प्रकाल है तो सभी जगह, पर कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर पूरा ध्यान दें। पीने के पानी की समस्या है, चारे की समस्या है, पशुग्रों की समस्या है, इनके ऊपर सरकार को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए।

यही नहीं, जालोर में तो यह हालत बन गयी है कि वहां पर 10 लाख भेड़ें

(श्री जगत सिंह दायमा)

इक्ट्ठी हो गयी हैं। सारे राजस्थान से, इधर-उधर से आकर के जालौर में इक्ट्ठी हो गयी हैं। अब सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो उस जिले में भेड़ों के पास गुजरने के लिये कोई रास्ता नहीं बचा है। अच्छा होता, मुख्य मंत्री और सरकार, हमारे जो पड़ौसी राज्य हैं, अगर उनसे तुरन्त, पहले बात नहीं हो पाई, परन्तु अब भी अगर उनसे तुरन्त बातचीत कर ली जाए तो भेड़ों का दूसरे राज्यों में जो पलायन इस वक्त हो जाना चाहिए था वह नहीं हो पाया।

हालत यह हो रही है कि 10–15 लाख भेड़ें जालौर जिले में इक्ट्ठी हो गयी हैं। अब वह इक्ट्ठी हो गयी हैं और अगर वे किसी खेत में घुसती हैं तो वहां पर लड़ाई होती है। इसलिये हालात बहुत गम्भीर बनने वाले हैं। यही नहीं, जब हमारे, जैसे कानून बना रखा है गौरक्षा का, तो निश्चित रूप से मैं भी इसका समर्थक हूं कि गौ की रक्षा होनी चाहिए।

परन्तु आप यह बताएं, जहां थोड़ा चारा बचा है, लोगों ने तो अपनी गायें, बछड़े, बैल, जो भी थे उनको घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो वे जंगल में चले गये। अब जंगल में चले गये तो जिसका थोड़ा बहुत जो खेत बचा है, उसमें अगर कोई गाय खाती है तो इधर से जो उसका मालिक है, जमीन का, वह उसको मारता है और मारने का प्रावधान है नहीं। मारने का गौ–रक्षा कानून में कोई प्रावधान है नहीं। अगर आपने किसी गाय-बछड़े को कोई लाठी मार दी, कुछ कर दिया तो आप ही बंद हो जाएंगे। आपके ऊपर केस चल जाएगा।

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। क्योंकि गाय, बैल जिसने छोड़ दिये, वे खेतों में तो जाएंगे ही और खेतों में उधर से वह किसी न किसी तरीके से लाठी से, कैसे ही, वार करके गऊ को, उनको निकालेंगे तो उसके ऊपर केस बन जाएगा। तो स्थिति अकेले अकाल की नहीं रही। सिर्फ पेट भरने की और उनकी रक्षा की नहीं रही। अकाल के साथ-साथ आपकी कानून–व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इसमें 2 सुझाव देना चाहता हूं कि एक तो पिछली बार आपने घोषणा की थी कि जो भी अकाल राहत के तहत जब भी कोई कार्य करवाए जाएंगे तो वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। वीडियोग्राफी के लिए आप लोगों ने यहां पर घोषणा की थी परंतु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि वीडियोग्राफी का कार्य चालू नहीं हुआ।

सभापति महोदय, यह सरकार अपने आपको पारदर्शी सरकार कहती है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए यह दृढ़ संकल्प वाली सरकार है, पार्टी है। यह कहती है कि हम भ्रष्टाचार भी मिटाएंगे परन्तु इसके लिए,

(श्री जगत सिंह दायमा)

यह सब कुछ करने के लिए अगर पारदर्शिता नहीं दिखायी गयी तो यह सब कुछ कैसे हो पाएगा ? अगर वीडियोग्राफी होती तो भ्रष्टाचार उसमें कम होता।

पहले तो होता ही नहीं क्योंकि जो मैटीरियल बनता, जो भी काम होता, आज की तारीख में इतना काम हो गया तो दूसरे दिन कितना काम हुआ और तीसरे दिन कितना काम हुआ, कितने मजदूर लगे, कैसा मैटीरियल उसमें काम आया, यह सारी चीज वीडियोग्राफी में हो जाती तो भ्रष्टाचार करने वाले भी इससे घबराते, परन्तु इस बात के लिए आपने कभी ध्यान नहीं दिया।

मेरी पुनः आप लोगों से मांग है कि जब इस तर्ज पर काम करवाए जा रहे हैं तो वीडियोग्राफी करवायी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, एक मिनट मैं और लेना चाहूंगा। अकाल राहत के लिए हम काम भी करवा रहे हैं परन्तु मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो कच्ची सड़कें हैं, यह काम है सड़कों का, यह नहीं होना चाहिए। उसके पीछे लाजिक यह है कि एक ने, किसी ने रेत डाल दी, मिट्टी डाल दी। मिट्टी कैसे, कितनी डाली, कितने फीट डाली, कितने घनमीटर डाली, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और वह लाकर के मिट्टी डाली और पैसा लेकर भाग गया। दूसरे ने रोड़ी नहीं डाली, किसी ने कुछ कर भी दिया तो तारकोल डालने का सवाल ही पैदा नहीं हो तो ऐसे कामों में घोटाले ज्यादा होते हैं।

सभापति महोदय, मेरा मानना है, जैसे मेरे पूर्व साथी ने अभी बोलते हुए कहा कि पक्के काम करवाओ, तो पक्के काम करवाएंगे तो वे जो काम होंगे वे स्थाई होंगे और स्थाई होंगे तो उससे पब्लिक को लाभ मिलेगा। कच्चे काम करने से, किसी ने मिट्टी डाली, किसी ने रोड़ी डाली या नहीं डाली, कितनी डाली, इससे कोई काम बनेगा नहीं। मजदूरों का काम है, वह दुनिया खा जाएगी। मस्टर–रोल भर दिये जाएंगे और काम होगा नहीं।

इसलिए सभापति महोदय, मैं तो आप से यह निवेदन करना चाहता हूं जो भी काम करें, वह पक्के करें।

एक तरफ मैं ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि अभी अकाल का समय है तो पानी की किल्लत तो है ही। पानी के बिना ही तो अकाल है। सारी बात तो यही है तो होता क्या है कि अकाल के समय में और पानी की किल्लत में हमारे अधिकारी और डिपार्टमेंट बहुत उपकरण खरीद लेते हैं।

जैसे कि फलां जगह पानी पहुंचाना है, ट्रैक्टर खरीद लो, ट्रोली खरीद लो, ट्रक खरीद लो, मशीन खरीद लो परन्तु सभापति महोदय, उसके बाद उन पूरी मशीनों की, ट्रकों की, उनकी किसी भी तरह की कोई सावधानी नहीं रखी जाती है। वे बिलकुल पटक दिये जाते हैं। उसके जंग लग जाती

(श्री जगत सिंह दायमा)

है और कभी दुबारा से जब कोई काम आता है तभी वे चीज काम आती हैं।

इस तरीके से जो हमारा पैसा है, जो लगना चाहिए उसमें, फिर दुबारा अकाल की बात आयी तो कह देंगे कि इसको तो जंग लग गयी, यह तो बेकार पड़ी है और यह काम दे नहीं सकती, तो हमारा पैसा सारा-का-सारा तो उपकरण खरीदने में लग गया और उसको हमने अच्छी तरह से सम्भाल कर रखा भी नहीं।

इसलिए सभापति महोदय, मेरा तात्पर्य भाषण देने का या सरकार की आलोचना करने का नहीं है। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसे समय में विधान सभा बुलायी और सबको एक तरीके से चर्चा करायी और हम सबको शामिल कर, और जो हम सब सुझाव दे रहे हैं, उसके ऊपर सरकार को वास्तव में गौर फरमाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : सभापति महोदय, राजस्थान में इस वर्ष भी भयंकर अकाल पड़ने जा रहा है और गत वर्ष भी भयंकर अकाल था। जब अकाल गयी बार पड़ने की सम्भावना हुई तो हमने, हमारी सरकार थी, समय पर गिरदावरी करवायी। 30 सितम्बर को हमने अभावग्रस्त घोषित कर दिये और 3 अक्टूबर से राहत कार्य प्रारंभ कर दिये।

सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा, अकाल, महामारी, बाढ़, भूकम्प यह किसी के बस की नहीं है और इसमें न कोई जाति न धर्म, जहां पर भी यह आपदा होती है, चाहे कोई भी हो, चाहे पशु-पक्षी, व्यक्ति किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सभी प्रभावित होते हैं और ऐसे समय में राज को वांछित मदद करनी चाहिए।

राजा-महाराजा के राज में भी करते थे तो यह तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोक कल्याणकारी सरकार है। इस सरकार को लोगों के दुःख-दर्द में ऐसे समय में जब प्राकृतिक आपदा के कारण रोजगार की, चारा की, पानी की, आटे की, जानवरों को पालने की समस्या हो जाती है, जब राम रूठ जाता है तो राज के पास ही आदमी आस करता है।

अब गत वर्ष जब हमने सारी व्यवस्थाएं लागू करीं, उसके बाद..(व्यवधान) अब माननीय मुख्य सचेतक महोदय, हम भी आपके सदस्यों को सुन रहे हैं, आप काहे को इसमें, माननीय मंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (स.मुख्य सचेतक) : कई वर्षों पुराना भाषण है।

श्री सांवर लाल : अब आपको मालूम नहीं है कि आर.ए.एस और आई.ए.एस में हिस्ट्री में एनसिएंट इंडिया आज की तारीख में कोई पेपर हो तो आप कह दोगे कि बहुत पुराना इतिहास है, उसको काहे को रख रहे हो आई.ए.एस. में ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पुराने-पुराने....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : वे राम की बात कर रहे हैं कि राम आपसे रूठ गये अबके। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पुराने बीते दिनों को याद नहीं करें आप। आप भाषण जारी करो।

श्री सांवर लाल : अब माननीय सभापति महोदय, आपने हमारी पार्टी का जो समय है, उससे ज्यादा तो आप दे नहीं रहे हो इसलिए जो भी हम बोलें तो आप सुन लो तो बढ़िया रहेगा। राजस्थान की जनता की बात कर रहे हैं हम तो। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, आप बोलिये इसी लिए मैं कह रहा हूं। नहीं-नहीं, आप बोलें। आप पुराने दिन याद कर रहे हैं।(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सुझाव दीजिए, इसलिए कह रहे हैं।

श्री सांवर लाल : हां, सुझाव ही दे रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय।

मैं पहले कुछ बैक-ग्राउण्ड भी बताना चाहता हूं। जब हमने अकाल राहत के काम शुरू कर दिये, चारा-पानी का इन्तजाम कर दिया, उस समय माननीय अशोक जी गहलोत जो आज की तारीख में मुख्य मंत्री हैं, उनके स्टेटमेंट हमेशा आते थे कि सरकार यह नहीं कर रही है, वह नहीं कर रही है। हम आएंगे तो इतना काम करा देंगे, प्राकृतिक आपदा को स्वयं अपने दल-बल से हटा देंगे। पर मुझे बड़ा दुःख है कि गत वर्ष में राजस्थान की जनता अकाल से जूझ रही थी, हमने छोड़ा, हमने जो लेबर सीलिंग दी, आपका राज आते ही पहले तो आपने कहा था कि यह लेबर सीलिंग नहीं है।

राजस्थान में जहां पर जो अभावग्रस्त गांव घोषित हैं, जो काम पर लगना चाहते हैं, वह लग सकते हैं। एक बार आपने सीलिंग हटाई। जैसे मोहम्मद तुगलक एक बार राजधानी नीचे इंडिया से नीचे ले गये, उसी प्रकार दूसरी बार आपने लेबर सीलिंग लागू की जिसको आधी कर दी लगभग सारे जिलों में। लोग चिल्ला रहे थे।

माननीय मंत्री महोदय, उसमें मेरा निवेदन यह है कि आपको जो गत वर्ष व्यवस्था करनी चाहिए थी, आपने माकूल व्यवस्था नहीं की। चारे की कोई व्यवस्था नहीं की। चारा परिवहन अनुदान के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी। इण्टरेस्ट फ्री लोन जब से यह व्यवस्था चालू हुई है, तब से ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को या ग्राम सेवा सहकारी समिति जो भी व्यवस्था करती है, उनको हम देते आये हैं पर गत वर्ष आपने यह व्यवस्था नहीं की।

इसलिए राजस्थान के कई जानवर मरे हैं। लोगों को अपने जानवरों को

(श्री सांवर लाल)

पालने के लिए गहने बेचने पड़े हैं अपनी लुगाइयों के, और बहुत बुरी हालत में यह समय निकाला है। अभी कोई माननीय सदस्य मांग कर रहे थे कि सहकारी समितियों की वसूली प्रभावग्रस्त होने के साथ ही स्थगित इसलिए कर दी जाती है कि अब रोजगार के लिए पैसा नहीं है, जानवरों को पालने के लिए पैसा नहीं है, तब वह बैंक में पैसा भरने के लिए कहां से लाएगा।

मंत्री महोदय, अगर कोई ट्रेक्टर भी लोन से लेता है तो आजकल पचास-साठ हजार में एक ट्रेक्टर आ जाता है। बैंक फाइनेंस कर देता है। रिश्ते-नाते से कबाड़ लेते हैं। यह भी एक सोशल रेपुटेशन का वह हो गया। गांव-गांव के अन्दर ट्रेक्टर मिलेंगे पर जब बरसात नहीं होगी, फसल नहीं होगी और ट्रेक्टर की किश्त आ रही है 80 हजार, फसल पूरी चौपट हो गयी तो कोई कहां से भरेगा वह।

अब आपको भी जानकारी होगी, मैंने भी कई अधिकारियों से कहा कि यह वसूली क्यों कर रहे हो, जब प्रभावग्रस्त घोषित हो गया? लोगों के पास पैसा नहीं है। कई ट्रेक्टरों को ले जाकर खड़ा कर दिया। बहुत बुरी अवस्था में माननीय मंत्री महोदय गत वर्ष का समय निकला है। दुर्भाग्य है, अब लोग गांवों में कहते हैं कि यह कांग्रेस और काल की राशि एक है।

यह पहली बार पड़ गया और दूसरी बार फिर अकाल का सामना करना पड़ रहा है। अब आप क्या माकूल व्यवस्था करेंगे, इसके बारे में बहुत गहन चिन्तन की आवश्यकता है, माननीय मंत्री महोदय।

आपको याद होगा कि 1987-88 में जब राजीवजी प्रधान मंत्री थे, उस जमाने में व्यवस्था यह हुआ करती थी कि अगर कहीं पर अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गयी, तो केन्द्रीय टीम आती थी। वह सर्वेक्षण करती थी, उसके बाद राशि उपलब्ध कराती थी कि इतना-इतना यहां पर काम चलाना पड़ेगा। यह व्यवस्था करने के लिए इतने पैसे की जरूरत होगी। और उस जमाने में काम भी चले और घोटाले भी खूब हुए।

आपको मालूम है, 1987-88 के चारा घोटाले की आज तक जांच चल रही है। वहां पर यह टांके खुदे नहीं, बाड़मेर, जैसलमेर में और उसके पैसे उठा लिये उसकी आज तक जांच हो रही है। उसके बाद अपना यह टैथ फाइनेंस कमीशन बना। एक जनवरी, एक अप्रेल, 1995 के बाद में यह व्यवस्था कर दी कि अकाल हो या बाढ़ हो, कोई नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा हो, उसके लिए प्राकृतिक आपदा कोष.... (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (स.उप मुख्य सचेतक) : जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनको आपने टिकट दे दिया पार्टी का।

(16.00 बजे)

श्री सभापति : बोलने दीजिए। बोलने दीजिये। प्लीज। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : प्राकृतिक आपदा कोष से एक बना दिया गया। एक स्टेट के अन्दर और एक सैण्ट्रल में।

स्टेट के अंदर आपका 25 प्रतिशत शेयर होता है, 75 प्रतिशत सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है, इसके हिसाब से यह राशि आती है। अब इससे कम या ज्यादा हो, राजस्थान सरकार को भुगतान पड़ता है। अगर इसमें बचत हो गयी तो आपकी योजना में यह समाहित हो जाएगा।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह बहुत महती जिम्मेदारी है। आज आपकी सरकार के भरोसे, और आप ने यह कहा कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने कहा अभी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, चुनाव भी चल रहे हैं तो यह सत्र 10 दिन बाद में भी बुलाया जा सकता है। पर आप लोगों ने यह दलील दी कि बहुत ही गंभीर समस्या से राजस्थान की जनता जूझ रही है, बहुत ज्वलन्त समस्या है, इसलिए हम सत्र जल्दी बुला रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सत्र बुलाकर आप यह तो मत कहना कि 21 करोड़ ही बैलेंस है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार से आपने एडवांस में ले लिया पर भारत सरकार और भी पैसा देगी। अब वह जमाना नहीं जो वहां से लगाकर यहां तक आपकी सरकार आ गयी। आपने इस वर्ष भी बहुत भेदभाव किया।

एक गांव के अन्दर 400 श्रमिक दे दिये एक गांव के अन्दर 30 श्रमिक भी नहीं दिये। क्यों नहीं दिये? ऐसी शिकायतें कई जगह जिला कलक्टर्स को की गयीं पर इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कई काम हमने सेंक्शन करा लिये, आपके लोगों को मालूम पड़ गया तो उन्होंने उस को बंद करा दिया। उनका पेमेंट रोक दिया।

पर अब यह चलने वाली गाड़ी नहीं है क्योंकि इसमें शेयर भारत सरकार का भी आता है और आप भी जान रहे हो वापस अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री बनने वाले हैं। यह जो भेदभाव आप करोगे, यह भेदभाव किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि अकाल राहत में किसी की जाति नहीं होती, किसी का धर्म नहीं होता। जो पैसे वाला काश्तकार होता है जिसके 50 जानवर घर में हों, वह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है।

इसलिए इसमें अगर हम किसी योजना को बनायें तो हमारा यह दृष्टिकोण होना चाहिये। पशुपालकों के लिये, अगर 50 पशु वाला है तो उसकी ज्यादा हालत खराब है। 10 पशु वाला है तो उसकी.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपके भाषण में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा हूं लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं, सीधा आसन को बाईं पास कर रहे हैं।

(श्री सभापति)

माननीय मंत्री महोदय, सरकारी पक्ष से फिर प्राप वार्तालाप कर रहे हैं फिर बो नियमों के प्रनुसार मान्य नहीं है। प्राप जो कुछ कहेंगे, वह प्रासन को सम्बोधित करके कहेंगे। प्रौर आपकी नजर भी प्रासन की तरफ ही होगी। प्राप प्रपनी नजर को घुमाइये नहीं।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। प्रासन का पूरा सम्मान करूंगा प्रौर प्रापकी तरफ ही देखकर बोलूंगा। माननीय मंत्री महोदय, बहुत प्रनुभवी व्यक्ति हैं। वे समझ जाएंगे हमारी बात।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय से प्राप मांग करिये लेकिन माध्यम तो बनाइये प्रासन को। आप माननीय मंत्री प्रौर सरकार से ही मांगेंगे और सरकार ही देगी। लेकिन माध्यम विधान सभा के प्रन्दर यह प्रासन है। इसको माध्यम बनाइये।

श्री सांवर लाल : प्रासन को बाई पास करने की कोई मंशा नहीं है मेरी। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि पशु....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : फिर इधर देखने लग गये।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, कभी–कभी पारीक साहब को देखने की इच्छा हो जाती है। मंत्री महोदय को नहीं देख रहा हूं।

श्री सभापति : प्राप बहुत प्रच्छा बोल रहे हैं।

श्री सांवर लाल : पशुपालकों की हालत खराब है। प्राज प्रच्छी नस्ल के पशु हैं। गाएं थारपारकर हैं, गीर हैं प्रौर भी कई नस्लों की गाएं हैं। भैंसें बहुत प्रच्छी हैं। लोगों ने सूनी छोड़ रखी हैं। प्रौर जोधपुर सब-डिवीजन में तो बहुत बुरी हालत है।

हमारे सब-डिवीजन में भी बहुत बुरी हालत है। इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले कह देंगे यह सामान्य वर्षा है। वहां पर कह देंगे बाढ़ प्रा गयी। यह भरतपुर वाले, नगर से प्राने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे यहां बाढ़ प्रा गयी।

माननीय मंत्री महोदय, फसल खराबा प्रगर 50 प्रतिशत से ज्यादा होता है चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे प्रोलावृष्टि से हो, चाहे प्रतिवृष्टि से हो, चाहे प्रनावृष्टि से हो, उन सभी क्षेत्रों के गांवों के प्रन्दर हमको राहत कार्य चलाने चाहिये प्रौर जो प्रभावित व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे चारे की, सब्सिडी की व्यवस्था हो, बांटे की व्यवस्था गयी बार हमने नहीं की। प्रापको जानकारी होगी फाइनेंशल क्राइसेस रही।

प्रब प्राप लोग कहते हैं क्या प्रौर करते हैं क्या, यह प्रलग बात है। जनता ने भी इस बार महसूस कर लिया प्रौर इस चुनाव

(श्री सांवर लाल)

का जब रिजल्ट आयेगा 6 तारीख को, लोग जगह-जगह यही कह रहे थे, आपके कार्यकर्ताओं को कहां है चारा, कहां है पानी, कहां है बांटे का अनुदान ? वह रिजल्ट पेटियों में पड़ा हुआ है ।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अब इसको चुनाव तक भी अगर आप लेवें तो आ रहे हैं अपने पंचायतों के चुनाव । चाहे चुनाव में जोड़कर आप करें, चाहे कैसे ही करें, पर इस प्राकृतिक आपदा के समय जनता को आप राहत पहुंचायें । जो आपने गत एक वर्ष में किया, अगर वही करोगे तो बहुत बेरी हालत हो जाएगी ।

माननीय भैरोंसिंह जी का राज था, भैरोंसिंह जी चौमासा लगते ही शिवजी की प्रार्थना करते हैं । जिसकी भगवान में नीति सही होती है भगवान प्रसन्न रहता है । जब भगवान को याद करते हैं तो लगभग हर साल जो बाढ़ आयी करती थी, आज पानी की इतनी किल्लत है । किसी भी गांव में कोटा डिवीजन में छोड़कर आप कहीं पर भी बता दो तालाब भरे हुए । आज पानी की बहुत गंभीर समस्या है ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहकारिता मंत्री) : माननीय सांवर लाल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आप भी राहत मंत्री थे और भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री थे । आपने 20 हजार गांवों को अकालग्रस्त घोषित क्यों किया ? वह शिवजी की प्रार्थना कहां रह गयी ?

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्रीजी, एक बार तो घोषित किया जब आपकी छाया पड़ गयी राष्ट्रपति शासन में, उसके बाद तो....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राजस्थान में तो आपका ही राज था और आप ही के राज में अकाल पड़ा और 18 जिलों के 20 हजार गांवों को आपने अभावग्रस्त घोषित किया था । इसलिए आप केवल हम पर दोष मत डालिये । आपके वह शिवजी कहां रह गये ?

एक माननीय सदस्य : पार्वती की सेवा में लग गये ।

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि 80 से लगाकर 89 तक....

श्री राजेन्द्र पारीक : आप जब तक अकाल राहत मंत्री रहे, तब से अकाल ही पड़ा ।

श्री सांवर लाल : 9 वर्षों में 7 बरस अकाल पड़ा । लोग कर्जा नहीं चुका पाये । आप लोगों को कहा कर्जा माफ कर दो । काल पर काल पड़े ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्य, मेरे पास आपकी सरकार के आठ साल में कब-कब अकाल पड़ा, उसके आंकड़े हैं । मैं जवाब दे दूंगा अभी ।

श्री सांवर लाल : यह कर्जा भी हमने माफ किया। श्राप लोग गांवों में कहते थे कर्जा माफ नहीं कर सकते। भैरोंसिंह शेखावत ने माफ किया यहां पर। किसानों का प्रकृति ने साथ नहीं दिया। राज सम्हालते ही 250 करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ किया और मुझे लगता है कि हालात यही बनते जा रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय, बहुत ही जिम्मेदारी की जरूरत है। आज राजस्थान की जनता हमको देख रही है, हम क्या व्यवस्था करेंगे ? जिस तरह बहुमत से आप आये हैं, कैसे भी व्यवस्था करें, कहीं से भी लाना पड़े। राजा-महाराजा भी लाते थे। आज कई माननीय सदस्यों के विचार थे कि पक्के काम कराओ। अब आप भी जानते हैं resources are limited to you.

अब अगर आप पक्के काम कराओगे तो डबल पैसा देना पड़ेगा। 50 प्रतिशत लेबर का और 50 प्रतिशत मैटेरियल का। मैं यह नहीं कहता हूं आप कच्चे काम चलाइये। अकाल के अंदर काम हो या नहीं हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है मंत्री महोदय।

सबसे महत्वपूर्ण है लोगों की जान बचाना, पशुओं की जान बचाना। उसके लिये अगर आपको कच्चा काम करवाना पड़े तो करवाइये। नाड़िया बनवाइये। कच्चे एनीकट बनाइये। आप चारागाह की मेडबन्दी करवाइये। गांव-गांव और ढाणी ढाणी के अंदर कच्ची सड़कें हैं, उनको बनवाइये और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जहां-जहां रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार उपलब्ध करवाइये। नहीं तो लोगों के घर बिक जाएंगे।

माननीय मंत्री महोदय, आज आदिवासी एरिये में लूट-खसोट हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं। तीन रुपये खाखला इस साल बिक गया। अब की बार और हालत गंभीर है। कहीं पर चारा नहीं मिल रहा, अब की बार नहीं है। प्रदेश में जहां चारा हो, वहां से सम्पर्क करके आप चारे की व्यवस्था करवाइये। कीमतें बढती हैं तो चारे-पानी की समस्या होती है, अन्न की समस्या होती है तो आदमी करेगा क्या ? बेरोजगार होगा, लूट-खसोट करेगा। आपके ला एण्ड आर्डर की समस्या पैदा होगी। फिर सबको जेल में ठूंस दोगे। कानून अपना काम नहीं करेगा। अगर सरकार अपना काम नहीं करेगी तो माननीय मंत्री महोदय, लोग भड़कते हैं।

रेनवाल में क्या हुआ ? अगर पुलिस वाले सही कार्यवाही करते, समय पर एक्शन ले लेते तो जनता को भड़कने की आवश्यकता नहीं थी। आज सरकार अगर इस प्राकृतिक आपदा के समय गांवों के अन्दर जनता को सम्हालेगी तो निश्चित रूप से वांछित लोगों को मदद मिलेगी तो उनमें सन्तोष होगा। आप अपने अधिकारियों को हिदायत दे दो। अकाल राहत के अन्दर माननीय मंत्री महोदय, हमारे अजमेर कलक्टर ने प्रशासनिक स्वीकृति 10 हजार की कर दी और वित्तीय स्वीकृति दो हजार लेबर की। लोग आर्डर ले-लेकर भागे फिर रहे थे इधर से उधर। आप

(श्री सांवर लाल)

बताइये, यह कोई आदेश होते हैं। अकाल के अंदर तो जो आदेश कर दिया जिला कलक्टर ने, उस आदेश के बाद में लोग रोजगार में लग जाने चाहिये। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : लेबर चल रही थी। दो हजार नहीं फीगर सही कर लें 38,000 की सैंक्शन थी।

श्री सांवर लाल : अब आप बैठ जाओ न। आप पहली बार आये हो, मैं तीसरी बार आया हूं और इस महकमे को पांच साल चलाया हूं। किसको सुना रहे हो आप ?

डा. के. सी. चौधरी : 38 हजार लेबर थी।

श्री सांवर लाल : बैठ जाओ। तीसरी बार आओ जब बात करना मेरे से।

डा. के. सी. चौधरी : अकाल में अपने यहां अजमेर जिले में 38 हजार श्रमिक संख्या सैंक्शन थी। पहली बार और चौथी बार से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

श्री सांवर लाल : डेढ़–डेढ़ लाख की लेबर सैंक्शन हुई है। आपको पता नहीं है। अजमेर जिले में कैसे अकाल राहत के कार्य चले।

श्री मदन दिलावर : अभी तक कांग्रेस ने कहा है जो टोका है। कांग्रेस 18 करोड़ लोगों को खा रही है। अकाल राहत कार्य के लिये कांग्रेस घातकारी।

श्री सांवर लाल : आपको पता नहीं है इसमें कैसे पैसे लगते हैं।

डा. के. सी. चौधरी : नहीं, पहली बार और चौथी बार में क्या आंकड़े बदल जाते हैं क्या ?

श्री सभापति : बोलिये-बोलिये।

डा. के.सी. चौधरी : फर्क यही है चौथी बार वह पहली बार वाला भाषण रिपीट कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय, आज अजमेर जिले में कितने श्रमिक लगे, माननीय सदस्य को आप ही अवगत करा देना पिछले पांच साल में। मुझे काई को आप तकलीफ देओ। आपके पास राजकीय आंकड़े हैं उनको समझ में आ जाएगा। अजमेर जिले में और आपकी जवाजा तहसील में कितने काम हुए हैं ?

डा. के. सी. चौधरी : जवाजा पंचायत समिति की आप बात कर रहे हैं पिछले पांच सालों में सात करोड़ 40 लाख के काम हुए हैं और आठ महीनों में सात करोड़ के काम हुए हैं। यह आंकड़े हैं, आप वैरीफाई करा लें। किसी भी दृष्टि से; पक्का है यह।

श्री सांवर लाल : यह आंकड़े सरकार से ले लेंगे, आपसे लेने की जरूरत नहीं है।

डा. के. सी. चौधरी : 8 महीने में 7 करोड़ के काम हुए हैं। और पांच साल में 9 करोड़ के काम हुए हैं।

श्री सांवर लाल : एक तो मेरा सुझाव यह था कि आप कच्चे कामों में जो भी गांव के हित में हो, उन कामों को प्राथमिकता दें। दूसरा सहकारी बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों की वसूली अभावग्रस्त एरिये के अंदर आप स्थगित करवा दें। गायों को बचाने के लिये, पश्चिमी राजस्थान में जो कैम्प लगते हैं, वह कैम्प भी बहुत ही जरूरी हैं।

अगर एक साल अपन ने कष्ट पा लिया तो हमारे राजस्थान में पशुधन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, पारिवारिक आमदनी के हिसाब से, परिवार चलाने के हिसाब से, चाहे राज कोष के हिसाब से, चाहे भेड़ हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बैल हो उन सबको बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिये।

एक माननीय मंत्री महोदय बार-बार भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाना, मैं समझता हूं अपनी जिम्मेदारी से बचाना है। जब राजस्थान में या अन्य प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा कोष बन गया और भारत सरकार प्रतिवर्ष अपना निश्चित अंशदान देती है, अगर आपको आवश्यकता हो तो समय से पहले भी मांगोगे तो एक-दो किश्तें एडवांस में भी मिलती हैं क्योंकि हमारे टाइम में भी हमने खर्चा किया तो हमको एडवांस में किश्तें मिली थीं कि भाई लेबर का पेमेंट करना है, यह करना है... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्य, आपको अच्छी तरह जानकारी है कि सी.आर.एफ. फंड में जो कुछ भी टैन्थ फाइनेंस कमीशन ने तय कर दिया वह तो मिलेगा ही, इसके अलावा भारत सरकार के पास फण्ड है, उस फंड में राजस्थान को जितनी सहायता देनी चाहिए थी वह नहीं मिली। यह बात हम कहते हैं।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, मेरी जानकारी के हिसाब से 200 करोड़ भारत सरकार के पास रहता है उसमें से 21 करोड़ हम को मिला था बाढ़ के टाइम में, 21 करोड़ आपको। वो भी ज्ञापन मैंने दे दिया था पहले जाकर इसलिए वह 21 करोड़ भी आपको मिल गया। और अब भी हम भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे कि राजस्थान की जनता अकाल से त्रस्त है, और राज्य सरकार कोई भेदभाव राहत कार्यों के संचालन में, लोगों को पालने में नहीं करेगी तो ज्यादा से ज्यादा सहायता जितनी मिल सकती है, दिलवाने की व्यवस्था करायेंगे। इसमें मेरा आप से यही अनुरोध है कि इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राजनीति नहीं करना चाहते।

श्री सांवर लाल : जिस माननीय सदस्य ने ज्यादा काम कराया तो वह लोग जानते हैं, ज्यादा वोट दें देंगे और लोगों को जितनी इस प्राकृतिक आपदा में, दुख के समय में जाकर संभालेंगे, उनके कामकाज करायेंगे, चारे-बांटे की व्यवस्था करायेंगे तो आपको शाबासी भी मिलेगी और नहीं कराओगे तो

(श्री सांवर लाल)

अगली बार आपको और हम को, सब को मालूम पड़ जायेगा।

मेरा यह सुझाव और है कि शिवजी की थोड़ी प्रार्थना अगर अपन सब लोग करें, आप भी सहायता मंत्री हैं, भगवान प्रसन्न हो जाय, यह धारणा है। कुछ एटमॉस्फेयर चल रहा है बरसात का....

श्री राजेन्द्र पारीक : रामजी को छोड़ कर शिवजी पर आये हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अगर बरसात हो जाये तो आपके पानी की समस्या खतम हो सकती है और इतनी बरसात हो जाय कि तालाबों में पानी आ जाये और अगली फसल भी दें तो राजस्थान सरकार और जनता का आधा संकट कम हो सकता है। तो यह भी मेरी प्रार्थना है कि एक-दो बार थोड़ा इस तरह का प्रोग्राम करवा दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अकाल मंत्रीजी, आप इस समूचे मामले को राजनीति के धरातल से ऊपर समझें।

श्री सभापति : बिराजें आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने जब राजनीतिक चर्चा की तब मैंने उसका उत्तर दिया। मैं इस प्रश्न को राजनीति से ऊपर रख कर आपकी विचारधाराओं को सुन कर के इसके अनुरूप आगे क्या कार्यवाही हो सकती है.... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मेरा कोई राजनीतिक मकसद नहीं था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने कहा जब मेरे को बोलना पड़ा बाकी मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : बिराजिये आप।

श्री सांवर लाल : मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं तो अभी भी आप से निवेदन कर रहा हूं। आज एक निवेदन और करना चाहूंगा, भिनाय पंचायत समिति, अराई पंचायत समिति, जो सहायता मंत्री मैं था आज आप हो। कल कोई सरकार बने, 8 महीने से हमारी पंचायत समितियों का भुगतान रोका हुआ है, मैं तो यह कह रहा हूं जितना पैसा लगा है उतना पेमेंट करिये। सांवर लाल कोई गबन करने थोड़ी जा रहा है वहां पर। वहां अगर किसी ने कम काम करवाये, ज्यादा करवाये, आपने जांच करवा लो, मंत्री महोदय, 8 महीने में पेमेंट नहीं होना....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जांच रिपोर्ट अभी आयी है, उसके बाद तुरंत जितना काम हुआ है उतना पेमेंट कर दिया जायेगा और जो गलत पैसा मांग रहे हैं वह नहीं मिलेगा।

श्री सांवर लाल : कोई नहीं मांग रहा गलत पैसा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अभी विचार प्रकट किये वे स्वागत योग्य हैं। अकाल है, प्राकृतिक आपदा है इसमें राजनीतिक धरातल से ऊपर उठ कर हम सब लोग, इस सदन के सारे सम्माननीय सदस्य इस पर विचार करें कि इसका रास्ता क्या है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं ? इस सदन का सत्र समाप्त होने के पश्चात आप हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के पास....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप ने पहले भी बहुत टाइम लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के पास आप कोई शिष्ट मण्डल लेकर चलें जिसमें हम प्रतिपक्ष के लोग भी आपके साथ जाने को तैयार हैं। हम राजस्थान की सारी स्थिति केन्द्र सरकार के समक्ष रखें। आपने ज्ञापन तो दे दिया, ज्ञापन हमारे समय में भी दिया था परंतु ज्ञापन के अनुसार हमें ज्यादा से ज्यादा सहायता मिले, यह मकसद आपका भी होना चाहिए यह मकसद हमारा भी है। तो क्या आपका मन इतना बड़ा है कि आप हम सब को साथ लेकर दिल्ली में जा कर केन्द्र सरकार के सामने अकाल की स्थिति और हमारी वित्तीय स्थिति, दोनों को सामने रख कर हम सहायता प्राप्त करने के प्रयास करें ? क्या आपकी यह इच्छा है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह काम आप के लेवर का है। आपके अधिकारों से बाहर है, यह काम आपके माननीय नेता महोदय का है। अभी आप उस स्थिति में नहीं आये हैं कि इस तरह की गुजारिश करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने तो बात कही है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : अभी आप का कद उतना नहीं आया है। माननीय इन्दोरिया जी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): सभापति महोदय, विधान सभा के इस पावन प्रांगण में अकाल राहत मंत्रीजी ने संभावित अभाव के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचार हेतु प्रस्ताव लाये, उसके लिए धन्यवाद।

वैसे सरकार स्वयं बहुत इस बात के लिए चिंतित है और सतर्क भी है। गत सप्ताह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसके सम्बन्ध में अपने साथियों से विचार-विमर्श किया और उसके परिणाम स्वरूप आज

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

हम इस चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं।

यह एक प्राकृतिक आपदा है। इससे निपटने के लिए राज्य को बहुत सतर्कता और बहुत संजीदगी के साथ काम करना पड़ेगा। पहले सड़कों का प्रपोजल आया तो वित्त नहीं, अस्पतालों का प्रश्न आया तो वित्त नहीं, और पेयजल अधिकारियों ने पाइप मांगे तो वित्त नहीं। अब इन छोटे-छोटे कामों के लिए भी वित्त नहीं है तो इतना बड़ा जो यह सम्भावित अभाव प्रांत में व्याप्त हो गया है उससे निपटने के लिए आपके पास वित्त की व्यवस्था है क्या ? और वित्त की व्यवस्था नहीं है तो पिछले अकाल में जो आपने किया वैसे तो आप मत करना। पिछली बार आपने मजदूरों को प्रति दिन सिर्फ 12 रुपये दिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किस जगह पर ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कई जगह।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : रतनगढ़ से गोरीसर सड़क के ऊपर मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको टास्ट फोर्स बोल कर कुछ घोटाला करेंगे। आप का मानस यह होना चाहिए कि अभावग्रस्त एरिया में हम इन्सानों को, पशुओं को किस रूप में राहत पहुंचा सकते हैं।

सुबह 7 बजे जाये और 4 बजे आए उस आदमी को, औरत को आप 12 रुपये देओ, इस ओर मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वित्त तो बहुत है। मंत्रियों की तनख्वाह यदि बढ़ानी हो तो हमारे पास वित्त बहुत है, माननीय सदस्यों की कोई तनख्वाह बढ़ानी हो तो हमारे पास वित्त बहुत है लेकिन गरीब आदमी जो अनपढ़ है, सदियों से जो शोषित, पीड़ित रहा है उसकी सहायता के लिए हमारे पास वित्त नहीं है, यह बहुत गम्भीर मामला है।

पानी और बिजली की तो अभी से समस्या है। पानी और बिजली का परस्पर इतना समन्वय है, मेल भी होना चाहिए कि वो यदि एक-दूसरे से समझौते के आधार पर या मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो कोई व्यवस्था नहीं होगी। जैसा अभी भी लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और अधिकारी लोग काफी चेष्टा करते हैं लेकिन बिजली नहीं है। बिजली के बिना पानी नहीं है।

मैं विशेष कर के मेरे क्षेत्र की घटना आपको बता रहा हूं। जो यह कहते हैं कि हम 8 घण्टा बिजली किसानों को देते हैं उसके संबंध में मैं आपको आंकड़ों सहित बता रहा हूं। मैं किसी से इस्तीफा नहीं मांगूंगा लेकिन इस प्रांगण में सत्य बात कहने का आदमी को आदी होना चाहिए।

हम यहां चुनकर आये हैं कोई चाटुकारिता के लिये नहीं आये हैं। जनता के अभाव अभियोग और उनकी जो वास्तविक स्थिति है उसको यहां रखने के लिये आये हैं। मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की बात कह रहा हूं। जलप्रदाय योजनाओं को अलग-अलग सब स्टेशनों से विद्युत आपूर्ति

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

की जाती है। कुछ सब स्टेशनों से अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है इसका विवरण निम्न प्रकार है।

रतनगढ़ शहर के पास ऋषिकुल आश्रम पर 33 के.वी. का सब स्टेशन स्थापित है जिसमें तीन 11 के.वी. के अलग अलग फीडर निकाल कर विद्युत सप्लाई की जाती है। एक फीडर जालेऊ, गोरीसर, दाउदसर की तरफ जाता है जिसमें जलदाय विभाग के जालेऊ गांव में खुले कुए, नलकूप एवं पम्पिंग स्टेशनों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। जहां से सात गांवों को जल वितरण किया जाता है।

इसी तरह से गोरीसर से चार गांवों को और दाउदसर से एक गांव को जल आपूर्ति की जाती है। इस फीडर पर आयोजित विद्युत कटौती की जाती है जिसकी वजह से इन 12 गांवों का जल वितरण बुरी तरह से प्रभावित होता है।

मैं अब आपको तारीखवाइज विद्युत कटौती की जानकारी देता हूं। 26-8-99 को सिर्फ 6 घण्टे बिजली आयी और हम कहते हैं आठ घण्टे हम किसानों को बिजली दे रहे हैं। तो जब आयी ही छह घण्टे तो आठ घण्टे कहां से देंगे। कैसे मिल गयी उनको। आपने सप्लाई छह घण्टे की है तो आठ घण्टे किसानों को बिजली कैसे मिल गयी ?

26-8-99 को 6 घण्टे, 27-8-99 को 18 घण्टे, 28-8-99 को 17 घण्टे और 29-8-99 को 16 घण्टे, 30-8-99 को 6 घण्टे और 1-9-99 को 13 घण्टे... (व्यवधान) ऋषिकुल आश्रम से एक फीडर गांव लूंछ, मालेरी, कुसुमदेसर भूखरेडी, फांसा व बिरानियां गांव के लिए जाता है। बिरानियां गांव मुख्य स्रोत है इससे 12 गांवों को जल वितरण किया जाता है।

बिजली की स्थिति वो ही है जो क्रम संख्या एक में बतायी गयी है। इस फीडर में बिरानियां योजनान्तर्गत 12 गांवों के अलावा गांव लूंछ, सांगासर, बीरमसर, कादिया, ढढावता भी इस कटौती से प्रभावित होता है। तीसरी फीडर से ग्राम बछरारा, छोटा बछरारा, बछरारा बड़ा, खुडेरा–विदावतान, खुडेरा-चारनान, खुडेरा बीकान, रतनसरा, सेहुला आदि गांव आते हैं।

कुल मिलाकर जिन गांवों को ऋषिकुल आश्रम से बिजली की आपूर्ति होती है उन 40 गांवों में जल वितरण प्रभावित होता है तथा ग्रामवासियों को भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ता है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल वितरण विभाग रतनगढ़ से हुई वार्ता के अनुसार ग्रामीण फीडर को आठ घण्टे से ज्यादा विद्युत आपूर्ति करना सम्भव नहीं है। जल वितरण को सुचारू बनाये रखने के लिए कम से कम 16 घण्टे बिना अवरोध विद्युत आपूर्ति जरूरी है।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जबकि लोग दूसरे कामों में लगे हुए हैं उस वक्त भी पानी और बिजली की यह स्थिति है। अभाव के समय में हम यह सब व्यवस्था कैसे करेंगे। क्या योजना है यह हमको सरकार बताये अन्यथा एक दिसम्बर के बाद हम यह बात नहीं सुनेंगे कि विद्युत नहीं है। विद्युत नहीं है इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। जनता का क्या दोष है? जनता के पास जो कुछ था, वह सब आपको दे दिया और जिसके कारण आप इधर बैठे हो।

अब यह आप का दायित्व है कि जनता को पानी, बिजली, अनाज, पशुओं के लिए चारे की इन सबकी व्यवस्था आप सुचारू रूप से करो। मंत्री जी पधार गये। संभव है शायद लघु शंका करने के लिए गये हों।

श्री सभापति : वह आ रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं भी जाता हूं क्योंकि मैं भी वृद्ध हूं वह भी वृद्ध हैं तो घण्टे डेढ़ घण्टे में....

श्री सभापति : जलदाय मंत्री जी बैठे हैं। आप जलदाय की बात कर रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : पानी वाले मंत्रीजी को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि....(व्यवधान) मैंने एक दफा ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा पड़िहारा में पेयजल के लिये निवेदन किया था और मुझे खुशी है कि 48 घण्टे में इन्होंने वहां पानी पहुंचा दिया।

एक माननीय सदस्य : आशीर्वाद देओ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आशीर्वाद तो मेरा दिया हुआ है लेकिन हर गांव के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना संभव नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, डिस्टर्ब कर रहे हैं इतने मूल्यवान विचार आ रहे हैं।

श्री सभापति : पहले आपने शुरू किया, अब ये कर रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : वह तो मैं आपको बैठने से पहले सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवद् गीता के सोलहवें अध्याय का। तो आप अंग्रेजी में क्या कहते हो लास्ट बट वन, यही कहते हो ना जो अन्तिम से पहले हो, उसको यही कहते हो ना ... (व्यवधान) उसमें यह लिखा है

"य शास्त्र विधि मुत्सृज्य,वर्तते काम कारत न सिद्धि न प्राप्नोति, न सुखं, न परामगति"

यानि जो विधि से हटकर के मुत्सृज्य विधि को छोड़ दे, कानून को छोड़ दे और मन माफिक राज चलाये वह विधि मुत्सृज्य और....

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आप लोगों के लिये कहा गया है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : जो मन माफिक काम करने लग जाए और विधि विधान का ध्यान रखे नहीं तो न सिद्धि, न वाप्नोति । उसको सिद्धी नहीं मिलती है । न सुखम, उसको सुख भी नहीं मिलता है, न परामगति, उसकी गति भी नहीं होती । इसलिए राजस्थान मंत्री मण्डल से मेरा अनुरोध है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह मनुवादी व्यवस्था कहां है ?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मनुवादी व्यवस्था मेरे पास बैठी है । (व्यवधान) सभापति महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त का क्या हुआ ? वित्त का । रतनगढ़ में काम कैसे चलेगा बिना वित्त के । वित्त का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : यह आप समझते हो राठौड़ साहब, बहुत अनुभवी हो आप..(व्यवधान).. स्तीफा तो लिया जाता है दिया नहीं जाता..(व्यवधान).. स्तीफा लेने का अधिकार तो जनता को है और वह पांच वर्ष जब जिसकी इच्छा होती है उसका कल्याण कर देती है और जिस पर नाराजगी होती है वह उसको भुगत लेते हैं ।

यह बहुत भले, सज्जन आदमी हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बार-बार इस बात को मत कहो कि वित्त नहीं है, वित्त नहीं है । चाय की दुकानों पर पान की दुकानों पर इस सरकार के प्रति ऐसी हवा बन गई कि कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वित्त नहीं है राजस्थान में आज की तारीख में कहीं विकास का काम नहीं हो रहा है क्योंकि वित्त नहीं है । वित्त बिना काम चले नहीं क्योंकि संस्कृत में लिखा है कि 'सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति' ।

यानी सब कुछ गुण है, चाहे कितना भी पागल हो व्यक्ति और वह यदि पैसे से सम्पन्न है तो उसमें सब गुण आ जाते हैं । इसलिए लिखा है : 'सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति' यह भी लिखा है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, क्यों पारीक जी गलत तो नहीं कह रहा हूं । विद्वान सर्वत्र पूज्यते ।

लेकिन कोई मुझ जैसा गरीब आ गया पढ़ा लिखा था सारे भटक आया रोटी की व्यवस्था नहीं हुई उसने लिख दिया 'सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति' कुछ नहीं पास में पैसा होवे तो मन में आवे जो कर लो । पाइप भी लगा सकता है, वह पोल भी लगा सकता है । सब कुछ काम हो सकता है । वित्त के बिना कुछ नहीं हो सकता है ।

इसलिए आप सब मिल कर के वित्त की व्यवस्था करो और हमारे लिये कोई सेवा हो, इस जनहित के काम में हमारे लिये कोई सेवा हो, हम तैयार हैं ।

लेकिन अब यह वित्त-वित्त रोना छोड़ दो । जनता का उसमें कोई दोष नहीं है । जनता ने तो आपको योग्य, समझदार और

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

समस्याओं को हल करने वाला समझ कर के यहां भेजा है । जनता क्या करेगी । जनता कहती है पानी देओ बोले वित्त नहीं है, जनता कहती है कि हमको चिकित्सा की व्यवस्था दो, वित्त नहीं है । अब इस म्हारणी को छोड़ दो, बंद करो । गुलाबसिंह जी साहब अब इस वित्त की म्हारणी को बन्द करो आप । अब मैं आपको सुझाव दे रहा हूं ।

श्री सभापति : कृपा करके समाप्त करो ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : टाइम है ना, आप कहो तो मैं बैठ जाऊं ।

श्री सभापति : आप समाप्त करें ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सभापति जी, आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा आप हुक्म देओ उसी वक्त बैठ जाऊंगा । सेन्टेन्स भी पूरा नहीं करूंगा । मेरा सुझाव यह है कि जैसी कि आपकी स्थिति है....

श्री सभापति : कर दो पूरा ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उस हिसाब से आप, अकेली सरकार इतने बड़े गुरुत्तर भार को वहन कर सकेगी, यह सम्भावित है, जैसे आपने प्रस्ताव दिया है ना सम्भावित अभाव, वैसे ही यह सम्भावित है तो दोनों लेवल पर काम करना जरूरी है । जनता के सहयोग से भी और सरकार भी, इस ढंग का मानस बनाओ ।

दूसरा पानी की कम से कम यह लोगों में चर्चा करो कि जहां कुआ है वहां खेल अवश्य है । बिना खेल के कोई कुआ नहीं है । तो कम से कम आप वाटर वर्क्स वालों को यह तो विश्नोई साहब की मेहरबानी हो जायेगी, दयालु आदमी हैं कर देंगे ।

पशुधन के लिये, पीने के पानी की व्यवस्था टोंटी उसमें लगा दें और आराम से पानी पीये और अब आप यह 12 रुपये गरीब आदमी को मत दिला देना । गरीब आदमी को मार दोगे । गरीब को 12 रुपये मत दिला देना । न्यूनतम रेट आप बता दो ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहकारिता मंत्री) : चूरू जिले में जो पेमेंट हुआ लेबर का मेरे पास पूरे जिले के आंकड़े हैं उसमें 33 रुपये 70 पैसे पर हैड से पैमेंट किया गया । एक परटीकुलर कोई सड़क का मामला है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप समय पर...(व्यवधान) मुझे बता देते तो मैं इसको भी ठीक करता । जैसे जोधपुर की कुछ शिकायत आई मेरे पास उसको भी मैंने रेक्टिफाई की ।

आप भी मुझे समय पर बताते तो उसको रेक्टिफाई कर देता । और आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह की कोई बात हो तो समय पर आप मेरे नोटिस में लाइये ताकि लोगों को सही मायने में सही पैसा मिल सके ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : बहुत धन्यवाद, गुलाब सिंहजी बहुत धन्यवाद। यह तो मुझे उम्मीद थी कि आप दयालू हैं। इस काम में जो हमारे प्रभारी साहब गये थे उनके सामने कलक्टर ने मीटिंग बुलाई अकाल के बारे में। मेहरबानी करके 12 रुपये का पेमेंट है यह हमारी सरकार के लिए भी शर्मनाक है और जो सुनेगा वह भी यही कहेगा कि 12 रुपये कोई पेमेंट होता है ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि यदि आप समय पर कहते तो इसका समाधान हो सकता था।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं आपसे निवेदन करूं मंत्रिमंडल बहुत बढ़िया है। सब नवयुवक हैं और खूब भाग-भाग करके काम कर रहे हैं परन्तु एक–दो कोई बूढ़ो बड़ेरो गड़बड़ करे तो उसका तो क्या इलाज है। आप कहें तो उसका भी इलाज कर दूं। आप लोगों का हुक्म हो तो उसका भी इलाज कर सकता हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करो माननीय सदस्य।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अच्छा कहते हैं कि बाद में तो बाद में सही। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे नोहर क्षेत्र जो अकालग्रस्त है उसके बारे में दिलाना चाहती हूं। मेरे यहां पर फसल बिलकुल बरबाद हो गई है, पीने का पानी नहीं है और मेरे जो 40 गांव हैं उनके अन्दर ऐसी हालत है कि, मैं आपको गांवों के नाम पढ़कर बताना चाहती हूं कि पल्लू उप तहसील में मालासर, धनियासर, सरूपदेसर, मोटे, दनियासर, सेखचूलिया, पल्लू पूरबसर, बिसरासर, जेदासर और बड़गराना, नगरासरी यह नोहर क्षेत्र के हैं दलपतपुरा, हिडकी, मनरपुरा और खुइयां, बरासर, पाण्डूसर, सौंदड़ी, धानतिया, नीमला, टीडियासर, धिराना यह इतने गांव हैं। यहां इतनी बुरी हालत है कि फसल बिलकुल खराब हो चुकी है वहां चारे का कोई प्रबन्ध नहीं है, पशुधन मर रहा है।

बन्नासर एक गांव है उसके अन्दर यह हालत है कि वहां कम के कम 6-7 गायें तो मर गई हैं। पीने का पानी नहीं है। पहले भी हमारे पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब से कह चुकी हूं, गांवों की लिस्ट भी दे चुकी हूं कि पीने के पानी का जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जाये और अब तो इतनी भयंकर हालत है। बरसात हुई नहीं है लोगों ने पलायन करना चालू कर दिया है। वहां पर अकाल राहत कार्य, चालू करवाये जायें जिससे लोग, गरीब लोग पलायन नहीं करें। वहां मजदूरी करके पेट भर सकें।

पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था की जाये और वहां सड़कों आदि का कोई भी काम हो वह काम आप चालू करो जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके और पानी

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

को जल्दी से जल्दी व्यवस्था करो जिससे कि त्राहि-त्राहि हो रही है, वहां बरसात बिलकुल नहीं हुई है। एक बरसात भी नहीं हुई है।

इसलिए मैं पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब और अकाल मंत्रीजी को खास तौर से कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र नोहर का ध्यान रख करके वहां पर अकाल राहत कार्य चालू करें। और मेरे यह जो 40गांव हैं वहां पानी का जो अभाव है, उसको दूर करें।

आपके पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूं कि आपके चीफ इंजी-नियर यह कहते हैं कि हम हनुमानगढ़ और नोहर जिले में तो पाइप लाइन सप्लाई नहीं करेंगे, तो उसकी भी आप व्यवस्था करें। उनसे बातचीत करके और हम दोनों जिले के एम.एल.ए. को विश्वास में लेकर हमारी तकलीफ को आप दूर करें। यही मैं निवेदन करना चाहती हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री देवीसिंह भाटी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : दो पार्टी के सदस्यों के बोलने के बाद निर्दलीय सदस्य का नम्बर आना चाहिये।

श्री सभापति : आपकी पार्टी की लीडर श्रीमती सुमित्रा सिंहजी सबसे पहले बोली हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति महोदय, हमारा नेता यहां है नहीं, हमारे साथ आप भेदभाव मत करो।

श्री सभापति : आपको भी बुलायेंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : दो सदस्य कांग्रेस पार्टी के बोल लेते हैं, दो भारतीय जनता पार्टी के बोल लेते हैं और....

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हमारी कोई पार्टी नहीं है अपने आप 15 मिनट दे दिये मंत्री महोदय को..(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है माननीय सदस्य। जगत सिंहजी दायमा बोले हैं, सुमित्राजी बोली हैं। यह बाहर जा रहे हैं। देवीसिंह जी भाटी। बुलायेंगे आपको।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हमारा निवेदन है कि आप कृपया 3 मिनट का समय दे दें। 3 मिनट का समय दें। अलग अलग पार्टी है हमारी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : 3 मिनट का नहीं 10 मिनट का समय हम लेंगे। सभापति महोदय, आप भी बड़े दयालू हैं जैसा इन्दोरियाजी कह रहे थे। इतने +++ आप। विद्वान हैं आप।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : और क्या है..(व्यवधान) आपको समय देंगे। आप विराजें, आप बिराजिये। माननीय श्री देवीसिंहजी भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, प्रदेश में अकाल का भयंकर संकट है। मैं पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इस वर्ष नये शासन ने जो बाग–डोर संभाली और जो कार्य करने की शैली और मंशा देखी उसमें मुझे कतई विश्वास नहीं होता कि आप प्रदेश की जनता की चिन्ता करेंगे।

आपने लेबर सीलिंग दी, उसके अनुरूप लेबर नहीं लगी। पशुओं के लिये चारा डिपो खोलने की आपने यहां से मंजूरी जाहिर की उसके अनुरूप चारा डिपो नहीं खुले। मैं इस समय जरूर याद करना चाहूंगा स्वर्गीय सुखाड़िया जी को जिन्होंने अपने शासनकाल में किस प्रकार से केन्द्र से राहत ली, सहायता ली, जन सहयोग लिया, लोगों का विश्वास जीता और आज भी पूरे प्रदेश की जनता सुखाड़ियाजी को याद करती है। क्योंकि उस समय उन्होंने न तो पशुधन को मरने दिया और न लोगों को राहत की कमी कहीं महसूस हुई।

अगर आपके अन्दर कुछ इस प्रकार की इच्छा शक्ति है, लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहूंगा कि इस समय पूरे सदन ने यह चिन्ता जाहिर की है कि जगह-जगह, हर जिले में आवारा पशु बहुत हो गये हैं। क्या कभी आपने आंकलन करने का भी प्रयास किया है? कम से कम हमारी इस बात की तरफ नजर तो जानी चाहिये कि इतना आवारा पशुधन हो गया है। लोगों ने छोड़ने की एक वृत्ति बना ली है। उस आवारा पशुधन का, जो बहुमूल्य गोधन है उसका होगा क्या।

आज सबसे बड़ा संकट है तो वह आवारा पशुधन का है और इस अकाल की स्थिति में सबसे बड़ा यदि पशुधन का ह्रास होगा तो गोधन का होगा जो बगैर मालिक के आज जगह-जगह भटक रहा है।

मैं आपसे चाहूंगा कि आप कैटल कैम्प खोलें इसके लिये। कैटल कैम्प में हमेशा पूर्व में व्यवस्था होती रही है। कैटल कैम्प की आप व्यवस्था करें तो कम से कम इन आवारा पशुओं को बचाया जा सकेगा।

मैं यह भी चाहूंगा कि पूर्व के वर्षों की भांति जिस प्रकार के पशु आहार अनुदानित दिया जाता था, उसकी भी आपने गत वर्ष व्यवस्था नहीं की। अनुदानित पशु आहार मिलेगा तो जो हमारी दुधारू गाय हैं, दुधारू पशुधन है वह बच पायेगा। वरना वह भी जो बहुमूल्य पशुधन है, खतम हो जाएगा। आज के दिन गांवों का यह दबाव रहता है..

(16.45 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

खेत में भी पशु जाता है वहां पशुओं को पकड़ कर पंचायत के फाटक में ले जाते हैं। पंचायत के पास में संसाधन नहीं है, फाटक में रोकने की इतनी जगह नहीं है, उनको

(श्री देवीसिंह भाटी)

चारा डाल नहीं सकते। इसकी व्यवस्था कौन करेगा ?

हम जो यहां पर बिंदु उठा रहे हैं तो मैं चाहूंगा बिंदुवार राहत मंत्रीजी इसके ऊपर अपनी स्थिति बतायेंगे। गत वर्ष हमने अलग-अलग संस्थाओं से व्यवस्था की कि चारा डिपो खुलें। जैसा कि अभी मिनाय से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, आपने पंचायतों को इस प्रकार से कोई राशि नहीं दी जिससे वह चारा ला सकें, परिवहन कर सकें। इस राशि की भी व्यवस्था आपको करनी होगी।

अब दूसरे प्रदेशों से हम चारा लेकर आते हैं, परिवहन होता है। इसमें एक व्यवस्था आपने की है कि जिससे कहीं घोटाला न हो, गड़बड़ी न हो तो दूसरे प्रदेशों से आप पंचायत से तस्दीक लायेंगे। अब चारा किस खेत से ला रहे हैं, कैसे लाएं, इसके ऊपर भी आप जन-प्रतिनिधियों से सलाह करें कि किस प्रकार यह घोटाला भी न हो और जो परिवहन कर रहे हैं उनको परेशानी भी नहीं हो। तो निश्चित तौर से कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा।

सभापति महोदय, अभी सदन में यहां चिन्ता जाहिर की थी और वह भी बात बहुत सही है कि जिन लोगों ने पिछले वर्षों में थोड़ी-बहुत बरसात होती रही और भेड़ों की संख्या लोगों के पास बढ़ी है। बहुत कीमती धन है। जिसके ऊपर राज्य सरकार का कभी कोई विशेष, सिर्फ दवा के अलावा कोई योगदान नहीं रहता है। वह अपने बलबूते पर भेड़ों का रेवड़ तैयार करता है।

आज किसी के पास 200 भेड़ें हैं, किसी के पास 400 भेड़ें हैं। गत दिनों तक उसकी बाजार कीमत हजार, 1100 रुपये प्रति भेड़ थी और आज के दिन 200 रुपये में भी कोई लेने को तैयार नहीं है। किसका धन जा रहा है ? किसका नुकसान हो रहा है ? यह प्रदेश में नुकसान हो रहा है। उस पशुपालक को नुकसान हो रहा है। भेड़ों के लिये जैसी अभी चिन्ता जाहिर की थी कि उसके निष्क्रमण की क्या व्यवस्था की। इन भेड़ों के लिये राज्य सरकार का कोई प्रयास नहीं है। लोगों ने अपनी मेहनत से चरा-चरा कर इस पशुधन को बढ़ाया है, वह सारा हम नष्ट करने जा रहे हैं।

आज हकीकत में कोई खरीददार ही नहीं है। लोग बेचने को तैयार भी हैं लेकिन उसकी चौथाई कीमत भी नहीं मिल रही है। इन भेड़ों के निष्क्रमण की व्यवस्था करें। चाहे आप मध्य प्रदेश से बात करें। किस प्रकार से यह पशुधन वहां जाकर अपना समय गुजार सकता है।

सरकार ने एक घोषणा की कि हम आपात योजना बना रहे हैं जिससे अकाल का सामना करेंगे। चारे की आप किस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी सरकार ने कोई इस प्रकार की योजना बना ली है। कोई पड़ोसी प्रदेश से इसके बारे में बात कर ली है। कोई आपकी टीम वहां जाकर चारा-

(श्री देवीसिंह भाटी)

जिनकी छत थोड़ी बहुत गिरने वाली है; नुकसान होने वाला है, तो उसको हम अगर 200-500 रुपयों का उसके अन्दर खर्च कर दें तो ऐसे जो गांव जिनके अन्दर सरकारी भवन हैं, चाहे सहकारिता के भवन हैं उनको हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं। चारदीवारी को ठीक करा सकते हैं। यह भी इसमें लिया जा सकता है।

मैं यह चाहूंगा कि जो आपके राहत कार्य चल रहे हैं और जिसमें विशेष तौर से पक्के निर्माण कार्यों में सिर्फ हैल्दी स्टाबट हो उसी को तो वहां मजदूरी में लिया जाता है। जो कमजोर है, असहाय है, शारीरिक रूप से उसकी क्षमता नहीं है उसको मजदूरी पर लिया नहीं जाता है। यह विशेष तौर से आप देखें कि सब लोगों को, गरीबों को रोजगार मिले।

पानी का बड़ा संकट रहता है। पी.एच.ई.डी. व्यवस्था करने का प्रयास करती है लेकिन उसके पास एक–एक सोर्स से, एक रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम से 10–10, 15-15 गांव जुड़े हुए होते हैं तो हमारे गांवों के अंदर पुराने कुए हैं, बावड़ियां हैं, तालाब हैं, पश्चिमी राजस्थान में बड़े-बड़े कुंड हैं वह थोड़ी-थोड़ी मरम्मत मांगते हैं।

यदि उनको भी ठीक कर दें और कुओं के लिए मेरा सुझाव है पी.एच.ई.डी. मंत्री जी को कि यदि हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो खारे पानी के भी कुए हैं जो बंद पड़े हैं, अभी काम में नहीं आ रहे हैं उनमें भी आप मोटर पम्प लगा दें तो हमारे पशुधन के लिये यह काम आ सकते हैं।

हमारे बीकानेर में रणजीसर में बहुत बड़ी समस्या थी। सब जगह से अलग-अलग लाइन चेंज करके देख ली, टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुंचता था। उस गांव में कुए के अंदर मोटर पम्प लगा दिया तो आज पशुधन की ही सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, उसी का प्रेसर रहता है। और उसके बाद में आज भी कम से कम 15साल हो गये उस गांव में कोई समस्या नहीं है। ऐसे जो कुए हैं तो उसके अंदर यदि कोई स्टैंड बाई सोर्स हो जाये पी.एच.ई.डी. का तो निश्चित तौर पर यह संकट भी हम पार कर सकेंगे।

दूसरा, इसमें सड़कों के ऊपर जो काम होते हैं, तालाबों के काम होते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को राहत मिले और इसमें जिस प्रकार से मिट्टी या अन्य जो इसके माध्यम हैं, उन सड़कों के ऊपर मिट्टी का काम ट्रेक्टर से करने लगे हैं। यह एक नई परिपाटी पैदा हो गयी है। पूर्व में इस प्रकार से नहीं होता था। अब लोगों को राहत नहीं मिलती और ट्रेक्टरों से मिट्टी डाल दी जाती है।

पहली बात तो वह क्वालिटी सही नहीं होती, उसका सही कंपक्शन नहीं आ पाता है और दूसरा लोगों को जो मजदूरी मिलनी चाहिए जो कि हमारी मंशा है उस प्रकार से लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है। इसलिए ट्रेक्टरों से तो किसी भी हालत में सड़कों के ऊपर मिट्टी नहीं डालें। यह

(श्री देवीसिंह भाटी)

मैं चाहूंगा कि इसको आप पुख्ता व्यवस्था करें।

सभापति महोदय; एक आपने नहरी क्षेत्र में जहां सिंचाई होती है, उसमें राहत कार्यों के ऊपर पूरी रोक लगा रखी है। अब जहां जंवाई के अन्दर उस सिस्टम में हो कहीं पानी नहीं है और भी कई बांध हैं, ऐसे कई तालाब हैं जिनसे सिंचाई होने का सवाल ही नहीं है बल्कि खाली पड़े हैं। वहां के रहने वाले लोगों को आज रोजगार क्या मिलेगा। उनको न तो खेतों में कोई काम करने का अवसर मिलेगा और ना और कहीं भी रोजगार के साधन हैं। इस प्रकार की जो रोक है वह भी मैं वाजिब नहीं मानता।

आप स्थिति देखें और उसके अनुरूप जहां तालाबों में, बांधों में, नहरों में पानी नहीं है वहां भी लोगों को आप छूट दें कि वहां भी राहत कार्य चलाये जा सकते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले।

सभापति महोदय, आखिर में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि एक तो आप रेगिस्तानी क्षेत्रों में टैंकर के द्वारा पानी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में टैंकर का हमने पहले भी बहुत अनुभव प्राप्त कर लिये हैं। अक्सर इनके एक्सल टूट जाते हैं। बहुत ज्यादा टूट-फूट आती है।

पूर्व में हमारे यहां बीकानेर और चूरू में परिपाटी नयी चालू की और बहुत कामयाब हुई। ऊंट गाड़ियों में टंकियों से यदि हम पानी का परिवहन करें तो यह एक सुनिश्चित साधन होगा और हर हालत में पानी वहां पहुंचेगा। आप टैंकरों की बजाय ऊंट गाड़ियों से पुख्ता व्यवस्था करें।

दूसरा, जैसे हमारे यहां पशु धन बहुत ज्यादा है पश्चिमी राजस्थान में पानी रोज-नल वाटर सप्लाई स्कीम से पहुंचता नहीं। यदि खारे पानी का भी कुआ है या मीठा है, ऐसे स्रोत हे तो हम कुओं में जैसे पिवाई चालू करवाया करते थे वह पिवाई चालू करवाई जाये जिससे लोग वहां पर अपने साधन से पिवाई करेंगे और पानी निकालेंगे और हमारे पशु धन को पानी पर्याप्त मिल जायेगा। यह पूर्व में भी व्यवस्था थी। साल; दो साल से इसको बन्द कर दिया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पिवाई से क्या तात्पर्य है?

श्री देवीसिंह भाटी : जैसे कुआ है गांव का, उसके अंदर पानी है। वह ऊंट से, बैलगाड़ी से उसका पानी निकालेंगे और उस पानी के लिये जैसे वह गिरता है जिसमें ऊंट लगा है, आदमी लगा है, शिड्यूल उसका तय है, उसकी मजदूरी तय की हुई है उसके अनुरूप वह पानी निकालेगा और उसको पैसा मिल जायेगा। और पानी हमें मिल जायेगा। यह कुओं की पिवाई की व्यवस्था थी।

सभापति महोदय, पानी के बारे में सबसे ज्यादा संकट उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में रहता है। अक्सर आंधियों के दिनों में बहुत ज्यादा संकट रहता है। टेल एंड

(श्री देवीसिंह भाटी)

पर, एक-एक स्कीम से 10-10, 15-15 गांव जुड़े हुए होते हैं। एक दफे मोटर जल जाये तो वह 10-10, 15-15 दिन वापस रिपेयर होकर आती नहीं है। यह कई बार चर्चा हुई कि आप कम से कम तहसील हैडक्वार्टर पर ऐसे 10-12 स्टैंड-बाई मोटर्स रखें कि जहां की भी सूचना मिले आप तुरंत वहां पर मोटर पहुंचाकर व्यवस्था करें। बिजली वाले अपनी जगह कमी बताते रहते हैं।

लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाया। उसी पी.एच.ई.डी. के पास में लोगों के कृषि कुए हैं, वहां तो मूंगफली की फसल पकती है, गेहूं पकता है वहां तो पानी की कमी नहीं आती। वहां वह अपने हिसाब से रिपेयर कर लेता है लेकिन पी.एच.ई.डी. के जो कुए हैं वह 10-10, 15-15 दिन तक रिपेयर नहीं होते।

इसके लिए मैंने पूर्व में भी सुझाव दिया था कि जहां कहीं भी ऐसे अकाल के समय में पी.एच.ई.डी. की स्कीम बंद हो जाये चाहे कहीं भी ऐसी बीमारी आ जाये, तो थानों के माध्यम से, जहां पुलिस थाने हैं, जैसा हमारे कैनाल सिस्टम में है, वायरलैस सैट हैं, उनके माध्यम से सूचना देकर तुरंत इस प्रकार की राहत पहुंचाई जा सकती है। वायरलैस सैट से सूचना करें तो जल्दी राहत मिल सकती है।

(17.00 बजे)

श्री सभापति : समाप्त करें भाटीजी।

श्री देवीसिंह भाटी : वोल्टेज की हर समय कमी बताते रहते हैं। पूर्व में हमारे चूरू और बीकानेर जिले में कैपेसीटर्स की व्यवस्था की थी, ऐसे कैपेसीटर्स और खरीदे जाएं जिससे वोल्टेज कंट्रोल में रहे और हमारे पी.एच.ई.डी. की स्कीम्स सुचारू रूप से चल सकें।

हमने दो साल पहले हैण्ड पम्प्स की स्वीकृति जारी करवाई थी, बीकानेर जिला उसमें नहीं था। कैनाल एरिया में सीपेज से हमारे वहां जगह-जगह मीठा पानी हो गया है और जल स्तर काफी ऊंचा हो गया है। तो जो हैण्ड पम्प्स स्वीकृत हैं, वे जल्दी समय पर चालू हो जाएं और न हो कहीं आवश्यकता हो, वहां मीठा पानी हो गया है, सर्वे भी हमने करवा लिया था अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से तो यह हैण्ड पम्प्स लग जाएं तो यह भी बगैर बिजली के काफी बड़ी राहत मिल जाएगी।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि पी.एच.ई.डी. की स्कीम्स में हमारा पानी देने वाला स्टाफ है, गांव वालों की तस्दीक होगी, जैसे हमने पूर्व में पंचायत समितियों में सरपंचों के माध्यम से जहां स्कूल नहीं चलता था, वहां सरपंच तस्दीक करता था कि इन्होंने चलाया है।

इस प्रकार से पी.एच.ई.डी. की स्कीम्स के बारे में भी ऐसी तस्दीक लें, सरपंच इसमें गड़बड़ नहीं कर पाएगा, एक दफा लिहाज से कर दे लेकिन उसके बाद में

(श्री देवीसिंह भाटी)

गांव वालों के उलाहने सम्भालना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा।

इसलिए आप सरपंच से तस्दीक करवाएं कि हमारे पी.एच.ई.डी. की स्कीम है वह सुचारू रूप से बगैर आपरेटर की गलती से महीने भर चली है तो वह भी उसको एक डर रहेगा इसलिए मैं चाहूंगा कि यह भी आप व्यवस्था कर लें तो आप की पी.एच.ई.डी. की स्कीम्स सुचारू रूप से चलेंगी।

अब सवाल रहा कि हमने बात और चर्चा तो बहुत कर ली। जैसा रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि हमारे पास आखिर आर्थिक संसाधन क्या है, जिस प्रकार से हम घास–चारा लाएंगे, किस प्रकार से हम राहत कार्यों को चला पाएंगे, किस प्रकार से हम अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करपाएंगे, यह आप कम से कम सदन को बताएंगे।

क्योंकि इसमें जो अभी सोचा गया है कि हमें कम से कम सात सौ, आठ सौ करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास वे संसाधन नहीं हैं, आप यह किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे, आप यह साधन कैसे जुटाएंगे, यह सदन को बताएंगे। और बड़ी गम्भीरता से इस अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए जनता का भी सहयोग लेंगे और इसका सामना करके पशु धन को भी बचाएंगे और लोगों को भी राहत देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बाबूलाल नागर।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : सभापति महोदय, मेरा भी नम्बर है।

श्री सभापति : उनको पुकार लिया, इनके बाद आपका नम्बर लेंगे। (व्यवधान) माननीय मिर्धा साहब, मैंने इनका नाम पुकार लिया है, इसके बाद आपका नम्बर लेंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मुझे डाक्टर के यहां जाना है, इसलिए जल्दी है।

श्री सभापति : इसके बाद नम्बर लेंगे; अभी तो इनका नाम पुकार चुका, पांच मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामलानी) : सभापति महोदय, हमारा भी नाम है या नहीं, यह तो बता दो ताकि हम यूं ही बिना मतलब के न बैठें। नाम है या नहीं? सुबह से बैठा दिया, पहले बता दें नाम है या नहीं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : सभापति महोदय, अकाल के सम्बन्ध में अपनी बात कहूं उससे पहले राज्य के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी और अकाल राहत मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू): शासन यूं ही नाम नहीं बताता है।

श्री हेमाराम चौधरी : आप तो नाम बता दो, वह तो असत्य बोलते हैं, आप तो सही बता दो।

श्री सभापति : थोड़ी देर विराजें आप। नागर साहब, आप बोलें।

श्री बाबूलाल नागर : भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने हमारे क्षेत्र की शत प्रतिशत खरीबा की रिपोर्ट होने पर भी, राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट होने के बावजूद भी अकालग्रस्त घोषित नहीं किया। मैं मुख्य मंत्रीजी से मिला, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से मिला, आपने मेरी पीड़ा सुनी और 27 जनवरी को मेरे क्षेत्र को आपने अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे यहां अकाल के कार्यों को भी पर्याप्त मात्रा में चलाया है।

लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे दूदू विधान सभा क्षेत्र, जो कि भौगोलिक दृष्टि से दुर्भाग्यशाली क्षेत्र है, जहां आधे से ज्यादा क्षेत्र फ्लोराइड से ग्रसित है, जहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, खारा पानी है, जमीन भी उपजाऊ नहीं है, जहां की जमीन में पानी नहीं है, आपने अपने स्तर पर राज्य सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए, निश्चित रूप से लोगों के दुःख-सुख में इस सरकार ने भागीदार बनने का प्रयास किया लेकिन आज हालत ऐसी बनी हुई है कि मेरे यहां मुश्किल से 12–13 गांवों में एक बरसात हुई है और पूरा का पूरा क्षेत्र है, जहां एक भी बार बरसात नहीं हुई है, इस कारण पीने के पानी के लिए जहां फ्लोराइड क्षेत्र नहीं है, वहां पर जो हैण्ड पम्प लगे हुए थे, पानी का स्तर नीचे चला गया है और सारे के सारे हैण्ड पम्प सूख गए हैं, ऐसी हालत बनी हुई है।

पानी की स्कीम विभाग द्वारा चालू थी लेकिन पानी न होने के कारण पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पी. एच.ई.डी. मंत्रीजी, हमारे बीच मौजूद हैं मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि साखून, तोरसोना, खबसपुरा, फरडोती, ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां औरतों को रात-रात भर लाइन में लगना पड़ता है और रात को थोड़ा-बहुत कुओं में पानी रहता है, लाइन में औरतें बैठती हैं और छह-सात घंटे बैठने के बाद बड़ी मुश्किल से एक घड़ा पानी ला पाती हैं।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जागरूक रहते हुए आपने गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं लेकिन मंत्री महोदय गिरदावरी की रिपोर्ट आने में समय लगेगा जब तक गिरदावरी की रिपोर्ट आए उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पानी के टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था आप अतिशीघ्र करें जिससे पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

जहां तक पशुओं की बात है, पिछली

(श्री बाबूलाल नागर)

बार आपने अकाल में शामिल किया, खूब मजदूरी के आपने काम चलाए लेकिन पशुओं के चारे की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा....

श्री रामसिंह बिश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : आप जब कोई बात कहते हैं तो सुझाव दीजिए, जब आपका पूरा एरिया फ्लोराइड से ग्रसित है और आप चारे की बात करते हैं।

(17.08 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री बाबूलाल नागर : मैं उसी पर आ रहा हूं। मंत्री महोदय, मैंने पूर्व में भी आपसे आग्रह किया था, विधान सभा में भी मैंने प्रश्न लगाया था, आपने जवाब भी दिया था कि जहां–जहां फ्लोराइड क्षेत्र हैं, पानी की स्कीम हम बना देंगे लेकिन प्रश्न आता है कि क्षेत्र में पानी ही नहीं है तो आप स्कीम भी बना देंगे तो उसका सदुपयोग लोग नहीं कर पाएंगे।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जयपुर को आप बीसलपुर से पीने का पानी उपलब्ध कराने की मंशा रखते हैं, आपने मुझे आश्वासन भी दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि दूदू उसके बीच में पड़ता है, आप दूदू को भी बीसलपुर में शामिल कर लें जिससे समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

उस रास्ते से माननीय मंत्री महोदय फागी होते हुए जयपुर को पानी उपलब्ध कराएं और दूदू उस रास्ते में पड़ेगा। जहां फ्लोराइड क्षेत्र है कम से कम उस क्षेत्र में आप उन गांवों को बीसलपुर में शामिल कर लें और आपने तो मुझे आश्वासन भी दिया है, दूदू की जनता आपसे उम्मीद लगाये हुए है, आपके आश्वासन पर विश्वास भी करती है और पानी के संबंध में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो हैण्ड-पम्प लगे हुए थे पानी सूखने के कारण वे हैण्ड पम्प सूख गए; लेकिन जहां खारा पानी भी है वहां जानवर पानी पी लिया करते थे, विभाग द्वारा फ्लोराइड क्षेत्र में हैण्ड पम्प नहीं लगाया जाता है।

अगर फ्लोराइड क्षेत्र में भी आप हैण्ड पम्प लगा दें तो कम से कम मवेशियों को पीने का पानी मिल जाए। साथ ही मैं अकाल राहत मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं पिछली बार भी चारे की व्यवस्था नहीं की गई थी और ऐसा बेहाल हो रहा है, लोग अपने पशुओं को खुला छोड़ने लग गए हैं और कुछ जगह तो खुला छोड़ने के कारण आपस में फौजदारी हो गई है, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है, कई लोगों को सेन्ट्रल जेल में भी जाना पड़ा है।

आपसे मेरी प्रार्थना है छपन्या के अकाल के बारे में हमने सुना था कि उस समय ऐसे हालात बने थे कि पानी की बूंद-बूंद के लिए जानवर और पशु व आदमी तरसते थे। आदमियों को घास की रोटी खानी पड़ती थी। मुझे लगता है मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र के साथ भौगोलिक समस्या

(श्री बाबूलाल नागर)

भी बहुत विकट रही कि 8-10 गांवों में वर्षा नहीं हुई, जैसे आज यहां वर्षा हो रही है, पर पता नहीं भगवान के क्या कैसा मामला है कि दूदू में वर्षा नहीं हो पाती। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप चारे की अविलम्ब व्यवस्था कराएं।

साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। अकाल में बहुत से स्कूलों के कमरे, हण्डे, बाउण्ड्रीवाल भी बने हैं। माननीय मंत्री महोदय, अकाल राहत विभाग द्वारा 50 प्रतिशत मजदूरी और 50 प्रतिशत मैटेरियल का एस्टीमेट संबंधित कर्मचारियों द्वारा बनाया जाता है और जब स्कूल की बाउण्ड्रीवाल बनाते हैं तो 70 प्रतिशत मैटेरियल का रेशो आता है, 30 प्रतिशत का मजदूरी का रेशो आता है। ऐसी हालत में ग्राम पंचायत का सरपंच या ग्राम पंचायत की जिस एजेन्सी को करना है फर्जी मस्टरोल भरता है, फर्जी मजदूरों का नाम लिखता है, लेकिन उसको कारीगर 40 रुपये में नहीं मिल पाता है।

मेरी आपसे प्रार्थना है इसमें कोई आप ऐसा रास्ता निकालें कि ईमानदारी से कोई एजेन्सी काम कराना चाहे वह भी ईमानदारी से काम नहीं कर पाती है।

मैं निवेदन करूं जब वह मस्टरोल तहसीलदार के पास पेमेंट होने को आता है, क्योंकि सरपंच द्वारा फर्जी मस्टरोल भरा जाता है उस रेशो को बिठाने के लिए माननीय मंत्री महोदय, राजस्व मंत्रीजी अभी हमारे बीच में बैठी थीं, अभी चली गई दुर्भाग्य से कहना पड़ता है पूरा जागरूक होने के बाद, पूरी इच्छाशक्ति रखने के बाद भी मैं उस क्षेत्र का विधायक होने के नाते भी फर्जी काम नहीं रुकवा सका।

तहसीलदार 3-3, 4-4 प्रतिशत मजदूरों के भुगतान में काटता है और उन मजदूरों को कम पेमेंट मिल रहा है। मैंने इस संबंध में राजस्व मंत्रीजी को भी कहा है और बहुत से सरपंचों में जागृति लाने का प्रयास किया है, लेकिन सबने अपने हाथ ऊपर कर दिये कि हमने फर्जी मस्टरोल भरे हैं क्योंकि हमें मैटेरियल का रेशो उसमें बिठाना होता है, तहसीलदार एक-एक मजदूर को भुगतान करता है और 70 प्रतिशत किस तरह से हमारा पूरा हो।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो लोग ईमानदारी से काम करना भी चाहें उन लोगों को इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि वे ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। आपसे प्रार्थना है आप इस तरह का काम कराएं, इस तरह की व्यवस्था करें कि 70 और 30 के रेशो के आधार पर एस्टीमेट बने और आप उसका काम स्वीकृत करें।

आपसे और भी निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समय कम दिया गया है। मैं आज इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे यहां बहुत विकट समस्या है, चाहे मेरे क्षेत्र के विकास कार्यों को आप रुकवा दीजिए, मेरे क्षेत्र में चाहे कोई अस्पताल मत खुलवाइए, मेरे क्षेत्र में रोड मत बनाइए, लेकिन मेरे जो विकट स्थिति बनी

(श्री बाबूलाल नागर)

हुई है, खारा पानी है, जमीन में चला गया, पशु मरने की पोजिशन में आ गए हैं, आदमी को खाने को नहीं मिल रहा है उसको देखते हुए आप अविलम्ब अकाल राहत कार्य शुरू कराएं और जब तक आपके पास रिपोर्ट आए उससे पहले पानी और चारे की व्यवस्था कराएं। आपने मुझे बोलने का, विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष जी, आज सदन में अकाल जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है और इस संकट के समय सरकार द्वारा सदन का सत्र बुलाकर चर्चा कराना एक सराहनीय कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, यों तो राजस्थान के अधिकांश जिले अकाल की चपेट में हैं, पर मैं विशेषकर नागौर जिले की बात निवेदन करना चाहूंगा। जिस जिले में पिछली साल भी 1462 में से 1437 गांवों में अकाल था और इस साल भी जिले के अधिकांश तहसीलों में अकाल की स्थिति बनी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के सामने आर्थिक संकट भी है और प्रदेश पर अकाल की छाया और संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार कितने संसाधन जुटा पाएगी उसमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी विराजे हैं उनके समक्ष अपने कुछ सुझाव रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में जितना अकाल राहत के तहत कार्य खोलना जरूरी नहीं उतना पशुओं की समस्या है। हमारा जिला पशुओं के पीछे ही जाना जाता है। नागौर का बैल प्रसिद्ध है और एशिया के सबसे बड़े पशु मेले नागौर में, परबतसर में, मेड़ता में, डीडवाना में और छोटे-मोटे तो कई पशु मेले लगते हैं वहां आज पशुधन समाप्त होने को आ रहा है।

मैं आपसे निवेदन करूं वहां इतनी अच्छी नस्ल की गायें हैं जिनको लोगों ने छोड़ दिया और आज हजारों की तादाद में गायें जिले से बाहर जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि चारे के डिपो खोले जाएं। कई संस्थाएं आज योगदान करने को तैयार हैं, उनका योगदान लेकर जिले के पशुधन को बचाया जाए और जो पशु मेले लगते हैं, नागौर की ख्याति नागौर के बैल के पीछे है उसको बचाया जाए।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पीने के पानी का संकट है। मैं आपके माध्यम से इस राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिस तत्परता से उन्होंने राजस्थान के कई गांवों में पीने का पानी

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

पहुंचाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि वे इस कार्य में सफल होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में अकाल की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार के पास पैसे की कमी है। अब एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के विषय में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है जिन गांवों में, जिन जिलों में अकाल की स्थिति है वहां आवश्यकतानुसार अकाल राहत के कार्य खोले जाएं। उन कार्यों में कैसी गाइड लाइन हो, किस गाइड लाइन के आधार पर वे कार्य कराये जाएं।

मैं समझता हूं पक्के कार्य ज्यादा कराये जाएं। जिन गांवों में तालाब अच्छे हैं उनमें तालाबों की खुदाई करायी जाए। बारिश होगी तो उन तालाबों में पीने का पानी भी आयेगा। उन तालाबों को पक्का बंधाया जाये और उनकी मरम्मत कराकर अकाल राहत के कार्य शुरू किये जाएं।

उपाध्यक्ष जी, हमारे जिले में कुओं का जलस्तर निरन्तर नीचे जा रहा है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि अगर नागौर के काश्तकारों को बचाना है तो इंदिरा गांधी कैनाल का पानी लिफ्ट करके नागौर में पहुंचा दें। नागौर की जनता उन्हें कभी सपने में भी नहीं भूलेगी, हमेशा याद रखेगी। कुओं का जल स्तर बढ़ जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कुओं में यह स्थिति है कि आने वाले दो–तीन सालों में पीने का पानी नहीं मिलेगा। लोग पलायन करने लग गये हैं। मवेशी की यह हालत है। भेड़पालक थे उनसे भी भगवान रूठ गया है। भगवान रूठता है तो चारों तरफ से रूठता है। अभी पिछले साल भेड़ों में एक ऐसा रोग हुआ। हिड़क्या नामक रोग, जिससे हजारों लाखों भेड़ें मर गईं। उपाध्यक्ष महोदय, भेड़पालकों को बहुत भारी नुकसान हुआ है।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस संकट की घड़ी में बिजली भी किसानों को 8 घण्टे मिलती रहे तो अपना गुजारा किसान आराम से चला सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जितने भी भुगतान पिछले बकाया हैं उनका तो आपने निर्देश दे दिया कि करवा देंगे। आवश्यकतानुसार कार्य खोले जाएं और जो अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार करते हैं, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिये ऐसा कानून बनाया जाए कि जड़ों से उनको उखाड़ कर जनता के सामने नंगा किया जाए। यह गायों का पैसा खाने से नहीं चूकते, यह मजदूरों की मजदूरी खाने से नहीं चूकते।

ऐसी संकट की घड़ी में लोग मरने जा रहे हैं और वे अपना व्यवसाय समझकर

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

इसको धंधे के रूप में चला रहे हैं। राजस्थान सरकार या राजस्थान की जनता की यह गाढ़े पसीने की कमाई है जिसका वो पैसा खा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार में जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल हमारे यहां जो अकाल राहत के कार्य खोले गये, मैं तो उनसे संतुष्ट हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी कार्य हुये हैं और संतोषजनक कार्य हुये हैं। मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री से यही निवेदन करूंगा कि आप अकाल राहत देने में कोई भेदभाव नहीं बरतें और आवश्यकता के अनुसार कार्य खोलें और राजस्थान सरकार में आप अपना नाम करेंगे, यह मुझे उम्मीद है। जयहिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम जी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपने जो बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। क्योंकि सुबह से उम्मीद लगाये बैठा था जब आप चेयर पर बिराजे तो मेरा नम्बर आया। आज सदन में अकाल जैसी गम्भीर समस्या पर चर्चा हो रही है। अकाल की मार तो बाड़मेर जिला है वहां यह पैदा हुआ है, क्योंकि दूसरे जिलों में कहीं पर एक बरसात, कहीं पर दो–तीन बरसातें हुई हैं। हमारे जिले में, पूरे जिले की नहीं कहता, पर आधे जिले में एक बार भी बरसात नहीं हुई है। हल चलाने का काम ही नहीं पड़ा। एक बात का तो फायदा हुआ कि उनको खेती करने में जो खर्चा करना था बीज, खाद का वो पैसा बच गया। और घास का नाम लेने को तो तिनका भी नहीं है। लोगों ने अपने मवेशी को छोड़ दिया है खासकर इस समय सबसे बड़ी समस्या मवेशी की है। मवेशी को बचाने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी क्या योजना है? यह काम आप यदि अभी नहीं करेंगे तो फिर मवेशी तो मर जाएंगे उसके बाद फिर चारे की व्यवस्था किसके लिये करेंगे, यह सोचने की बात है।

श्री रामसिंह बिश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : मवेशी छोड़ दें तो किस बात की व्यवस्था करनी है।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं वही कह रहा हूं, मैं यही निवेदन कर रहा हूं। मैं चुनाव के समय और चुनाव के बाद पूरे इलाके में सब गांव में घूमा हूं। मवेशी छोड़ दें, मवेशी को कुछ लोग जैसलमेर की तरफ ले जा रहे हैं। सड़क-सड़क आप जाओ नेशनल हाइवे जैसलमेर से कांधला, धोरीमन्ना होते हुये, सांचोर होते हुये सड़क के सहारे–सहारे टोले के टोले लेकर लोग जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं। कितने ही लोग तो इन मवेशियों को लेकर जैसलमेर की तरफ गये, उसकी वजह से वोट भी कम पड़े। वोट का प्रतिशत कम रहा। लोग बाहर चले गये। और सड़क-सड़क लोग गायें लेकर जा रहे थे, उन गायों को मैंने देखा है।

देखा जाए तो इतनी अच्छी किस्म व

(श्री हेमाराम चौधरी)

नस्ल की गायें थीं कि मन करता है इन गायों को रख लें आगे नहीं जाने दें लेकिन उन गायों को खिलायें क्या ? वो पशुपालक भी जैसलमेर की तरफ इसलिये ले जा रहे हैं वहां तो कुछ खिलाने को है नहीं। चारा कतई नहीं है। पैसों से भी नहीं मिल रहा। पैसे भी उनके पास नहीं हैं, जिससे कि खरीदकर खिला सकें। वे जैसलमेर ले जा रहे हैं।

जैसलमेर में देवीकोट से आगे कुछ सेवण घास है और मोहनगढ़ की तरफ मैं गया था 14-15 तारीख को, काफी सेवणें हैं। नहर के ऊपर मुरब्बे जिन लोगों को अलाट हुये हैं वो लोग मुरब्बे को साफ करवा रहे हैं सेवणों को कटवा रहे हैं कटवाकर के उनको जला रहे हैं। उन सेवणों को इकट्ठा करके आप रखो तो वहां अगर कुछ गायें पहुंच जाएंगी तो उनके खाने के काम आयेगी। इसलिये कम से कम जलायें तो नहीं। रास्ते में खासकर जो मवेशी जा रहे हैं ...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : आपने देखी है क्या जलाते हुये ?

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने नहीं जलाई, जलाते हुये देखी है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : कितने मुरब्बों में जलाते हुये देखी है ? यह प्रचार क्यों कर रहे हैं सेवण जला रहे हैं, ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं ?

श्री हेमाराम चौधरी : मैं खुद देखकर आया हूं। मुरब्बे साफ किये बिना तो मुरब्बे में रंगत नहीं आ सकती। इसमें सेवणें काटेंगे तो साफ तो करेंगे ही।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : काटने के बाद मूठा जला सकते हैं नीचे वाले सेवण थोड़े ही जलाई जाती है। बढ़ी हुई सेवणों की बात क्या कर रहे हैं मुरब्बे साफ कर रहे हैं। 12000 नये किसान गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, आप भी बोल लेना, इनको बोलने दो।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मौका मिलेगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मिलेगा, मिलेगा।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं जला रहे, ठीक है। अगर जला रहे हैं तो जलाये नहीं ताकि वो मवेशी के चरने के काम आये। जैसलमेर में देवीकोट से आगे अच्छी सेवणें हैं। अभी इस समय तो कमी है नहीं, आने वाले समय में ज्यादा मवेशी पहुंच जाएंगे और कमी आ जाएगी यह मैं नहीं कह सकता।

इसलिये वहां मवेशी जाये उसके लिये बीच में अगर 2–4 जगह आप चारे के डिपो खोल दें फ्री फोडर के और मवेशी एक बार चारा खा लें तो वहां पहुंच जायें नहीं तो वो रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। बहुत सी गायों ने रास्ते में ही दम तोड़ा है। आप ज्यादा नहीं तो इतना तो कर दें, जो लोग मवेशी जैसलमेर लेकर जा रहे हैं,

(श्री हेमाराम चौधरी)

बीच में 1,2,3,4 जगह जिस तरह से उनको रुकना पड़ता है वहां पर उनको चारा मिल जाए, इतना करवा दें तो मवेशी को कुछ खुराक मिलेगी ।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले पशुओं के लिये चारे का प्रबंध करने की बात है अब यह पशुपालक है इनके पास पशु है। अभी पशु छोड़ देंगे तो फिर बाद में पशु मिलने वाले हैं नहीं, और छोड़ने के सिवाय उनके पास दूसरा कोई सहारा, कोई चारा नहीं है । इसलिये कैटल कैम्प खोलें और खोलकर चारे की व्यवस्था करें तो यह पशुधन बच जाएगा । पहले भी कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया है और अब भी कांग्रेस सरकार है, अब इतनी कमजोरी क्यों ।

इसलिए इस बार भी वित्त की कमी है तो उस समय भी वित्त कोई ऊपर से तो टपकता नहीं था । उस समय यह बात जरूर थी कि कांग्रेस की केन्द्र में सरकार थी, राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे इसलिए उन्होंने केन्द्र से राजस्थान को भरपूर सहायता दी । मदद देने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी । पर अब क्या है कि ये गायों के फर्जी रक्षक बने हुए हैं, इनकी केन्द्र में सरकार है, ये राजस्थान सरकार को पैसा दे नहीं रहे हैं और बैठे-बैठे वित्त-वित्त छेड़ते रहते हैं । पैसा आप दिल्ली से दिलाओ ।

गायों के लिए तो दिला दो बाकी तो नहीं, वरना तो गायों की हाय बहुत खराब है । वह हाय लगी तो आप भी कहीं नहीं रहोगे । धर्म ही दिलाये । 21 करोड़ रुपये पूरे राजस्थान को दिला दिये कि अकाल का मुकाबला करो । उस समय जिस समय राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तो अमराराम जी आपको भी याद है कि कितने कैटल कैम्पों के अन्दर कितनी गायें मुफ्त में चारा खा रही थीं ? भूल गये ?

श्री रतना राम चौधरी : जब राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे, कांग्रेस का राज था तो पंजाब से छेलड़ी की गाड़ियां भरकर आयी थीं और जो लोगों को खाने के लिए छेलड़ी नहीं मिलती है वह पशुओं को खिलायी थी ।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि दिल्ली में इनकी सरकार होने की वजह से राजस्थान सरकार को केन्द्र से सहायता नहीं मिल रही है इसलिए पशु धन का यह हाल हो रहा है पर राजस्थान सरकार की भी आखिर यह जिम्मेदारी है कि वह इस मामले से किस तरह से निपटे । इसके लिए अलग से अभी से विचार करें और दूसरी सारी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में कटौती करें । चाहे सारे विकास के काम बन्द कर दें, रुक जाएं एक साल । एक साल विकास के काम नहीं होंगे तो कोई आसमान नहीं टूटेगा । लेकिन जो हमारा पशुधन है ...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : विकास का काम कहीं चल रहा है क्या ? बंद क्या कर दें ? विकास का काम कहीं चल रहा

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

है तो आप बताइये ? बंद क्या करेंगे, बंद तो है ही ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए सारा जो पैसा है वह इस अकाल का मुकाबला करने में आप लगायें । उसमें सबसे पहले आप पशु धन के ऊपर ध्यान दें और उसके बाद में पीने के पानी पर ध्यान दें । पीने के पानी की भी बहुत गम्भीर समस्या है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के मामले में पी.एच.ई.डी. वालों से पानी की शिकायत करते हैं तो इनके पास एक ही जवाब है कि बिजली नहीं मिलती और बिजली विभाग से बात करते हैं तो कहते हैं कि बिजली आठ घण्टे देते हैं । अब वे आठ घण्टे का कह रहे हैं लेकिन बिजली वास्तव में आठ घण्टे देते नहीं हैं ।

हमारे बाड़मेर जिले में तो बिजली 24 घण्टे पी.एच.ई.डी. की योजनाओं को मिलनी चाहिए क्योंकि वे योजनाएं इस ढंग से बनायी हुई हैं कि 24 घंटे चलेगी तो इन गांवों को पानी मिलेगा । आठ घंटे के हिसाब से नहीं बनायी थीं । तो वे योजनाएं ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं ।

इसके अलावा बिजली विभाग का और पी.एच.ई.डी. का आपस में कोई को-आर्डिनेशन नहीं है । को-आर्डिनेशन नहीं होने की वजह से एक-दूसरे पर टालते रहते हैं और पानी का कोई प्रबन्ध हो नहीं पाता है ।

इसलिए इन दोनों का आपस में को-आर्डिनेशन हो इसके लिए माननीय विश्नोई साहब और चन्द्रभानजी बैठकर के बात करके कोई करें नहीं तो यह आने वाले समय में पानी की बहुत विकट समस्या हो जाएगी । इसका आप प्रबन्ध करें । जो योजनाएं आगे है वह ठीक ढंग से चले, पानी पहुचे क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं कि उनके आखिरी गांवों में तो 40–40, 50-50 गांवों में तो पानी जाता ही नहीं और विभाग भी उस तरफ ध्यान कम देता है । यह कर्मचारी जो परमानेंट हैं वे तो राज के पक्के जवांई हो गये ।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपके एरिया में करीब-करीब सारे गांवों में पानी है तो फिर आपने 40 गांवों की योजनाएं क्यों बनायीं आप बताइये मुझे । क्या ट्यूबवैल खोद सकते हैं हम ?

श्री हेमाराम चौधरी : वह कुछ गांव में नहीं, सिणधरी साइड में है । तीन बड़ी स्कीमें हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री हेमाराम चौधरी : जोगसरिया, रावतसर चवा और नादाणासरणी, ये तीन योजनाएं हैं जो बहुत बड़ी योजनाएं हैं और इनको अगर बराबर बिजली नहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

मिलती है तो आखिर के गांवों में तो पानी कभी जाता ही नहीं है। ट्यूबवैल भी कई बार खराब हो जाते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले पता किया तो 4-4 ट्यूबवैल एक साथ खराब हो जाते हैं। तो जो आखिर के गांव हैं उनमें पानी नहीं पहुंचता है। इसके लिए ध्यान दें।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक आपने अनुबन्ध के आधार पर कुछ आदमी रखे हैं। उनको आप 500 रुपये देते हो। 500 रुपये से आज क्या होता है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : 1200 कर दिये साहब। कभी के कर दिये।

श्री हेमाराम चौधरी : अभी तक तो 1200 रुपये किसी को नहीं मिले।

श्री रामसिंह बिश्नोई : यह वित्त का संकट है, समझो न आप।

श्री हेमाराम चौधरी : यह वित्त का संकट आप दूर करो। उपाध्यक्ष महोदय, यह 1200 रुपये आपने कर दिये तो 1200 रुपये देना तो शुरू करो। क्योंकि 1200 रुपये आप देंगे, मिनिमम वेज के बराबर तो आप उनको दो।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। समाप्त कीजिये। श्री राजेन्द्र पारीक। श्री हफीज मोहम्मद। श्री भीमसेन जी चौधरी। समाप्त कीजिये प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी : एक मिनट निवेदन करना चाहूंगा। जगमाल सिंह जी, एक मिनट बैठिये। हमारे बाड़मेर जिले में एक बार पहले सम्वत् 2026 में जब अकाल पड़ा था, 25 में भी अकाल था फिर 26 में भी अकाल पड़ा था....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : तो उस समय हमारे जिले में अकाल राहत के काम नहीं खोलकर के लोगों को नकद भुगतान किया था। नकद सहायता दी थी। इसलिए विकास के काम में तो मैटेरियल का भी पैसा खर्च करना पड़ेगा तो उसमें आप नकद दें तो सीधा उनको मिल जाएगा और उसमें कोई भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। उस समय जो नकद राशि दी गयी थी उसमें कोई एक रुपया भी नहीं खा सका था। अगर यह नकद राशि का भुगतान आप कर देते हो दूसरे कामों को रोककर के तो हमारे जिले के लोगों का बचाव हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी : पहले सम्वत् 2026 में हमारे यहां भी हमारी सरकार थी और दिल्ली में भी हमारी सरकार थी। उस योजना को हमारे वहां भी लागू करके नकद भुगतान कराया जाए।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले

(श्री हेमाराम चोधरी)

में कुछ सड़कों का कुछ लोगों का जनवरी माह की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे पास कलक्टर, बाड़मेर की रिपोर्ट है कि श्रमिकों का पूरा भुगतान किया जा चुका है।

श्री हेमाराम चोधरी : प्रभी साहब मैं रवाना हुआ उसके एक दिन पहले की बात है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह रिपोर्ट कलक्टर की है और उसको जोधपुर के कमिश्नर ने वेरिफाई किया है।

श्री हेमाराम चोधरी : अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो मैं माफी मांग लूंगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपके पास अगर कोई जानकारी है कि उस तहसील का, उस गांव का, उस वर्क का पेमेंट नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिये। मैं कलक्टर से पूछूंगा कि गलत सूचना क्यों दी मुझे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह रिपोर्ट कब की है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह रिपोर्ट मेरे पास 19-9-99 की है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेमाराम जी।

श्री हेमाराम चोधरी : मालपुरा खाटा से जनवरी का पेमेंट बाकी है....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : केवल कुछ ऐसे काम हैं जिनकी शिकायतें हैं और शिकायतों की वजह से जांच में पड़े हुए हैं। उन पेमेंट को छोड़कर राजस्थान की सारी जगह के लेबर का पेमेंट कर दिया गया है। एक भी जगह बकाया नहीं है।

श्री हेमाराम चोधरी : इनकी कोई जांच नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप अगर लिखकर देंगे कि यह पेमेंट नहीं हुआ तो मैं जांच करूंगा और जिसने मुझे गलत सूचना दी उसके खिलाफ एक्शन लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अलग से मंत्री महोदय से मिल लीजिये। विराजिये। विराजिये प्लीज। श्री भीमसेन जी।

श्री हेमाराम चोधरी : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आप सारे का पेमेंट करायें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। आप मिल लेना इनसे। श्री भीमसेन जी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष अकाल की बड़ी भयंकर स्थिति है जो हमें सम्वत् 1956 के प्रकाल की याद दिलाती है। सम्वत् 1956 में जैसा अकाल पड़ा था वैसी स्थिति आज पश्चिमी राजस्थान में है। तृण का अकाल है और काश्तकारों ने अपने पशुओं को छोड़ दिया है, वे निराश हो चुके हैं।

मेरा सुझाव है कि गायों के लिए यह

(श्री भीमसेन)

सरकार तत्काल व्यवस्था करे । हमारे पड़ौस में कृषि विश्वविद्यालय का रोजड़ी फार्म है, हनुमानगढ़ में कोला फार्म है जहां मवेशियों को भेजा जा सकता है । उसके अलावा पशुओं के लिए आप कोई व्यवस्था करें । मध्य प्रदेश में जहां काफी वन हैं, चराई की वहां काफी जगह है तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से भी बात करके इसके बारे में आप व्यवस्था करें ।

इसके अलावा सम्वत् 2025 में बड़ा भयंकर अकाल था राजस्थान में उस वक्त सुखाड़िया जी की गवर्नमेंट थी । उन्होंने इस मेरे इलाके में अकाल राहत के तौर पर लिफ्ट कैनाल का कार्य शुरू किया था । उसी तरह से इस वक्त आपको गंगनहर के बारे में मरम्मत करानी है तो उसके कार्य को आप शुरू करवा करके अकाल राहत में उससे लोगों को मजदूरी दी जा सकती है और आपका उपयोगी कार्य भी हो सकता है । हमारे यहां सड़कों की जो योजना में मंजूरी है, उन सड़कों का कार्य भी अकाल राहत कार्य के रूप में आप करवा सकते हैं । उनकी मजदूरी का पेमेंट अकाल राहत के रूप में किया जाए और बाकी जो आपके निर्माण कार्य में मैटेरियल का कंपोनेंट है उस योजना में किया जाए । इस तरह से मैं समझता हूं कि लोगों को आप राहत कार्य दे सकेंगे ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त जरूरत है रिलीफ शुरू करने की और पशुओं के लिए तत्काल पशु सेवा शिविर आप शुरू करें जिससे जो पशु स्पेयर हो गये हैं, छोड़ दिये गये हैं, उनकी आप रक्षा कर सकें । ऐसी कई स्वयं सेवी संस्थाएं आगे आ सकती हैं जो इस कार्य में आपको सहयोग दे सकती हैं । गौशालाओं को भी आप अनुदान देकर के पशुओं की रक्षा कर सकते हैं ।

मैं समझता हूं कि इसके बारे में सरकार को तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए । जैसलमेर एरिया में पालीटिका क्षेत्र है जो सेवण घास का चरागाह है । वहां पर पशुओं को भेजने की आप व्यवस्था कर सकते हैं जहां सेवण घास उपलब्ध है ।

इसलिए मैं समझता हूं उसके बारे में भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है । इसी तरह से भंवरलाल कोठारी गो सेवा संघ आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरकार को सुझाव दिये हैं । अकाल राहत के बारे में और स्वयं सेवी संस्थाओं के बारे में उन्होंने सुझाव दिये हैं कि स्वयं सेवी संस्थाएं जो चल रही हैं, गायों के संरक्षण के लिए सरकार उनको सहयोग दे तो वे भी अपना सहयोग दे सकती हैं ।

मैं समझता हूं कि इस बारे में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है । यही मैं निवेदन करना चाहता हूं । सम्वत् 2025 में सुखाड़िया गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था की थी कि लोगों को ब्याज मुक्त ऋण मिले तो उसी तरह आप मजदूरी अगर नहीं दे सकें और ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था कर सकें तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ी राहत होगी । इसके बारे में भी सर–

(श्री भीमसेन)

कार को विचार करने की आवश्यकता है। खादी संस्थाओं के माध्यम से भी आप इन को रोजगार दे सकते हैं उसके बारे में भी सरकार को खादी संस्थाओं को सहयोग देने की आवश्यकता है। यही शब्द मैं निवेदन करना चाहता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा नम्बर आने वाला था न ?

श्री उपाध्यक्ष : आता है, आता है। आप 33 हो ये तो 153 हैं। (व्यवधान)

श्री रतना राम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जालौर जिले के एक भी मेम्बर को नहीं बुलाया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं थोड़े बुला रहा हूं। आपने जो लिस्ट दी है उसके अनुसार बुला रहा हूं।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष की अकाल की गम्भीर स्थिति से उबरे नहीं और इस वर्ष फिर अकाल की गम्भीर स्थिति सामने आ रही है। यद्यपि पिछली सरकार ने 23 हजार करोड़ के कर्ज के बावजूद और 22 सौ करोड़ के ब्याज के बावजूद और भारत सरकार द्वारा पिछली सरकार के समय साढ़े 13 सौ करोड़ की मांग के बावजूद वर्तमान सरकार के सामने इतनी गंभीर समस्या पैदा हुई और 21.98 लाख रुपये कुल मिला कर राजस्थान सरकार को अकाल की गंभीर चुनौती से मुकाबला करने के लिए मिले।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सरकार को कि गम्भीर परिस्थिति के बावजूद भी लगभग साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये अकाल राहत कार्यों पर खर्च करके राजस्थान की विपदाग्रस्त जनता को बचाने के बहुत प्रयास हुए। इसके लिए राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है।

मैं इस सन्दर्भ में कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति जैसी पिछली सरकार छोड़ कर गई है, उस पर काफी चर्चा हुई। उसको सम्भालने और उसको वापस पटरी पर लाने का काम बहुत कठिन चुनौती भरा है। उस सबके बावजूद जो हम उपलब्ध करा सकते हैं, उसमें हमको कोई योजनाबद्ध ढंग से काम लेकर इस संकट का मुकाबला करने की आवश्यकता है। अब हमको उन कामों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जो कि अकाल राहत के अन्तर्गत उत्पादन के कार्यों से जुड़ सके। उसके लिए खास तौर से अभी से एक मास्टर प्लान अकाल का बनाया जाना चाहिए।

तालाब हैं, एनीकट हैं, बंधे हैं इस प्रकार के कामों को प्राथमिकता देकर पहले दौर में उन कामों को शुरू किया जाना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे काम अधूरे हैं, उन अधूरे कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता देने की बात तो हमेशा होती

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हैं, निर्देश भी ऐसे ही जारी होते हैं । उसकी अनुपालना हम देखते हैं तो पूरे तौर से नहीं हो सकती है ।

इसलिए मेरा सुझाव व मांग है कि इस बार अकाल राहत में सिचाई के बांध, अधूरे बांध काफी बड़ी तादाद में हैं व एनीकट क्योंकि मैं अपने इलाके में इस बार देख रहा हूं कि कई जगह बरसात में एनीकट भर गये थे उससे लोगों ने काफी बड़ी पिलाई की व्यवस्था कर ली और उससे बड़ी राहत मिली । इसलिए हमारे पास जो संसाधन हैं उनका ऐसा उपयोग करें जिसके माध्यम से लोगों को राहत मिल सके । एक तो मेरा यह सुझाव है ।

दूसरा अभी डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया, उस सुझाव से मैं सहमति व्यक्त करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे वित्तीय संकट के बावजूद सरकार ने बड़ी मुश्किल से व्यवस्था की पर पिछली सरकार के तौर तरीके ही ऐसे रहे कि अकाल राहत का पैसा भ्रष्टाचार की गंगा में बहा । यह व्यवस्था इस सरकार ने भी रोकने की व्यवस्था नहीं की ।

इसलिए जो कुछ पैसा हमारे पास है जो भ्रष्टाचार हमारे सामने आया है जिन-जिन की इन्क्वायरी हुई है, जिनका प्रकरण सरकार के पास मौजूद है ऐसी एजेंसियां चाहे कोई भी हों, उन एजेंसियों से इस बार अकाल राहत को बचाकर रखने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं । मेरा ऐसा मानना है ।

अपने क्षेत्र के अनुभव के आधार पर, पिछले दो-तीन सालों के कामों के आधार पर जितना पैसा मिलता है उसका 1/3 से ज्यादा पैसा सीधा भ्रष्टाचार में पहुंचता है और हम लोग जनता की शिकायतें जब आती हैं उनके पास लिखते हैं, तो दुर्भाग्य क्या है कि वह ही व्यवस्था, वह ही पद्धति, वह ही कर्मचारी/अधिकारी लगभग उन्हीं लोगों के पास वापस भेजा जाता है जांच के लिए जो कहीं न कहीं उनसे जुड़े रहते हैं ।

इसलिए हमारे पास लिखा हुआ आ जाता है कि इस शिकायत में कोई वजन नहीं पाया गया । हमने सामने देखा है एनीकट बना वह पहली बरसात में टूटकर चला गया कोई पता नहीं उस एनीकट को ठीक बता देते हैं । कोई एनीकट नया कर अगर हम देखते है लाख-डेढ़ लाख का काम और 5-5 लाख खर्च बता देते हैं तो आखिर किस तरह यह अंकुश लगे यह मैं बहुत जरूरी समझता हूं । और सीमित साधनों में हम उपयोगी काम कर सकें उस दृष्टि से इस बार अकाल राहत की योजना बने और उसका मास्टर प्लान अभी से बने, इस सुझाव के साथ अब मैं पेयजल की समस्या की ओर आना चाहता हूं ।

पेयजल समस्या अत्यन्त गम्भीर है पिछले साल से भी ज्यादा गम्भीर है। पिछले साल भी काफी बातें हुई। हैंड पम्प भी कुछ खुदे, उस सबके बावजूद पूरे इलाकों को हम देखें

(श्री रतन लाल ताम्बी)

तो लोग बहुत संकट से गुजरते हैं और इस साल समस्या और भी गंभीर आने वाली है। तो मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपसे हमको बहुत कुछ उम्मीदें थीं और अभी आपकी मशीनरी चुस्त नहीं है कोई काम समय पर नहीं करते हैं। छोटे-छोटे काम जो विधायक के फंड से हम उपलब्ध कराते हैं वह काम भी आप समीक्षा कर के देख लें जो गत वर्ष पैसा दिया उसका काम आज तक पूरा नहीं हुआ। पाइप नहीं पहुंच पाये अब भी कहते हैं तो पाइप नहीं हैं, जब पानी का स्तर नीचे चला गया तो पाइप जोड़ना जरूरी है कहीं पाइप खराब हो गया तो बदलना जरूरी है तो मैं यह चाहूंगा कि इस बार आप यह व्यवस्था अभी से कर लें।

दिसम्बर तक पूरे राजस्थान का आप आंकलन कर लें और उसकी व्यवस्था कर ल जब जाकर जनवरी, फरवरी में पाइप लगाने का काम या हैण्ड पम्प खोदने का काम यह सारा कुछ हो। खासकर मैं देखता हूं कि यह त्वरित प्लान जो आप बनाते हैं उसके लिए एक कंटीजेंसी प्लान जिसको कहते हैं, न तो जन प्रतिनिधियों को कुछ मालूम है, बताया नहीं जाता। अधिकारी अपने स्तर पर बना कर भेज देते हैं और वह न कहीं डिस्कस होता है और बाद में मालूम पड़ता है कि इतना स्वीकृत हो गया। अब कहां काम की आवश्यकता हम महसूस कर रहे थे और आपने कहां क्या कर दिया।

इसलिए जो-जो भी आप योजनाएं बनायें, उनको समयबद्ध बनायें और अधिकारियों पर आप निश्चित रूप से अंकुश लगा कर समय पर पूरा करें क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण उनका होना चाहिए। हमने यह कहा कि सरकार संवेदनशील है तो हमें संवेदनशील अपनी कार्यप्रणाली, व्यवहार और क्रियान्वयन में सिद्ध करने के लिए भी तत्परता से हर विभाग के मंत्री महोदय को मॉनीटरिंग करना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी और समय पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो सके इस बात को देखने की आवश्यकता है।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो पानी के संसाधन उपलब्ध हैं उनका अभी कैसे उपयोग हो, जैसे सिंचाई विभाग ने बहुत सारे तालाब और बांधों को सिंचाई के बजाय इसमें रिजर्वेशन किया है, यह बहुत अच्छी बात है। उस सबके बावजूद भी कई गांवों में पानी उपलब्ध है तो अपने आप कोई तालाब–नाड़ियां तोड़ कर ले जा रहे हैं, कोई क्या ले जा रहा है।

मैं समझता हूं कि इसमें और अंकुश लगाने की आवश्यकता है वरना संकट इस बार बहुत गहरा लगता है। पी.एच.ई.डी. विभाग की जो-जो भी योजनाएं हैं उनके स्रोतों को आप अभी से खुदवाने की व्यवस्था करें। ट्यूबवैल के बाद रिग मशीनें नहीं होंगी, पता नहीं कब क्या होता है? एक साथ बीमारी आ जाती है। इसलिए हर जिले का समयबद्ध कार्यक्रम आप तैयार कर लें। सब कांस्टीट्यूएंसी के

(श्री रतन लाल ताम्बी)

लोगों से बैठकर बात कर तत्परता पूर्वक पेयजल समस्या को गंभीर मानते हुए आप व्यवस्था करेंगे, यह मैं आपसे आशा करता हूं । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल जी ।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (स.मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टा और बढ़ाया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय इस चर्चा के समाप्त होने तक बढ़ावें । सात बजे तक तो बढ़ाओ फिर बाद में देखेंगे । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (स.मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर संख्या बल के आधार पर माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दें तो कांग्रेस के 3 सदस्य बोलें उसके बाद में एक प्रतिपक्ष का सदस्य बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष : तीसरा बोल रहा है । तीन बोल गये । श्री जीतमल जी ।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जो समय अलाट किया था वो तो इनका भी पूरा हो गया, इनका भी पूरा हो गया । अलबत्ता तो हमको समय ही बहुत मिला ।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा हो गया जब ही तो आगे बढ़ा रहे हैं । आपको मौका देने के लिये ही तो टाइम आगे बढ़ा रहे हैं ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मौका क्या देंगे, आपने समय अलाट कर दिया था हमारा ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई मानता है समय को ?

श्री जगमाल सिंह यादव : दो मिनट में आपको प्रणाम करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो प्लीज ।

राज्य में अकाल की स्थिति पर अग्रेत्तर विचार

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में राजस्थान के माननीय सदस्यों ने पूरे राजस्थान के अकाल की हालत पर अपना-अपना सुझाव दिया है । मैं भी राजस्थान के उस दक्षिण भाग बांसवाड़ा-डूंगरपुर की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र की अपनी–अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसी तर्ज पर बांसवाड़ा-डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के हालात हैं । पठारी भाग होने की वजह से वहां पर अकाल की भयंकर स्थिति बनी हुई है ।

मैं लम्बी बात न कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि पिछले समय में बांसवाड़ा–

(श्री जीतमल खांट)

डूंगरपुर दोनों जिले आपस में मिले हुए हैं। इनके एक जैसे हालात हैं। पर यह कहते हुए हमें बड़ा दुख है कि पिछले समय में डूंगरपुर में जोर-शोर के साथ में अकाल राहत के कार्य शुरू किये डूंगरपुर की जनता के साथ में न्याय किया।

बांसवाड़ा जिले की जनता के साथ हमारे अकाल मंत्री जी को बार-बार निवेदन करने के पश्चात् भी हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और हमारे बांसवाड़ा की जनता अंततोगत्वा यह कहने लगी कि बांसवाड़ा की जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया इसलिए यहां पर अकाल राहत के कार्य नहीं खोले गये, इस तरह की भी बातें जनता के दिलोदिमाग में आई।

इस समय के अकाल मंत्री जी हमारे उदयपुर संभाग के वरिष्ठ नेता हैं। इनको बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का काफी कुछ ज्ञान है। इस बार जनता चाहे किसी को भी वोट दे दे लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को बिना भेद-भाव के कैसे जिंदा रखा जाये इस बात पर सरकार को बड़ी गंभीरता के साथ सोचना है।

वरना हमारे साथ पिछले समय में जो भेद-भाव बरता और मैं यह कहना चाहूंगा कि आज अगर बांसवाड़ा-डूंगरपुर इलाके से जुड़ा हुआ गुजरात का प्रान्त अगर नहीं हो तो बांसवाड़ा-डूंगरपुर के तमाम आदिवासी लोग इस अभाव के समय में, अकाल के समय में पलायन करके गुजरात में अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, अपना पालन-पोषण करते हैं और गुजरात अगर नहीं होता, गुजरात की सरकार ने बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को जीवित रखने का लंबे समय से काम किया है।

मैं लम्बा-चौड़ा भाषण आपके सामने नहीं कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिला सम्पूर्ण जनजाति बहुल क्षेत्र है। यहां पर 80 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है। समय पर वर्षा नहीं होने की वजह से लोग काफी कुछ गुजरात की तरफ पलायन कर गये हैं। उसका जीता-जागता उदाहरण अभी वर्तमान में जो कम मतदान हुआ, वह इसका प्रमाण है।

इसके साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिला जिसमें एक डैम बना हुआ है, माही डैम। पिछले समय तो हमारे मंत्री जी ने यह कहकर टाल दिया कि आपके जिले में डैम बंधा हुआ है, डैम से वहां के किसानों को पानी मिलता है इस वजह से आपको अकाल से वंचित कर दिया गया।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में जो माही डैम का निर्माण किया गया है उससे मात्र 3 पंचायत समितियों का 60 प्रतिशत हिस्सा पानी से सिंचित होता है बाकी 40 प्रतिशत हिस्सा 3 पंचायत समितियों का और पांच पंचायत समितियां सम्पूर्ण रूप से उस पानी से वंचित रहती हैं। इस बार समस्या हमारे

(श्री जीतमल खांट)

सामने यह खड़ी है कि सम्पूर्ण माही डैम पूर्ण रूप से खाली है। हालात बड़े गंभीर हैं।

अगर हमें माही डैम का नाम देकर कहीं पिछले समय में जो बरताव हमारे साथ किया, दुबारा हमारे साथ में न कर बैठें, इसके लिये आपकी नोलेज में हम डालना चाहते हैं और साथ ही कहना चाहते हैं कि माही डैम की नहरों का काम लम्बे समय से अपूर्ण पड़ा हुआ है।

आपके माध्यम से प्रभाव के जो काम चलाये जायेंगे, हम तो कहते हैं कि अभाव नहीं यह बहुत बड़ा महाकाल है। इस महाकाल से निपटने के लिये हमारे मंत्रीजी को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले वो काम हाथ में लें जो अकाल के माध्यम से काम भी होंगे। वो काम आगे चलकर किसानों के हित में भी काम आयेंगे।

जैसा कि माही डैम का जो अपूर्ण काम पड़ा हुआ है उसको अगर अकाल के माध्यम से शुरू करवाया जाता है। मोटे तौर पर उनको रोजी-रोटी भी मिलेगी। माही डैम का जो अपूर्ण काम पड़ा हुआ है वह कार्य भी पूरा होगा। लम्बे समय से जो हमारी एक बहुद्देशीय परियोजना अधर-झूल में लटक रही है अगर उस माही डैम का काम पूर्ण होता है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पानी मिलेगा वहां विकास की धारा अपने आप प्रस्फुटित होगी।

मैं साथ ही कहना चाहूंगा कि सिचाई के जो तालाब हैं जिनका पानी पहुंचाने के लिए नहरों का जहां विस्तारिकरण करना है, इनको भी अकाल के तहत अपने हाथ में लें ताकि जितना भी बन सके, मोटे तौर पर मजदूरों की संख्या भी ज्यादा होगी, काम भी बड़े होंगे लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार भी मिल सकेगा।

साथ ही साथ, मैं कहना चाहूंगा कि सिचाई के लिए जितने भी एनीकट बने हुए हैं, जो अपूर्ण पड़े हुए हैं, बांसवाड़ा जिले में सिचाई विभाग के माध्यम से 40 परसेंट एनीकट अधूरे पड़े हुए हैं, उनकी भी आप जांच कराकर कितना भुगतान हुआ है, कितना बकाया है और उनको भी पूर्ण करायें ताकि जितना भी हो सके आने वाले समय में सिचाई के एनीकटों से, कुओं से, तालाबों से और नहरों के विस्तारिकरण से ज्यादा संख्या में मजदूर लग सकें और आने वाले समय में यही बावड़ियां, यही एनीकट, उनके खेतों में हरियाली लाने में काम करेंगे।

मैं ज्यादा बात न कहते हुए बड़ी संख्या में मजदूर लगाने का जहां सवाल है, पक्के वर्क जहां भी आप करेंगे 60-40 रेशो दिखाकर हमारे साथ में बहुत बड़ी बेईमानी और धोखाबाजी की जाती है और इलाके में ज्यादा लूटपाट सरकारी आफिसरों द्वारा की जाती है। पक्के वर्क न कराकर जितने भी

(श्री जीतमल खांट)

बड़े-बड़े जो तालाब हैं, माही डैम की नहरें हैं उन पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और मोटे तौर पर मजदूरों को वहां पर लगाने का काम करें। इससे निश्चित रूप से पलायन होने वाले जिलों को राहत मिलेगी। मैं ज्यादा बात न कहते हुए, इस संकट की घड़ी में इस अकाल की हालत पर आपने जो ध्यान देने का प्रयास किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(18.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह जी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, आज इस सदन में बहुत गम्भीरता से अकाल की समस्या और उसके समाधान के बारे में विचार किये जा रहे हैं। सदन में कई माननीय सदस्यों ने अकाल राहत कार्य किस नेचर के खोले जाएं, घास की क्या व्यवस्था की जाय, पानी की क्या व्यवस्था की जाय इसके ऊपर विस्तार से विचार रखे हैं।

मैं उस विषय पर न जाकर निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के जो कार्य खुलते हैं उन कार्यों में सबसे पहले पंचायत समिति स्तर पर कमेटियों का गठन होता है। पंचायत समिति स्तर पर कमेटियों का गठन होकर कौन-कौन से कार्य हैं, किस किस ग्राम पंचायत में किस-किस नेचर के खोले जाने चाहिए। सरकार को सबसे पहले यह व्यवस्था करनी चाहिए।

यह जो पंचायत समिति स्तर की जो कमेटियां होती हैं उनमें उप खण्ड अधिकारी से लेकर सरपंच, पंचायत समिति के सदस्यगण, तहसीलदार, अन्य सभी लोगों को सम्मिलित करके जो भी कार्य खोलने का जो आप डाइरेक्शन देते हैं उसके अनुसार प्रस्तावित काम किया जाता है।

जिला स्तर पर जो अकाल का प्रकोष्ठ होता है और जिनका इन्चार्ज आप कलक्टर को बनाते हैं उन्हीं प्रस्तावित कार्यों के अनुसार काम खोले जाने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अकाल राहत मंत्री जी, आपको बहुत अनुभव है, मुझे मालूम है 85 से 90 तक, 87-88, 88-89 में आपने अकाल के कामों को बखूबी बड़े अच्छे तरीके से संचालित किया था। लेकिन पिछले वर्ष जो हमको देखने को मिला और जैसा मैंने अनुभव किया, अनुभव करने के बाद मैंने पाया कि अकाल के कार्यों के साथ होना तो चाहिए लोगों को राहत देने का, बड़ा मखौल जिला स्तर पर किया गया।

इसलिए एक तो सबसे पहले आप किस किस नेचर के काम किस-किस जिले में खोलने की अनुमति देते हैं उसके बहुत स्पष्ट डाइरेक्शन होने चाहिए। पिछली बार हम सड़क कार्य को लेना चाहते थे तो आपकी गाइड लाइन में यह निर्देश था कि सड़क की जो बाउण्डरी लाइन है केवल उसी की मरम्मत की जाय। मैन सड़क के बारे में हमने वहां

(श्री हीरासिंह चौहान)

से स्पष्टीकरण भी मांगा और आप तक भी कई बार कलक्टर द्वारा भेजे गये होंगे; लेकिन मैं सोचता हूं ऐसे स्पष्टीकरणों पर एक बार आप मंत्रिमण्डल में बैठकर निर्णय ले लेते हैं उन पर वापस पुनर्विचार मंत्रि-मंडल की बैठक में ही किया जा सकता है। इसलिए अधिकारी भी इस पर निर्णय नहीं कर सकते, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। और आपके सामने भी यह समस्या आती है तब तक समय निकल जाता है।

इसलिए मेरा एक तो निवेदन है कि आप जो भी अकाल राहत कार्य चाहे सड़क निर्माण का लेना चाहते हैं, मैं सोचता हूं सड़क निर्माण का कार्य जिसमें मैटेरियल कम्पोनेंट की बहुत कम आव-श्यकता होती है और लेबर ओरिएंटेड धंधा होता है। इसलिए इस नेचर के धंधे को सबसे पहले आपको लेना चाहिए।

इसके अलावा, नई नाडियां और बहुत सारे नाले ऐसे रह गये हैं, हम कई वर्षों से अकाल के कार्य कर रहे हैं फिर भी बहुत सारे नाले ऐसे हैं जब हम बूंद-बूंद पानी को रोककर उसका उपयोग करना चाहते हैं और बरसात में, इस बार भी बरसात हुई, पहली बरसात थोड़ी ठीक हुई। जून के महीने में बहुत सारा पानी बहकर कच्छ की खाड़ी तक पहुंच गया। उस पानी को हमारे इस एरिया में रोकने के लिए अभी भी बहुत आवश्यकता है कि छोटे-छोटे नालों पर नई नाडियों के काम स्वीकृत किये जाएं जिससे यह जो पानी बेकार बहकर चला जाता है, उसको रोका जायेगा। साथ ही जो पानी रुकेगा, निश्चित तौर से धरती में जायेगा और आसपास के कुए हैं उनमें पानी की बढ़ोतरी होगी, जिससे यह पेयजल की समस्या या लोगों को सिंचाई की जो प्राब्लम पैदा होती है, उसका भी समाधान होगा।

मैं माननीय अकाल राहत मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कमेटी आप गठित करेंगे या जिसका आप निर्देश देंगे जिला स्तर पर भी काम खोलने का, पिछली बार हमारे लोगों को प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि आपने यह तय किया कि पाली जिले में आठ सौ और कुछ गांव, जिसमें रायपुर विधान सभा का केवल कुशालपुरा गांव को छोड़कर सारे के सारे गांव आपने अभाव-ग्रस्त घोषित किये। बावजूद इसके कुछ गांव सड़कों को लेकर, केवल दो सड़कें मंजूर हुई।

मैं निवेदन करना चाहता हूं मई और जून में पूरी तहसील में केवल 581 मजदूर काम करते रहे। अब आपको भी हम ज्यादा दोष नहीं देना चाहते, इस व्यवस्था का दोष रहा।

मैं चाहता हूं बार बार हमको भी परेशान नहीं होना पड़े, जब हम भी प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए बाध्य होते हैं तो हमको भी बहुत सोचना पड़ता है कि क्यों इस प्रकार के कदम उठाने पड़ें लेकिन अगर आप व्यवस्था को थोड़ा मज-बूत करेंगे तो एक बार जब कार्य खुल जाता

(श्री हीरासिंह चौहान)

है, माननीय अकाल राहत मंत्री जी, आप डाक बंगले में पधारे। वहां से एनीकट की आवक बढ़ाने के लिए काम मंजूर हो गया था चार लाख का, जिसमें आपने जिला प्रशासन तक को कह दिया कि यह काम शुरू है। लेकिन उस काम को वह सिंचाई विभाग के अधिकारीगण किसी दबाव के कारण से पुनः चालू नहीं कर सके।

इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके पास कम से कम शिकायत आवे और कम से कम एक बार जब काम मंजूर हो गया है तो गांव वालों की भी इच्छा होती है कि वह काम पूरा होना चाहिए। अब आखिर दोष किसको आये? हम तो कह देंगे सरकार या सरकार के अधिकारी, हम तो दोषारोपण आप लोगों पर करेंगे और वह दोषारोपण गलत पड़ेगा। लेकिन किसी बिचौलिये के माध्यम से।

एक मैं अकाल राहत मंत्री जी से बहुत गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं हमारे जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अकाल राहत मंत्री जी, कृपा करके उनको इस बार बदलने की कोशिश करें। मेरा ही नहीं इस बात को आप गम्भीरता से विधायकगण से भी राय ले लें क्योंकि कई प्रकार के ऐसे नजदीकी होने के कारण से ऐसे दबाव उन पर बन जाते हैं जिसके कारण से वह नहीं चाहते होंगे कि किसी खोले हुए काम को बंद किया जाय या पब्लिक का हरैसमेंट किया जाय लेकिन ऐसा होता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि जिले के जो प्रभारी मंत्री आप नियुक्त करते हैं, हमारे पड़ोस में रामसिंह जी विश्नोई साहब हैं, बहुत नजदीक भी रहते हैं और समय-समय पर सम्भाल लेंगे और साथ ही हमारे पेयजल की जो समस्या है जिले की उसका भी निदान होगा।

मेरा तो सुझाव है कि रामसिंह जी साहब को प्रभारी मंत्री बनाइये जिससे हमारे यहां पर राजनीति तौर से भेदभाव काफी हुआ है, वह कम हो। आप नहीं करना चाहते, आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, राज्य सरकार की ऐसी मंशा हो नहीं सकती। लेकिन छोटे-छोटे लोग, कहीं के सरपंच हैं, कोई प्रतिनिधि हैं वह आकर जिले के कलक्टर पर दबाव डालते हैं, वह मजबूर होकर वह नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हुए भी कई बार कामों को रोकना पड़ता है। और रोके रखने का अंजाम क्या होगा, वह सारा सरकार पर पड़ता है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बार जैसा आपने पहले 87-88 में नियंत्रण करके सब प्रकार की सुन्दर व्यवस्था की थी, इसी प्रकार आप जिला कलक्टर को साफ निर्देश दीजिए, और इतने कठोर, स्ट्रांग आपके डाइरेक्शंस होने चाहिए कि उसकी अनुपालना की जाए। इसके लिये मेरा एक निवेदन और है कि आप इस

(श्री हीरासिंह चौहान)

अकाल में किस नेचर के कामों को करवाना चाहेंगे ।

इसलिये मेरा निवेदन है, पूर्व वर्षों में जो अकाल के कार्यों के अन्तर्गत अधूरी सड़कें रह गयी हैं और जो महत्वपूर्ण हैं, जो सारी रेवेन्यू गांवों को देती हैं, हमारे यहां पर कई सड़कें ऐसी हैं जो पूर्व वर्षों में स्वीकृत हैं और आपके विभाग में, पी.डब्ल्यू.डी. में वे लिस्टेड रोड्स हैं तो उन रोड्स पर सबसे पहले आप काम करवाएं ।

जैसा देवीसिंहजी भाटी साहब ने कहा कि ये ट्रेक्टर, कई जगह ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारी सड़कों के किनारे तो बिलकुल रेत है। रेत को तो रोड पर नहीं डाला जा सकता है । इसलिये उस मिट्टी, जो दूर की है उसको लाना तो पड़ेगा, उस ट्रेक्टर का भी जहां उपयोग होगा, लेना तो पड़ेगा । लेकिन निश्चित कीजिए कि कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर ट्रेक्टर का उपयोग किया जा सकता है, कौनसा एरिया ऐसा है जहां पर ट्रेक्टर का उपयोग नहीं हो सकता है ।

दूसरा न्यूनतम मजदूरी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । जैसे सदन के सभी माननीय सदस्य यह मानते हैं कि एक लेबर, एक मजदूर जो सुबह प्रात: 8 बजे आपके फेमिन के काम पर आ जाता है, शाम को 4बजे तक वह फेमिन के काम पर रहता है ।

उपाध्यक्ष जी, फिर ऐसे कौनसे कारण हैं कि आपकी मशीनरी, चाहे मेट है, हरेक एजेंसी होती है, पंचायत के माध्यम से होता है तो सरपंच जिम्मेदार है, पी.डब्ल्यू.डी. करता है तो पी.डब्ल्यू.डी. का जे.ईएन. है, ए.ईएन. है, सारे जिम्मेदार होते हैं । वाटर वर्क्स है, सोइल-कंजर्वेशन है, जो भी विभाग काम करता है उनके ऊपर भी थोड़ी ड्यूटी कंट्रोल कीजिए कि आप मजदूरों से कम से कम इतना काम जरूर लीजिए जिससे कम से कम इनकी मजदूरी 30 रुपये से अधिक आ सके । बिलकुल लापरवाही, बेपरवाही, कोई काम को देखने वाला ही नहीं है और इस प्रकार काम होता नहीं है ।

ताम्बी साहब ने अभी-अभी कहा कि फेमिन के कामों में भ्रष्टाचार होता है । फेमिन के कामों में भ्रष्टाचार होता है तो मेरी राय में या तो हमारी निगरानी की कमी है, विजीलेंस हम नहीं देते या हमारा विभाग विजीलेंस नहीं देता । फेमिन के कामों में भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए और कम से कम आपका जो इंस्पेक्शन का है, मस्ट-रोल चैक करने का है, जो मैटेरियल कम्पोनेंट आता है, वह किस क्वालिटी का आ रहा है, इसको समय-समय पर देखने के लिये आपकी मशीनरी बहुत लंबी-चौड़ी है । कई तो जे.ईएन. हैं, कई प्रकार के सरपंच हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, एम.एल.एज. को तो आलरेडी आथोराइज कर दिया है । इन सब पर कोई ड्यूटी डालिये कि इन कामों को बड़ी सीरियसली देखें ताकि फेमिन के जो काम हैं, वे भी गुणवत्ता से हों ।

(श्री हीरासिंह चौहान)

केवल हमको मजदूरों की मजदूरी नहीं देनी है, राजस्थान का विकास भी करना है। कई गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। कई ढाणियां सड़कों से जुड़ी हुई नहीं हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी हैं। प्रकाल का ऐसा समय प्राता है जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम विकास के लिये किये जा सकते हैं। इन कामों की तरफ भी प्रापका, सबसे पहले ध्यान होना चाहिए और उन्हीं कामों को सलेक्ट करना चाहिए।

मेरे एरिये में पिछले 10 वर्षों में, पहले 86-87 के बहुत सारे एनीकट हैं, जैसे ताम्बी साहब भी अभी बोले थे एनीकट निर्माण से किसानों को फायदा होता है, पानी की बहुत जबर्दस्त, एरिये में बढ़ोतरी होती है। और इतना होता है कि बहुत सारे तो यह सुविधा भी प्राप्त कर लेते हैं कि बहुत सारे इंजन लगाकर बहुत सारी खेती को पिलाई भी करते हैं क्योंकि इनसे नहर तो निकाली नहीं जा सकती है।

इसलिये मेरा तो निवेदन है कि मेरे एरिये में बहुत सारे एनीकट जो आपके समय में पिछले वर्ष में अधूरे रहे हुए हैं और जैसा कि गत समय मैंने आपको निवेदन किया था, वे पूरे नहीं हुए हैं।

मैं चाहता हूं कि इन पर लाखों रुपये लगे हुए हैं, वह लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, कृपया उनको पूरा कराने की कोशिश कीजिए। माननीय पेयजल मंत्रीजी से निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : वे तो आपके इंचार्ज बन रहे हैं, सब हो जाएगा।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, मैं आपसे 2 बातें कहूं, केवल दो।

माननीय पेयजल मंत्रीजी, 86-87 को बिराटिया कलां, बर से आगे आप जाते हैं रोड पर बिलकुल शिड्यूल्ड कास्ट का गांव है, 14 लाख रुपये 1986–87 में मंजूर हुए। लेकिन आपके अधिकारियों की लापरवाही के कारण से, उसके लिये ट्यूबवैल भी खोद दिया गया, बहुत पानी है, झिलमिल बांध के नीचे ट्यूबवैल खोद दिया गया। कई वर्षों तक उसको उपयोग में नहीं लाने के कारण से बच्चों ने उसमें कंकर-पत्थर डालकर उस ट्यूबवैल को खराब कर दिया।

आज 1987 से, 10-12 साल कंपलीट हो गये। शिड्यूल्ड कास्ट का गांव है और इतना कहते हुए भी, मैं कह रहा हूं कि वह हमेशा कांग्रेस को वोट देते हैं, 90 प्रतिशत कांग्रेस को वोट देता है वह गांव, हमें वोट नहीं देता। लेकिन हम यह नहीं चाहते उस गांव को पानी नहीं मिले। इस बिराटिया कलां गांव को तो आप एक चैलेंज रूप से....

श्री रामसिंह बिश्नोई : नहीं, हम तो कर देंगे लेकिन आप 15 साल से आ रहे हैं और 15 साल से ही आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। मैं तो करवा दूंगा, आप मुझे लिखकर देंगे तो मैं आपको वायदा करता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्री जी, मैंने यह सरकार पर आरोप नहीं लगाया है, मैंने अधिकारियों पर आरोप लगाया है। (व्यवधान) मैंने गवर्नमेंट पर आरोप नहीं लगाया है, मंत्रीजी।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष जी, मैं वायदा करता हूं, आपको एक महीने में दे दूंगा। लेकिन 15 साल तक आपने क्या किया, यह बता दीजिए मुझे।

श्री हीरासिंह चौहान : मैंने कहा कि all are the negligences of the officers वे समय-समय पर बदलते रहे, 6-6 महीने में एक्स.ईएन. बदलते रहे, एस. ई. बदलते रहे..(व्यवधान)

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : वे कह तो रहे हैं कि वे कांग्रेस को वोट देते हैं, हमें नहीं देते हैं....(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : वे कांग्रेस को वोट देते थे इसलिये आपने नहीं किये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसा होता तो मैं इस पवित्र सदन में यह बात नहीं कहता। परन्तु पानी का जहां तक मामला है, उस गांव में पानी का कोई दूसरा एक कुआं है, जहां से औरतें उस रोड को क्रास करके लाती हैं। कई प्रकार की दुर्घटनाएं भी हुई हैं।

इसी प्रकार, रामगढ़ सेड़ोता है। रामगढ़ सेड़ोता स्कीम भी 1990-91 की है। बड़ी मुश्किल से तो मैंने इन गांवों को बताया, आपके अधिकारी तो भूल गये, ये गांव नक्शे में ही नहीं हैं, और जबकि कम से कम 2 हजार की आबादी का गांव है जहां पर ग्राम पंचायत भी बनने वाली है। उसमें एक ओपन-वेल खोद दिया। जबकि पड़ोस में नाला है, जिस नाले पर आप सेंट्रे के पास जाते हैं, उस नाले में 12 महीने ही पानी रहता है। वह बहुत अच्छा सोर्स है। वहां पर उन्होंने ओपन-वेल और दूसरा ट्यूब वेल नहीं खोदकर के वह खोदा। ये दो गांव हैं और इन दोनों के पानी की व्यवस्था कीजिए।

चारे की जहां तक बात है, बहुत सारे सदस्यों ने मंत्रीजी से निवेदन किया है कि चारे की व्यवस्था पहले कर दीजिए। जो उपलब्ध चारा है वह भी सौ से दो सौ, अनाज से भी मंहगा चारा हो जाएगा। इसलिये ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, आप सब पंचायतों में मत कीजिए लेकिन तहसील हैड-क्वार्टर पर कोई 4-5 सेण्टर बना दीजिए जहां पर सस्ते दाम पर लोग अपने वाहनों से ले जाएंगे।

मैं आशा करता हूं कि, दोनों ही मंत्री महोदय विराजमान हैं। इस अकाल की विभीषिका से लोगों को राहत देने के लिये सारा प्रयास करेंगे और हम सबका सहयोग भी आप लोगों के साथ रहेगा। कुछ लोगों ने कहा भारत सरकार का। मैं हालांकि भारत सरकार की इतनी गारंटी तो नहीं लेता हूं, लेकिन पिछले वर्ष अलग था और अब जो भी सरकार बनेगी, आप जितनी सहायता चाहेंगे उतनी मिलेगी, जयहिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमाल सिंहजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो मेरा समय है, क्योंकि 2 ही मिनट अलाट हुए हैं मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मेरी मजबूरी है, जनता का फैसला है; इसमें मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, आपको शिकवा–शिकायत नहीं कर रहा हूं।

न मेरे जिले में और पूर्वी राजस्थान में अकाल है, न मेरी तैयारी है और न जिले में राजस्थान सरकार ने मेरे यहां अलवर जिले में जमीन नाम की कोई चीज छोड़ी, खासकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में। लेकिन मैं 2 मिनट का समय, जो सदन ने दिया है, उसका जरूर उपयोग करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज जो आधे घण्टे की चर्चा हुई, अलबत्ता तो सदन में माननीय सदस्यों को उस चर्चा के सुनने के बाद अपनी सीमा में बोलना चाहिए था और राज्य सरकार की क्या आर्थिक स्थिति है वह आधे घण्टे की चर्चा में स्पष्ट हो गयी।

लेकिन फिर भी भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि भैरोंसिंहजी को तो शिवजी और जय श्री रामजी से सीधे टेलीफोन पर बात होती थी इसलिये प्रदेश में अकाल पड़ता ही नहीं था।

चूंकि वे ठाकुर हैं, उच्च जाति के हैं इसलिये सीधे टेलीफोन से बात होती थी शिवजी से और रामचन्द्र जी से। अब दिक्कत यह है कि हमारे जो मुख्य मंत्री हैं, कांग्रेस के जो मुख्य मंत्री हैं वे पिछड़े हैं। मंदिर तक में जाने नहीं देते; जय श्री राम से और शिवजी से बात कैसे हो। और जब तक शिवजी से और जय श्री राम से बात न हो तब तक अकाल की स्थिति टले नहीं। तो फिर स्थिति क्या बनी।

अब स्थिति यह बनी कि प्रदेश की जनता जैसे अकाल से जूझ रही है इसी तरह से राजस्थान की प्रदेश की जो सरकार है, जैसे इन्दोरिया साहब ने कहा इनके पास वित्तीय अकाल है और राजस्थान में प्राकृतिक अकाल है। तो अब यह स्थिति सामने है, जैसे अभी माननीय हीरासिंहजी चौहान साहब ने कहा कि रुपये के तो ढेर लगा देंगे, सरकार किसी की भी बने। अब कितना ढेर लगा दिया ? आपने कितना पैसा मांगा था अकाल राहत के मद में और दिया कितना ? 22 करोड़, यह भी तय है।

आप अपने संसाधन जुटाएंगे नहीं तो हालात यह है कि अगर इनकी सरकार दुर्भाग्य से बन गयी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती..(व्यवधान) अगर इस प्रदेश की जनता के दुर्भाग्य होंगे और +++ की सरकार अगर देश में बन गयी तो मैं

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

अकाल राहत मंत्री और सरकार से यह आग्रह करता हूं कि आप दिल्ली सरकार.... (व्यवधान) पहले नहीं, नहीं मैंने नेकर कभी नहीं पहना।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन के मार्फत इतना आग्रह तो करना चाहता हूं कि आप इनके झांसे में तो आना मत अगर दुर्भाग्य से सरकार बन गयी +++ की दिल्ली में तो पहला काम, इनकी प्रायोरिटी राजस्थान के दुःख और तकलीफ में शामिल होने की नहीं होगी बल्कि आपकी सरकार को गिराने की और कांग्रेस को तोड़ने की साजिश, उस पर चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए, यह लगाएंगे राजस्थान में।(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : उसके पहले यह खुद ही टूट जाएंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : सम्भावना तो यह भी है। अतिवाद इस देश में कभी चला नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। चाहे वह किसी तरह का अतिवाद हो, इस देश में चला नहीं। इस देश में तो मध्यम मार्गी जो विचारधारा है, वह चली और इसीलिए आप जिन्दा हैं। आपको लोगों ने खूब लूटा, खूब खाया लेकिन फिर भी जिन्दा हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भैरोंसिंहजी और कटारियाजी भी एक नहीं हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : और मैं इस बात से वाकिफ हूं और मैं इस बात को जानता हूं जब से राजनीति में इनको कभी स्पष्ट मेण्डेट मिला भी नहीं। इन्होंने पिछली बार भी तोड़फोड़ करके बनायी और उसके पहले गुनाह हमने किया, जिसके लिए सदन में कई बार माफी मांग चुके हैं तो इनको तो सत्ता नहीं आनी, लेकिन फिर भी मैं आगाह कर रहा हूं।

श्री रतन लाल ताम्बी : फिर भी नैतिकता की बात कर रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह मैं आपसे मोनिटरिंग करके पूछूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं दूसरी बात सदन में कहना चाहता हूं। आज राजस्थान की जनता अकाल से झूझ रही है। अभाव से झूझ रही है। चाहे वह कोई भी जिला हो, जिसमें अकाल नहीं हो, चाहे वह अलवर हो, भरतपुर हो, दौसा हो, करौली हो, जयपुर हो, सवाईमाधोपुर हो, टोंक हो, सीकर हो, झुन्झुनूं हो, हम सबकी सिम्पेथी और हमदर्दी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान में जो अकाल है, हमारी हमदर्दी है और हम सब कुछ देना चाहते हैं लेकिन

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

इस अकाल के मसले पर ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसी भावना पैदा नहीं हो जाए प्रदेश में कि वेस्टर्न राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान में कहीं ऐसी भावना नहीं पैदा हो जाए कि आज हम सब कुछ न्यौछावर करके प्रदेश की अकाल से जूझती हुई जनता का साथ देना चाहते हैं लेकिन जब प्रदेश में अकाल नहीं हो तो, तब शक्तावत साहब, रामसिंहजी बिश्नोई साहब, आपको यह सोचना पड़ेगा कि प्लान का जो पैसा है, आज अकाल पर बात कर रहे थे कि सड़कें बनवाओ, आज अकाल में बात कर रहे थे कि पीने के पानी के बोरिंग करो, आज अकाल राहत में सड़क और दूसरे विकास कार्यों की बात हो रही है। (व्यवधान) बीच में कहना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। टाइम बढ़ा रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (स.मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाने की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति है, एक घण्टा बढ़ाया गया।

राज्य में अकाल की स्थिति पर अग्रेत्तर विचार

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज राजस्थान की जनता अभावों से जूझ रही है। अलवर का आदमी, भरतपुर का आदमी, दौसा का आदमी, करौली, जयपुर का, यानि ईस्टर्न राजस्थान का आदमी इनके दुःख और तकलीफ में हम वैसे ही साथ खड़े हैं जैसे पश्चिमी राजस्थान का आदमी खड़ा है लेकिन प्लान का जब पैसा आता है, आज आप 800 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।

आज आप 800 करोड़ रुपये वहां खर्च करेंगे, जहां अकाल राहत कार्य चलाएंगे। लेकिन जब प्लान का पैसा आएगा और जब पश्चिमी राजस्थान भी सुख और साधनों से सम्पन्न हो जाएगा तब आप राजस्थान के बजट का जो बंटवारा करते हैं, प्लान के पैसे का, तब आप 32 से गुणा क्यों कर देते हैं ? जब पश्चिमी राजस्थान के लोग संकट में नहीं हो तो आपको पूर्वी राजस्थान के लोगों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आज आप 800 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और उस 800 करोड़ के लिए हम यह कहते हैं कि अगर 1000 करोड़ रुपये भी खर्च किये जाएं तो राजस्थान के पशुधन

(श्री जगमाल सिंह यादव)

और जनता को जो तकलीफ है, उसको बचाइये लेकिन आपका भी फर्ज बनता है और राजस्थान सरकार का भी फर्ज बनता है।

मैंने 1987 में इस सदन में कहा था तो नाथूरामजी मिर्धा साहब मेरे नेता थे; उनसे झगड़ा हो गया था इसलिए मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब प्लान के पैसे का बंटवारा हो तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यह 800 करोड़ रुपये हमने अकाल राहत के तहत पश्चिमी राजस्थान में लगा दिये तो जो पूर्वी राजस्थान के कुछ जिले हैं, जहां पर अकाल नहीं पड़ता है, उनमें आपको प्लान का पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं तो यह भावना पैदा हो सकती है कि कमाये हम और खाये पूरा राजस्थान। ऐसी भावना, हीन भावना नहीं पैदा हो, पूर्वी राजस्थान के लोगों में। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि विशाल हरियाणा का एक नारा लगा था। पूर्व कृषि मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह ने एक नारा दिया था, जो बीमारी अलवर में, भरतपुर में और जयपुर के कुछ हिस्सों में फैल गयी थी। केवल राव वीरेन्द्र सिंह ने एक बात कहकर यह नारा लगाया था कि कमाता है अलवर; रेवेन्यू का ज्यादातर हिस्सा देता है अलवर, भरतपुर देता है, जयपुर देता है, गंगानगर देता है लेकिन आप आज जितना कमाकर देते हो उसके अनुपात में मिलता क्या है? हालात यह हो गये थे कि विधान सभा के चुनाव में 1972 में राव वीरेन्द्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी के आदमियों ने कई जगह पर कड़ी टक्कर दी थी और उससे यह भावना पैदा हो गयी थी कि पूर्वी राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान से अलग किया जाए और राजस्थान के दो टुकड़े किये जाएं इसलिए समय रहते आपको आगाह करता हूं।

आज पूर्वी राजस्थान का एक–एक व्यक्ति जब आफत आएगी, जब भी अकाल आएगा; पश्चिमी राजस्थान के जिन जिलों में संकट होगा, हम तहदिल से आपके साथ हैं लेकिन प्लान के पैसे का जो बंटवारा करते हो यह 800 करोड़ रुपये दे रहे हो हम चाहते हैं कि 1000 करोड़ रुपये देने पड़ें तो 1000 करोड़ रुपये भी दें लेकिन इन जिलों का भी आपको प्लान के पैसे में ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो ऐसी भावना हो जाएगी कि भरापूरा राजस्थान जो आज है, एक है; कल इसका बंटवारा होने की स्थिति नहीं पैदा हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कहा गया कि अन्त में मुझे बोलने का मौका मिलेगा, वादा पूरा हुआ।

जैसलमेर जिले की चर्चा दो-तीन बार माननीय सदस्यों ने की। वहां पर घास की बहुतायत है। कुछ दिन पूर्व माननीय मंत्री जी से भी फोन किया था, मैं उस स्थिति

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले में साढ़े तीन लाख गायें हैं, पशु हैं और 15 लाख भेड़ें हैं और ऊंट हैं और अन्य पशु हैं। हमारी जो चारागाह थी, उस क्षेत्र में, इन्दिरा गांधी नहर का बेल्ट आ चुका है और गत दो माह में करीब 12 हजार नये किसानों को हमने भूमि आवंटन की है जो कि, जिसकी चर्चा अभी गुडामलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी की। सेवण जलायी जाती है। सेवण को जलाया नहीं जाता। हरी सेवण जलती नहीं है, काटने के बाद में किसान जब खेत को साफ करता है तो उसकी जड़ को जलाया जाता है इसलिए यह भ्रम पैदा न हो कि वहां सेवण जलायी जा रही है।

दो हजार करोड़ रुपये खर्च करके नहर आयी है। नये किसान उस भूमि पर गये हैं। जो वर्षा हुई हमारे जिले में एक समय उसके कारण घास पैदा हुई। उसके बाद वर्षा नहीं हुई है। जिन किसानों ने खेती बोई है, आज वे संकट में हैं और अकाल की स्थिति वहां बनी हुई है। चारे का अकाल नहीं था तो करीबन एक लाख गाय और तीन लाख भेड़ें अन्य पड़ौसी जिलों से आकर हमारे डेरा डाला है। लोग ट्रकों में भरकर गायें छोड़ गये हैं। तिलक लगाकर लावारिश गायें हमारे जंगलों में खड़ी हैं वे हमारे लिए परेशानी है, प्रशासन के लिए परेशानी है और वहां के किसान के लिए परेशानी है। जो भी फसलें खड़ी हैं, वे बरबाद की जा रही हैं और जो हम अकाल में नहीं हो सकते थे, वे भी आज हमारे अकाल की स्थिति में झूझ रहे हैं।

मान्यवर, इस परिस्थिति में यदि आप चाहें तो सर्वे करा लें। मंत्री जी को भी मैंने निवेदन किया है कि यदि घास उपलब्ध है तो पहला हक राजस्थान का है, निश्चित काट कर ले जाए, हमें एतराज नहीं है परन्तु यदि आज जो घास वहां खड़ी है, उसको हमारे मवेशी और आने वाले मवेशी चर जाएंगे और क्या अंत के दिनों में, अगले मई और जून में क्या आप हमें बाहर से, हरियाणा आदि जगह से घास मंगाकर देंगे; यह स्थिति आने वाली है क्या? तो कितना महंगा पड़ता है बाहर से घास परिवहन? इन सबको आवंटन करने के बाद आप कोई भी निर्णय लें, घास के बारे में।

मान्यवर, हमारे जिले में खड़ीनें हैं। 178 खड़ीनें सरकार ने बनवाये थे। अभी कुछ लोगों ने देखा कि वहां पर बंधे बने हुए थे। 178 खड़ीन अति-वृष्टा से टूट चुके हैं। सारे के सारे खड़ीन सिंचाई विभाग ने बनाये थे। सारे टूट चुके हैं और सारा पानी बहकर झीलें बन चुकी हैं और समुद्र की तरह वहां झीलें बनी हुई हैं, यह परिस्थिति है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो हमारे खड़ीन टूट चुके हैं, करोड़ों रुपये की फसल पैदा करने वाले जो खड़ीन, एनीकट जिसे कहते हैं, टूट गये हैं तो उनको अकाल राहत में सिंचाई विभाग की मद से बनवाने की व्यवस्था करवाएं तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। जो भविष्य में हमारे जिले का आर्थिक आधार है।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

इस तरह से इसी अतिवृष्टि से करीबन 12 हजार फुट इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरें टूट चुकी हैं, इसके बारे में हमारे किसान चिंतित हैं। किसानों की फसल खड़ी है और उनको पानी नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि अभी अकाल राहत में पैसा दें। यदि नहर विभाग के पास मरम्मत का पैसा नहीं है तो अकाल राहत में दे कर उन नहरों को पूरा कराया जाय जिससे किसानों की खड़ी फसल बच सके।

पेमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। मंत्री महोदय कह रहे थे, गत अकाल के वर्ष में अब भी 25 लाख की मजदूरों की बकाया राशि देय है और 3 लाख पानी के पेमेंट के बकाया हैं, इस तरह से 25 लाख की पेमेंट बकाया है। तो मैं चाहूंगा कि कृपया वह जिला प्रशासन को दें जिससे कि गत वर्ष का चुकारा हो सके।

पेयजल की समस्या हमारे विकट समस्या है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में जितनी पेयजल की योजनाएं खड़ी की गयी हैं, बहुत पैसा खर्च किया गया है और हमेशा हम कहा करते हैं कि पेरेनियल राजस्थान नहर जो हमारे जिले में आ चुकी है तो हमारी सारी योजनाएं उनसे जुड़नी चाहिए। गत वर्ष 12 करोड़ की योजनाएं हमने बनायी थीं। दुर्भाग्य से सीमांत क्षेत्र के डवलप फंड से वह हमारा फंड केन्द्र सरकार ने वापस ले लिया, हमारी योजनाएं अधर में पड़ी हैं।

हम चाहेंगे कि बाड़मेर लिफ्ट योजना, पोकरण लिफ्ट योजना जिस तरह से जोधपुर लिफ्ट योजना पहुंचा कर जोधपुर नगर को पानी पहुंचाया गया, कल्पना कीजिये कि यदि आज इंदिरा गांधी नहर का पानी जोधपुर नगर में नहीं होता तो शायद जोधपुर नगर को पलायन करना पड़ता कि जंवाई बांध में पानी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले की जो भी पेयजल योजनाएं हैं, एक बार पैसा लगेगा और हमारा स्थायी समाधान होगा।

हमेशा ट्यूबवैल से भू–गर्भ से पानी लेकर जो लंबी–लंबी योजनाएं बनी हैं उस से हमें निजात मिलेगी। इसी अकाल के मद में यदि हम सर्वे करा कर अलग डिवीजन बना कर पोकरण लिफ्ट योजना और बाड़मेर पेयजल लिफ्ट योजना, इन दोनों को करेंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

एक चर्चा घास के बारे में आयी। करीब 6000 हैक्टेयर जमीन हमने सुरक्षित की थी, तारबंदी की थी और वहां हमारे कर्मचारी लगाये थे 8 वर्ष पूर्व, दुर्भाग्य से इन 8 वर्षों में जो सुरक्षित वन थे, जहां सेवण घास थी, फोडर बैंक की हमारी स्कीम थी, हम चाहते थे हमेशा घास सुरक्षित रख कर के अकाल के समय उस घास को लें। इन 8 वर्षों में उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। उसका परिणाम आज सामने है कि 6000 हैक्टेयर वो भूमि जिस की तारबंदी की हुई है, आज तार चोरी हो चुके हैं। चोरी हो रही है और जो सेवण घास

(श्री ताराचन्द भगोरा)

इसके साथ ही साथ पेयजल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां अधिकांश तालाब आज भी सूखे हैं। यह शायद इतिहास में पहली बार दक्षिणी राजस्थान में इतना भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो हैंड पम्प अभी सूखने की स्थिति में आये हैं, नये हैण्ड पम्प खुदाये जाएं, जो कुए सार्वजनिक हैं, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर गहरे कराये जाएं जिससे लोगों को पानी सुलभ हो सके वरना दक्षिणी राजस्थान के अन्दर अभी दो-तीन महीने तो पानी चलेगा परन्तु जनवरी के बाद मुझे लगता है कि डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान के टी.एस.पी. एरिये में हैण्ड पम्प 80 प्रतिशत खराब हो जायेंगे जहां किसी भी हैण्ड पम्प में पानी आने की संभावना नहीं है इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसकी माकूल व्यवस्था अभी से कराएं।

मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि पिछली बार जो अकाल राहत के कार्य डूंगरपुर में चले; वास्तव में उसकी सराहना हम सभी जन–प्रतिनिधि करते हैं। सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया था। हमारी काफी सड़कें सुधर चुकी हैं। इस साल जो बाकी सड़कें हैं, उनको भी सुदृढ़ीकरण में लें जिससे अकाल राहत कार्यों के तहत लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही परंतु सड़कों की हालत भी अच्छी हो जाएगी।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि दक्षिणी राजस्थान में टी.एस.पी. एरिये के अन्दर लेबर अत्यधिक मात्रा में लगायी जाए। पिछले जब-जब भी अकाल पड़े हैं माननीय हरिदेव जी जोशी के जमाने में या माननीय सुखाड़िया जी के जमाने में निश्चित तौर से वहां लाखों की तादाद में मजदूर काम करते थे।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां लाखों की तादाद में लेबर नहीं लगायी गयी तो निश्चित रूप से वहां भुखमरी बढ़ेगी। चोरी और डकैती वहां आज कल बढ़ना प्रारंभ हो गयी है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात को गंभीरता से ले और उसकी अभी से ही माकूल व्यवस्था कराये जिससे अकाल राहत कार्य प्रारंभ हो सकें। पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था पिछले टाइम जब भी अकाल पड़े हैं पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से घास मंगाकर इसकी पूर्ती की गयी थी।

मेरा यह अनुरोध है कि अभी भी इस की गुजरात या मध्यप्रदेश से, कहीं से भी घास की व्यवस्था हो तो उसकी माकूल व्यवस्था करायी जाए जिससे पशुधन, जो आज हमारा शेष बचा हुआ है, उसको भी राहत मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आभार प्रकट करता हूं आपके प्रति कि आज आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया और दक्षिण राजस्थान की समस्या के निराकरण में आपने बात सुनी। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश से अकाल की स्थिति काफी गंभीर बनती जा रही है। ऐसे समय में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय मंत्रीगण ने निर्णय लेकर के विधान सभा सत्र को बुलाया और इस अकाल, दुष्काल से निपटने के लिये चर्चा करवायी।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्रीगणों को अपनी तरफ से खूब धन्यवाद देना चाहूंगा कि वास्तव में इस प्रकार के जो ऐतिहासिक कदम उठाकर प्रदेश की जनता को अकाल के मुंह से बचाने की बात करने जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य मगोरा जी ने कहा मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं आपका ध्यान उदयपुर संभाग की ओर ले जाना चाहता हूं। उदयपुर संभाग आज पूरा अकाल की चपेट में है। यह बिलकुल हकीकत है कि आज हमारे वहां के लोग गुजरात में मजदूरी के लिये पलायन कर चुके हैं।

मैं आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि जिस ढंग से हमने पिछले चार महीनों में जो अकाल के काम चालू किये, वास्तव में हर परिवार को काम दिया। यह सही है मजदूरी भी बराबर दी है, काम भी अच्छा किया है। हमारे सहायता मंत्रीजी मैं तो कहता हूं कि वास्तव में बहुत बड़े विद्वान हैं। अपनी सूझबूझ से काम लिया जिसके कारण डूंगरपुर जिला कम से कम अकाल का मुकाबला करता हुआ अपने भरण-पोषण का निर्वाह कर सका।

मैं फिर पुनः माननीय सहायता मंत्रीजी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपसे कोई अनजाना नहीं है वह एरिया यह उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा जिला और उदयपुर में विशेष तौर से खेरवाड़ा का जो भाग आता है, यह सारा का सारा पूरा अकाल में है। इस अकाल से निपटने के लिये हमारी सरकार ने पूर्व से ही तैयारी कर ली है, ऐसा हम मानते हैं।

परन्तु मैं याद दिलाना चाहूंगा 1986 और 87 में जब अकाल पड़ा था, वास्तव में राजीव गांधी की मेहरबानी रही जो डेढ़ रुपये किलो हमको गेहूं खिलाया। आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं कि देहली की सरकार में हमारी सोनिया गांधी प्रधान मंत्री बने और निश्चित ही हम उसी तरह सस्ता गेहूं हम अकाल में इनके हाथों से हम उपयोग कर सकें। हमारे उस क्षेत्र में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे अकाल हो या नहीं हो, हमारी कृषि भूमि, जो जोत भूमि है, वह बहुत कम है। दो-दो बीघा में हम अपना जीवन सफर करते हैं। तो अकाल हो चाहे नहीं हो, फिर भी हमको गुजरात तो जाना ही पड़ता है मजदूरी के लिये।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले का मास्टर प्लान सदैव

(श्री शंकर लाल ग्रहारी)

के लिये बनाया जाए ताकि हम हर प्रकार से, सब प्रकार के कार्यों को लेते हुए, सारी प्रकार की प्रवृत्तियों को उसमें लेते हुए हम अपना-अपना काम करें, ताकि हमको यह पता चल जाए कि हमारा आर्थिक बेस सुदृढ़ हो सके या नहीं हो सके। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि चाहे अकाल हो या नहीं हो, हमारा मास्टर प्लान बनाना चाहिये।

दूसरा, हमारे उस क्षेत्र में किसान कुग्रों पर निर्भर करता है। आप अकाल राहत के माध्यम से कुग्रों का काम लीजिये। और हमारे जितने मजदूर हैं, व्यक्तिगत कुओं में आप डालिये और कुग्रों का काम कराने के बाद आप सी.ए.डी. हैड से सब्सिडी देकर ब्लास्टिंग कीजिए ताकि एक तो हमको मुफ्त में ब्लास्टिंग भी मिल जाए और इधर आपके राहत कार्यों के माध्यम से हमको मजदूरी भी मिल जाए और हम उन कुग्रों का मलबा भी निकाल सकें। उससे आने वाले समय में जो घास की समस्या हमारे सामने आएगी, वह हम उन कुग्रों का पानी निकालकर छोटे-छोटे एक-एक, दो-दो बीघे में हम घास पैदा कर सकते हैं और पशुग्रों का हम बचाने का एक बहुत बड़ा काम हम अपने हाथ में लेकर कर सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां जो सिंचाई विभाग के तालाब हैं उनकी सारी नहरें डेमेज हो गयी हैं। उन तमाम नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता है। दूसरा, वहां काफी भू-भाग में नाले हैं; जहां एनीकट बनाये जा सकते हैं। इन अकाल के समय में एनीकट बनवाए जाएं। पंचायत समिति के जितने तालाब हैं उनकी मरम्मत की आवश्यकता है, क्योंकि हम पंचायत समिति के तालाब ले नहीं पाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन पर काम नहीं करा पाते हैं इसलिए छोटी-छोटी इकाइयों में जो पानी होना चाहिए था, आज वह पानी नहीं है क्योंकि वह सीपेज होता रहता है। पंचायत समितियों के तालाबों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये और रिलीफ के कार्य कराने चाहिये।

दूसरा, सम्पर्क सड़कें हैं, उनके बारे में कहूंगा। जहां-जहां सम्पर्क सड़कें हैं, सम्पर्क सड़कों के माध्यम से पहले तो आपने मैन रोडों से पंचायत हैड क्वार्टर जोड़े। अब हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि बड़े-बड़े गांवों को आप सम्पर्क सड़कों से जोड़ें। कुछ सम्पर्क पुलियाएं भी हैं उनको भी आप इस अकाल सहायता के काम में लेकर ठीक करें। तो हमारी जो आने-जाने की समस्या है उसका समाधान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम जी ग्रहारी।

श्री शंकर लाल ग्रहारी : पशुग्रों के लिये एक निवेदन करना था। हमारे वहां एक पशु कैम्प लगता है....

श्री उपाध्यक्ष : वह सुन ही नहीं रहे और आप बोले जा रहे हो।

श्री शंकर लाल अहारी : गुजरात में जिस ढंग से पशुओं के लिये कैम्प लगता है, उसी ढंग से वहां भी कैम्प लगाया जाए। मैं जन स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो कार्यक्रम है, वह वास्तव में बहुत सराहनीय है। हम प्रशंसा करते हैं आपकी। इन दो-चार महीनों में आपने हमें हैण्ड पम्पों की जो योजना बनाकर दी गांवों में, वह फलीभूत हुई।

परन्तु मेरा एक निवेदन है कि आप एक अभियान चलाएं डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, खेरवाड़ा में है, उदयपुर में है। एक अभियान ऐसा चलाएं कि आपके जो हैण्डपम्प हैं उन्हें खदोने की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। आपके जितने हैण्डपम्प हैं, उनके रखरखाव के लिये एक अभियान आप चलाएं ताकि जो सड़े-गले हैं, उन सबको खतम कराकर पाइपों की सही व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल के बारे में बहस हो रही है। मेरे 20 साल के राजनैतिक जीवन में और मेरी 60 साल की उम्र में यह पहला मौका है कि इस तरह का अकाल कभी नहीं था। हमारे पुराने लोग कहते हैं कि 56 जैसा अकाल इस बार है। उस समय जो स्थिति थी, वही स्थिति आज है। कुओं में पानी नहीं है, जिन कुओं में आठ-आठ घण्टा रहट चलता था, उन कुओं में घास उगी हुई है। हैण्डपम्प तमाम सूख गये हैं। उन हैण्डपम्पों में जो पुराने पाइप लगे हुए हैं, वह पूरे के पूरे सड़ गये हैं, उनको अभियान के तहत पूरे पाइप बदलने की जरूरत है। पी.एच.ई.डी. विभाग अक्टूबर या सितम्बर में इस तरह का अभियान चलाता है और एक साथ चलाकर ठीक करना चाहता है लेकिन प्यासे तो आज मरें और आप दो-चार महीने में अभियान चलाएंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं है।

इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन हैण्डपम्पों के लिये जो आप अभियान चलाना चाहते हैं, वह आज से ही शुरू कर दें ताकि लोगों के पीने के पानी की जो समस्या है, वह हल की जा सके।

अकाल के टाइम में जो गत साल हमारे अकाल का काम चला था, ठीक चला। लेकिन कई काम की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। आधे काम ऐसे स्वीकृत किये गये जो कागजों में ही रह गये और काम नहीं हुए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी स्वीकृति निकालें वह वित्तीय स्वीकृति निकालें और जो उपयोगी काम हैं उसके लिए स्वीकृति निकालें। तब ही जाकर हम इस अकाल की विभीषिका को दूर कर सकेंगे। अकाल में सड़क, तालाब, सार्वजनिक कूप, व्यक्तिगत कुएं, एनीकट, नहरों की मरम्मत आदि काम लिये जाएं और उसमें पक्के भी लिये जायं। जो रेशो 50-50 का, 50–60 का रखें, 50-40 का रखें तो पूरा नहीं पड़ता है इसलिए यह रेशो भी

(श्री नाथूराम अहारी)

इस तरह से रखें कि पक्के काम भी पूरे हो सकें और अकाल की विभीषिका को भी दूर किया जा सके।

इसके साथ ही बी.जे.पी. के शासन से वितरण व्यवस्था और उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उसका गेहूं जो हमको मिलता था, अनाज मिलता था वह एक ही यूनिट को मिलता है, एक व्यक्ति को मिलता था वह आज पूरे परिवार को इतना अनाज मिलता है जो कबूतरों को डालने के लिये भी वह पूरा नहीं पड़ता है।

इसलिए मेरी आपसे पुरजोर मांग है कि बी.जे.पी. ने जो हमारी वितरण व्यवस्था बिलकुल चरमरा गयी और खराब कर दी उस व्यवस्था को पुनः लागू करने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को सात किलो से लेकर दस किलो तक गेहूं दिया जाय और सस्ते भाव में दिया जाए। तब ही जाकर अकाल में लोग जिंदा रह सकेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां एम.एल.ए. के जो फंड हैं उस फंड में हम हैण्डपम्प खुदवाना चाहते हैं लेकिन प्राइवेट हैण्डपम्प तो पन्द्रह हजार में खुद जाता है और हमारा पी.एच.ई.डी. विभाग जो खोदता है वह चालीस हजार में खोदता है। क्या कारण है? क्यों ऐसा किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ठेकेदारी पर आप करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप जवाब दें जब कह देना।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। इनकी गलत फहमी दूर कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उस वक्त कर देना ना।

श्री रामसिंह विश्नोई : बात सही है आपकी। हम जो हैण्ड पम्प खुदवाते हैं, बात सही है इनकी। हम अण्डर ग्राउण्ड डिपार्टमेंट से खुदवाते हैं इसके मंत्री महोदय..

एक माननीय सदस्य : सरकार है सरकार।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप सही हो क्योंकि वह डिपार्टमेंट अपना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। (व्यवधान) इसलिए हम चाहते हैं। पैसे ज्यादा लेते हैं. वाकई में। प्राइवेट से अगर खुदवाएं तो वह सस्ता पड़ता है तो या तो उस डिपार्टमेंट को अबोलिश कर दें अपन प्रस्ताव कर सकते हैं। या फिर हमारे को तो वहीं से खुदवाना पड़ेगा और वहां से खुदवायेंगे तो चालीस हजार रुपये लगेंगे।

श्री नाथूराम अहारी : वास्तव में यह न्याय संगत बात नहीं है और प्राइवेट से खुदवाएं भले ही सरकार खुदवाए लेकिन हम यह चाहते हैं कि प्राइवेट को टेण्डर देकर के आप खुदवायें और हम दो हैण्ड पम्प की जगह एक हैण्ड पम्प खोद सकेंगे तो लोगों को फायदा जो मिलना चाहिए

(श्री नाथूराम अहारी)

वह नहीं मिलता है, इसलिए आप यह व्यवस्था करिये।

इसके साथ ही घास वितरण के बारे में कांग्रेस की सरकार ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आठ आने किलो गन्ना लाकर वितरण किया था और आज यह नहीं कर पाये। इन्होंने सारी व्यवस्था बिगाड़ दी तो आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। इन्होंने इस तरह का व्यवहारिक कानून नहीं बनाया था, व्यवहारिक बात नहीं की थी। उसे बदलकर के हमको यह व्यवस्था करनी चाहिए ताकि घास की व्यवस्था भी हो सके।

मजदूरी के लिए मेरा निवेदन है कि 15 दिन में पेमेंट होना चाहिए। एक महीने में, दो–दो महीने में पेमेंट होता है तो इससे कुछ नहीं होना है तो 15 दिन में पेमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। कारीगरों को जो मजदूरी है वह 80 और 100 रुपया मिलता है और हम 40 और 30 रुपया देते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) (स.मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाना है।

श्री उपाध्यक्ष : साढ़े सात बजे तक बढ़ा हुआ है माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बढ़ा हुआ है, ठीक है।

श्री नाथूराम अहारी : तो मजदूरी जो व्यवहारिक है उस मजदूरी को लागू करेंगे ताकि चोरी करने का मौका नहीं मिले क्योंकि वह फर्जी मस्टर रोल भरके उनको पैसा पूरा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कारीगर को जो मजदूरी है वह न्यायसंगत हो और उसी के अनुसार उनको मजदूरी दी जाए। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रमजान खान जी।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में बहुत ही भयंकर अकाल की छाया मंडरा रही है और इस अकाल को देखते हुए पिछले दस महीने के समय में जब से नयी सरकार आयी है तीन बातों का बार-बार रटन लगा रही है। एक तो यह कि पिछली सरकार ने यह कर दिया, वह कर दिया इसलिए हमारी व्यवस्था खराब हो गयी और यह काम खराब हो गया।

दूसरी बात कि केन्द्र सरकार हमको पूरा पैसा नहीं दे रही है इसलिए हम कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं।

तीसरी बात खजाने में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। इन तीन चीजों की रटन लगाये बैठे हैं पिछले दस महीने से।

मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि तीन बातों की रटन से क्या समस्या का समाधान हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। समस्या का समाधान तो दो दिन पहले जो

(श्री रमजान खान)

सदन के नेता ने यहां पर बयान दिया था, उसी बात से समस्या का समाधान हो सकता है ।

मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री कोई पाकिस्तान का या विदेशी नहीं है । हिन्दुस्तान की सरकार कोई पाकिस्तान की सरकार नहीं है हमारी सरकार है, हमारे प्रधान मंत्री हैं । सदन के नेता महोदय को विपक्ष के नेता महोदय को साथ लेकर दिल्ली जाकर के प्रधान मंत्री जी से निश्चित रूप से मिलना चाहिए और यह जो कठिनाई हमारे प्रदेश में आयी हुई है इसके निराकरण के लिये कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए इसका यही इलाज है । इन तीन बातों को बार-बार दोहराने से कोई मतलब नहीं निकलेगा ।

अब आप विचार करें उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जिन्होंने पूरा जीवन इस प्रदेश की जनता की सेवा के लिए दिया है । यही उन्हें कहा जाएगा कि आप दिल्ली में जाकर प्रधान मंत्री जी से सदन के नेता के साथ जाकर बात करो तो निश्चित रूप से वह बात करेंगे । इसमें किसी को कोई डाऊट नहीं होना चाहिये कि वह इनकार करेंगे कि मैं नहीं जाऊं, नहीं करूं तो यही एक तरीका है और इस तरीके को मानो या नहीं मानो मंत्री महोदय....

डा. के. सी. चौधरी : उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी । (व्यवधान)

श्री रमजान खान : यह तो आपकी सोच है । मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं क्योंकि यहां पर सुझाव हो रहे हैं, मैं सुझाव ही दे रहा हूं । बाकी सुझाव मानो या न मानो । इन तीन नारों को रटते रहो फिर तो इसका कोई इलाज नहीं ।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि पिछले समय में जो फेमिन चलायी थी, भगवान के लिये उस तरह की फेमिन तो इस बार मत चलाना । मैं उनकी बात से सहमत तो हूं मगर मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि फेमिन मत चलाना । फेमिन तो चलाना, लेकिन पिछले टाइम जो गलतियां हो गयीं....

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, आप भी सरकार में थे, हम भी सरकार में थे। आपके साथ ही मैं था । कांग्रेस के अन्दर जो विपक्ष था, उसने एक संकल्प लिया था यूनेनिमसली और जब यह हुआ था यहां राजस्थान में भयंकर अकाल था । सर्वसम्मति से सारे सदन ने यह किया था कि भारत सरकार के सामने जाकर हम यूनेनिमसली कहें कि हमको सहायता दी जाए । तो प्रतिपक्ष के नेता को चाहिये कि हमारी पैरवी करते ।

श्री रमजान खान : प्रतिपक्ष के नेता को तो कहा ही नहीं.... (व्यवधान) और, अपन इस बहस में नहीं जाना चाहते.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

(19.00 बजे)

श्री रमजान खान : हम इस बहस में नहीं जाना चाहते। मगर प्रतिपक्ष के नेता को इस बात के लिये कहा नहीं। अगर कहते तो निश्चित रूप से वह तैयार हो जाते और अगर हमारे विपक्ष के एम.एल.एज. को कहते कि चलो, चलकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, जिस तरह से अपने ने दिया था और उस वक्त अगर विपक्ष के सदस्यगण या प्रतिपक्ष का नेता नटता तो फिर इस बात को आप कह सकते थे। वरना ऐसी बात नहीं है। प्रदेश के ऊपर आफत आये और फिर पक्ष और विपक्ष को देखा नहीं जाता। प्रदेश की आफत के लिये हम सब एक हैं। एकजुट हैं और एकजुट होकर काम करना चाहते हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको कह रहा था कि रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल के कार्य तो खोलने चाहिये, खोलने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई इलाज नहीं। मगर पिछले टाइम में जो गलतियां हुई, वह गलतियां इस टाइम में नहीं होनी चाहिये। यह दो-तीन सुझाव देकर मेरी बात समाप्त करूंगा।

मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले टाइम में गलती हुई कि आज तक ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो काम कराये हैं मंत्री महोदय, उसमें मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली। आप जो कह रहे हैं, कि हमने सबको दे दी मजदूरी, बिलकुल गलत कह रहे हैं आप।

दूसरी बात सामग्री के पैसे अभी तक नहीं दिये। कई सरपंचों ने उपाध्यक्ष महोदय, ब्याज के पैसे लेकर कि 15 जून को खतम हो रहा है काम, इसलिए जल्दी जल्दी पैसे लेकर के और सामग्री खरीद करके ले आये और अभी तक सरकार ने सामग्री के पैसे नहीं दिये। अब आप विचार करिये उन सरपंचों का गांव में फिरना बन्द हो गया। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है।

दूसरी गलती यह हो गई उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सड़क के काम करवाये उस में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग ने बरड़ा खुदवाया। मंत्री महोदय मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि बरड़ा खुदवाया, गिट्टी तोड़ी तो वह 3-4 किलोमीटर दूरी पर तोड़ी। आज भी लाखों रुपयों की गिट्टी बरड़ों के अन्दर टूटी हुई पड़ी है लाखों रुपयों का बरड़ा 3-4 किलोमीटर दूर तक पड़ा हुआ है आज भी हमारे अजमेर जिले के अन्दर।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, यह ठेकेदार लोग और असामाजिक तत्व रात को चोरी कर-करके ले जायेंगे उसका कोई हिसाब-किताब नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं और बहुत से काम अपूर्ण रह गये हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि इन अपूर्ण कार्यों को पहले प्राथमिकता के आधार पर

(श्री रमजान खान)

पूर्ण करवाने की, जब भी आप अकाल राहत कार्य खोलें आपकी गिरदावरी हो जाये तो पहले उनको करवायें ताकि लाखों रुपये जो हमारे लग चुके हैं, उसका फायदा हमारे को मिल सके इसका मैं आपसे विशेष अनुरोध कर रहा हूं।

इसके अलावा सिंचाई विभाग के भी बहुत से काम अधूरे हैं, वन विभाग के भी बहुत से काम अधूरे हैं। अब एक बात यहां पर और आई है कि स्थाई कार्य जैसे कब्रिस्तान घाट की श्मशान घाट की चारदीवारी और बहुत से पिछले अकाल के टाइम में टांके बने, टंकियां बनीं इस तरह से टांके और टंकियां जो आपने बनाई हैं वह गांवों के लिए एक बहुत बड़ी बात की आपने।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसी पॉलीसी को आगे भी बनाये रखें क्योंकि जो हमारा पैसा लग रहा है। स्थाई काम बन रहे हैं उसका कुछ न कुछ हमको फायदा मिलना चाहिए। केवल मिट्टी उछालने से काम चलेगा नहीं खाली मिट्टी उछाल करके पैसा बरबाद करने से कोई मतलब निकलेगा नहीं।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जलदाय मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। आप जब अजमेर पधारे थे, वैसे तो पिछले साल आपने इस अकाल से निपटने के लिए बहुत सराहनीय, बड़ी कोशिश की है। पिछले टाइम जब अजमेर आये थे तो मैंने इनसे निवेदन किया था कि पुष्कर सरोवर के अंदर तीर्थराज पुष्कर हिन्दुओं का सबसे बड़ा तीर्थस्थल है। वहां पुष्कर सरोवर के अन्दर पानी बरसात नहीं होने की वजह से रावड़ा हो गया उपाध्यक्ष महोदय कि चरणामृत के लिए जब पानी लेते हैं ईमानदारी की बात है अच्छा नहीं लगता। लोग शीशियों में भरभर करके ले जाते हैं यह भी अच्छा नहीं लगता। गनायड़ा से ट्यूबवैल वहां पर डालने के आदेश देकर गये थे परंतु वह दो महीने ही चली उसको बंद कर दिया।

मेरा आपसे निवेदन है कि इस सरोवर के पानी को स्वच्छ रखने के लिए कोई न कोई बड़ा पुष्कर से एक योजना बना करके, स्थाई योजना बनाकर मेरा इसके लिए विशेष अनुरोध है कि इसके लिए आप योजना बनायें ताकि हमेशा के लिए समस्या का समाधान हो सके।

मैं आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हूं कि एम.एल.ए. फण्ड के लिए पिछले सैशन के अन्दर 25 लाख रुपये दिये। हम को बड़ी खुशी हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सरकार को और मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि एम.एल.ए. फण्ड का पहली बात तो हमने जो हमारी डिजायर लिख कर दी है। आज तक मेरा ही नहीं पूरे अजमेर जिले में हमारे सत्तापक्ष के एम.एल.ए. बैठे हुए हैं। अभी 3-4 यहां बैठे हैं उनसे पूछ लें एक पैसा अभी तक वहां मंजूर हुआ नहीं, उसका काम हुआ नहीं। पी.एच.ई.डी. वालों को कहते हैं तो कहते

(श्री रमजान खान)

हैं कि हमारे नार्म्स में आता नहीं। इसकी शिकायत हमने मंत्री महोदय को की, इन्होंने कहा कि इसका कुछ ना कुछ करूंगा उन्होंने कुछ किया नहीं और सबसे बड़ी बात यह हो गई उपाध्यक्ष महोदय कि इस एम.एल.ए. फण्ड और एम.पी. फण्ड के पैसे को वसूल करने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी नियुक्त कर दी। और कमेटी के अन्दर पास होकर के, मैं आपको सही कह रहा हूं वह परिपत्र आपको लाकर देऊंगा, उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं इसमें गलती में होऊं तो वह परिपत्र आपको लाकर देऊंगा, वह कमेटी अभी तक गठित की नहीं सरकार ने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आप इसको वेरीफाई कर लेना।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : एम.एल.ए. और एम. पी. फण्ड में जो अपन लिख कर देते हैं वह मंजूर होता है।

श्री रमजान खान : नहीं है तो बहुत अच्छी बात है।

श्री नाथूराम : यूं ही आप लांछन लगा रहे हो सरकार पर।

श्री रमजान खान : नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम : अपन लिख करके देते हैं काम मंजूर हो वह होता है जिले में।

श्री रमजान खान : आपके हो गये क्या? आपके मंजूर हो गये क्या?

श्री नाथूराम : हो गये और आपके भी हो गये कई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री नाथूराम : कमेटी कहां है?

श्री रमजान खान : आपके मंजूर हो गये तो... (व्यवधान)

श्री नाथूराम : हां, मेरे हुए हैं मंजूर। मैंने लिख कर दिया है वह मंजूर हुआ है। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : आपके कर दिये इसका मतलब वे पक्षपात करते हैं।

श्री नाथूराम : आप बताओ। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : हम भारतीय जनता पार्टी के एम.एम.ए. हैं इसका मतलब पक्षपात करते हैं।

श्री नाथूराम : आपने लिख कर ही नहीं दिया डी.आर.डी.ए. में। आपने लिख कर ही नहीं दिया..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें।

श्री नाथूराम : लिख कर दिया वह मंजूर हो गये। यह इलेक्शन टाइम में तो जरूर होता था। चुनाव की तारीख डिक्ले-

(श्री नाथूराम)

यर होने के बाद रोक दिये थे। पहले जो लिख कर दिया वह मंजूर हो गया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री नाथूराम : आपका काम हुआ नहीं यह पी.एच.ई.डी. वालों ने किया नहीं, यह आप समझें।

श्री रमजान खान : कौन कहता है पी.एच.ई.डी. वालों ने नहीं किया।

श्री नाथूराम : वह कहते हैं हमारे में नहीं आ रहा है। वह नहीं करें तो नहीं करें। डी.आर.डी.ए. में सैंक्शन तक निकल गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रमजान खान : काम तो नहीं हुआ ना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उनसे क्यों बहस कर रहे हो आप बोलो ना अपनी बात को।

श्री रमजान खान : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एम.एल.ए. फण्ड के जो पैसे हैं उनको तुरंत स्वीकृत करने की कोशिश करें ताकि उसका भी कुछ काम हम खोलें तो उससे भी राहत कार्यों में मदद मिल सके। इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभाव के ऊपर चर्चा हो रही है। इसके सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्यों ने राजस्थान के अन्दर जो स्थिति बनी है और इसके सम्बन्ध में अपने विचार रखे और सुझाव दिये हैं। उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा और मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा और कुछ सुझाव भी आपको देऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर अभाव की स्थिति राजस्थान की पर्यायवाचक रही है और कम से कम पश्चिमी राजस्थान के इलाके में तो हर साल अकाल ही बना रहता है। गये सत्र में भी मैंने इस बात को कहा था कि इसको किसी न किसी प्रकार से आप अपने प्लान में या किसी हैड में इसको लें ताकि आपका कुछ ईयर मार्क फण्ड इस प्लान के अन्तर्गत, हमारी योजना के अन्तर्गत ले लेंगे हम स्टेट प्लान के अन्तर्गत लेकर के देंगे तो हमको यह फण्ड मिलता रहे तो वह हमारे लिये एक स्थाई उपलब्धि होगी और स्थाई हमारे लिए पैसा आता रहेगा। आप 10 साल के आंकड़े उठा करके देख लें, राजस्थान के अन्दर पश्चिमी राजस्थान के अन्दर अकाल की और अभाव की स्थिति बनी रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम एक गलती और कर रहे हैं। पानी की बात हम कर रहे हैं पानी का जो राजस्थान के अंदर आज

(श्री दिग्विजय सिंह)

दोहन हो रहा है उसको देखते हुए कंजर्वेसी प्लान जो हमको बनाना चाहिए, स्टेट को बनाना चाहिए। कंजर्वेसी प्लान वाटर का आज दिन तक नहीं बना। हम पानी को प्रिजर्व कैसे करें। हमारी एक–एक बूंद पानी की बेकार में जाती है उसको हम कैसे रोक लें और जो पानी की अनावश्यक दोहन हो रहा है उसको हम रोकें तो आखिर के अन्दर अगर रिचार्ज नहीं होगा तो आप कितने ही हैण्ड पम्प लगा लें, कितने ही ट्यूबवैल लगा लें, मुझे जहां तक याद है जालोर डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अन्दर कहा है कि वहां वाटर लोगिंग इस प्रकार का हो गया कि उसका दोहन तो हो जायेगा, ठीक है। परंतु एक स्थिति ऐसी आयेगी कि जयपुर के आस–पास की बैल्ट के अन्दर पानी के लिए ट्यूब वैल जो लग रहे हैं, उन ट्यूब वैल के दोहन से जो पानी निकल रहा है वहां पानी का स्तर बहुत नीचे चला जायेगा और आगे आने वाले 10–20 सालों में जयपुर के अन्दर पानी आपको मिलना ही बन्द हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि बीसलपुर योजना तो आप बना रहे हैं और बीसलपुर योजना से जयपुर में पानी ला रहे हैं। बीसलपुर योजना के ऊपर सब का ध्यान है। दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि हमको भी पानी बीसलपुर से दे दीजिए। उधर भीलवाड़ा जिले में माननीय जहाजपुर से आने वाले सदस्य भी कह रहे हैं और अजमेर जिले के माननीय सदस्य भी कह रहे हैं। बीसलपुर के अन्दर 309 फुट की जो भराव क्षमता है और उसका पानी आप बहुद्देशीय योजना है इरिगेशन के लिए भी दे रहे हैं और बचा हुआ पानी आप जयपुर को भी सप्लाई कर रहे हैं।

जयपुर को आप बीसलपुर से पानी टोडारायसिंह होकर ला रहे हैं जिसकी लम्बाई आपकी आयेगी 170 किलोमीटर। और अगर आप उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ईसरदा बांध का निर्माण करवा लें आज भी उस बांध का 8 हजार घनफीट पानी बह करके चम्बल में जा रहा है। वह बेकार हो रहा है। इस पानी को अगर आप रोकें तो वहां से जयपुर के लिए केवल आपको 90 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी और कोस्ट भी आधी होगी।

इसलिए इस योजना को आप हाथ में लें और अन्ततोगत्वा आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि आप 2001, 2005, 2006, 2010 तक कर सकते हैं, पर जयपुर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आपको इसे विकल्प के रूप में सोचना पड़ेगा और मेरा तो आपको निवेदन है और सुझाव भी है अगर आप ईसरदा बांध को बना लें तो केवल जयपुर की सप्लाई के लिए रख दें तो जयपुर के लिए सफिशिएंट रहेगा और बीसलपुर परियोजना का पानी इरिगेशन के लिए भी काम में आयेगा और दूसरे एरिया में भी आप ज्यादा दे सकेंगे।

(श्री दिग्विजय सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपके विभाग के अंदर जो स्कीम्स आती हैं और खास तौर से जो बड़ी स्कीम्स हैं वहां उनका डिस्पोज आफ भी नहीं है और वह पड़ी रहती हैं। यह स्कीम अभी गर्मियों के अंदर बड़े-बड़े जो कस्बे हैं, जहां स्पेशल स्कीम बनी हुई है आपकी भीलवाड़ा की है, अजमेर की है, चित्तौड़ की है, सीकर की है, उदयपुर की है, जयपुर की है, नागौर की है, झुंझुनूं की है। भीलवाड़ा और गुलाबपुरा की स्कीम बनी हुई है अंडर स्क्रूटिनी। अजमेर के अन्दर विजयनगर की बनी हुई है अंडर स्क्रूटिनी....

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको याद नहीं है हमने 2000 करोड़ की सारी योजनाएं स्वीकृत कर दी हैं। जिसका जिक्र कर रहे हो सारी स्वीकृत हो चुकी हैं। जानकारी रखो पहले फिर बाद में बात करो आप।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्री महोदय, जानकारी से ही बोल रहा हूं, 1–9–99 का है यह।

श्री रामसिंह विश्नोई : जानकारी 6 महीने पहले की होगी आपको।

श्री दिग्विजय सिंह : 6 महीने नहीं, 1-9-99 6 महीने होते हैं तो मैं जरा चूक कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मान लो ना जो कह रहे हैं यह।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर 1-9-99 6 महीने होते हो पहले के तो मैं चूक कर रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : सारी योजनाएं जो यह अभी बता रहे हैं वह सब मंजूर हो चुकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : 1–9 आज तारीख क्या है?

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको मालूम है आचार संहिता के कारण हम इसको अनाउंस नहीं कर रहे हैं। मामला यह समझे नहीं है, इस बात का।

श्री उपाध्यक्ष : हां, ठीक है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह मेरे को पूछते तो मैं इनको बता देता।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने करेक्ट कर दिया। पर अगर कुछ पेंडिंग हो तो उसको आप निकाल दें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक सुझाव मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को देना चाहूंगा वह यह है कि इमीजिएटली फोडर की जो समस्या आ जाएगी, उसके लिये मेरा सुझाव है कि जिन डिस्ट्रिक्टस में

(श्री दिग्विजय सिंह)

लास्ट ईयर अच्छी फसल हुई है, ज्वार अच्छी हुई है, खाखला है, दूसरा चारा है उसको अभी आप बाहर जाने से मना कर दीजिये। उस पर आप तुरंत रोक लगाइये क्योंकि बहुत चारा अभी बाहर जा रहा है। उस पर रोक लगा दीजिये किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं रोक लगा सकते हैं। तो हमारा फोडर जैसे कहा कि कोटा, बूंदी और जिन डिस्ट्रिक्टस से बाहर जा रहा है उस पर आप रोक लगाइये ताकि वह फोडर हमारे यहां रहे... (व्यवधान) नहीं, बाहर जा रहा है, हरियाणा से आ रहा है उधर क्यों जल रहा है। रोज ट्रक के ट्रक जाते हैं...

श्री रामसिंह विश्नोई : आप इस तरह की बात करते हो हरियाणा के अन्दर, पंजाब के अन्दर इस तरह के फोडर को जलाते हैं। नहीं-नहीं, आप सुनो मेरी बात...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई चारा है ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, चारा है ही नहीं और इसको सिवाय उपयोग करते हैं ही नहीं चारे के....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री दिग्विजय सिंह : आपको शायद मेरे ख्याल से ध्यान नहीं, मैं तो उस इलाके से आता हूं। मेरे यहां से चारा कोटा से होकर ट्रक के ट्रक भरकर निकलते हैं। मेरा यह कहना है कि उस पर आप रोक लगाकर राजस्थान में ही कन्ज्यूम करने की..(व्यवधान) मंत्रीजी, आपको तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये आप। इनसे क्यों कहते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा कहना यह है कि उस पर रोक लगाकर राजस्थान में ही उपयोग करने की बात करें तो ज्यादा उपयोगी रहेगा।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि घास की जहां तक बात है तो अभी सेवण की जो बात कही, मेरा निवेदन है कि आप कोआर्डिनेट करिये फोरेस्ट डिपार्टमेंट से। फोरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में जहां-जहां इनकी सैंक्चुरिज हैं और उन सैंक्चुरिज के अंदर अनाप-शनाप घास है और हर साल कैला देवी सैंक्चुरी में तो आग लगती है और आग लगकर जल जाती है तो यह जो सैंक्चुरिज हैं और इनके अन्दर आज जो घास हो गयी है और इनके अंदर आप कांट्रेक्ट के ऊपर ठेकेदारों को घास काटने के लिये दीजिये और वह इकट्ठा करके उस घास को आप फोडर डिपो बना दीजिये और जहां आवश्यकता पड़े वहां उसको आप भिजवा दें, यह मेरा आपको सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आपने दो मिनट कहा जिसके तो 15 मिनट हो गये।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा पुनः कि ड्रिंकिंग वाटर के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं। मेरा निवेदन है कि जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उनको जो गांवों के अन्दर हैं, आइडेंटिफाई करवा लें और आइडेंटिफाई करवा करके अभी से जिला कलेक्टर्स को निर्देश दें, विभाग को भी निर्देश दें कि ऐसे-ऐसे सोर्सेज जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, जहां से वहां के लोग हमेशा पानी पीते हैं उनको आप रिजर्व करवा दें, आइडेंटिफाई करवा लें। अगर बिजली पहुंच गयी हो तो ठीक है। नहीं पहुंची हो तो वहां पीने के पानी के लिये उन गांवों के लिये आप व्यवस्था करवा लें तो वह अच्छा रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जहां तक कार्य करने का सवाल है, मेरा सुझाव है कि आपके जो डी.आर.डी.ए. के और यह जो फंड्स हैं इस वक्त आपके पास में, विकल्प के हिसाब से, तत्काल काम शुरू करने के हिसाब से आप अगर रोजगार मुहैया करा दें तो ज्यादा उपयोगी रहेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों मिलकर इसको तय करें कि क्यों नहीं आप राजस्थान फेमिन रिलीफ बॉंड इश्यू करते हैं? एक राजस्थान फेमिन रिलीफ बॉंड इश्यू करिये और उसकी मोडेलिटीज वर्क आउट कर लीजिये 10 साल की, 20 साल की। कोई बॉंड इस प्रकार के हों जिस पर कि डोनेट करने वाले को टैक्स एग्जम्पशन भी मिल जाए। आपका पैसा भी आएगा और रिलीफ के कुछ काम भी हो सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपका आभारी हूं इस बात के लिये कि आपने मुझे समय दिया और मैंने जो सुझाव दिये उस पर मंत्री महोदय ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शुभ संकेत है आपने सीकर की चर्चा की। सीकर में इस वक्त भी मूसलाधार बरसात हो रही है और मैं उन सौभाग्यशाली विधायकों में से हूं जिनके क्षेत्र में कभी आज तक अकाल पड़ा ही नहीं और न कभी पड़ेगा, यह भी तय है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इधर देखकर बोलो।

श्री राजेन्द्र पारीक: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीकर विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। सीकर जिले में अकाल है और अकाल की विभीषिका आप सबके सामने है। एक ओर अकाल से पशुओं के पानी और चारे की जो समस्या है वहीं साथ-साथ में आम आदमी के पेयजल की समस्या भी है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मैं पेयजल की समस्या पर चर्चा करूं इससे पहले यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिन क्षेत्रों में अकाल नहीं है वहां का विधायक भी अपने आपको दुर्भाग्यशाली मानता है कि मेरे यहां अकाल क्यों नहीं पड़ा। क्योंकि अकाल को हमने एक ऐसी व्यवस्था से जोड़ लिया कि जहां अकाल होगा वहीं विकास होगा और अकाल के नाम से जिस तरह से काम हो रहे हैं। जिस तरह से कच्चे काम, जिस तरह से ग्रेवल सड़कें, जिस तरह से मिट्टी का गोला बनाना, यह कुछ ऐसे काम हैं जिनकी तात्कालिक उपयोगिता तो शायद किसी मजदूर को मजदूरी देने से समझ में आ सकती है लेकिन बहुत लम्बे समय तक उस का कोई सदुपयोग हुआ हो या आगे भी यदि कोई होने वाला हो; ऐसा समझ में नहीं आता।

इसलिए मेरा इस मामले में मात्र एक सुझाव है कि अभी हमें पशु हास्पिटल्स के लिये और सब सेण्टर्स के लिये, करीब 400 सब सेण्टर हैं और करीब 100 पशु औषधालय होंगे।

मेरा माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से एक निवेदन होगा कि पशुओं के जितने हास्पिटल्स वगैरह खुलने हैं, गांवों में खुलेंगे। जहां-जहां भी अकाल हो, प्राथमिकता के आधार पर सब सेण्टर्स के लिये और हास्पिटल्स के लिये अकाल राहत का पैसा आप दें यदि उससे वह सुविधा उपलब्ध होगी तो एक ओर तो हमारा अच्छा भवन बन कर तैयार हो जाएगा और साथ ही उसमें जो एक बेरियर लगा रखा है पशुपालन मंत्रीजी ने कि जहां भवन उपलब्ध नहीं होगा वहां वह इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे वह बेरियर भी समाप्त हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर में अकाल नहीं है लेकिन सीकर में बरसात की जो कमी हुई है उससे पेयजल की समस्या बनी हुई है। आबादी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है। जल स्तर नीचे जा रहा है, कोई साधन बैठ नहीं रहा है। इससे पानी की जो समस्या हो रही है उसमें सीकर शहर और सीकर का ग्रामीण इलाका दोनों ही सम्मिलित हैं।

मैं एक तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण इलाका है जिसको हम 8 घंटा बिजली देने की बात करते हैं और 8 घंटा बिजली कृषि कनेक्शन के लिये है। एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि गांवों में एक या दो सोर्सेज हैं हमारे। या तो ट्रेडिशनल हैं, या हमने ट्यूबवैल लगा रखा है। उसमें 8 घंटा बिजली का प्रावधान है। अब 8 घंटा में से जितनी बिजली हमें मिलती है उसमें से एवरेज 4 घंटा, 5 घंटा 6 घण्टा इतने टाइम के लिये हमारा ट्यूबवैल या जो ट्रेडिशनल रिसोर्स चलता है उससे गांव में पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाता।

मैं विशेष निवेदन यह करना चाहूंगा कि खास तौर से गांव का जो इलाका है, जहां हमारे ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, या ट्यूबवैल बना हुआ है, पर्टिकुलर उस एरिये को

(श्री राजेन्द्र पारीक)

यदि 24 घंटे बिजली से जोड़ दें तो हमें एडिशनल रिसोर्सेज भी नहीं बनाने पड़ेंगे और 24 घण्टा बिजली होने से गांवों में बराबर पानी की व्यवस्था बनी रहेगी। केवल साधन तो है, लेकिन बिजली की कमी की वजह से गांवों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाती। यह एक बहुत भारी समस्या है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां धीरे-धीरे हमारा जल स्तर नीचे जा रहा है वहीं शहरों में जल प्रदूषण की भी एक बड़ी भारी समस्या बनती जा रही है। शहरों में ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ रही है त्यों-त्यों सोक पिट्स बन रहे हैं और वे 50–50 फीट गहरे जो खड्डे खुदते हैं उससे जो हमारा अंडर ग्राउंड वाटर है वह बिलकुल पोल्यूट होता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीकर का निवेदन करूं। पहले पेयजल बड़ा शुद्ध होता था और एक तरह से मेडिकेटेड था। आज हालात धीरे-धीरे यह बनते जा रहे हैं कि जल प्रदूषित हो रहा है और कोई बड़ी बात नहीं कि आगे आने वाले 20, 30, 50 वर्षों में वह पेयजल पीने योग्य नहीं रहेगा। सरफेस वाटर हमारे पास है नहीं और अंडर ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, शहर हैं उनको आइडेंटिफाई करें और संभव हो सके तो अपने स्तर पर, भारत सरकार से सहयोग लेकर के और वहां की जो नगरपालिका और नगर परिषद हैं उनके और राजस्थान सरकार के स्वयं के सहयोग से इस सीवरेज का कुछ ऐसा सिस्टम डवलप करें या कुछ ऐसी योजना बनायें जिससे यह जो अंडर-ग्राउंड वाटर जो पोल्यूट हो रहा है इससे हमें राहत मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो जल स्तर नीचे गिरा है, सीकर में भी इसकी समस्या हमारे सामने है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर में जो योजना आप लागू करना चाहते हैं, अधिकतर यह होता है कि जो योजना हम लागू करते हैं उसका क्रियान्वयन हम मार्च के बाद में करते हैं और उसका बिजली का कनेक्शन होते-होते, डिले होते-होते एक समय ऐसा आ जाता है कि उसी वक्त तो गर्मी का पीक पीरियड होता है और उसी समय वह सिस्टम हमारे काम में नहीं आ पाता है।

इसलिए जो भी योजना आप वहां पर स्वीकृत करें, आप विभाग को इस बात के लिए निर्देशित करें कि वह तत्काल उन योजनाओं को दिसम्बर, जनवरी तक चालू कर दे ताकि हमें आगे आने वाली गर्मियों में उससे राहत मिल सके। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (स.मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय संबंधित मंत्रियों के उत्तर आने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय संबंधित मंत्रियों के उत्तर आने तक बढ़ाया जाये, सहमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया। माननीय मंत्रीजी।

राज्य में अकाल की स्थिति पर अग्रेत्तर विचार

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : आज अकाल के ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। लेकिन चूंकि कार्य सलाहकार समिति ने पेयजल का भी मामला रखा था और यहां इसमें जानकारी नहीं थी। आ भी जाता है, रह भी जाता है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों ने काफी अपने क्षेत्र के और प्रदेश के बारे में अपने सुझाव दिये हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं।

प्रदेश के अंदर जो स्थिति है। आज हालांकि अकाल की स्थिति नहीं है। आज बरसात हो रही है और बरसात के बाद यह कयास करना कि अकाल है और उस पर चर्चा करना सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो शंकायें व्यक्त की हैं, बार-बार हम यह जो शंकायें व्यक्त करते हैं और करीब 400,500 करोड़ या एक हजार करोड़ रुपया जो हम खर्च करते हैं। उसका असली मकसद क्या है और उससे क्या समाधान निकलता है।

करीब 25-30 साल से तो विधान सभा में मैं भी आता रहा हूं। सिवाय इसके कि आप हजार करोड़ रुपया खर्च कर दो और इसके बाद कोई रास्ता नहीं निकलता है। कोई पक्का समाधान नहीं निकलता है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को खुद सुझाव देना चाहता हूं कि आपको सुझाव देना चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए।

अकाल तो पड़ता रहेगा, बरसात कम होगी और जब बरसात कम होगी तो स्थिति खराब रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति है, आज से 2–3 साल पहले माननीय सदस्यों ने, हालांकि मैं कुछ हटकर बोल रहा हूं मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन 2–3 साल पहले ही लोगों ने गायें छोड़नी शुरू कर दी थीं। आज गायें और नील गायें दो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। ऐसा कोई गांव मारवाड़ का और जोधपुर संभाग का नहीं है जिसमें 200,300 गायें आवारा नहीं हैं, छोड़ी हुई नहीं हैं। 300 गायें वह हैं और 200-300 नील गायें हैं, 500–600 जानवर ऐसे हैं जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है और किसान की जो खेती है, बरसात के नहीं होने से जो नुकसान नहीं हो रहा है उससे ज्यादा ये गायें कर रही हैं।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

दूसरा, जो अकाल का मामला है, जो अभी मंत्री जी उत्तर देंगे। किसानों ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। किसान को कौनसी चीजें बोनी चाहिये ताकि पशुओं के काम आवें। पहले गेहूं बोते थे, बाजरा बोते थे, ज्वार बोते थे। ज्वार और बाजरा के स्थान पर मूंग बोना शुरू कर दिया जिसका कोई यूज नहीं है। जिसमें घास होती ही नहीं है और जहां गेहूं बोना चाहिए वहां पर रायड़ा, तारामीरा बोना शुरू कर दिया। उससे एक रत्ती भर भी घास प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में आप क्या अपेक्षा करते हो कि हमारे जानवर जिन्दा रहेंगे ?

आज ऊंट, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और गधा भी है, हिन्दुस्तान के अंदर राजस्थान के अलावा कहीं पर भी ऐसी नस्ल नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि यह बाद में आपको अजायबघर में मिलेंगे। हिन्दुस्तान की और राजस्थान की यह स्थिति हो गयी है।

मंत्री महोदय, मुझे ज्यादा इसमें कुछ कहना नहीं है मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर गायों को आप बचा नहीं सके, पूरी नस्ल को आप रक्षा नहीं कर सकें तो कुछ तो आप रखें सरकार की तरफ से कि लोग यह देखें कि ऐसी गायें हमारे थारपारकर की या दूसरी नस्ल की गायें हमारे यहां हुआ करती थीं। यह स्थिति आने वाली है और यह बहुत जल्दी आने वाली है।

आज कल्ला साहब ठीक कह रहे थे, मेरे खुद के गांव से 50 हजार रुपये इकट्ठे करके 300-400 गायों को 10 ट्रकों में भरकर हम जैसलमेर पहुंचाकर आये हैं। यह स्थिति कम से कम दो हजार गांवों में नागौर के अंदर, अजमेर के अंदर, जयपुर जोधपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर है। लाखों गायें जो माता के नाम से पुकारी जाती हैं और बी.जे.पी. हमेशा गायों के नाम से कहती रहती है, हमेशा उनका नारा रहा है। कई आपने गो-शालाएं खोल-रखी हैं। आप गाय को माता कहते हैं। गायों के नाम पर आप वोट मांगते हैं।

मैं कहता हूं कि आज वह स्वयंसेवी संस्थाएं कहां गयीं आज आप गांव-गांव में जायें हजारों गायें आपको ऐसी मिलेंगी। यह स्थिति है। एक बात कहना और गायों की रक्षा करना यह बहुत गुरूपुण्य काम है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं गो-शालाओं की बुराई करने वाला नहीं हूं। लेकिन मैंने खुद ने बुराई की है और गो–शालाएं केवल नाम मात्र की होती हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शायद आपको जानकारी होगी, गो–शालाओं में गायों को प्रति गाय अनुदान मिला करता था। हमारे समय में चालू हुआ और आपने आकर के बंद किया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं गो–शाला उसको कहता हूं जो समाज से पैसे इकट्ठे करके गायों की रक्षा करता है। गवर्नमेंट से एड लेता है वह गो-शाला नहीं होती है।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

वह केवल अपना पेट भरने के लिए और अपना जीवन-यापन के लिए होती है। वह समाज से पैसा इकट्ठा करे, वहां पर 50 गायें हैं और उनमें 40 गायें दूध देने वाली हैं, 10 गायें अपंग हैं और उन 10 गायों के नाम पर वह 50 गायों का शोषण करते हैं। मैं कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं। आपके अन्दर ही थोड़े ही, हमारे अन्दर भी ऐसी संस्थाएं हैं। हमारे कार्यकर्ता भी ऐसे हैं।

लेकिन इस तरह से गायों की आखिर रक्षा कैसे होगी? हमारी भेड़ों की रक्षा कैसे होगी? यह भेड़ें कहां चरेंगी? आप जमीनें अलाटमेंट भी कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी के पास वित्त की कमी है। सारी जमीनें अलाट हो जायेंगी तो गांवों के अंदर एक इंच जमीन है नहीं, गायें कोई उपयोगी जानवर हमारे लिये है नहीं, आखिर क्या बोलूं, अपन ऐसी फसल बोने जा रहे नहीं हैं फिर अकाल के समाधान के लिये मैं नहीं समझता कि अकाल कैसे नहीं पड़ता रहेगा। कौनसा रास्ता, जिससे आप अकाल को पड़ने से रोक पायेंगे। इसलिए आप जो बात कर रहे हैं उससे कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा।

आज गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में जाइए, आप कोटा और झालावाड़ जिलों से जाइए, हालांकि वह चारे की परवाह नहीं करते हैं लेकिन इसका मतलब है कि जब तक आप कोई परमानेंट सोर्स डवलप नहीं करेंगे तब तक यह अकाल पड़ता रहेगा। कागजों में अकाल पड़ता रहेगा, हमारे कार्यकर्ताओं के अन्दर अकाल पड़ता रहेगा, सरकार में अकाल पड़ता रहेगा। न तो जगमाल सिंह जी से रुकेगा न मेरे से रुकेगा।

इसलिए इस अकाल पड़ने से रोकने के लिए आप एक मानस बना लें। आप विधान सभा के अंदर चार घण्टे बहस करके अकाल का समाधान करना चाहते हैं, इसके लिए आप कम से कम 15-20 दिन तक जो जानकार लोग हैं, जिनके तजुर्बे हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं, जिनको ज्ञान है, जो नस्ल के बारे में जानते हैं जो फसल के बारे में जानते हैं कि कौनसी फसल हो सकती है, आज आप इजराइल से सीखकर आइए, दूसरे ऐसे देश हैं जहां पर बरसात कम होती है और वहां पर लोग जिंदा हैं। वहां का पशु आहार किस तरह का होता है; इन सारी बातों की स्टडी करने के लिए चाहे करोड़ों रुपए खर्च हो जाएं लेकिन आखिर हम जिंदा कैसे रहेंगे। जब भी बरसात न हो, अकाल, बरसात हो रही है फिर भी कह रहे हैं कि अकाल पड़ रहा है। यह अकाल प्राकृतिक प्रकोप और मानव कृत्य का प्रकोप है। इसको आप बंद कीजिए, वरना कोई समाधान नहीं निकलेगा। मुझे इससे आगे कोई मतलब नहीं है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं पी.एच.ई.डी. का मंत्री हूं, मुझे इतना ही कहना है।

मैं माननीय सदस्यों का सबसे पहले बहुत आभारी हूं कि मुझे आठ-नौ महीने मंत्री बने हुए हो गए, उसमें आपने बहुत सहयोग दिया। मैं पहला व्यक्ति हूं जो चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो, मैं विधायक का सम्मान करता हूं। मेरा फर्ज है कि जनता द्वारा

(श्री रामसिंह विश्नोई)

चुना हुआ व्यक्ति, उसकी जो भी इच्छा हो, जो अच्छी बात है, एक बार तो वह चाहे गलत बात भी कहता है तो मैं उसका सम्मान करता हूं लेकिन अगर बाद में मुझे मालूम हो जाता है कि यह बात ठीक नहीं है तो आयंदा उसके लिए मेरे दरवाजे बंद कर देता हूं। इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। आप जो भी स्कीम बनाएंगे, जो बात भी, आप हैण्ड पम्प की बात कहेंगे, जहां भी आप ट्यूबवैल की बात कहेंगे या इन्दिरा गांधी नहर से पानी लाने की बात कहेंगे या नर्मदा से पानी लाने की बात कहेंगे या इधर चम्बल की बात कहेंगे।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गंगानगर से लगाकर सवाईमाधोपुर और उधर होते हुए वापस बाड़मेर, जालोर, सिरोही तक पूरा बेल्ट, पूरा राजस्थान, हम पानी की योजनाएं चाहे नर्मदा से हो, चाहे चम्बल से हो, चाहे गंग नहर से हो, हम इन सब को जोड़ना चाहते हैं।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जोड़ने का प्लान लम्बा प्लान नहीं है, हमारे पांच साल के कार्यकाल से पहले ये सारे कार्य रूप में परिणत करेंगे, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं।

अभी उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य दिग्विजयसिंहजी कह रहे थे, मुझे बहुत खुशी है कि उन्हें यह नालेज है। लेकिन यह काम हमारे अधिकारियों से; आज से करीब एक–दो महीने पहले, तीन-चार बैठकें की हैं। कई बार पास करने से पहले कागजों को 20 बार देखना पड़ता है, तब जाकर यह स्वीकृत होता है, तो ये सारी स्कीमें हमारी करीब–करीब स्वीकृत हो चुकी हैं और जहां पर पानी की किल्लत है, आज आपको मालूम है कि गुलाबपुरा और विजयनगर, एक अजमेर जिले में आता है, एक भीलवाड़ा में आता है।

आज सावन भादों में अगर पानी टैंकरों से सप्लाई होता हो तो मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि कल आडिट आब्जेक्शन होगा और आपका प्रमोशन रुक जाएगा। मैंने कहा ऐसा कोई दुनिया नहीं मानने वाली है कि क्यों ऐसा मामला हुआ। लेकिन प्रकृति का प्रकोप ही ऐसा है कि वहां आसपास पानी है ही नहीं। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने बैठकर सबसे पहले स्कीम बनाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि छह महीने और 12 महीने में वहां पर पानी पहुंच जाएगा और वहां 50-60 करोड़ रुपए की योजना बन गई है और वह सारी आपकी योजना पूरी हो जाएगी।

भीलवाड़ा का मामला आपने बताया था और मैंने खुद ने भी कहा था कि आप को सोर्स बताने पड़ेंगे, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप जैसे व्यक्ति जो विधायक हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मुझे आपसे अपेक्षा थी कि आप सही बात बताएंगे। आपने मुझे बताया और वहां से पानी निकल गया और जब भी वाह-वाही होगी; मेरी भी होगी और विभाग की भी होगी,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

आपकी भी होगी और सब कुछ ठीक हो गया मामला। पानी नहीं है। आपको मालूम है कि मीरा डैम के अन्दर केवल आठ-नौ फुट पानी आया है, तीन-चार महीनों से ज्यादा पार पड़ने वाली नहीं है लेकिन जो आपके द्वारा सुझाए गए ट्यूबवैल हैं, वे बारहों महीनों तक चलेंगे, इस बात का मुझे विश्वास है।

उदयपुर संभाग के अंदर फसल मैं खुद देखकर आया हूं, फसल बहुत अच्छी है, आपको मैं बता दूं लेकिन वहां अण्डर ग्राउण्ड वाटर नहीं है, इसके कारण इन लोगों को भारी तकलीफ होती है। मैं उदयपुर संभाग के विधायक साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक लाख 65 हजार हैण्ड पम्प हैं राजस्थान के अंदर और हैण्ड पम्प खराब होना और ठीक करना, हमने अपना धंधा बना रखा है, यह बीमारी है, ये खराब होते हुए भी बंद नहीं हो सकते लेकिन ठीक भी करवाने पड़ते हैं, अभियान बनाना, अभियान के अन्दर आप जानते हैं, अभियान चलता है तो उसमें दुरुपयोग होता है ज्यादा तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए मैं मेरे विभाग के अधिकारियों से बात करूंगा और हम इसका अभियान न बना करके जो हमने खोद दिए, बना दिए, वह खराब न हो और खराब हो तो कभी भी बिना अभियान के वे ठीक होते रहें, इस तरह का अब हम करने जा रहे हैं।

करीब 10–12 हजार हमारे पास ट्यूबवैल हैं, जयपुर के अन्दर 100 ट्यूबवैल हैं, आप अंदाजा लगाइए, 100 ट्यूबवैल यहां चल रहे हैं तो कितना तो खर्चा आता है, 500 करोड़ रुपए बिजली के और ट्यूबवैलों के लिए हमको खर्च करने पड़ते हैं।

अब पानी की व्यवस्था भी सरकार करे, पढ़ाई की व्यवस्था भी सरकार करे, लूले-लंगड़ों को पाले भी सरकार, बिजली भी सरकार दे, आखिर क्या-क्या सरकार से चाहते हैं। मुझे बता दीजिए कि हम कौन-कौनसे काम सरकार से करवाना चाहते हैं। इन बातों को छोड़कर हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां बनानी पड़ेगी कि अपने ऊपर मार नहीं पड़े; सरकार आखिर कैसे यह काम करे? अपन इस प्रकार की योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार को लूटा जाए, किस प्रकार से पैसा लिया जाए, ये स्कीमें अच्छी नहीं हैं, यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। इसको रोका जाना चाहिए वरना डवलपमेंट कैसे होगा।

आप वित्त मंत्रीजी ने बताया कि मेरे पास तो केवल पांच प्रतिशत रकम बची है 100 प्रतिशत में से। पांच प्रतिशत से आप डवलपमेंट करना चाहते हैं? पांच प्रतिशत से डवलपमेंट करेंगे तो पांच साल के बाद वोट कौन देगा अपने को। लेकिन अब स्थिति पैदा करने में हमारी और आपकी, सबकी भागीदारी है। यह जो स्थिति बनी है, इस के लिए हम सब जिम्मेदार हैं इसलिए आपको बहुत तजुर्बा है, आप हम माननीय

(श्री रामसिंह विश्नोई)

सदस्यों से जो बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, जो दिलचस्पी रखते हैं, जिनको राजस्थान से प्रेम है जो अपनी माटी से प्यार करते हैं, अपने इलाके का हमेशा ध्यान रखते हैं, उनका उपाध्यक्ष महोदय, आप एक सम्मेलन बुला लें।

विधान सभा का स्पेशल सत्र बुला लें और अकाल का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करें। जब तक पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे पूरे प्रदेश में, जब तक नदियों का पानी, इन्दिरा गांधी नहर का पानी पूरे राजस्थान में 38 हजार गांवों के अंदर और 1 लाख,98 हजार ढाणियों के अन्दर आप पानी की व्यवस्था जिस दिन कर देंगे, न तो गाय को छोड़ेंगे, न भैंस को छोड़ेंगे, न ऊंट को छोड़ेंगे, न बकरी को छोड़ेंगे। आज तो आप गाय और भैंस को छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं ठीक कहता हूं कि पांच साल के बाद ढूंढने पर भी गाय नहीं मिलेगी, आपको। 10-10 हजार रुपए देने के बाद भी गाय नहीं मिलेगी। यह जो हमारी धरोहर है, इसकी आप रक्षा कीजिए। इसके लिए आप माननीय सदस्यों का एक सदन आहूत कीजिए और इनसे सलाह लीजिए।

मुझे तो इतना ही कहना है कि आपने जो मुझे समय दिया, आपने जो हमारे अकाल से सम्बन्धित, मेरे पानी से सम्बन्धित मामलों में सुझाव दिए हैं, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि बरसात हो ही रही है और बरसात होनी शेष है। मैं बता दूं आपको अभी पांच-दस दिन बरसात रहेगी और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कोई चिंता नहीं है और बरसात नहीं होती है तो भी मुझे चिंता नहीं है और हो जाती है तो बहुत बड़ी इसकी मेहरबानी है। मैं प्रकृति पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पानी के कारण किसी मवेशी को, किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। दो हजार करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है, मैं कोई यहां बताना नहीं चाहता लेकिन हमने अलग-अलग पूरे राजस्थान के लिए जहां-जहां पानी की शोर्टेज है, जहां-जहां पानी की तकलीफ है, चाहे माउण्ट आबू हो, चाहे सिरोही हो, चाहे आपके भीलवाड़ा हो, चाहे पुष्कर सरोवर हो, चाहे जयपुर की स्कीम हो। क्योंकि यह हमारी राजधानी है, जयपुर में पानी की कमी नहीं है। जहां भी खोदे जाएं हैण्ड पम्प, पानी मिल जाता है। लेकिन हमें मालूम है कि 25-30 लाख की आबादी को कैसे कवर किया जाए। जब इसको कवर करेंगे तो हम टोंक का भी ध्यान रखेंगे, जब टोंक पर ध्यान रखेंगे तो अजमेर वगैरह सब होंगे, यह पूरा बैल्ट है, इन योजनाओं से लाभांवित हो सकेगा।

और भी जिलों की स्कीम बनायी है और जोधपुर के अन्दर लिफ्ट के कारण कायाकल्प हो गया, 10 लाख आबादी का शहर है, पानी की कोई कमी नहीं है। बीकानेर डिवीजन के अंदर पानी की कोई कमी नहीं। सीकर और झुंझुनूं में वाटर थोड़ा-बहुत उपलब्ध है, लेकिन इनके पास कोई स्कीम नहीं है, लेकिन माननीय

(श्री रामसिंह विश्नोई)

सदस्य जो बुजुर्ग हैं अगर यह बताएंगे तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि हम आप का पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि नीचे वाले पानी पर ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं है। बाकी राजस्थान के अन्दर इन नदियों से जोड़ने का प्रयास है, दो–तीन साल में अच्छे-अच्छे रिजल्ट आएंगे।

इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप ने जो सुझाव दिए उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और जो भी सुझाव दिए हैं जिनका मैं उत्तर नहीं दे सका हूं उनका उत्तर मैं भेजने की कोशिश करूंगा। बाकी 500 रुपये में जो मामला था वह 1200 का कर दिया। डी.आर.डी.ए. के जो बनाये हुए हैं उसको कनेक्शन करने का, वह तो लम्बा इसलिए किया, मैंने देखा डी.आर. डी.ए. से कुछ पैसा हमको मिल जाए। लेकिन वहां से अगर कोई पैसा नहीं मिलता है तो हमारा निर्णय किया हुआ है। लेकिन वह तो सिर्फ पैसा मारने के लिए मैंने ऐसा किया है, बाकी कोई लम्बा-चौड़ा मामला है नहीं।

इसलिए मुझे विश्वास है कि आपने जो सुझाव दिए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और आपको विश्वास देता हूं आप जो भी चाहेंगे, आपको जहां भी मालूम हो कि हमारे यह काम करने से हमारे गांव के अन्दर, हमारी जनता को, मवेशियों को फायदा मिल सकता है मैं उसको एक महीने के भीतर-भीतर, 10 दिन के अन्दर-अन्दर उसकी व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सहायता मंत्री जी।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सहायता मंत्रीजी, आप अलवर के प्रभारी बनो ताकि पूरे राजस्थान का जो जोधपुर से .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इतने इलेवेरेट स्टेटमैंट के बाद अब क्या रह जाता है? सारे राजस्थान को ले लिया, अब क्या बचा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आपने जो मौलिक विचार व्यक्त किए हैं उनके लिए तो मैं आपको बहुत–बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत मौलिक विचारों को सदन के सम्मुख रखा है। मैं लम्बी बात कुछ नहीं कहूंगा, मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि कुछ जिले जहां रीजनल स्कीम से पानी दिया जाता है और रीजनल स्कीम के जो सोर्स थे वे सूख गए, रीजनल स्कीम फेल हो गई वहां आपको तत्काल इस पानी को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। पानी को ट्रांसपोर्ट के लिए आपकी तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से मैं चूरू जिले और चूरू तहसील की बात कर रहा हूं पानी कुछ जगह ट्रांसपोर्ट करना....

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने आपकी बात सुन ली। उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं यों तो लम्बी बातें हैं, कोई

(श्री रामसिंह विश्नोई)

चीज है नहीं, लेकिन हमारे प्राकृतिक सोर्सेज हैं, आप नाराज मत होना, हमारी पार्टी का आचार-संहिता के अन्दर आया है जो प्राकृतिक सोर्सेज हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे ।

जहां पर भी कुएं हैं, जहां पर बावड़िया हैं या जहां पर तालाब हैं या ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, इसके लिए जो टांका बनाना चाहता है तो टांके के अंदर 75 परसेन्ट सरकार देगी और 25 परसेन्ट उस किसान को, चाहे वह आदमी न्यायाधीश भी हो, चाहे वह सीकर में है और तीसरी मंजिल के मकान में रहता है, वह भी अगर बनाना चाहता है तो हम उसको टांके के लिए 75 प्रतिशत इमदाद देंगे । यह फायदा आज नहीं होगा, लेकिन हम 15-20 दिन के अंदर स्कीम बनाकर कर देंगे । और पुराने जितने भी सोर्सेज हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं उनको फ्री आफ चार्ज सरपंचों के माध्यम से, पंचायत समितियों के माध्यम से, सरपंच कैसे हैं यह तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन हमें मालूम है, क्योंकि हम तो विश्वास करते हैं वे बहुत ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करेंगे ।

इसके अलावा अगर कहीं पर पानी की तंगी है और आप यह समझते हैं कि यहां वाकई में पानी नहीं है और वहां आस-पास कोई पानी नहीं है तो आप हमारे एस.ई. या एक्स.ईएन. से सम्पर्क करके पानी का ट्रांसपोर्टेशन करा सकते हैं, कहीं पर कोई बंदिश नहीं है और हमने पूरी छूट हमारे अधिकारियों को दी हुई है उनको हमको पूछने की जरूरत नहीं है, इस बात का विश्वास दिलाता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहायता मंत्री जी ।

श्री रमजान खान : विधायकों की अभिशंसा के अनुसार आपके विभाग के अधिकारी काम नहीं करते हैं । इसका आपने आश्वासन भी दिया था कि इस कानून में रद्दोबदल कराकर मैं उनको बाध्य करूंगा कि वे काम विधायकों की अभिशंसा के अनुसार जलदाय योजना के काम करें । इसके लिए आप क्या कह रहे हैं, आपने कर दिया क्या ?

श्री रामसिंह विश्नोई : ऐसी कौनसी योजना है ?

श्री रमजान खान : जैसे एक हजार घरों की बस्ती है और हम विधायक फण्ड से टंकी बनाना चाहते हैं---

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरे कहने के बाद पार्लियामेंट के वोट हुए थे । वोट तो ये दिला नहीं सकते, आचार-संहिता लागू हो गई थी इसलिए कैसे काम करते । इसलिए काम में दिक्कत हुई ।

श्री रमजान खान : वह मैं नहीं कह रहा हूं । मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक हजार घरों की बस्ती है और आप वहां पर पी.एण्ड.टी. योजना या जनता जल

(श्री रमजान खान)

योजना नहीं लागू कर सकते और हम विधायक फण्ड से उसमें ट्यूबवैल या टंकी बनाते हैं तो फिर आपके विभाग को काम करना चाहिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने आपको कहा था वह सारा काम हो जाएगा। मैंने आपको कहा; आपने सुना नहीं। हमने डी.आर.डी.ए. का इंतजार किया है, कुछ पैसा हमें दे दे तो ठीक रहे, क्योंकि इनका फर्ज बनता है। जब वे हौद बनाते हैं तो हौद के अंदर कनेक्शन पाइप डालकर हमको सुपुर्द करना चाहिए, नहीं तो इतनी बड़ी लाइबिलिटी को हम कैसे सहन करेंगे। 5-5 किलोमीटर में आपने हौद बना दिए, वहां पर हम पाइप कैसे ले जाएंगे, वहां बिजली कैसे जाएगी।

श्री रमजान खान : विधायक फण्ड से पैसे दे रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : ऐसा मत करो, आप अपनी औलाद को तो पाल सकते हो, लेकिन दूसरे की औलाद को आपकी बीबी लेकर आवे तो पाल लोगे क्या उसको ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस वर्ष कम वर्षा होने के कारण राजस्थान में अकाल की आशंका व्यक्त की जा रही है। साथ ही यह शुभ संकेत है कि जब से अकाल के बारे में राजस्थान की विधान सभा में चर्चा शुरू की राजस्थान के कई जिलों में बारिश होना प्रारम्भ हो गई है। उदाहरण के लिए अजमेर जिले में, भरतपुर में, सवाईमाधोपुर में, झुंझुनूं में, बूंदी में, भीलवाड़ा में, अलवर में, बांसवाड़ा में, कोटा में, सिरोही और उदयपुर में बारिश हुई है।

श्री शिवनाथ सिंह : झुंझुनूं की रिपोर्ट तो सरासर गलत है, औरों की मुझे पता नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आज ही झुंझुनूं से आने वाली माननीय विधायिका कह रही थीं कि मेरे यहां बारिश हो रही है। झुंझुनूं में जो बारिश हुई है वह खेतड़ी में हुई है। आप झुंझुनूं जिले का मतलब यह न लें कि पूरे झुंझुनूं में हुई है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे पास जो आंकड़े हैं वे बिलकुल सही हैं, आप चाहें तो इसको वैरिफाई कर लें। मैंने कहा कि यह एक शुभ संकेत है। (व्यवधान) आप विराजने की कृपा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यह शुभ संकेत है जिसकी वजह से ऐसा अहसास होता है कि बारिश हो रही है। हमारे सीकर के लोग कह रहे हैं। और भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। इसलिए जो पानी का संकट हमारे सामने आया है खासतौर से, मुझे उम्मीद है कि वह पानी का संकट कम गहरायेगा और राजस्थान के लोगों को उससे राहत मिल सकेगी।

फसलों के आकलन के बारे में अभी निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

कि राजस्थान में फसल का कितना खराबा हुआ है, मोटे अनुमान के अनुसार कृषि विभाग ने जो हमें आंकड़े दिए हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है करीब–करीब 11 जिलों में 20 परसेन्ट से 30 परसेन्ट कम बारिश हुई है और 14 जिलों में 20 परसेन्ट से 60 परसेन्ट कम बारिश हुई है और एक बाड़मेर ऐसा जिला है जहां सबसे कम बारिश हुई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के आधार पर मैं बता रहा हूं।

इसी तरह से मानसून विभाग के आंकड़ों के आधार पर भी कमोबेश राजस्थान के करीब 20-22 जिलों में 20 परसेन्ट से लेकर 60 परसेन्ट तक बारिश कम हुई है, यह निश्चित रूप से हमारे लिए चिन्ता का विषय है। राजस्थान सरकार इस सारी स्थिति को गंभीरता से लेती है।

कई माननीय सदस्यों ने जब विचार व्यक्त किए तब यह बात कही कि पिछली सरकार ने तो सितम्बर में ही अभावग्रस्त घोषित कर दिया था और आज की सरकार अभी तक अभावग्रस्त घोषित नहीं कर पायी। मैं उन माननीय सदस्यों को और दूसरे सभी माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं इस वर्ष लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, सारी मशीनरी लोकसभा के चुनाव में व्यस्त थी और चुनाव में व्यस्त होने के कारण से एक सितम्बर से 11 सितम्बर तक...(व्यवधान) मेरी बात सुनने की कोशिश करें, जो पूछेंगे उसका जवाब देने की स्थिति में मैं हूं।

एक सितम्बर से लेकर 11 सितम्बर तक, बल्कि 12–13 सितम्बर तक सारी मशीनरी कलेक्टर, एस.डी.ओ., तहसीलदार से लेकर सारे लोग चुनाव के कार्य में व्यस्त होने की वजह से यह गिरदावरी उस वक्त कराना संभव नहीं हुआ। ज्यों ही चुनाव समाप्त हुए, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा 13 तारीख को ही उन्होंने बैठक बुलाई, वित्त मंत्रीजी और मेरे साथ चर्चा की और चर्चा करके यह निर्णय लिया कि जिस गिरदावरी जल्दी से जल्दी करायी जाए ताकि जिस गिरदावरी की रिपोर्ट आने पर हम हमारे राजस्थान में अभाव की स्थिति की घोषणा कर सकें।

मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि हमने गिरदावरी को 10 दिन एडवान्स करने का फैसला किया। आमतौर पर गिरदावरी 16 सितम्बर से शुरू होती है और नवम्बर तक इसकी रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं हमने कलेक्टर से कहा है कि आप गिरदावरी की रिपोर्ट हमको 10 अक्टूबर तक भेज दीजिये ताकि हम उस पर विचार करके जो स्थिति है, उसका आकलन कर सकें और उसके आगे की कार्यवाही कर सकें। मुझे विश्वास है कि जिलों से रिपोर्ट हमको प्राप्त हो जाएगी और हम आकलन कर सकेंगे। अभावग्रस्त घोषित कर सकेंगे, ताकि उसके अनुरूप काम चल सके।

कलेक्टर से यह भी कहा है कि बिना कोई इन्तजार किये वहां चारे की व्यवस्था

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

क्या है, चारे की स्थिति क्या है हर जिले का आकलन करें और सरकार को शीघ्र ही रिपोर्ट भेजे ताकि चारे की व्यवस्था करने का पूरा प्रयत्न किया जा सके। हमने जिलाधीशों को भी यही कहा है कि जहां पानी कम बरसा है और पीने के पानी का अगर संकट पैदा हो गया है, तो पीने के पानी के लिये वो उसका कंटिजेंसी प्लान बनाये और राज्य सरकार को इत्तला करे कि कहां-कहां पर पानी की आवश्यकता होगी, उसके अनुसार सरकार व्यवस्था करने की तैयारी कर सके।

यही नहीं हमने पशुधन को बचाने के लिये भी कई महत्वपूर्ण कदम बढ़ाये हैं। और विशेषकर हमारी वैस्टर्न राजस्थान की इकोनोमी पशुधन पर निर्भर करती है। उसमें बढ़िया किस्म की गायें हैं चाहे थारपारकर हैं, कहीं गीर हैं, राठी किस्म की गायें हैं ऐसी सारी गायों को बचाने के लिये भी हम व्यापक कार्यक्रम बना रहे हैं। व्यापक कार्यक्रम के आधार पर हम कई कैटल कैम्प की योजना बना रहे हैं, जिसमें उनको रखा जा सके और पशुधन को बचाया जा सके।

हम गौशालाओं के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से और जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनसे भी हम सम्पर्क साधे हुये हैं ताकि उनसे चर्चा करके पशुधन को बचाने की एक महत्वाकांक्षी योजना हाथ में लें। और मुझे उम्मीद है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, दानदाताओं के माध्यम से, सरकार के सहयोग से वैस्टर्न राजस्थान का जो कैटल है उसको बचाने का सरकार अपनी ओर से भरपूर प्रयत्न करेगी और उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

यही नहीं पशुधन को बचाने के लिये हमने बीकानेर विश्वविद्यालय के जो फार्म हैं बड़े बड़े, वहां पर भी हमने विश्वविद्यालय से चर्चा की है और विश्वविद्यालय से चर्चा करके उन फार्मों पर पशुओं को रखने के बारे में भी हम चिन्तन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, ताकि उन पशुओं को वहां रखा जा सके। यही नहीं, हम यह भी विचार कर रहे हैं कि वहां पर किस तरह से ग्रीन्ड फोडर को तैयार किया जा सके ताकि दुधारू पशुओं को बचाने के लिये उनके मिल्क यील्ड को कम न होने देने के लिये, उनको हरा घास देने की योजना बनाने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। हमने सभी, अभी सुझाव आया था कि आपके सैंक्चुरी में और फोरेस्ट में बड़े बड़े घास के बीड़ हैं। फोरेस्ट विभाग को 14 तारीख को आदेश दे दिया गया है कि वे अपने बीड़ के घास को रिजर्व करें और जो भी गेम सैंक्चुरी में घास उपलब्ध है उस घास को भी नहीं बेचें। उसे इकट्ठा करके कमी के इलाकों में भेजने का निश्चय कर चुके हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पशुधन के बारे में सबसे ज्यादा चिंता इस सदन में व्यक्त की गई है। मैं सबको यह भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं जो सुझाव आपने दिये हैं, चाहे हम चारा

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

डिपो खोलें, चाहे हम पशु आहार दें, अनुदान पर दें, इस सारी योजना की तैयारी हम कर रहे हैं। निश्चित अवधि के तहत इस काम को प्रारंभ करेंगे ताकि पशुधन को बचाने का काम सबसे पहले किया जा सके, जो आज संकट की स्थिति में हैं।

एक प्रश्न यह भी हमारे सामने आया है कि निष्क्रमण करके जो गायें जा रही हैं, मेरे खयाल से बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि रास्ते में चारा डिपो खोला जाए ताकि वो वहां पहुंच जाएं जहां चारा चरने की जगह है। तो इस सुझाव पर भी विचार करके निष्क्रमण करने वाले मार्ग पर भी चारा डिपो खोलने की व्यवस्था करेंगे।

निष्क्रमण करने वाले मार्ग पर भी जहां गायें चरने के लिये जाती हैं वहां हम निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था करने की शीघ्र कोशिश करेंगे ताकि पशु रास्ते में घास चर सके और आगे बढ़ सके।

हमने पंजाब सरकार से, हरियाणा से बात की है, हम उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क बनाये हुये हैं। इनके यहां जितना सरप्लस घास है वो हमको मुहैया करायें ताकि हम राजस्थान के पशुधन को बचाने का काम शुरू कर सकें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम चिन्तित हैं कि हमारी राजस्थान की इकोनोमी मुख्य रूप से पशुधन पर निर्भर करती है, उसको बचाने का हमारा पहला प्रयास होगा, और उसमें किसी तरह की कोताही हम नहीं बरतेंगे। प्रश्न यह आता है कि लोग यह कहते हैं कि राजस्थान में यह सब कुछ करेंगे। धन कहां है। where there is a will, there is a way,

अगर हमारा नेक और पक्का इरादा है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में धन की कमी नहीं आयेगी, और राजस्थान के अकाल राहत के कार्य को पूरा करेंगी। यह सही है कि सी. आर. एफ. में पैसा कम है। कुछ लोगों ने आंकड़े देख लिये कि 21 करोड़ ही बचे हैं। 21 करोड़ भी नहीं बचे, अभी तो 33 करोड़ की लेनदारी है, अभी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आने वाले दो महीनों की किश्तें हमको मिलने वाली हैं और अप्रैल महीने में जो नई किश्त हमको मिलने वाली है उसको मिलाकर हमारे पास 150 करोड़ रुपये तो होते हैं।

लेकिन राजस्थान सरकार ने पिछली बार भी सदाशयता से अपने खुद के बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया है। मैंने वित्त मंत्री जी से चर्चा की है, मैंने मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया है। इस बार का सही आकलन तो गिरदावरी रिपोर्ट आने के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन मोटे अनुमान के तौर पर राजस्थान में अकाल में पशुधन को बचाने के लिये, पीने के पानी की व्यवस्था के लिये और लोगों को राहत देने के लिये कम से कम 800 से 1000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

राजस्थान सरकार को चाहे संसाधन

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

जुटाने पड़ें, हम भारत सरकार से भी बात करेंगे। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, कहना चाहता हूं कि आपका सहयोग... (व्यवधान) दानदाताओं के पास जाने को तैयार हूं तो भारत सरकार के पास जाने में मुझे क्या हिचक है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री): इनके सहयोग की क्या जरूरत है, अपना राज आ जाएगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत: राज किसका बने, किसका नहीं बने, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो सदन के सभी माननीय सदस्यों का सहयोग लेना चाहता हूं और राजस्थान पर जो विपत्ति आई है उनके सहयोग के आधार पर उसका मुकाबला करना चाहता हूं उसके लिये सबके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। भारत सरकार को भी हम अपना मेमोरेंडम फसल की रिपोर्ट आने के बाद पेश करेंगे, जैसी भी सरकार बनेगी। अभी तो टाइम लगेगा मुझे मेमोरेंडम देने में, लेकिन हम मेमोरेंडम देकर राजस्थान की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये हम उनसे भी मांग करेंगे कि इस राष्ट्रीय विपदा में हमारा पूरा-पूरा सहयोग करें। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमें अधिक धन दें ताकि राजस्थान के इलाकों में जो परेशानी, तकलीफ पैदा हुई है, उस परेशानी से हम निपट सकें, यह कहना चाहता हूं।

कई सुझाव आये हैं कि यह-यह काम होने चाहिये। कोलायत के माननीय सदस्य चले गये, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिये। रायपुर से आने वाले सदस्य ने सुझाव दिये, कई अन्य सदस्यों ने सुझाव दिये। पिछले वर्षों में जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको ध्यान में रखते हुये अकाल राहत के कार्य चलाये जाने चाहिये। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पहले भी हमने अपनी ओर से कोई कोताही नहीं बरती। जिला स्तर पर कमेटी बनाई उसमें सब विधायक मैम्बर थे। उनकी राय से जिलाधीश को काम करने की, सैंक्शन करने की छूट दी थी।

आज कहना चाहता हूं कि हमने न तो राजनीतिक लाभ उठाया, और इस संबंध में कोई भी काम राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं किया जाएगा। सरकार उन सभी लोगों को काम देगी, जो देना चाहती है। हमारी मंशा विपदा में राजनीतिक लाभ उठाने की नहीं है।

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं राजनीति करने के लिये कोई यही जगह मिली कि गाय को लेकर राजनीति करेंगे। यह हमारा धर्म नहीं है। गाय को लेकर राजनीति करने वाली दूसरी पार्टियां हैं। (व्यवधान) गाय को लेकर राजनीति करने वाली दूसरी पार्टियां हैं, हम गाय को लेकर कोई राजनीति नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: मंत्री जी, गाय और बछड़ा दोनों गायब हो गये आपके।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत: जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गाय और बछड़ा दोनों गायब हो गये, वो थे ही आपके।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वो तो हमारे पास सुरक्षित हैं। हमारे यहां कई गायें हैं, हमने सुरक्षित रखा हुआ है। जब जरूरत होगी तब उसको काम में ले लेंगे, गाय को भी लेंगे, बछड़े को भी लेंगे। लेकिन गाय के नाम पर कोई राजनीति करना नहीं चाहते, यह मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों, हालांकि हमने यह भी फैसला किया है कि राजस्थान के जितने बांध हैं उनमें पानी की क्षमता कम है। हमने फैसला किया है कि जब तक पीने के पानी की आवश्यकता पूरी न हो जाए, तब तक पानी का उपयोग इण्डस्ट्रीज और सिंचाई के काम में नहीं किया जाए।

मुझे कहते हुए दुःख है कि राजस्थान के 28 जिलों में 2647 बांध हैं उनमें से केवल 305 बांध भरे हुए हैं बाकी खाली पड़े हैं। यह स्थिति वास्तव में सोचनीय है और इसलिए फैसला करना पड़ा कि पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस पानी का उपयोग पीने के काम में लिया जाएगा और बाद में उद्योग और सिंचाई के काम में लिया जाएगा।

(20.00 बजे)

अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, वे कह रहे थे कि सरदार समुन्द का पानी खराब हो जाता है, पीला पड़ जाता है। अगर उसके विश्लेषण करने पर यह पता लगा कि वह पानी दो महीने बाद पीने के लायक नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से हम बात करके सिंचाई के काम में लेने का प्रयत्न करेंगे। हमें उसमें आपत्ति नहीं है। होता है, रामसिंह जी जानते हैं, वे पानी के विशेषज्ञ हैं इसलिए उनकी बात के आधार पर मैं इतना ही कह सकता हूं जो लोगों ने जिक्र किया उसकी मैं बात कर रहा हूं।

इसी तरह से कई माननीय सदस्यों ने कई अमूल्य सुझाव दिये हैं। जब अभाव घोषित कर दिया जाएगा या अकाल घोषित कर दिया जाएगा तो उसके एज ए वर्क क्राइटेरिया क्या होगा, प्राथमिकता क्या होगी, कुछ लोगों ने कहा कि अधूरे कामों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मेरी इच्छा तो यह है कि पुराने और अधूरे कामों को पूरा किया है। यह प्राथमिकता है हमारी। विशेषकर जो बांध टूट गये हैं, जिनकी भराव क्षमता से हमको लाभ मिलता था, कुओं का पानी बढ़ता था तो अगर हम ऐसे बांध को प्राथमिकता से ले सकेंगे तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उस काम को करने की कोशिश करूंगा।

मेरा यह भी इरादा है, सरकार के सामने मैं इस प्रश्न को ले जाऊंगा कि राजस्थान में जितने कृषि कुए हैं जो हमारे अकालग्रस्त क्षेत्रों में हैं, उन कुओं का अगर जलस्तर गिर गया है, अगर उनकी खुदाई करने पर पानी मिल सकता है और उस पानी से थोड़ी बहुत भी हरी घास पैदा की जा सकती है तो उस कार्यक्रम को विशेष

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

प्राथमिकता देकर के हम पूरा करने का काम हाथ में लेंगे।

मैं आज के दिन तो इतना ही कह सकता हूं कि सरकार मन, वचन और कर्म से प्रतिबद्ध है इस आपदा की स्थिति का मुकाबला करने के लिए और इसकी योजना तैयार करने का फैसला सरकार ने कर लिया है। मैं सभी माननीय सदस्यों का चाहे इस पक्ष में बैठे हों, चाहे उस पक्ष में बैठे हुए हों, उनसे सहयोग लेना चाहता हूं और उनके सहयोग के आधार पर इस राजस्थान को विपदा से आप और हम सब मिल कर के उबार सकेंगे।

आपने अमूल्य सुझाव दिये उसके लिए धन्यवाद। सही आकलन आने पर मैं फिर आप सब से चर्चा करूंगा। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 25 सितम्बर, 1999 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.03 बजे शनिवार, 25 सितम्बर, 1999 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या-49 का विवरण)

परिशिष्ट-'अ'

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

निगम की सानू लाइमस्टोन परियोजना के पिछले 2 वर्षों के लाभ/हानि का विवरण निम्न प्रकार है :

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	आय	व्यय	लाभ
1.	1997–98	1833.51	1673.68(+)	159.83
2.	1998-99	1520.46	1323.89(+)	196.57

परिशिष्ट-'ब'

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड

निगम की सानू लाइमस्टोन परियोजना के पिछले 2 वर्षों के लाभ/हानि का विवरण इस प्रकार है :-

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	आय	व्यय	लाभ	हानि
1.	1997-98	1499.35	1671.60	—	172.25
2.	1998-99	1718.01	1821.42	—	103.41

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

जिला टोंक के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित सामग्री

51. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या महिला बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1 दिसम्बर, 1998 से अगस्त, 1999 तक जिला टोंक के किस-किस आंगनबाड़ी केन्द्र पर क्या-क्या सामग्री, कब-कब किसके द्वारा किसको उपलब्ध कराई गई ? सामग्री का वितरण कब-कब, किस-किस को कितना-कितना 11 सितम्बर, 1999 तक किया गया ?

उत्तर

टोंक जिले में 7 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन 846 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं । वर्तमान में सभी 7 परियोजनाओं के अधीन 831 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं । इन परियोजनाओं के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विश्व खाद्य

(महिला बाल विकास मंत्री)

कार्यक्रम से नि:शुल्क प्राप्त खाद्यान्न सामग्री 'इंडिया मिक्स' पूरक पोषाहार के रूप में उपलब्ध करवाई गयी है। राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न सामग्री के परिवहन, गुड़, नमक आदि सामग्री हेतु राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

विभाग द्वारा पूरक पोषाहार सामग्री आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत आंगन-बाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका को बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है। उनके द्वारा इस पोषाहार सामग्री का वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को प्रतिदिन उपस्थिति के आधार पर किया गया है।

6 माह से 6 वर्ष के आयु वर्ग के सामान्य बच्चों को 88 ग्राम इंडिया मिक्स प्रतिदिन, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 168 ग्राम इंडिया मिक्स प्रतिदिन तथा अतिकुपोषित 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 168 ग्राम इंडिया मिक्स प्रतिदिन की दर से उपलब्ध करवाया गया है। गुड़ एवं नमक का वितरण स्वाद अनुसार किया गया है।

(सामग्री वितरण का विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

52. **श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों व सामान्य शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? विद्यालयों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समितियों के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित नहीं हैं। विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य शिक्षकों के 25 पद रिक्त हैं। जिनकी विद्यालयवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वित्त विभाग से अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के अनुसार शेष रहे रिक्त पदों पर तृतीय श्रेणी अध्या-पकों की नियुक्ति हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 2086-दिनांक 14-9-99 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

(पंचायती राज मंत्री)

क.सं.	नाम प्राथमिक विद्यालय	छात्र संख्या	कार्यरत	रिक्त
1.	गुलाना झोपड़ी	165	3	1
2.	घाघोलाई	221	2	4
3.	गढदुब्बी	68	1	1
4.	राजाहेड़ा	67	1	1
5.	रामवास	70	1	1
6.	बाढ़ बिसनपुरा	137	2	1
7.	बांसबिवाई	275	5	2
8.	ठिकरिया	174	3	2
9.	पापाढाकी	101	2	1
10.	ढिगारिया मोम	190	4	1
11.	मऊखुर्द	105	2	1
12.	मऊखेड़ा	120	2	1
13.	बालाहेड़ा	205	4	1
14.	मोटुका	105	2	1
15.	कड़ानाडी	53	1	1
16.	कानेठी	62	1	1
17.	चमारो का बास	126	2	1
18.	टिगरिया	104	2	1
19.	गठ भेड़िया	125	2	1
20.	नारायणपुरा	137	2	1
	योग	2610	44	25

जिला नागौर में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

53. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1999-2000 के दौरान जिला नागौर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी किलो मीटर नई सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई है ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि के दौरान विधान सभा क्षेत्र डेगाना की किन-किन सड़कों की स्वीकृति अब तक जारी की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रेण-सांजू, डेगाना-खाटू और ईडवा-बग्गड़ सड़कें कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो उक्त सड़कों का अब कब तक नवीनीकरण कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 के दौरान जिला नागौर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 16 नई सड़कों (116.20 किमी. लंबाई) के निर्माण हेतु राशि 731.29 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई। तहसीलवार नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट–'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि के दौरान विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत केवल एक सड़क आकेली 'बी' से गंगादासजी की प्याऊ के निर्माण हेतु रुपये 4.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई। उक्त स्वीकृति बीएम एसपी योजना के तहत दिनांक 15-6-99 को जारी की गई।

(3) प्रश्न में वर्णित सड़कों पर स्वीकृत एवं प्रस्तावित नवीनीकरण एवं मरम्मत बाबत् विवरण निम्न प्रकार है:–

1. रेण से सांजू सड़क:-इस सड़क की कुल लम्बाई 29 किमी. है। जिसमें से 22 किमी. डामर सड़क एवं 7 किमी. ग्रेवल सड़क है। वर्ष 1999-2000 में इस सड़क पर गैरयोजना मद में 7.5 किमी. लम्बाई में लागत 13.30 लाख रुपये का नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है एवं कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार इस सड़क पर वर्ष 1999-2000 में योजना मद में 5 किमी. लम्बाई में लागत 15.50 लाख रुपये का सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है एवं पूर्ण किया जा चुका है। शेष डामर सड़क 9.5 किमी. लम्बाई में से 6 किमी. लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य प्रगति पर है एवं शेष 3.5 किमी. में साधारण मरम्मत का कार्य वर्षापरांत किया जाना प्रस्तावित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

2. डेगाना से खाटू सड़क:-इस सड़क की कुल लम्बाई 28.5 किमी. है जिसमें से 23 किमी. डामर सड़क एवं 5.5 किमी. मेटल सड़क है। इस सड़क पर वर्ष 1999-2000 में 10 किमी. लम्बाई में गैर योजना मद में नवीनीकरण का कार्य लागत 9.00 लाख रुपये के लिये स्वीकृत किया जा चुका है एवं कार्य प्रगति पर है। शेष 13 किमी. डामर सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य प्रगति पर है तथा इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस सड़क के किमी. 23/0 से 28/500 में मेटल सड़क पर डामरीकरण के लिये बी.एम.एस.पी. योजना में 24.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है।

3. डेगाना से ईडवा बरगड़ सड़क:-यह 25किमी. लम्बी डामर सड़क है। इस सड़क पर वर्ष 1998-99 में 8 किमी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष सड़क लम्बाई में ग्राम तिलानेस व ईडवा के सड़क भाग को छोड़कर साधारण मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है। उक्त दोनों ग्रामों में सड़क भाग पर जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण क्षतिग्रस्त होती रहती है एवं इस कारण साधारण मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा सका।

परिशिष्ट--'क'

वर्ष 1999-2000 के दौरान जिला नागौर में नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृत कार्यों की तहसीलवार सूची:-

क.सं.	तहसील का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लंबाई (किमी. में)	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	खींवसर	डामर सड़क निर्माण भावण्डा से धारणाबास वाया चारणा	9.0किमी.	54.00 लाख
2.	खींवसर	;; नागडी से कुडछी वाया खुण्डाला	15.0 ;;	85.00 ;;
3.	खींवसर	,, पांचलासिद्धा से ईशहुनावडा	9.0 ;;	60.00 ;;
4.	खींवसर एवं नागौर	;; मुण्डेल से चारनीसरा	10.0 ;;	60.00 ;;
5.	जायल	;; कुचेरा से सांजू सड़क	8.0 ;;	40.00 ;;
6.	नागौर	;; भलाय से कालरी सड़क	10.0 ;;	70.00 ;;

1	2	3	4	5
7.	खींवसर	डामर सड़क निर्माण पांचला से भाचीणा सड़क	10.0 किमी.	70.00 लाख
8.	जायल एवं नागौर	" रोल से मूण्डवा सड़क	14.0 "	80.00 "
9.	खींवसर	" खुण्डाला से जोधपुर सीमा तक	3.0 "	18.00 "
10.	नागौर	" सेवड़ी से पीपासर सड़क	4.0 "	16.00 "
11.	डेगाना	" सम्पर्क सड़क भाकेली 'बी' से गंगादास जी की प्याऊ	0.5 "	4.00 "
12.	मेड़ता	संपर्क सड़क रामधाम रेण	1.50 "	9.60 "
13.	मेड़ता	धनापा से खवासपुरा सड़क	5.50 "	75.00 "
14.	मेड़ता	माणकियास से भौंटिया सड़क	8.70 "	57.19 "
15.	लाडनूं	तोतरी से खामीयाद सड़क	4.00 "	12.50 "
16.	लाडनूं	लेडी से डावडी सड़क	4.00 "	20.00 "
			116.20 किमी.	731.29 लाख

जिला झुंझुनूं में दर्ज आपराधिक प्रकरण

54. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला झुंझुनूं में जनवरी, 1999 से अगस्त, 1999 तक कुल कितने-कितने मामलों (चोरी/डकैती/अपहरण/लूटपाट आदि) सम्बन्धी रिपोर्ट किस-किस थाने में दर्ज हुई तथा कितने मामलों में किस-किस थाने में क्षेत्र की वारदातों की बरामदगी हुई ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला झुंझुनूं के थाना क्षेत्रों में जनवरी, 1999 से अगस्त, 1999 तक कुल 412 चोरी, 4 डकैती, 27 अपहरण तथा 11 लूट के अभियोग दर्ज हुए। चोरी के अभियोगों में कुल 37,17,692 रुपये, डकैती के अभियोगों में कुल 9,40,000 रुपये तथा लूट के अभियोगों में कुल 19, 43,550 रुपये के माल की बरामदगी की गई। अपहरण के अभियोगों में कोई माल नहीं गया। शीर्षक एवं थानेवार सूचना परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

परिशिष्ट–'म'

क्र.सं.	नाम थाना	शिर्षक	1-1-1999 से31-8-1999 तक दर्ज अभि.	एफआर अ.वक्	एफआर अ.पता	एफआर अ.राबुत	चालान	पेंडिंग	चोरी गया माल	बरामदगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कोत.झुंझुनूं	चोरी	71	6	46	—	7	12	2647105	2199005
		डकैती	—	—	—	—	—	—	—	—
		अपहरण	4	2	—	—	—	2	—	—
		लूट	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	सदर झुंझुनूं	चोरी	20	3	14	—	3	—	172700	98000
		डकैती	1	—	—	....	1	—	270000	270000
		अपहरण	3	2	—	—	—	1	—	—
		लूट	4	—	1	—	2	1	1700000	1200000
3.	बगड़	चोरी	25	1	13	—	10	1	212450	8800
		डकैती	—	—	—	—	—	—	—	—
		अपहरण	3	—	—	—	1	2	—	—
		लूट	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	मण्डावा	चोरी	6	....	5	....	....	1	52000	....
		डकैती	....	....	....	....	....	....	....	....
		अपहरण	1	....	....	....	1	....	....	....
		लूट	1	....	1	....	....	....	42500	....
5.	मलसीसर	चोरी	15	....	12	....	1	2	....	....
		डकैती	....	....	....	....	....	....	....	....
		अपहरण	....	....	....	....	....	....	....	....
		लूट	....	....	....	....	....	....	....	....
6.	बिसाऊ	चोरी	16	4	10	....	....	2	13000	....
		डकैती	....	....	....	—	....	....	....	....
		अपहरण	....	....	....	....	....	....	....	....
		लूट	1	....	....	—	1	....	18000	18000
7.	चिड़ावा	चोरी	36	4	23	....	5	4	3837750	549000
		डकैती	1	....	....	....	1	....	400000	400000
		अपहरण	1	....	....	....	1	....	....	....
		लूट	1	....	....	....	....	1	125000	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	सूरजगढ़	चोरी	22	1	13	...	7	1	35500	23800
		डकैती	....	....	....	....	....	....	....	....
		अपहरण	1	1	....	....	....	....	....	....
		लूट	2	....	....	....	....	2	385000	375000
9.	पिलानी	चोरी	38	1	23	....	7	7	154080	30880
		डकैती	....	....	....	....	....	....	....	....
		अपहरण	3	1	....	....	1	1	....	....
		लूट	....	....	....	....	....	....	....	....
10.	खेतड़ी	चोरी	27	3	17	....	4	3	2578000	91000
		डकैती	....	....	....	....	....	....	....	....
		अपहरण	1	....	....	....	1	....	....	....
		लूट	....	....	....	....	....	....	....	....
11.	चिड़ावा	चोरी	12	2	7	....	2	1	257000	151500
		डकैती	1	....	....	....	1	....	70000	....
		अपहरण	....	....	....	....	....	....	....	....
		लूट	....	....	....	....	....	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	खेतड़ी नगर	चोरी	24	2	10	....	11	1	231769	104657
		डकैती	....	....	....	....	....	....	....	....
		अपहरण	2	....	....	....	2	....	....	....
		लूट	....	....	....	....	....	....	....	....
13.	बुहाना	चोरी	14	5	4	....	4	1	63000	36500
		डकैती	....	....	....	....	....	....	....	....
		अपहरण	1	1	....	....	....	....	....	....
		लूट	....	....	....	....	....	....	....	....
14.	नवलगढ	चोरी	48	4	22	....	15	7	708650	391550
		डकैती	....	....	....	....	....	....	....	....
		अपहरण	2	2	....	....	....	....	....	....
		लूट	1	....	....	....	1	....	550	550
15.	उदयपुरवाटी	चोरी	21	2	13	—	3	3	94700	18000
		डकैती	....	....	....	....	....	....	....	....
		अपहरण	1	—	....	....	....	1	....	....
		लूट	1	....	....	....	1	....	350000	350000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	गुढा	चोरी	17	2	12	....	2	1	147500	15000
		डकैती	1	....	....	....	....	1	340000	270000
		अपहरण	4	2	....	....	1	1	....	....
		लूट	....	....	....	....	....	....	....	....
	योग	चोरी	412	40	224	....	81	47	8885004	3717692
		डकैती	4	....	....	....	3	1	1080000	940000
		अपहरण	27	11	....	....	8	8	....	....
		लूट	11	....	2	....	5	4	2621050	1943550

फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन

55. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में फसल बीमा योजना लागू की है ? यदि हां, तो कब से तथा अब तक इस क्षेत्र में क्या प्रगति हुई ?

(2) क्या भारत सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं और राज्य सरकार ने भी इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो क्या–क्या ? उक्त आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां, "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" के लिए भारत सरकार ने दिशा–निर्देश जारी किये हैं । राज्य सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए हैं क्योंकि योजना के कुछ पहलूओं पर भारत सरकार को पुनर्विचार करने हेतु निवेदन किया गया है ।

बांगड़ चिकित्सालय पाली में जीवन रक्षक औषधियों की निःशुल्क उपलब्धता

56. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकारी अस्पतालों में कौन-कौनसी दवाइयां सरकार द्वारा मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या बांगड़ चिकित्सालय, पाली में स्वीकृत सूची में दर्शाई सारी दवाइयां उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौनसी दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं ?

(3) जीवनरक्षक फ्लूड जैसे जी डी. डब्ल्यू., जी.एन.एस., रिंजरलेक्टोन इत्यादि कितने समय से किन कारणों से उपलब्ध नहीं हैं ?

(4) क्या सरकार स्वीकृत सूची की दवाइयां उक्त चिकित्सालय में नियमित रूप से उपलब्ध कराने हेतु कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) सरकारी अस्पतालों में उपलब्धता के आधार पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली दवाइयों की सूची जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं । संलग्न है ।

(2) जी नहीं, बांगड़ चिकित्सालय, पाली में स्वीकृत सूची में दर्शायी गई जो दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(3) जीवन रक्षक फ्लूयड जी.डी.डब्ल्यू, 5%. जी.एन.एस.रिंगर लिक्टेट इन्जेक्शन

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

माह अप्रेल, 99 से उपलब्ध नहीं है। उक्त फ्लूयड सरकार द्वारा अनुमोदित फर्म मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक लिमिटेड, जयपुर को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पाली के आदेश संख्या 167 दिनांक 10-3-99 व 9 दिनांक 12-5-99 द्वारा आदेश दिये गये हैं तथा दिनांक: 20-8-99 एवं 6-9-99 को फ्लूड शीघ्र भेजने हेतु स्मरण पत्र जारी किया गया है।

(4) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सूची की दवाइयां चिकित्सालय में नियमित रूप से उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित फर्मों को आदेश दिये गये हैं। फर्मों से प्राप्त होते ही चिकित्सालय में नियमित रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी फिर भी गरीब एवं अतिगम्भीर मरीजों को राज. मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा संचालित लाईफ लाईन फ्लूयड स्टोर से क्रय कर उपलब्ध करवाई जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीमित निविदाओं के माध्यम से एक बार में 30 हजार तक व वर्ष में कुल 1.5 लाख तक दवाइयां क्रय कर मरीजों को उपलब्ध कराने को अधिकृत हैं। दवाइयों की क्रय व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के प्रस्तावों पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अवैध वाहनों की रोकथाम

57. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983-84 से 1996-97 तक वर्ष 1990-91 को छोड़ कर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लाभ में चल रही थी और उसके बाद से घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो वर्ष 1997-98 व 1998-99 में कितनी राशि का घाटा हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि अप्रेल, 1999 से जुलाई, 1999 तक प्रतिदिन औसत 14 लाख रुपये का घाटा निगम उठा रही है ? क्या इस वर्ष घाटा 60 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त घाटे का कारण राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहनों का अवैध संचालन, उनके द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करके ट्रेवलिंग एजेंसी के नाम पर स्थायी रूप से यात्रियों को टिकट विक्रय करने के लिए काफी बड़ी संख्या में अनधिकृत टिकट विक्रय केन्द्र को बन्द नहीं कराने, कांटेक्ट कैरीज एवं राष्ट्रीय परमिट का दुरुपयोग करना रहा है ?

(4) क्या सरकार निगम को लाभ में चलाने के लिये निजी वाहनों के अवैध संचालन पर रोक लगाने के लिये ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हां, तो कब से और किस प्रकार ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी नहीं । वर्ष 1983-84 से 1996-97 तक की अवधि में निगम वित्तीय वर्ष 1988–89, 1989-90 एवं 1990-91 में घाटे की स्थिति में था । वर्ष 1996-97 के बाद निगम घाटे की स्थिति में चल रहा है तथा वित्तीय वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में निगम को क्रमशः रु. 2398.61 लाख एवं रु 4516.99 लाख का (प्रोविजनल) घाटा हुआ है ।

(2) अप्रेल,1999 से जुलाई, 1999 तक निगम को प्रतिदिन औसतन रु.17.58 लाख का प्रोविजनल घाटा हुआ है। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में निगम को रु. 3685.00 लाख के अनुमानित घाटे की सम्भावना है।

(3) जी नहीं । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को हो रहे घाटे का एक मात्र कारण वाहनों का अवैध संचालन नहीं है । मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत बिना लाइसेंस प्राप्त किये यात्रियों को टिकिट विक्रय करने वाले केन्द्रों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश विभाग द्वारा समय-समय पर दिये जाते रहे हैं एवं तदनुसार कार्यवाही की जाती रही है ।

(4) यद्यपि निगम को हो रहे घाटे का एकमात्र कारण वाहनों का अवैध संचालन नहीं है तथापि वाहनों के अवैध संचालन की रोकथाम के लिए विभाग सतत् प्रयत्नशील है । विषय की गम्भीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी । इसके अतिरिक्त वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर पुलिस विभाग के साथ संयुक्त जांच अभियान चलाये जाते हैं तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बना कर इस प्रकार के अवैध संचालन पर रोक लगाने के उपाय एवं निराकरण सम्बन्धी कार्यवाही निष्पादित करेगी ।

विधान सभा क्षेत्र धोद (सीकर) के क्रमोन्नत विद्यालय

58. श्री अमराराम (धोद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विद्यालय क्रमोन्नत करने के क्या मान दण्ड हैं ? इस वर्ष क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र धोद में कितने विद्यालय क्रमोन्नत किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार अपने सीमित वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्ड के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत करती है। मानदण्ड इस प्रकार है :-

1. गांव की जनसंख्या
2. अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या
3. फीडर विद्यालय की संख्या
4. समान विद्यालयों की दूरी
5. प्रशासकीय आधार
6. क्षेत्रीय शैक्षिक आवश्यकता
7. संचालित विद्यालयों का अनुपात
8. भौगोलिक परिस्थितियां

राज्य में वर्ष 1999-2000में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र धोद में विद्यालयों को अन्य विद्यालयों के साथ उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला सिरोही में ग्राम सेवकों का पदस्थापन

59. श्री संयम लोढा (सिरोही) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही के ग्राम सेवकों के कुल कितने पद हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही किस वजह से स्थगित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में 1 दिसम्बर, 1998 को कौन–कौन ग्राम सेवक किस–किस स्थान पर कार्यरत था? उक्त स्थानों पर उक्त व्यक्ति किस तिथि को पदस्थापित किए गए थे? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में 1 दिसम्बर,1998 से 1 सितम्बर, 1999 तक कितने ग्राम सेवकों के स्थानान्तरण किए गए हैं? उक्त स्थानान्तरण कहां से कहां किए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में कितने ग्राम सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उक्त शिकायतों में से कितने मामलों में जांच चल रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में ग्राम सेवकों के कुल 99 पद स्वीकृत हैं 44 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया नीतिगत निर्णय के तहत स्थगित की गई है।

(2) सिरोही जिले में 1 दिसम्बर, 1998 को कार्यरत ग्राम सेवक, पदस्थापन स्थान तथा वर्तमान स्थान पर पदस्थापन दिनांक का विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) सिरोही जिले में 1 दिसम्बर, 1998 से 1 सितम्बर, 1999 तक ग्राम सेवकों के किये गये स्थानान्तरणों का विवरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) सिरोही जिले के 18 ग्राम सेवकों के विरुद्ध अनियमितता सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई थी। जिनमें से वर्तमान में पांच मामलों में जांच विचाराधीन है। जांच प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'स' के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया है।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

खाचरियावास-जीणमाता (सीकर) सड़क निर्माण

60. श्री नारायण सिंह (दातारामगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खाचरियावास से जीणमाता तक सड़क स्वीकृत है? यदि हां, तो इस सड़क को पूर्ण नहीं करवाने के क्या कारण हैं?

(2) जिला सीकर में इस वर्ष में नई सड़कें कौन-कौनसी स्वीकृत हुई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कितने पंचायत मुख्यालय तथा कितने ग्राम एक हजार की जनसंख्या वाले हैं जिन्हें सड़कों से नहीं जोड़ा गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, ग्राम खाचरियावास से जीणमाता तक सड़क निर्माण हेतु वर्तमान में कोई स्वीकृति नहीं है। वर्ष 1996 में नाबार्ड (आई.आर डी.एफ-II) योजना में रुपये 93.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति से 10.5 किमी. लम्बी डामर सड़क का निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 1998 में पूर्ण कर दिया गया था। शेष 22.00 किमी. लम्बाई में सड़क निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(2) जिला सीकर में इस वर्ष (1999-2000) तीन नई सड़कें (13.00 किमी. लम्बी) लागत रुपये 86.00 लाख धन राशि की स्वीकृत हुई हैं। स्वीकृत नई सड़कों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) उक्त जिले में 6 पंचायत मुख्यालय तथा 72 ग्राम 1991 की जनगणना के आधार पर एक हजार से अधिक आबादी की जनसंख्या वाले ऐसे ग्राम हैं, जिन्हें सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। सड़कों से बिना जुड़े उक्त पंचायत मुख्यालयों एवं 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की सूची क्रमशः परिशिष्ट 'ब' व 'स' में संलग्न है।

परिशिष्ट–'ञ'

जिला सीकर में इस वर्ष (1999-2000) में स्वीकृत नई सड़कों की सूची:–

क्र.सं.	सड़क का नाम	संदर्भ (स्वीकृति)	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत राशि
1.	सम्पर्क सड़क जालेऊ (जोब नं. 533/5054/बी. एम.एस.पी/प्लान/1999-2000)	नं.एफ 2(51)पी.डब्ल्यू./ए.एस डी.359 दिनांक 15-6-99	5.00 कि.मी.	30.00 लाख
2.	रायपुर पाटन से काचरड़ा (जोब नं. 534/5054/बी.एम. एस.पी./प्लान/1999-2000)	"	4.00 कि.मी.	24.00 लाख
3.	सम्पर्क सड़क सुरानी (जोब नं. 535/5054/बी.एम. एस.पी./प्लान/1999-2000)	"	4.00 कि.मी.	32.00 लाख
		योग	13.00 कि.मी.	86.00 लाख

परिशिष्ट–'ब'

सीकर जिले में सड़क से नहीं जुड़े हुए पंचायत मुख्यालयों की सूची :–

क्र सं.	नाम पंचायत मुख्यालय
1.	पूरणपुरा
2.	हीरना
3.	बाटड़ा नाऊ
4.	राजपुरा
5.	बहूर का बास
6.	गजबपुरा

परिशिष्ट—'स'

सीकर जिले में सड़क से नहीं जुड़े हुए वर्ष 1991 की जनगणनानुसार एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों की सूची :-

क्र.सं.	गांव का नाम	जनसंख्या (1991)	क्र.सं.	गांव का नाम	जनसंख्या (1991)
1	2	3	1	2	3
1.	ठेडी	1779	6.	रोरू बड़ी	2040
2.	चाचीवाद बड़ा	1538	7.	खीरवा	2118
3.	हिरना	1808	8.	थालसर	1803
4.	भगासरा	1909	9.	पुरा छोटी	1738
5.	बाटड़ा नाऊ	1650	10.	ढाणी ताखरान	1080

1	2	3	1	2	3
11.	आचास	1507	37.	सुजानपुरा	1285
12.	कुरबड़ा	2061	38.	परडोली बड़ी	1256
13.	भेपतपुरा	1770	39.	पूरणपुरा	1231
14.	धगालपुरा	2626	40.	जस्सूपुरा	1114
15.	मानगढ़	2011	41.	मुकन्दपुरा	1078
16.	गोदावाला	1680	42.	रूपवास	1319
17.	हमीरपुरा	1675	43.	छापर	1607
18.	सुरानी	1527	44.	गस्सी का बास	1280
19.	गोरधनपुरा	1742	45.	राणसर	1249
20.	मदनी	1711	46.	मोहनपुरा	1186
21.	राजपुरा	1388	47.	लाखा की नागल	1047
22.	जलालसुर	1370	48.	जाटावास	1043
23.	माण्डेला छोटा	1306	49.	खुर्रमपुरा	1448
24.	हैतमसर	1262	50.	धीरजपुरा	1430
25.	दाडूंदा	1238	51.	कोलवा	1146
26.	जालेऊ	1189	52.	भवानीपुरा	1107
27.	रेणु	1047	53.	फतेहपुरा(भमियां)	1487
28.	मरडाटू बड़ी	1033	54.	शहपुरा	1483
29.	मरडाटू छोटी	1000	55.	सोथलियां	1419
30.	डालमास	1437	56.	ज्यानपुरा	1390
31.	दीनवा जाटान	1271	57.	खेड़ी (चारनाण)	1258
32.	भोजासर छोटा	1169	58.	हमीपुरा खुर्द	1150
33.	खातीपुरा	1113	59.	लाड़पुरा	1156
34.	सेवदड़ा	1061	60.	गोरिया	1020
35.	माण्डोली	1354	61.	मियां की ढाणी	1358
36.	ताजसर(खोजकोलियान)	1320	62.	ढाणी चेतनदास	1321

1	2	3	1	2	3
63.	नांगल	1301	68.	माजीपुरा	1131
64.	लखनपुरा	1179	69.	बुवाना	1122
65.	जिलों की ढाणी	1424	70.	सामेर	1109
66.	चैनपुरा	1424	71.	फिरपुरा	1058
67.	मूरड़ों का बास	1242	72.	सांवलपुरा	1033

आपराधिक प्रकरणों में वृद्धि की रोकथाम

61. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में 1998 की अपेक्षा अपराधों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1999 में विधायकों के साथ मारपीट तथा बन्धक बनाने की घटनाएं हुई हैं ? यदि हां, तो किस-किस के साथ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। श्री निर्भय लाल विधायक रूपवास, श्रीमती शांति पहाड़िया विधायिका वैर एवं सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत विधायिका खानपुर के साथ घटनाएं हुई हैं।

परिशिष्ट-'घ'

राज्य में वर्ष 1998 एवं 1999 (माह जनवरी से अगस्त) तक भा.द.सं. के अन्तर्गत दर्ज अभियोगों की तुलनात्मक स्थिति

क्र.सं.	शीर्षक	जनवरी, 1998 से	अगस्त, 1999	कमी/वृद्धि	प्रतिशत
1.	डकैती	115	79	-36	-31.30
2.	लूट	954	875	-79	-8.28
3.	हत्या	1016	1030	+14	+1.37
4.	बलात्कार	909	857	-52	-5.72
5.	बलवा	14705	11307	-3398	-23.10
6.	नकबजनी	6460	6338	-122	-1.88
7.	चोरी	12250	12259	+9	+0.07
8.	अन्य भादस	78262	82491	+4229	+5.40
	योग भादस	114671	115236	+565	+0.49

काश्तकारों को खाद एवं बीज की उपलब्धता

62. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में यूरिया व डी.ए.पी. खाद की कितनी आवश्यकता है ?

(2) काश्तकारों को दोनों फसलों में खाद एवं बीज की कितनी-कितनी आवश्यकता है ? उसकी पूर्ति के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में यूरिया की 11 लाख मै. टन तथा डीएपी की 4.10 लाख मै. टन की आवश्यकता है ।

(2) काश्तकारों को दोनों फसलों हेतु खाद की 18.73 लाख मै. टन तथा प्रमाणित व उन्नत बीज की 4.07 लाख क्विंटल की आवश्यकता है । खादों की आपूर्ति के लिए जिलों की आवश्यकता अनुसार निर्माताओं को आपूर्ति करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है तथा बीजों की आपूर्ति हेतु राज. राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम तथा निजि उत्पादकों से सुनिश्चित कर ली गई है । खाद एवं बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जिला संभाग एवं राज्य स्तर पर साप्ताहिक/मासिक समीक्षा की जा रही है ।

जिला श्री गंगानगर में खाद्य पदार्थों की मिलावट की रोकथाम

63. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर में खाद्य पदार्थ निरीक्षकों की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट का धन्धा चल रहा है ? क्या सरकार इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या खाद्य पदार्थ निरीक्षक उपभोक्ताओं की शिकायतों पर खाद्य पदार्थ के नमूने नहीं लेते और अपनी मर्जी से विक्रेताओं के यहां जाकर उसी वस्तु के नमूने लेते हैं जिसमें मिलावट नहीं होती है ? क्या सरकार इसको गम्भीरता से लेते हुए अंकुश लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं, राज्य सरकार खाद्य पदार्थों की मिलावट करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु पी.एफ.एक्ट के अन्तर्गत प्रभावशाली कार्यवाही कर रही है ।

(2) जी नहीं, शेष प्रश्न पैदा नहीं होता ।

जिला नागौर के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

64. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष जिला नागौर में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कब की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । इस वर्ष नागौर जिले में 14 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में एवं 07 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यलय में क्रमोन्नत किया गया है । क्रमोन्नति आदेशों का विवरण परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) उक्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

परिशिष्ट–'क'

प्रश्न के भाग-1 की सूची (नागौर जिले में विभिन्न आदेशों से क्रमोन्नत विद्यालय)

क्र.सं.	क्रमोन्नत विद्यालय का नाम मय पंचायत समिति क्षेत्र	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची:-	
1.	बिदियाद (परबतसर)	प.4(3) शिक्षा-1/98 दि.1-7-99
2.	बालिक-जसवन्तगढ़ (लाडनूं)	,, ,,
3.	ऊंटवालिया (नागौर)	,, 7-7-99

1	2	3	
4.	बालिका रियांबड़ी	प.4(3) शिक्षा-1/98	दि.7-7-99
5.	कोलिया (डीडवाना)	"	9-7-99
6.	बालिका-जायल	"	"
7.	बासनी, बहुलिया(नागौर)	"	"

उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची

1.	बालिया (डीडवाना)	प.13(2) शिक्षा-1/99	दि.1-7-99
2.	मण्डूकरा (डीडवाना)	"	"
3.	छाजोली (जायल)	"	"
4.	नागरी (मूंडवा)	"	"
5.	उचावड़ा (जायल)	"	7-7-99
6.	कालड़ी (नागौर)	"	"
7.	रोहिसा	"	"
8.	लाम्बाजाटान (मेड़ता)	"	"
9.	जँजीला (परबतसर)	"	"
10.	बाजोली (मकराना)	"	"
11.	हुड़ास (लाडनूं)	"	"
12.	सीलनबाद	"	"
13.	जाडीसरा (नागौर)	"	9-7-99
14.	कड़लू (मूण्डवा)	"	"

पंचायत समिति रायपुर (पाली) की पंचायतों का पुनर्गठन

65. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने ग्राम पंचायतों के जिला/राज्य स्तर पर पुनर्गठन के लिए अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों की समितियां गठित की हैं ? उक्त समितियों में किन-किन को सदस्य रखा गया है ? इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना/विज्ञप्ति या आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) नई ग्राम पंचायतें गठित करने का मानदण्ड क्या है? उक्त मानदंडों के आधार पर राज्य की किस-किस पंचायत समिति में नई ग्राम पंचायतें सृजित की जा रही हैं? अब सरकार कब तक नई ग्राम-पंचायतें सृजित करने जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार के निर्देशों के विपरीत पंचायत समिति रायपुर के विकास अधिकारी द्वारा गलत प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन को भेजे गये ? क्या उसके प्रस्तावों के विरुद्ध अनेक शिकायती-पत्र सभी सक्षम अधिकारियों/सरकार को दिये गये ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) सन् 1991 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की जनसंख्या सामान्यतय: 3000 तक की होनी चाहिए, परंतु एकल गांव की पंचायत जिस में ढाणियां आदि सम्मिलित नहीं हो की जनसंख्या 3000 से अधिक भी हो सकती है मरुस्थलीय और पहाडी इलाकों में 1000 की जनसंख्या पर भी ग्राम पंचायतें प्रस्तावित की जा सकती हैं । पंचायत के किसी भी गांव की दूरी पंचायत मुख्यालय से सामान्यत: 5 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए । भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह सीमा 10 कि. मी. तक बढ़ाई जा सकती है । पटवार सर्किलों की सीमाओं को ग्राम पंचायतों की सीमाओं में समाविष्ट होना चाहिए, आदि

नई ग्राम पंचायतों के सृजन का कार्य राज्य सरकार द्वारा फिलहाल स्थगित रखा है ।

(3) जिलों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा नहीं की गई है ।

विधान सभा क्षेत्र डीग के क्रमोन्नत विद्यालय

66. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वर्ष 1999-2000 में डीग क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कितने और नहीं, तो क्यों ?

(2) राज्य में शारीरिक शिक्षक ग्रेड-

(श्री अरुण सिंह)

3 के कुल कितने नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार इनको भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इस वर्ष शारीरिक शिक्षक ग्रेड-3 के पदों को भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में डीग क्षेत्र के विद्यालयों को अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(2) राज्य में लगभग 3128 तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं, एवं 79 पद रिक्त हैं।

(3) तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक के रिक्त पदों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध हटने पर ही इन पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-90 की सूची)

परिशिष्ट--'ध'

क्र.सं.	अनुज्ञापत्र धारी	खनिज	क्षेत्र	क्षेत्रफल	स्वीकृति दिनांक	खनन पट्टा प्रभावी दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री माणकचन्द नवाड़ा	ला.स्टोन	कानूजा	5 हैक्टर	23-3-93	12-4-99
2.	" कमला चौहान	"	"	5 हैक्टर	23-3-93	12-4-99
3.	" धरतीपुत्र माईन्स प्रो. संगीता शर्मा	"	खंगारखेत	5 हैक्टर	28-4-95	6-10-95
4.	" हीरामणी शर्मा	"	भैरूं का बाड़िया	5 हैक्टर	26-8-95	9-11-95
5.	" धर्मेन्द्र शर्मा	"	खंगारखेत	5 हैक्टर	27-3-95	13-6-95

1	2	3	4	5	6	7
6.	श्री महावीर सर्राफ	ला. स्टोन	भैरू का बाड़िया	5 हैक्टर	24-8-95	15-1-96
7.	;; प्रमिता शर्मा	;;	;;	5 हैक्टर	24-8-95	15-1-96
8.	;; अशोक चौधरी	;;	;;	5 हैक्टर	5-9-95	1-5-96
9.	;; सीमेन्ट लि.	मारबल	;;	2 हैक्टर	2-3-83	14-9-83 एवं नवीनीकरण 14-9-93 से
10.	;;	;;	;;	2.5 हैक्टर	2-3-83	14-9-83 एवं नवीनीकरण 14-9-93 से
11.	;; किशन सिंह खारिया	;;	;;	1 हैक्टर	19-9-84	6-4-85 एवं नवीनीकरण 6-4-95 से
12.	;; चेतन मल माहटा	;;	;;	1 हैक्टर	10-1-89	3-6-95
13.	;; गुमानाराम	;;	;;	1 हैक्टर	10-1-89	11-9-89

1	2	3	4	5	6	7
14.	श्री नारायण सिंह	मारबल	मेरू का बाड़िया	1 हैक्टर	11-10-88 एवं संशोधन आदेश 16-4-99 एवं 20-8-99	संविदा पंजीयन होना शेष है।
15.	;; रतन लाल छोगाजी	;;	;;	1 हैक्टर	5-9-86	27-9-86 एवं प्रथम नवीनीकरण विचाराधीन है।

ह०
सहायक खनि. अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी, जिला-पाली (राज.)

परिशिष्ट—'ब'

क्र.सं.	नाम आवेदक	खनिज	क्षेत्र	क्षेत्रफल	खसरा नम्बर की जानकारी
1	2	3	4	5	6
1.	कु. वीणा माथुर	ला. स्टोन	खंगारखेत	5 हैक्टर	ख.नं. 1115गै.मु. भाखर में पड़ता है ।
2.	श्री इस्लाम	"	"	"	ख.नं. 1115(लवाचा) तथा 503(दीपावास) भाखर में पड़ता है ।
3.	"	"	"	"	एजन
4.	" संतोषसिंह	"	मँरू का	"	ख.नं. 1319 गै.मु. पहाड़ में पड़ता है।
5.	"	"	बाड़िया	"	ख.नं. 1, 2 व 4 गै.मु. भाकर कानूजा तथा ख.नं. 359 मालनी में है ।
6.	" नारायण सिंह	"	कासियां शिला	"	ख.न. 1319 गै.मु. पहाड़ है ।
7.	" कानसिंह	"	मँरू का बाड़िया	"	ख.नं. 1, 2, व 4 गै.मु. पहाड़ कानूजा तथा ख.नं.359 मालनी में है ।

1	2	3	4	5	6
8.	श्री सूरजमल	ला. स्टोन	कासियां शिला	5 हैक्टर	ख.नं. 1319 गै.मु. पहाड़ है ।
9.	श्रीमती इन्द्रा राजावत	,,	भैरू का बाड़िया	,,	ख.नं. 1319 गै.मु. पहाड़ है ।
10.	श्री सुनिल कुमार	,,	,,	,,	एजन
11.	,,	,,	बाड़िया काया	,,	ख.नं. 1 गै.मु. पहाड़ है ।
12.	,, प्रतापसिंह	,,	भैरू का बाड़िया	,,	आवेदक को खसरा जानकारी देने हेतु लिखा गया है ।
13.	,,	,,	,,	,,	एजन
14.	,, भगवानसिंह	,,	खंगारखोत	,,	आवेदक को पत्र दि. 17-9-99 से खसरा की जानकारी हेतु लिखा गया ।
15.	एजन	,,	,,	,,	एजन
16.	,, गौतम भण्डारी	,,	,,	,,	एजन

1	2	3	4	5	6
17.	श्री घेवरराम	ला. स्टोन	कांसियां	5 हैक्टर	आवेदक को पत्र दिनांक 17-9-99 से खसरा की जानकारी हेतु लिखा गया।
18.	,,	,,	कांसियां	,,	एजन
19.	श्रीमती इन्द्रा राजावत	,,	मैरू का बाड़िया	,,	एजन
20.	,,	,,	,,	,,	एजन

ह०
सहायक खनि. अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सोजत सिटी, जिला-पाली (राज.)

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-93 का विवरण)

परिशिष्ट-'क'

क्र.सं.	एम.एल./ पी.एल.नं.	नाम आवेदक	आवेदित तिथि	खनिज	आवेदन पत्र हुई कार्यवाही व वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	4/94	श्री संजीवकुमार कट्टा	8-2-94	क्वार्टज, फेल्सपार	यह आवेदन पत्र शासन के आदेश दि.24-10-94 से स्वीकृत हुआ एवं स्वीकृति आदेश को शासनादेश दि.22-7-96 से रिवोक किया गया। आवेदक द्वारा इसके विरुद्ध भारत सरकार में रिवीजन कर स्थगनादेश दि. 2-2-98 प्राप्त कर रखा है।
2.	6/85	श्री नेमीचन्द जाठ	21-1-85	चेजा पत्थर	यह आवेदन पत्र खनि अभियन्ता, जयपुर के आदेश दि.7-2-85 से स्वीकृत हुआ, जिसका

1	2	3	4	5	6
					संविदा निष्पादन होकर दि.12-3-85 को पंजियन हुआ । इस खनन पट्टा का नवीनीकरण होकर 12-3-95 से बीस वर्ष हेतु प्रभावशील है ।
3.	560/97	श्रीमती रजनी कट्टा	22-7-97	चेजा पत्थर	इस ग्रावेदित क्षेत्र पर पूर्व में श्री छोटेलाल मीणा एम.एल.292/96 का ग्रावेदन पत्र प्राप्त हुआ था । जो कार्यालय ग्रादेश दि. 27-1-98 से ग्रस्वीकृत किया गया जिसके विरुद्ध श्री मीणा द्वारा न्यायालय उप शासन सचिव, जयपुर में रिवीजन प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन है । ग्रतः श्रीमती कट्टा का ग्रावेदन पत्र इस कारण से लम्बित है ।
4.	561/97	कुमारी पूजा खण्डेलवाल	22-7-97	चेजा पत्थर	ग्रावेदन पत्र में पाई कमियों की पूर्ति करा बाद स्कूटनी वन सीमा की पुष्टि प्राप्ति हेतु

1	2	3	4	5	6
					लिखा गया। अब आवेदन पत्र दि.22-9-99 को पूर्व सीमांकन/खसरा सुपरइम्पोजिशन सर्वे हेतु लम्बित है।
5.	662/97	श्री ओमप्रकाश	22-7-97	चेजा पत्थर	एजन
6.	7/98	श्री राजेन्द्र कुमावत	17-1-98	"	आवेदन पत्र में पायी गयी कमियों की पूर्ति करा; वन सीमा की पुष्टि प्राप्त की गयी एवं आवेदित क्षेत्र का पुनःसीमांकन/खसरा सुपर इम्पोजिशन जांच हेतु दि.22-9-99 नियत है।
7.	46/98	श्री मोहनलाल कुमावत	12-2-98	"	एजन
8.	174/98	श्री हिमांशु माथुर	8-9-98	"	आवेदन पत्र में पायी गयी कमियों की पूर्ति करायी गयी, आवेदित क्षेत्र पूर्व आवेदित क्षेत्रों से विरोधक होने से पूर्व आवेदित आवे-

1	2	3.	4	5	6
					इन पत्रों का निस्तारण नहीं होने से लम्बित रखा गया।
9.	98/99	श्री रमेशचन्द कटारा	27–3–99	चेजा पत्थर	प्रावेदक को कमि पूर्ति हेतु लिखा गया मानचित्रकार द्वारा बाद स्क्रूटनी उपलब्ध क्षेत्र निर्धारण साइज से कम बताया गया तथा पार्टी को संशोधित नक्शे प्रस्तुत करने हेतु दि. 18-9-99 से लिखा गया।
10.	99/99	डा. मुक्ता प्रसाद	27-3-99	,,	प्रावेदक द्वारा प्रावेदन पत्र में पायी गयी कमियों की पूर्ति हेतु लिखा गया, मय क्षेत्र के पूर्व सीमांकन एवं खसरा सुपर इम्पोजिशन की कार्यवाही की जा रही है।

ह०

परिशिष्ट—'ख'

क्र.सं.	नाम शिकायतकर्ता	शिकायत दिनांक	कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1.	श्री संजीव कुमार कट्टा	15-3-99	शिकायत गलत पायी गयी । शिकायत अंकित श्री कुमावत आदि को कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया । क्षेत्र में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का पूर्व सीमांकन व खसरा सत्यापन हेतु दि. 22–9–99 तिथि नियत की गई है ।
2.	श्री संजीव कुमार कट्टा	27-3-99	उक्त शिकायत की जांच हेतु श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर क्षेत्र, जयपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सभी क्षेत्रों के पूर्व सीमांकन खसरा सुपर इम्पोजिशन एवं सेम स्लोप की जांच हेतु दिनांक 26-7-99 नियत थी । जो वर्षा के कारण न होने से अब दिनांक 22-9-99 नियत की गई है ।

परिशिष्ट–'ग'

क्र.सं.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत प्राप्ति की तिथि	अवैध खनन क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1.	श्री विष्णु किशोर कट्टा अध्यक्ष, राजस्थान खनिज उद्योग संघ	29-5-99	हरडी, हरध्यानपुरा, कुथाडा व घाटा
2.	समाचार पत्र, दैनिक करंट, ज्वाला में प्रकाशित न्यूज	9-3-99	हरडी, बांसखो, बैनाडा
3.	मन्ना लाल मीणा	1-2-99	भोजपुरा, बैनाडा
4.	संजीव कुमार कट्टा	2-1-99	भोजपुरा तहसील बस्सी

परिशिष्ट-'घ'

प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

1. दिनांक 2-9-97 को सहायक खनि अभियन्ता, जयपुर, सर्वेयर श्री मदन मोहन शर्मा खनि अभियन्ता, जयपुर के आदेशानुसार बिहारीपुरा क्षेत्र, तहसील बस्सी में अवैध खनन की जांच की गई मौके पर अवैध खनन बन्द पाया। गांव वालों से पूछा गया तो बताया कि कभी-कभी गांव वाले ही अपने स्वयं के मकान बनाने हेतु करते हैं। गांव वालों को पाबन्द किया गया कि बिना खनिज विभाग की अनुमति के खनन कार्य न करें।

2. तहसीलदार बस्सी ने दिनांक 23-9-97 से उपखण्ड अधिकारी जयपुर पूर्व को अवगत कराया है कि मौका जांच करने पर शिकायत पक्ष में अंकित तथ्य असत्य एवं आधारहीन पाये गये।

3. जिला कलेक्टर जयपुर ने खनि अभियन्ता, जयपुर को अपने पत्र क्रमांक राजस्व/मूल/खनन/12093 दिनांक 22-12-97 से उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार शिकायत को निराधार बताया है।

4. दिनांक 22-5-99 को खनि अभियन्ता, सहायक खनि अभियन्ता, तकनीकी कर्मचारी मय पुलिस फोर्स, तहसीलदार बस्सी के साथ चैकिंग दल सहित घाटा, हरड़ी में अचानक अवैध खनन चेजा पत्थर का बन्द करने हेतु सघन चैकिंग की गई जिसमें खनिज मय ट्रक को व 72 नग औजार (सब्बल, कुमरे, फावड़े, तगारी आदि) जब्त किये गये व भरे हुए ट्रक को जिसमें खनिज चेजा पत्थर था को थाना कानोता की सुपुर्दगी में दिया गया। वर्ष 97-98 में अवैध खनन की चैकिंग के समय 23 वाहनों से रुपये 11,040/- अक्षरे रुपये ग्यारह हजार चालीस मात्र वसूल किये व 2 वाहन जब्त कर थाना बस्सी में एफ. आई. आर. दर्ज करायी गयी।

5. दिनांक 19-8-99 को खनि अभियन्ता, जयपुर द्वारा श्री संजीव कट्टा को

शिकायत दिनांक 18-8-99 पर एम.एल. 9/90 मोजपुरा में अवैध खनन रुकवाने एवं आवश्यक कार्यवाही करने बाबत थानाधिकारी बस्सी को पत्र लिखा एवं प्रति पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण तथा श्री संजीव कट्टा को दी गई।

6. निदेशालय द्वारा हुरडो (घाटा) में डेलीनेशन करके प्लाट आवंटन करने के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये हैं इसके आधार पर डेलिनेशन की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट—'ङ'

क्र.सं.	नाम अवैध खननकर्ता व दिनांक पंचनामा	राशि जो वसूल करनी थी	कुर्की आदेश जारी करने की तिथि	वसूली हेतु किये गये प्रयास
1	2	3	4	5
1.	श्री रमेश बैरवा, निवासी-घाटा, दिनांक 2-11-94	24,000/–	23-7-98 एवं 30-8-99	राशि जमा कराने हेतु बाकीदार को पत्र दिनांक 20–6–96 को लिखा गया। राशि जमा न कराने के कारण भू-राजस्व अधिनियम में वसूली करने हेतु मांग पत्र जारी किया तत्पश्चात भू-राजस्व अधि-नियम के तहत बाकीदारों को उप-स्थित होने के आदेश जारी किये गये एवं बकाया जमा न कराने के कारण उनकी चल अचल सम्पत्ति को कुर्क करने हेतु कुर्की वरन्ट जारी

1	2	3	4	5
				किये गये । फील्ड स्टाफ द्वारा सम्पत्ति का पता लगाने व कुर्की करने की कार्यवाही की जा रही है।
2.	श्री रामनाथ बैरवा, निवासी घाटा, दिनांक 2-11-94	24,000/-	22-9-98 एवं 30-8-99	एजन
3.	श्री रामू बैरवा, निवासी भोजपुरा, दि. 2-11-94	24,000/-	18-9-99	एजन

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या–96 का विवरण)

क्र.सं.	ओषधि एवं अन्य सामग्री का नाम	वर्ष 1996-97 में वितरित	वर्ष 1997-98 में वितरित	वर्ष 1998-99 में वितरित	31-3-99 को शेष
1	2	3	4	5	6
1.	टेब. बी काम्पलेक्स	1,01,000	80,000	....	....
2.	;; पैरासिटामोल	33,000	1,03,700	1,04,300	84,000
3.	;; डी.एच.क्यू	34,000	....	....	....
4.	;; एस्प्रीन	98,000	81,000	72,000	55,000
5.	;; सी.पी.एम.	81,000	52,000	49,200	800
6.	;; रेनिटिडिन	4000	16,000	10,000	शून्य
7.	;; सी.टी.एम.	96,000	92,000	61,000	1,09,000

1	2	3	4	5	6
8.	कैप.ट्रेट्रासाईक्लीन	31,000	37,000	44,000	50,000
9.	,, एम्पीसिलिन	29,000	49,500	53,000	24,500
10.	,, एमोक्सोसिलिन	शून्य	5300	4700	शून्य
11.	टेब.डाईक्लोमिन	32,000	17,000	शून्य	,,
12.	,, क्लोरोक्वीन	10,000	10,000	शून्य	10,000
13.	,, डाईजोपाम	18,000	8,000	21,000	19,000
14.	,, फिनाबारबिटोन	28,000	20,000	24,000	4,000
15.	,, पायरन	शून्य	24,000	37,000	19,000
16.	,, मैटामाईज	25,000	20,000	15,000	15,000
17.	,, सैलूबूटामोल	20,000	15,400	17,600	17,000
18.	,, मैट्रोनिडाजोल	14,000	24,000	42,000	36,000

1	2	3	4	5	6
19.	सिरप कोट्रामैक्साजोल	316 बोतल	200	100	100 बोतल
20.	सिरप पैरासिटामोल	157	50	100	100 बोतल
21.	सलफासिटामाईड ड्राप	1171	400	922	शून्य
22.	क्लोरोफेनीकोल ड्राप	1300	700	700	शून्य
23.	बेंजील बेंजोएट	—	150	150	100
24.	टेब. फूसामाईड	....	2500	2600	5400
25.	,, पैराजिनेमाईड	....	2000	1500	500
26.	,, इथमबुटोल	....	2000	—	....
27.	,, आइसोनाईजड	....	3000	1000	....
28.	,, रिफैम्पसीन	....	300	1700	....
29.	,, इबूप्रोफेन	....	....	36500	13500

1	2	3	4	5	6
30.	इन्जे.एंग्री स्नेक	10	....	....	....
31.	;; डिस्टील वाटर	....	5800	3800	400
32.	इंजे. मेत्रीटोल	74	212	170	30
33.	;; पेंटोथल	450	....	200	....
34.	;; कैटामीन	110	200	....	....
35.	,, एटोपीन	805	4050	1170	1800
36.	;; डेक्सोना	570	4921	4734	1395
37.	;; निकेथामाइड	170	60	480	20
38.	;; डोपामिन	525	620	756	749
39.	;; पी. पी. एफ.	6600	3050	7100	700
40.	;; हिमैक्सील	15	20	24	8 बोतल

1	2	3	4	5	6
41.	इंजे.लासिक्स	970	655	1175	330
42.	,, सोडाबाइकार	105	1372	625	1503
43.	,, पैनारगन	1370	310	2500	25
44.	,, फोरविन	2314	2440	1700	900
45.	,, डाईक्लोमिन	380	320	890	1060
46.	,, मैथारजिन	980	500	500	500
47.	,, सिटोसिन	1480	2250	1000	....
48.	,, डाइजिपाम	2275	975	4260	3690
49.	,, सो. पैनासिलिन	9500	10150	7150	1200
50.	,, क्लोरामाईस्टीन	34	425	800	125

1	2	3	4	5	6
51.	इ जे.डी.एन.एस	299	2714	2103	84
52.	,, रिंगर लैक्टेड	2997	3512	3656	258
53.	,, जैसोकेन 2 प्रतिशत	240	734	43	13
54.	,, स्टेप्टोपेंतासिलिन	4910	....	....	....
55.	,, जैंटामाईसिन	275	12500	8612	4788
56.	,, डी.डी.डब्ल्यू	12742	11356	16850	2614
57.	,, डिक्लो सोडियम	2600	4140	3920	3440
58.	,, एम्पीसोलिन	12982	12006	12950	3800
59.	,, मैट्रोनिडाजोल	1144	940	3417	1035
60.	,, पैरासिटामोल	600	1000	550	....
61.	,, एविल	1460	870	280	....

1	2	3	4	5	6
62.	इं.जे. मेटोमाईड	1650	800	1400	1200
63.	;; हाइड्रोकोर्टोसोन	200	55	265	15
64.	,, अमिनोफाईलिन	605	916	700	779
65.	;; सोडियम क्लोराईड	....	596	12382	22
66.	;; डेक्सट्रोज 25 प्रति.	....	336	788	876
67.	;; एड्रनेलिन	185	400	582	18
68.	;; स्टेपटोमाईसिन	...	400	1350	2500
69.	,, क्लोरोक्वीन	....	....	800	200
70.	;; स्प्रीट	410 ली.	361 ली.	405 ली.	633 लीटर
71.	आक्सी. सिलेण्डर	770 सिले.	548सिले.	527सिले.	116 सिलेण्डर
72.	नाइट्रस आक्साइड सिले.	66सिलेण्डर	86सिले.	70 सिले.	शून्य
73.	हैलोथिन	....	20 बोतल	25 बोतल	शून्य

1	2	3	4	5	6
	अन्य सामग्री				
1.	कॉटन	2077 पैकेट	2152 पैकेट	2008 पैकेट	1114 पैकेट
2.	गाज थान	1513	1787	1577 थान	819 थान
3.	बैन्डेज 6 ;;	1666 दर्जन	1533 दर्जन	1501 दर्जन	500 दर्जन
4.	बैन्डेज 4 ;;	1230	1411 ;;	1636 ;;	553 ;;
5.	एडेसिव टेप 10 सेमी.	766 रोल	737 रोल	937 रोल	611 रोल
6.	बेडसीट	488	....	....	225
7.	कम्बल	45	7	13	86
8.	तौलिया	99	22	41	83
9.	ग्रीन खादी	1000 मी.	970 मी.	1000 मी.	....

1	2	3	4	5	6
10.	डस्टर	327	90	334	145
11.	गद्दे	26	12	47	57
12.	साबुन बार	143 किग्रा.	146 किग्रा.	70 कि.	214कि.
13.	साबुन कुटीर	4766	5821	1519	3194
14.	सोडा	474किग्रा.	346 किग्रा.	146 किग्रा.	103किग्रा.
15.	नील	14 कि.	15 ,,	6 ,,	3 ,,
16.	सल्फुरिक एसिड	17 बोतल	6 बोतल	5 बोतल	30 बोतल
17.	फिनाईल	....	190 लीटर	290 लीटर	100 लीटर
18.	प्लास्टर आफ पैरिस	2000 किग्रा.	....	1375 किग्रा.	शून्य
19.	डिस्पाजेबिल सिरिंज	11950	31000	12920	5580
20.	ग्लाव्ज	3125	3472	4150	1475
21.	डिटगेट	119 बोक्स	115 बोक्स	117 बोक्स	115बोक्स

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या–97 की सूचना)

क.सं.	वाहन का मैक	वाहन कहां पर है/संस्थान का नाम	वाहन चालक का नाम	कब से चला रहा है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	जिप्सी आरपीएक्स-1004	मु.चि.एवं स्वा.अधि. नागौर	श्री बजरंग सिंह	4/98	चालू
2.	जीप-आरएसएस-3355	ब्लाक प्रा.स्वा.केन्द्र; बासनी	,, मुकेश भार्गव	8/96	चालू
3.	जीप-आरएसएस–5068	आरसीएचओ कार्यालय, नागौर	,, यशपाल सिंह	4/88	चालू
4.	वेक्सीन वैन-आरजे 21/150	यथा	,, अर्जुनराम	9/91	चालू
5.	वेक्सीन वैन–आरजे–21/152	यथा	,, विजयसिंह	8/96	चालू
6.	जीप-आरएसएस-5067	यथा	,, गोविन्द सिंह	11/95	चालू
7.	जीप-आरएनएल-9276	लेप्रोसी कार्यालय, नागौर	,, चेनाराम	8/99	चालू

1	2	3	4	5	6
8.	बस-भारजे–21/323	लेप्रोसी सोसायटी, नागौर	श्री विजय सिंह (कान्ट्रेक्ट)	12/97	चालू
9.	ट्रक-भारएमजी-91	मलेरिया कार्यालय, नागौर	;; सत्यनारायण	7/96	चालू
10.	जीप-भारजेएस-3/762	यथा	;; श्यामसुन्दर	9/96	चालू
11.	स्टेण्डर्ड–भारजेएस-9144	परिवार कल्याण कार्यालय, नागौर	;; सुन्दर लाल	10/85	चालू
12.	एम्बुलेंस-भारजे-14/0076	सा.स्वा.केन्द्र; कुचामनसिटी	;; ताजूसिंह	8/96	चालू
13.	एम्बुलेंस-भारजे-21/0033	यथा	;; लक्ष्मीनारायण	9/96	चालू
14.	एम्बुलेंस-भारजे-21/0034	रा.चिकित्सालय, डीडवाना	;; नबाव खां	9/91	;;
15.	एम्बुलेंस-भारएसएस-3898	रा.चिकित्सालय, परबतसर	;; श्रवण सिंह	5/97	;;
16.	जीप-भारएसएस-3960	सा.स्वा.केन्द्र,रियाबडी	;; गोविन्दराम	12/95	चालू

1	2	3	4	5	6
17.	जीप-आरएसएस-3868	ब्लाक प्रा.स्वा.केन्द्र, डेह	श्री गोविन्दराम सोनी	7/99	चालू
18.	जीप-आरजे-21/2426	ब्लाक प्रा.स्वा.केन्द्र, कुकनवाली	,, पृथ्वीसिंह	5/96	चालू
19.	जीप-आर.जे-21/2427	ब्लाक प्रा.स्वा.केन्द्र, गच्छीपुरा	,, राम प्रसाद	4/97	चालू
20.	एम्बुलेन्स आर.जे-21/0022	यथा	,, बिरमा राम	6/97	चालू
21.	जीप आर.जे–21/2428	ब्लाक प्रा.स्वा.केन्द्र, बड़ू	,, मोती सिंह	8/96	,,
22.	जीप आर.जे-21/1571	नेत्र मोबाईल यूनिट, नागौर	,, रामचन्द्र खोजा	5/99	,,
23.	एम्बुलेंस आर.जे-14/0076	सा.स्वा.केन्द्र, कुचेरा	,, गोपाल सिंह	7/99	,,
24.	,, आर.एस.एस-5526	सा.स्वा.केन्द्र, जायल	,, चतरसिंह	9/91	,,
25.	,, आर.जे-21/0016	प्रा.स्वा.केन्द्र, हरसोर	,, नारायणराम	1/98	,,
26.	,, आर.जे-21/0015	प्रा.स्वा.केन्द्र, मोण्डा	,, नारायण सिंह	3/99	,,
27.	,, आर.जे-21/0017	प्रा.स्वा.केन्द्र, थावला	,, नंद सिंह	5/99	,,

1	2	3	4	5	6
28.	एम्बुलेन्स आर.जे-21/0018	प्रा.स्वा.केन्द्र,मेड़तारोड़	श्री नारायण राम	5/99	चालू
29.	;; आर.जे-21/0019	;; अलाय	;; नंद किशोर	4/99	;;
30.	;; आर.जे.-21/0021	;; रोल	,, किशोर सिंह	7/99	;;
31.	;; आर.जे.-21/0023	;; कितलसर	;; शमशेर खां	8/98	;;
32.	;; आर.जे.-21/0024	;; बागोट	;; कैलाशचन्द्र	7/98	;;
33.	;; आर.जे.-21/0025	प्रा.स्वा.केन्द्र,जसनगर	;; दामोदर	2/96	;;
34.	;; आर.जे.-21/0067	सा.स्वा.केन्द्र,मेड़तासिटी	;; महेन्द्र सिंह	8/96	;;
35.	जीप आर.जे.-21/3915	अंधता निवारण समिति; नागौर	;; रामचन्द्र	4/99	;;
36.	मेटाडोर आर.जे.एस.7835	प.क.कार्यालय; नागौर	;; मनीराम	7/92	;;
37.	एम्बुलेन्स आर.जे.-21/0040	राज.चिकि. नागौर	;; तेजाराम	4/92	;;

1	2	3	4	5	6
38.	एफसी आर.जे.एस/3242	मलेरिया कार्यालय, नागौर	....	....	खराब 1/99
39.	ट्रैकर आर.जे.ऐस-1919	यथा	....	....	खराब 11/97
40.	मेटाडोर-आर.जे.-21/543	सा.स्वा.केन्द्र, मकराना	श्री दिनेश प्रकाश	10/98	खराब 4/99
41.	मेटाडोर-आर.जे.एस8955	राज.चि., लाडनूं	,, प्रेम रतन	4/92	खराब 4/99
42.	मेटाडोर-आर.एस.एस.3897	राज.चि.डीडवाना	....	....	खराब 4/98
43.	एम्बुलेन्स आर.एस.एस8678	यथा	....	....	खराब 6/98
44.	,, आर.जे.-21/0032	राज.चिकि., परबतसर	....	....	खराब 1/97
45.	मेटाडोर आर.जे-14/2181	नेत्र मोबाईल यूनिट, नागौर	....	....	खराब 3/99
46.	स्टैंडर्ड आरजेएस-6251	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर नागौर	....	....	कण्डम 6/95 योग्य
47.	जीप-आर एस.एस-3095	आर.सी.एच.ओ.कार्यालय नागौर	....	....	यथा 11/98

1	2	3	4	5	6
48.	जीप-एम आरबी-201	प.क.कार्यालय; नागौर	....	....	यथा 11/98
49.	मेटाडोर-आरजेएस-8954	सा.स्वा.केन्द्र,कुचामनसिटी	....	....	कंडमयोग्य 6/92
50.	जीप-आरजेएस-1294	प्रा.स्वा.केन्द्र, नोखा-चान्दावता	श्री भोमसिंह	5/99	यथा 4/99
51.	एम्बुलेन्स-आरजेएस-2063	प्रा.चिकि.; नागौर	....	....	यथा

वाहन उपलब्ध नहीं होते हुए भी कार्यरत वाहन चालकों की सूची

क्र.सं.	नाम वाहन चालक	पद स्थापन स्थान का नाम	कब से
1.	श्री रामनिवास	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वासनी	8/96
2.	श्री रमेश भार्गव	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोलासर	10/96
3.	श्री लक्ष्मण राम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेगाना	7/98
4.	श्री किशन लाल	राजकीय चिकित्सालय, लाडनू	10/98
5.	श्री जसा राम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेडतासिटी	8/99
6.	श्री बलवीर सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुकनवाली	9/96

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-98 का विवरण)

परिशिष्ट–'घ'

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में) 1999-2000	विवरण
1.	सरदार शहर-कालू सड़क	2.00	कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 तक पूर्ण करा दिया जावेगा।
2.	बीकानेर-सरदार शहर-तारानगर सड़क	8.00	"
3.	सरदार शहर-भासपालसर सड़क	0.51	"
4.	सरदार शहर-रतनगढ़ सड़क	8.00	"
5.	सरदार शहर से चूरू वाया पुलासर सड़क	1.00	"
	योगः–	19.51	

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-103 का विवरण)

प्रश्न के भाग संख्या 1 व 2 की सूची

क्र.सं.	क्रमोन्नत विद्यालय का नाम	कक्षा 8वीं की छात्र संख्या	कक्षा 10वीं की छात्र संख्या	गांव की जनसंख्या
1	2	3	4	5
(क) उ.प्रा.वि. से माध्यमिक विद्यालयों से क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची :				
1.	कल्याणसर (सुजानगढ़)	15	....	1193
2.	ठुकरियासर (डूंगरगढ़)	27	....	3120
3.	बूगी (राजगढ़)	25	....	861
4.	रतनगढ़	....	....	43731
5.	गोलासर (रतनगढ़)	25	....	2195
6.	हुरासर (सुजानगढ़)	36	....	1940

1	2	3	4	5
7.	खुड़ी (सुजानगढ़)	28	....	2471
8.	बुकनसर बड़ा (सरदार शहर)	15	....	2226
9.	जयसगस(सरदार शहर)	48	....	2249
10.	भालेरी (तारानगर)	45	....	3556
11.	बधनाऊ (सरदार शहर)	21	....	3574
(ख) माध्यमिक से उ.मा.वि. में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची :				
1.	गुसाईसर (डूंगरगढ़)	....	13	2621
2.	कोलासर (सरदार शहर)	....	82	2906
3.	छापर (बालिका) सुजानगढ़	....	55	15535
4.	सहुला (रतनगढ़)	....	20	2527
5.	सात्यु (तारानगर)	....	45	5245

परिशिष्ट– 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-105 का विवरण)

परिशिष्ट–'क'

क्र.सं.	छात्र का नाम	पिता का नाम
1.	जसबीर	श्री कबूलचन्द
2.	सत्यबीर	श्री रामचन्द्र
3.	महीपाल	श्री बनवारी लाल
4.	बीरसिंह	श्री धर्मपाल
5.	बीरेन्द्रसिंह	श्री गोपीचन्द
6.	विजयसिंह	श्री कन्हैया लाल

राज. माध्यमिक विद्यालय; बहरोड़ जाट विद्यालय

परीक्षा परिणाम अंक पत्र, सत्र 1993-94

रोल नं. 501

नाम विद्यार्थी-वीरेन्द्र सिंह

पिता का नाम-श्री गोपीचन्द

कक्षा VIII वर्ग स्वयंपाठी जन्म दिनांक 15-10-1982

विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	विशेष
हिन्दी	80	50	
अंग्रेजी	80	49	
विज्ञान	80	31	
गणित	80	65	
सामाजिक विज्ञान	80	62	
तृतीय भाषा	80	39	
योग		296	I Div.
एस.यू.पी.डब्ल्यू			
कला शिक्षा			
स्वास्थ्य शिक्षा			

उपस्थिति उत्तीर्ण सानुग्रह उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण

श्रेणी कक्षा में स्थान

पूरक परीक्षा के योग I 2

विशेष योग्यता 1 2

ह. कक्षाध्यापक ह. परीक्षा प्रभारी

ह०

प्रधानाध्यापक

राजकीय माध्यमिक विद्यालय;

बहरोड़ जाट (अलवर)

रा. मा. वि., बहरोड़ जाट विद्यालय

रोल नं. 502 परीक्षा परिणाम अंक पत्र सत्र 1993–94

नाम विद्यार्थी-महीपाल

पिता का नाम-श्री बनवारी लाल

कक्षा VIII वर्ग स्वयंपाठी जन्म दिनांक 20–8–1980

विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	विशेष
हिन्दी	80	43	
अंग्रेजी	80	45	
विज्ञान	80	39	
गणित	80	57	
सामाजिक विज्ञान	80	43	
तृतीय भाषा	80	42	
योग		269	IInd Div.
एस.यू.पी.डब्ल्यू.			
कला शिक्षा			
स्वास्थ्य शिक्षा			

उपस्थिति उत्तीर्ण सानुग्रह उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण

श्रेणी कक्षा में स्थान

पूरक परीक्षा के योग्य 1 2

विशेष योग्यता 1 2

ह0 कक्षाध्यापक ह. परीक्षा प्रभारी ह0 प्रधानाध्यापक

राजकीय माध्यमिक विद्यालय,

बहरोड़ जाट (अलवर)

रा. मा. वि., बहरोड़ जाट विद्यालय

रोल नं. 503 परीक्षा परिणाम अंक पत्र सत्र 1993-94

नाम विद्यार्थी-विजय सिंह

पिता का नाम-श्री कन्हैया लाल

कक्षा VIII वर्ग स्वयंपाठी जन्म दिनांक 20-12-1981

विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	विशेष
हिन्दी	80	47	
अंग्रेजी	80	48	
विज्ञान	80	59	
गणित	80	43	
सामाजिक विज्ञान	80	39	
तृतीय भाषा	80	41	
योग		277	IInd Div.
एस.यू.पी.डब्ल्यू			
कला शिक्षा			
स्वास्थ्य शिक्षा			

उपस्थिति उत्तीर्ण सानुग्रह उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण

श्रेणी कक्षा में स्थान

पूरक परीक्षा के योग 1. 2.

विशेष योग्यता 1. 2.

ह. कक्षाध्यापक ह. परीक्षा प्रभारी ह. प्रधानाध्यापक

राजकीय माध्यमिक विद्यालय,

बहरोड़ जाट (अलवर)

रा. मा. वि.; बहरोड़ जाट विद्यालय

रोल नं. 504 परीक्षा परिणाम अंक पत्र सत्र 1993-94

नाम विद्यार्थी-वीरसिंह

पिता का नाम-श्री धर्मपाल

कक्षा VIII वर्ग स्वयंपाठी जन्म दिनांक 26-01-1982

विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	विशेष
हिन्दी	80	49	
अंग्रेजी	80	44	
विज्ञान	80	62	
गणित	80	54	
सामाजिक विज्ञान	80	46	
तृतीय भाषा	80	40	
योग		295	I Div.
एस.यू.पी.डब्ल्यू.			
कला शिक्षा			
स्वास्थ्य शिक्षा			

उपस्थिति उत्तीर्ण अनुग्रह उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण

श्रेणी कक्षा में स्थान II

पूरक परीक्षा के योग्य 1 2

विशेष योग्यता 1 2

ह. कक्षाध्यापक ह. परीक्षा प्रभारी ह0 प्रधानाध्यापक

राजकीय माध्यमिक विद्यालय;

बहरोड़ जाट (अलवर)

रा. मा. वि., बहरोड़ जाट विद्यालय

रोल नं. 505 परीक्षा परिणाम अंक पत्र सत्र 1993–94

नाम विद्यार्थी-सत्यवीर

पिता का नाम-श्री रामचन्द्र

कक्षा VIII वर्ग स्वयंपाठी जन्म दिनांक 15-9-1981

विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	विशेष
हिन्दी	80	45	
अंग्रेजी	80	43	
विज्ञान	80	56	
गणित	80	30	
सामाजिक विज्ञान	80	35	
तृतीय भाषा	80	36	
योग		245	IInd Div.
एस. यू.पी.डब्ल्यू.			
कला शिक्षा			
स्वास्थ्य शिक्षा			

उपस्थिति उत्तीर्ण अनुग्रह उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण

श्रेणी कक्षा में स्थान

पूरक परीक्षा के योग्य 1 2

विशेष योग्यता 1 2

ह0 कक्षाध्यापक ह. परीक्षा प्रभारी ह0 प्रधानाध्यापक

राजकीय माध्यमिक विद्यालय,

बहरोड़ जाट (अलवर)

रा. मा. वि.; बहरोड़ जाट विद्यालय

रोल नं. 506 परीक्षा परिणाम अंक पत्र सत्र 1993-94

नाम विद्यार्थी-जसवीर

पिता का नाम-श्री कबूलचन्द

कक्षा VIII वर्ग स्वयंपाठी जन्म दिनांक 14-10-1981

विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	विशेष
हिन्दी	80	51	
अंग्रेजी	80	42	
विज्ञान	80	55	
गणित	80	41	
सामाजिक विज्ञान	80	34	
तृतीय भाषा	80	41	
योग		264	IInd Div.
एस.यू.पी.डब्ल्यू			
कला शिक्षा			
स्वास्थ्य शिक्षा			

उपस्थिति	उत्तीर्ण	सानुग्रह उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
श्रेणी		कक्षा में स्थान	
पूरक परीक्षा के योग्य	1.	2.	
विशेष योग्यता	1.	2.	

ह. कक्षाध्यापक ह. परीक्षा प्रभारी ह. प्रधानाध्यापक

राजकीय माध्यमिक विद्यालय,

बहरोड़ जाट (अलवर)

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-106 की सूची)

परिशिष्ट–"क"

स्वयंपाठी छात्र 1993-94 में जिनकी परीक्षा शुल्क रसीद काटी गई उनकी सूची-

क्र.सं.	रसीद सं.	छात्र का नाम/पिता का नाम	कक्षा
1.	581	तेजसिंह/श्री सुलतान सिंह	6
2.	582	सीताराम/श्री बनवारी लाल	8
3.	583	सुभाष चन्द्र/श्री रणजीत सिंह	8
4.	584	दीपक सोनी/श्री कृष्ण सोनी	6
5.	585	वीरेन्द्र/श्री गोपीचन्द्र	8
6.	586	महीपाल/श्री बनवारी लाल	8
7.	587	विजयसिंह/श्री कन्हैया लाल	8
8.	588	वीरसिंह/श्री धर्मपाल	8
9.	589	सत्यवीर/श्री रामचन्द्र	8
10.	590	जसवीर/श्री कबूलचन्द	8
11.	591	अविनाश/श्री शिवकुमार	8
12.	592	आशिष/श्री शिवकुमार	6
13.	593	श्रीपाल/श्री जगजीत	6
14.	594	बलजीत/श्री जसवीर	6
15.	595	वीरसिंह/श्री फतेहसिंह	6
16.	596	अनिलकुमार/श्री समयसिंह	7

परिशिष्ट–'ख'

कार्यालय कमाण्डेन्ट पांचवी बटालियन आर.ए.सी., जयपुर
क्रमांक: प-6 (2) आर एसी-5/सामा./99/937-44 दि: 3-4-99
सहायक कमाण्डेन्ट (प्रथम)
पांचवी बटालियन आर.ए.सी.,
जयपुर ।

विषय: परिवाद विरुद्ध श्री वीरसिंह कानि. 779 की जांच हेतु जिला अलवर जाने की अनुमति बाबत ।

प्रसंग: आपका पत्रांक: 229 दिनांक 2-4-99

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा परिवाद विरुद्ध श्री वीरसिंह कानि. 779 की जांच के संबंध में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बहरोड़ जाट-अलवर व राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय बीजवाडा चौहान, अलवर, व संबंधित कानि. के निवास स्थान ग्राम हुलमाना खुर्द जिला-अलवर मय रिडर श्री महावीर सिंह कानि. 800 दिनांक 5-4-99 को जाने की स्वीकृति चाहने बाबत निवेदन किया है ।

अतः जांच हेतु उक्त स्थानों पर दिनांक 5-4-99 को जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । जांच कर जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें ।

एस.डी./-
कमाण्डेन्ट,
पांचवी बटालियन आर.एस.सी.,
जयपुर ।

परिशिष्ट—'ग'

प्रेषक :
प्रधानाचार्य,
राजकीय सीनीयर माध्यमिक विद्यालय,
बहरोड़ जाट (अलवर) राज.

प्रेषित
कमाण्डेन्ट, पांचवी बटालियन
आर.ए.सी., जयपुर ।

क्रमांक: रा.सी.मा.वि.बहरोड जाट/342 दिनांक : 5-4-99

विषय : श्री वीरसिंह पुत्र श्री दाताराम यादव सत्र 1993–94 के कक्षा–8 की परीक्षा रिकार्ड के क्रम में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि आपके कार्यालय के आदेश क्रमांक : प–6/2/आर.ए.सी.-5/सामा.99/937-44 दिनांक 3-4-99 के अनुसार छात्र वीरसिंह पुत्र श्री दाताराम यादव का स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में इस विद्यालय के परीक्षा परिणाम 1993-94 कक्षा–8 के परीक्षाफल रजिस्टर में नाम अंकित नहीं है । इस सत्र में कोई भी स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा नहीं दी है तथा 1993-94 का स्वयंपाठी के रूप में कोई हलफनामा रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है ।

एस.डी./-
परीक्षा प्रभार
राजकीय सी. माध्यमिक विद्यालय,
जाट-बहरोड़ (अलवर)

एस.डी./-
प्रधानाचार्य,
रा.सी.मा.वि. जाट-बहरोड़,
अलवर

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-107 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में कार्यरत पशु चिकित्सालय/पशु औषधालय/उपकेन्द्र के स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	कब से रिक्त हैं
1	2	3	4	5	6
1.	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, श्री गंगानगर	सहा.निदेशक	1	1	4/99 से
		व.प.चि.अ.	5	....	....
		एक्सरे तकनि.	1	1	9/95 से
		पशुधन सहायक	6	3	9/95 से
		कार्यक्रम सहायक	1	1	9/95 से
		सईस	1	....	....
		कैटल अटेन्डेंट	4	4	12/97 से
		जलवाहक	1	....	....
		स्वीपर	1	....	....

1	2	3	4	5	6
2.	पशु चिकित्सालय,	प.चि.प्र.	1	....	....
	जवाहर नगर	बी.ए.	1	....	....
		पशुधन सहायक	1	....	....
		सईस	1	....	....
		स्वीपर	1	....	....
	ग्रामीण क्षेत्र				
1.	पशु चिकित्सालय;	प.चि.प्र.	1	....	....
	गणेशगढ़	बी.ए.	1	1	7/99 से
		पशुधन सहायक	1	....	....
		सईस	1	....	....
		स्वीपर	1	....	....
		जलवाहक	1	....	....
2.	पशु चिकित्सालय;	प.चि.प्र.	1	....	....
	कमालीवाला	पशुधन सहायक	1	1	4/99 से
		सईस	1	....	....

1	2	3	4	5	6
3.	पशु औषधालय;	वी.ए.	1	....	....
	लाथूवाला	पशुधन सहायक	1	....	....
		सईस	1	....	....
		स्वीपर	1	....	....
4.	उपकेन्द्र--				

नेतेवाला-पशु औषधालय; लाथूवाला का उपकेन्द्र है। इसमें पशु औषधालय; लाथूवाला से एक तकनीकी कर्मचारी व एक स्वीपर कार्यरत है।

5.	उपकेन्द्र				
	5 एल.एन.पी.	पशुधन सहायक	1	1	4/99 से
		सईस	1	1	10/98 से

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या–115 का विवरण)

परिशिष्ट–'ब'

क्र.सं.	जिला	ग्राम सेवक पदेन सचिव परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन	आवेदनों के साथ प्राप्त राशि	लिखित परीक्षा पर खर्च हुई राशि	परीक्षा पर व्यय हेतु स्वीकृती जारी करने वाला प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	5338	4,97,000	2,68,000	जिला॰ कलेक्टर, जिला प्रमुख
2.	अलवर	11242	6;05;313	6,16;281	जिला परिषद के अनु-मोदन पर
3.	बांसवाड़ा	9196	8,37,028	4,85,521	जिला स्थापना समिति
4.	बाड़मेर	13676	10,50,895	7,82,721	जिला कलेक्टर

1	2	3	4	5	6
5.	भरतपुर	8043	8,60,852	5,10,915	जिला परिषद के अनुमोदन पर
6.	बीकानेर	6008	7,78,600	3,95,000	जिला कलेक्टर
7.	बूंदी	3247	2,32,510	1,27,844	जिला कलेक्टर
8.	चित्तौड़गढ़	6053	4,65,141	3,44,495	जिला परिषद के अनुमोदन पर
9.	चूरू	4831	5,85,980	2,73,750	जिला प्रमुख के अनुमोदन पर
10.	दौसा	4159	3,11,700	2,07,892	जिला परिषद के अनुमोदन पर
11.	डूंगरपुर	6937	5,16,000	3,51,000	स्थाई समिति वित्त प्रशासन
12.	धोलपुर	2133	1,59,502	1,10,298	जिला कलेक्टर

1	2	3	4	5	6
13.	गंगानगर	7958	6,29,400	28,840	जिला परिषद के अनुमोदन पर
14.	हनुमानगढ़	7985	8,89,150	2,42,351	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
15.	बारां	4687	3,12,702	1,80,594	जिला कलेक्टर
16.	जयपुर	14189	10,31,293	8,74,000	जिला कलेक्टर
17.	जैसलमेर	1884	1,12,281	45,000	निजी आय निगम के अन्तर्गत
18.	जालोर	2330	2,11,281	1,16,624	जिला कलेक्टर
19.	झालावाड़	3820	4,28,372	2,17,760	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
20.	झुंझुनूं	5384	3,93,353	3,15,187	जिला कलेक्टर

1	2	3	4	5	6
21.	जोधपुर	3557	3,79,632	1,17,419	जिला कलेक्टर
22.	कोटा		परीक्षा आयोजित नहीं की गई ।		
23.	पाली	5384	3,79,171	1,86,931	राज्य सरकार के निर्देशानुसार
24.	राजसमन्द	772	84,013	71,916	जिला परिषद के अनुमोदन से
25.	सवाईमाधोपुर	3741	2,76,972	2,42,232	जिला कलेक्टर
26.	सीकर	10669	8,82,184	4,69,250	जिला कलेक्टर
27.	सिरोही	2129	1,53,000	1,53,000	जिला स्थापना समिति
28.	नागौर	5233	4,22,200	1,40,156	जिला कलेक्टर एवं जिला स्थापना समिति
29.	भीलवाड़ा	2332	1,93,194	91,542	जिला स्थापना समिति

1	2	3	4	5	6
30.	टोंक	4769	3,37,220	2,08,070	जिला कलेक्टर
31.	उदयपुर	12636	13,40,420	9,42,877	जिला कलेक्टर
32.	करौली	3076	2,35,769	1,82,599	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

परिशिष्ट–'ब'

नियम की प्रति

214. पंचायती राज संस्थाओं का स्वयं की आय में से व्यय:–(1) पंचायती राज संस्थाएं करों, जुर्माना, फीसों और अपने व्ययनाधन रखी गयी आस्तियों के जरिये जुटाई गई अपनी आय से साधारण बैठक या स्थाई समिति के अनुमोदन से समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार व्यय उपगत कर सकेगी।

(2) स्वयं की आय में से व्यय वेतन, भत्तों और आकस्मिकता के दायित्व की पूर्ति करने के पश्चात् ही उपगत किया जायेगा।

(3) सभी व्यय अन्य प्रतिबद्धताओं और समाश्वासनों को हिसाब में लेने के पश्चात् स्वयं की आय निधियों की उपलभ्यता के अध्यधीन रहते हुए किये जायेंगे।

(4) शिक्षा उपकर से आय केवल शैक्षिक भवनों/क्रिया-कलापों पर ही खर्च की जायेगी किन्तु अन्य स्रोतों से स्वयं को होने वाली आय ऐसे भवनों/क्रिया-कलापों पर भी खर्च करना संभव होगा।

(5) कोई भी व्यय पंचायती राज संस्था की अधिकारिता के बाहर उपगत नहीं किया जायेगा।

(6) स्वयं की आय का प्राप्ति और व्यय के लिए वार्षिक बजट अनुमान तैयार किया जायेगा और सम्बन्धित पंचायती राज संस्था से अनुमोदित कराया जायेगा।

(7) कोई भी व्यय स्वयं की आय की प्रत्याशा के आधार पर नहीं किया जायेगा।

———